बदलाव की राह में

भारत में प्रकृति आधारित पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी पर एक संग्रह

बदलाव की राह में –
भारत में प्रकृति आधारित पर्यटन में
सामुदायिक भागीदारी पर एक संग्रह

इक्वेशन्स, 2009

इस प्रकाशन के कुछ अंशों या पूरे प्रकाशन को शैक्षिक, जनवकालत या गैर मुनाफा उपयोगों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। हमें केवल इस उपयोग के विषय में सूचित कर दें तथा हमारा आभार स्वीकृत कर दें।

इक्वेशन्स अध्ययन टीम 2009

अदिति चनचानी
सरुप रोए बी.आर.
श्वेता नारायण

रूपरेखा

www.royandarati.com

प्रकाशन

अनुवाद - निधी अगरवाल

इक्वेशन्स
415, 2 सी क्रौस, 4था मेन
ओ.एम.बी.आर. लेआउट, बनसवाड़ी
बंगलूरु 560043, भारत।

फोन : +91-80-25457607/25457659
फैक्स : +91-80-25457665

ई मेल : info@equitabletourism.org
वैबसाईट : www.equitabletourism.org

बदलाव की राह में

भारत में प्रकृति आधारित पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी पर एक संग्रह

विषय सूचि

प्रस्तावना 1

भाग – क उदाहरणात्मक अध्ययन

1. ऊंचे पहाड़ी रास्तों में घर
   हिमालयी गृह आवासों का उदाहरणात्मक अध्ययन, लद्दाख
   इक्वेशन्स द्वारा.....4

2. तोंद वाली बिल्ली
   मानस माओजीगेन्द्री वन शिविर, असम का एक अध्ययन
   सीमा भट्ट द्वारा 16

3. सपने देखने का साहस
   माउन्टेन शैपहर्ड्ज़ इनिशिएटिव, उत्तराखंड का एक अध्ययन
   इक्वेशन्स द्वारा.....24

भाग – ख परिदृश्य

1. पर्यटन, व्यापार और भूमण्डलीकरण
   जैवविविधता पर प्रभाव : एक अंकीय नाटक
   इक्वेशन्स द्वारा.....38

2. पर्यटकों का स्वागत; आदिवासियों का निश्कासन
   भारतीय देषज समुदायों पर पर्यटन के प्रभावों पर चिन्तन
   इक्वेशन्स द्वारा.....48

3. विकासशील देशों में समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन
   भारत में अंतर्जात पर्यटन परियोजना से प्राप्त जानकारी व सबक
   इक्वेशन्स द्वारा.....62

4. सामुदायिक भागीदारी, गरीबी उन्मूलन
   एवं प्रकृति पर्यटन पर विभिन्न दृष्टिकोण
   डा. बी. विजय कुमार द्वारा 69

5. भारत में ईको पर्यटन
   नीतिगत तथा कानूनी ढांचे
   इक्वेशन्स द्वारा.....74

6. क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष की आवश्यकता है?
   अनीता प्लूमारोम द्वारा 90

7. ईकोपर्यटन
   विकासशील देशों के लिए एक पारिस्थितिकीय
   एवं आर्थिक शिकंजा
   अनीता प्लूमारोम द्वारा.....93

8. ईकोपर्यटन संदर्भ, परिणाम तथा प्रभावों के
   विश्लेषण के लिए एक ढांचा
   इक्वेशन्स द्वारा.....95

प्रस्तावना

वर्ष 2008 में ऐफ्रीकन सफारी लौज फाउन्डेशन द्वारा संयोजित एक संयुक्त कार्यक्रम, जिसमें प्रकृति आधारित पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी का अध्ययन किया गया था, के अंतर्गत इक्वेशन्सको भारत में 3 दिलचस्प प्रयासों का अध्ययन करने का मौका मिला। हालांकि प्रत्येक जगह के अपने विशिष्ट संदर्भ हैं, इतिहास हैं और वे पर्यटन विकास के अलग-अलग चरण पर हैं, उनमें कुछ समान लक्षण भी हैं। यह पर्यटन प्रयास भारत के कुछ बेहद दर्शनीय स्थानों पर स्थित है - **लद्दाख में हिमालयी परिवारों की आवास सुविधाएं, उत्तराखण्ड में बकरवालों के प्रयास व असम में मानस माओज़ीगेन्द्री जंगल शिविर।**

इन अध्ययनों में हर प्रयास के विशिष्ट संदर्भ और इतिहास को समझने की कोशिश की गई - क्या कारण रहे कि इन प्रयासों की शुरुआत हुई और उन्होंने अपने सामने क्या लक्ष्य रखे थे। हर प्रयास में पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार के रूप में आर्थिक लाभ देने का उद्देष्य था। और तीनों प्रयासों में, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख व संरक्षण पर मुख्य जोर दिया गया था। इन प्रयासों में शामिल समुदायों तथा अन्य सहायक लोगों को भी यह जानकारी थी कि पर्यटन के विषय में आज निर्णय लेने से वे भविष्य में अपनी शर्तो पर पर्यटन की दिशा तय कर सकेंगे। और ये शर्ते नियंत्रण से संबंधित न होकर, विवेकपूर्ण एवं आदरणीय मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं।

भागीदारी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया धीमी और जटिल थी। उनके रास्ते में कई चुनौतियां व दुविधाएं आईं। उनमें से एक थी लोगों के विकास व पर्यटन प्रयास की सफलता के बीच 'संतुलन' बनाए रखना। पहाड़ी बकरवालों के प्रयास में आज के दिन यह प्रमुख मुद्दा है। दूसरी चुनौती थी कि वे अपने लिए आवश्यक क्षमताएं व कुशलताएं जुटा पाएं। विपणन, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटरों पर काम करना, प्रबंधन व्यवस्था, व्याख्या व मार्गदर्शन की कुशलता बढ़ाना, अतिथियों की जरूरतों, जैसे खाना बनाना, घरों की देख-भाल करना - जो आसान लगते हैं पर सीखना मुश्किल होता है। स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने के निर्णय को लागू करने के लिए यह एक ज़रूरी कदम था, जिससे कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़े और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

स्थानीय लोगों को लाभ देने और तुल्यता से लाभ वितरण की प्रक्रियां भी बनाई गई हैं। पर्यटन में बढ़ोतरी के साथ लोगों में आपसी होड़ भी लग गई। उनके पारंपरिक व्यवसायों में वे आपस में मिलजुलकर, एक दूसरे का सहयोग किया करते थे, जो पर्यटन के आने से बदल गए। पर्यटन के कारण जो पैसे का लेन देन शुरु हुआ उससे फायदा हुआ या नुकसान? स्थानीय लोगों को अपनी बदलती हुई परंपराओं और रीति-रिवाज़ों के विषय में क्या लगता है? क्या पर्यटकों को इस बदलाव से कुछ फायदा मिलेगा? हमारे अध्ययन में

निकलकर आया कि स्थानीय लोगों ने पुर्नावलोकन और संतुलन बनाए रखने की अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित कीं जिससे कि वे ये निर्णय ले सकें कि कौन से बदलाव उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं ओर वे समय रहते उन बदलावों को कैसे रोक सकें।

एक अन्य मुद्दा था कि बड़े आकार और महत्वाकांक्षी पर्यटन के बदले एक समग्र व सतत पर्यटन का विकास कैसे किया जाए। अध्ययन किये गए प्रयासों में सततता के विषय में अभी निर्धारित प्रक्रियाएं नहीं बनाई गई हैं। पर लोगों को यह पता है कि कभी न कभी उन्हें यह प्रक्रियाएं बनानी पड़ेंगी। लेकिन प्रत्येक प्रयास के पीछे 'एक अलग अनुभव' देने की सोच शामिल थी - ऐसा पर्यटन जिसमें अतिथि व स्थानीय लोग, दोनों के अनुभव में वृद्धि हो।

इस संग्रह में इन अध्ययनों के अतिरिक्त, हमने कुछ लेख भी शामिल किए हैं। इक्वेशन्स (एवं अन्य शोधकर्ताओं द्वारा लिखे) जिनसे इन मुद्दों की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। हमने विश्लेषण के लिए एक ढांचा भी शामिल किया है, जिससे कोई भी ईको पर्यटन/ प्रकृति आधारित पर्यटन की जांच कर सकता है।

इसके लिए हम लद्दाख, उत्तराखण्ड और मानस के कई लोगों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने गाँवों तक जाने और लोगों के साथ चर्चा करने में हमारी मदद की।

1. हिमालयी घरों में आवास सुविधाएं, लद्दाख - स्नो लैपर्ड कन्ज़रवैन्सी - इंडिया ट्रस्ट के सदस्य व रुम्बाक और उले गाँव के निवासी।

2. माओजीगेन्ट्री जंगल शिविर, मानस - हैल्प टूरिज़म के सदस्य, मानस-हैल्प टूरिज्म के सदसय, मानस माओज़ीगेन्द्री ईकोटूरिज़म सोसायटी व बोडो टैरिटोरियल काउंसिल के सदस्य।

3. पहाड़ी बकरवाल प्रयास, उत्तराखण्ड - पहाड़ी बकरवाल प्रयाास के सदस्य और लाता व तोलमा गाँव के निवासी।

मानस का अध्ययन सीमा भट्ट ने एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में किया। हम उनके आभारी हैं।

इन कहानियों का अध्ययन करने और आपसी विचारों के आदान-प्रदान के लिए हम अफ्रीकन सफारी लौज फाउन्डेशन और फोर्ड फांउडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

इक्वेशन्स टीम

अप्रैल 2009

भाग – क

उदाहरणात्मक अध्ययन

1.

ऊंचे पहाड़ी रास्तों में घर

लद्दाख के हिमालयी गृह आवासों का उदाहरणात्मक अध्ययन

इक्वेशन्स द्वारा

प्रस्तावना :

ऊंचे पहाड़ी रास्तों का क्षेत्र, लद्दाख, भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 96,701 वर्ग कि.मी है। उत्तर में कुनलुन पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम में हिमालयी पहाड़ों के बीच यह क्षेत्र स्थित है। लद्दाख एक शीत रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ के मौसमी बदलाव बहुत जबरदस्त होते हैं। और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सर्दी के मौसम में लगभग 7 महीनों तक यह क्षेत्र बर्फ के कारण बाहरी क्षेत्रों के संपर्क में नहीं रहता।[1] लद्दाख को दो जिलों में बांटा गया है - कारगिल एवं लेह।

ऊंचाई वाले शीत रेगिस्तान के मौसम में विविध प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़-पौधे पनपते हैं, जिसमें विश्व की कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि स्नोलैपर्ड[2] भी शामिल हैं। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में 3,350 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में स्थित हैमिस राष्ट्रीय उद्यान स्नोलैपर्ड का एक प्रमुख आवास क्षेत्र है। और लेह जिले का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्षेत्र हिमालयोत्तर पारिस्थितिकी का प्रतिरूप है, जहाँ की जनसंख्या काफी कम है और चट्टानी इलाके हैं जिनमें बहुत अधिक वनस्पति नहीं होती। इस उद्यान की स्थापना 1981 में दक्षिण की मारखा और जंस्कर घाटियों तथा पूर्व में रुम्बाक घाटी के संरक्षण से शुरु हुई।[3] लगभग 12 गाँवों में 1,600 लोग उस उद्यान के अंदर रहते हैं। हालाकि मारखा घाटी में पिछले 3-4 दशकों से पर्यटक ट्रैकिंग के लिए आते रहे हैं। स्थानीय लोगों को इन पर्यटकों से कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।[4] केन्द्रीय सरकार द्वारा यह क्षेत्र स्नोलैपर्ड के संरक्षण के लिए अलग से चिन्हित किया गया है।

यह अध्ययन स्नो लैपर्ड कन्ज़रवैन्सी-भारत ट्रस्ट (एस.एल.सी.-आई.टी.-आई.टी.) के प्रयासों के विषय में है, जिसके अंतर्गत स्नो लैपर्ड का उसके विशिष्ट आवास-स्थल में सरंक्षण हो रहा है और पर्यटन के जरिये स्थानीय प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ उन्हें रोजगार व अन्य आमदनी के अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। हैमिस राष्ट्रीय उद्यान के गाँवों में गृह-आवास सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे कि परभक्षी जानवरों के हमले से मवेशियों के नुकसान के बदले उन्हें आमदनी के अवसर मिल सकें।

इतिहास

हैमिस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयी गृह आवास सुविधाएं पहली बार वर्ष 2002 में शुरु हुई। हैमिस राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ 12 गाँव बसे हैं, सबसे पहले रुम्बाक में गृह आवास की शुरुआत की गई जो कि स्नो लैपर्ड का एक महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र है। यहाँ लेह के यात्रा व्यवस्थापकों के जरिए पर्यटक आते थे। इसके बाद गृह आवासों का यह कार्यक्रम क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी चलाया गया। वर्तमान समय में, लगभग 100 गृह आवास विकसित किए गए हैं - हैमिस, शाम और जंस्कार क्षेत्रों में।

एस.एल.सी.-आई.टी. की स्थापना वर्ष 2000 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्नोलैपर्ड, उसके आहारी शिकार और उसके आवासीय समुदाय और उसके आवास का समुदाय आधारित संरक्षण व स्थानीय समुदायों का विकास। हिमालयी गृह आवकसों का प्रयास एस.एल.सी.-आई.टी. एवं हैमिस राष्ट्रीय उद्यान के गाँव के निवासियों के बीच हुई चर्चाओं से निकल कर आया क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासियों को स्नो लैपर्ड के शिकार के कारण मवेशियों का काफी नुकसान हो रहा था। हर साल 12 प्रतिशत मवेशी स्नो लैपर्ड के हाथों मारे जाते थे। इस प्रकार बढ़ते नुकसान और आर्थिक तंगी के कारण लोग स्नो-लैपर्ड से नाखुश थे। इसके कारण, बदले में लोगों ने स्नो लैपर्ड को मारना शुरू कर दिया जिससे इस दुर्लभ प्रजाति और अन्य परभक्षी प्रजातियों के लिए खतरा और भी बढ़ गया।

शुरुआती चर्चाओं में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहाँ ऐसी बदले की भावना से बड़ी संख्या में स्नो लैपर्ड को मारा जा रहा था। जहाँ मवेशी चराने वालों को अत्यधिक चौकन्ना रहना पड़ता था, वहाँ परभक्षियों से बचाने के लिए खास दड़बे बनाए गए। लेकिन जब काम आगे बढ़ा तो समझ में आया कि केवल परभक्षियों से

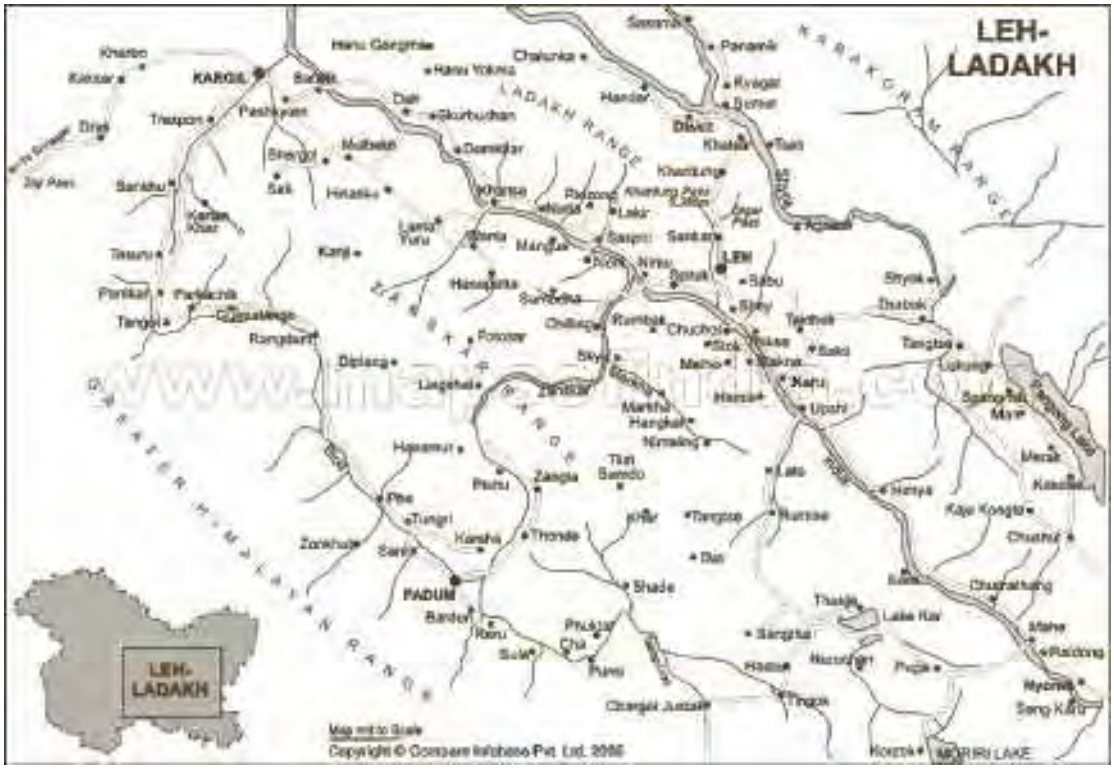

Source: http://www.lehladakhindia.com/india/ladakhmaps.html

बचाने के लिए दड़बे बनाना काफी नहीं था क्योंकि चरान करते समय मवेशियों का शिकार अभी भी जारी था। पहाड़ों में विचरण करते हुए स्नोलैपर्ड के लिए परभक्षियों से अनभिज्ञ मवेशियों का शिकार करना भरल या आईबैक्स बकरी का शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान था। चूंकि गाँव के लोग ज्यादातर निर्वाह खेती से ही करते हैं, मवेशियों को खो देने से उनकी पैसे की आमदनी पर सीधा असर पड़ता था।

हैमिस राष्ट्रीय उद्यान के रुम्बाक गाँव में चर्चाओं के समय एस.एल.सी.-आई.टी. ने कई ऐसे आमदनी के विकल्पों के विषय में चर्चा की जिससे मवेशियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। इन चर्चाओं में कोशिश की गई कि गाँव वाले स्नोलैपर्ड से नफरत करने के बजाए उसके साथ मिल जुल कर रहने के विकल्प ढूंढें।

पर्यटक सुविधाएं

क) गृह आवासों की स्थापना

रुम्बाक में स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्ष में लोगों ने यह माना कि वहाँ की सुन्दर वादियों में बहुत से पर्यटक आते रहते हैं। उन्हें यह समझ में आया कि हालांकि उन्हें शिविर लगाने के लिए कुछ फीस तो मिलती थी, उन्हें बहुत कुछ आमदनी नहीं होती थी; और शायद वे गाईड के रूप में काम करें तो उन्हें ज्यादा आमदनी मिल सकती है। एक और सुझाव था कि लेह में अतिथि गृह बनाए जाएं। लेकिन चूंकि अतिथि गृहों से कुछ ही लोग पैसा कमा सकते थे, तो एस.एल.सी.-आई.टी. ने प्रकृति गाईड का सुझाव दिया। इसके बाद 2001 में, लेह में ययग्रामीण क्षेत्रों में ईको पर्यटन के अवसर विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्थानीय गाँवों, लद्दाख औटोनौमस हिल डैवल्पमैंट काउंसिल, लेह-लद्दाख के पर्यटन विभाग, वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड फौर नेचर, लद्दाख ईकोलौजिकल डैवल्पमैंट ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका आयोजन द माउन्टेन इन्स्टिट्यूट व एस.एल.सी.-आई.टी. ने किया। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने परिभाषित किया कि उनके अनुसार गृह-आवास कैसा होना चाहिए:

- गृह-आवास का विकास पहले से मौजूद घरों में किया जाना चाहिए और इन घरों के सुधार के लिए थोड़ा पैसा लगेगा।
- गृह-आवास पर्यटकों के साथ पारंपरिक एवं स्थानीय लद्दाखी संस्कृति बाँटेगा।
- यहाँ पर्यटकों को स्थानीय भोजन दिया जाएगा और सजावट भी स्थानीय ढंग से की जाएगी।
- यह प्रकृति सहायक प्रणालियों पर आधारित होंगे, जैसे कि, सूखे शौचालय, जिससे क्षेत्र में मुश्किल से आने वाले पानी की बचत की जा सके।

अंततः निम्नलिखित परिभाषा तैयार की गई :

एक पारंपरिक ग्रामीण लद्दाखी गृह-आवास पर्यटकों के साथ अपनी पारंपरिक जीवन शैली और मूल्य बाँटेगा, उन्हें पारंपरिक भोजन देगा, जो कम खर्च से विकसित प्रकृति-सहायक वातावरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

लोगों की गृह आवासों की इच्छा को विकसित करने के लिए वर्ष 2001 में एस.एल.सी.-आई.टी., वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड और लेडेग ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया जिसमें 500 पर्यटकों से पूछा गया कि वे हैमिस राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैक करते समय किस प्रकार के आवास, भोजन व अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं।

प्रतिशत पर्यटकों ने गृह-आवास के पक्ष में मत दिया और व्यवस्थित ट्रैकिंग, शिविर आवासों या अतिथि गृहों को नहीं। इसी प्रकार स्थानीय भोजन, प्रकृति गाईड की आवश्यकता तथा सूखे शौचालयों को भी भारी मत मिला। कुछ छोटी मोटी प्रतिशत में लोगों ने स्थानीय हस्तशिल्प में भी रुचि दिखाई। गाँव के मुखिया (नाम्ब्रादर) की स्वीकृति से गृह-आवासों के विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित तय किये गये:

- परिवार पहले एक कमरा ही पर्यटकों को किराए पर दें। (क्योंकि अमीर परिवार एक से ज्यादा कमरे दे सकते हैं, जिससे लाभ वितरण में असमानता आ जाएगी)।
- उनके पास 3 से ज्यादा मवेशी नहीं होने चाहिए। (इससे परिवार के आर्थिक स्तर का पता चलता है। यह मापदंड इसलिए अपनाया गया जिससे कि गरीब परिवारों को फायदा मिल सके और उन्हें शुरुआत में धनवान परिवारों के साथ मुकाबला न करना पड़े। धनवान परिवार जो इसमें भाग लेना चाहते थे, उन्हें 2 साल बाद भाग लेने की अनुमति थी।
- एक शौचालय (दरवाजे.के साथ) होना आवश्यक है। पारंपरिक घरों में केवल एक पर्दा हुआ करता था।
- परिवार पर्यटन क्षेत्र के कार्य में नया होना चाहिए।
- परिवार के सदस्य गृह-आवास सुविधाओं को चलाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए तैयार हों।
- कुल आमदनी का 10 प्रतिशत हिस्सा एक संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा जिसे गाँव स्तर के कामों में उपयोग किया जाएगा।
- यदि किसी परिवार ने स्नोलैपर्ड या अन्य परभक्षी जानवरों की हत्या की तो उसके गृह-आवास की मार्केटिंग रोक दी जाएगी। (यह मापदंड परभक्षियों के संरक्षण हेतु डाला गया)

जब 2001 में रुम्बाक में गृह आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई (जो औपचारिक रूप से 2002 में घोषित किया गया) तो ऊपर दिए गए मापदंडों के आधार पर 4 परिवारों ने यह कार्य करने का साहस दिखाया। उन्हें पर्यटकों से भी सुझाव मिले कि वे कैसे अपने गृह-आवासों को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि, अतिथियों ने बताया कि तकिये चट्टानों की तरह सख्त थे। अतिथियों के सुझावों के आधार पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे सेवाओं और सफाई में बढ़ौतरी की जाए। गृह-आवासों में ही यह प्रशिक्षण दिए गए। मनाली के हौलिडे-इन होटल के एक कर्मचारी ने यह प्रशिक्षण दिया। एक छोटे सत्र में स्वास्थ्य के मुद्दों और अंग्रेजी भाषा पर भी प्रशिक्षण दिया गया। चूंकि स्थानीय भागीदार लद्दाखी में पढ़-लिख सकते थे, बाद में एक लद्दाखी-अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया गया। अंग्रेजी सीखाने के लिए कैसेट बनाए गए, क्योंकि लद्दाखी घरों में टेप रिकार्डर आमतौर पर पाए जाते हैं। अंग्रेजी में यह प्रशिक्षण बहुत जरूरी था क्योंकि स्थानीय लोग अंग्रेजी न आने के कारण अतिथियों से बात करने में हिचकिचाते थे।

सेवाओं और सफाई के प्रशिक्षण के साथ-साथ, गृह-आवासों की महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया कि वे ऐसे मानदंडों के बारे में सोचें जिससे अतिथियों तथा उनके आचरण के लिए मार्गदर्शक मानदंड तय किये जा सकें। इन मानदंडों की सूची को तैयार कर के गृह-आवासों में टांगा गया।[5]

कृपया :

- खुले आम प्रेम का प्रदर्शन न करें।
- अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े न पहनें, जैसे कि ऊंची स्कर्ट या बिना बाजू के ब्लाऊज़ आदि।
- पानी या खेतों के पास शौच न करें।
- खाना परोसने वाले चम्मचों से खाना न चखें।
- अपने खाने वाले चम्मचों या उंगलियों को खाने के बर्तनों में न डालें।
- खाना पकाने में हस्तक्षेप न करें।
- चौकत्से (लद्दाखी मेज) पर न बैठें।
- गृह-आवास की दरों में तोल-मोल न करें।

गृह-आवास उपलब्ध कराने वाले परिवारों को अपने घरों की मरम्मत और न्यूनतम सुविधाएं देने, जैसे सोने के लिए गद्दे इत्यादि के लिए लगभग रू 1500 खर्च करने पड़े। यह राशि इन परिवारों के लिए काफी बड़ी थी। पर एस.एल.सी.-आई.टी. ने यह सुविधाएं मुफ्त देने की बजाए परिवारों को ऋण पर दीं। इसके अतिरिक्त एस.एल.सी.-आई.टी. द्वारा दिए गए पैसे को इस शर्त पर दिया गया कि उसे एक साल की अवधि में लौटा दिया जाएगा, जब परिवारों ने काफी अतिथियों के ज़रिये पैसा कमा लिया होगा। जो पैसा वापिस आया, उसे ग्राम संरक्षण कोष में जमा कर दिया गया।

दो साल बाद गृह-आवासों में रुचि बढ़ी और रुम्बाक के कार्यक्रम में धनवान परिवारों ने भी भाग लिया।

गाँवों में एक सांझी ग्रामीण मूल्यांकन की प्रक्रिया की गई। गाँव का एक मानचित्र बनाया गया जिसमें संसाधनों को चिन्हित करते हुए योजना बनाई गई कि और किन-किन गाँवों में गृह-आवास कार्यक्रम चलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के आधार पर, वर्ष 2002 में ही रुम्बाक के अतिरिक्त हैमिस राष्ट्रीय उद्यान के 5 और शाम क्षेत्र के 5 अन्य गाँवों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। दूसरे साल के अंत तक 60 से अधिक परिवार इस कायक्रम से जुड़ गए थे। वर्ष 2008 में यह धारणा जंस्कर और लुमनाग क्षेत्रों में भी जोर पकड़ने लगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाँव में सभी गृह-आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को आने वाले पर्यटकों से लाभ अवसर मिलें, एक चक्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सभी गृह-आवास उपलब्ध कराने वालों की भागीदारी के लिए उचित निर्णय ले सकें। इसके कारण, कुछ गाँवों ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जो ध्यान रखता है कि किस परिवार में पर्यटकों को जाना चाहिए। तो जब पर्यटक गृह आवास का वाउचर लेकर आते हैं तो उन्हें उपयुक्त गृह-आवास में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया रुम्बाक में चलाई जा रही है। शाम क्षेत्र के उले जैसे गाँवों में यह प्रक्रिया सफल नहीं रही - गाँव के लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे थे और दूसरा, गृह आवासों की बीच की दूरी के कारण पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि वे सफर से पहले ही काफी थक जाते हैं।

ज्यादातर जो प्रक्रिया चलती है, उसमें यात्रा व्यवस्थापक पर्यटकों को वाऊचर देकर गाँव में भेज देते हैं और उसपर परिवार का नाम नहीं लिखा होता। कई जगहों पर गृह-आवास एक-दूसरे से दूर-दूर बने हुए हैं और यह दूरी कभी-कभी 3 कि.मी. तक भी होती है, जिसे पैदल पार कर पाना पर्यटकों के लिए मुश्किल हो जाता है। दूर-दराज.के गाँवों में गृह-आवास के मालिकों और शहर में स्थित यात्रा व्यवस्थापकों के बीच संपर्क के साधन न होने के कारण

समस्या और बढ़ जाती है। एक और संस्था है - यूथ एसोसिएशन फॉर कन्ज़रवेशन एंड डवैल्पमैंट आफ हैमिस नैशनल पार्क, जो स्वैच्छिक रूप से काम करती है और पर्यटकों को जानकारी देने के साथ-साथ गृह-आवास की व्यवस्था भी करती है। यह मारखा घाटी के युवाओं की संस्था है जिसे वन्यजीव विभाग ने गठित किया है, जो मारखा घाटी के हैमिस राष्ट्रीय उद्यान में यात्राएं भी आयोजित करते हैं। एस.एल.सी.-आई.टी. तथा यूथ एसोसिएशन के एक ही क्षेत्र में कार्य करने और कुछ सीमित परिवार होने के कारण एक ही गृह-आवास में क्षमता से दो गुणा ज्यादा आरक्षण हो जाता है। कुछ समय से, गृह-आवास परिवारों ने यूथ एसोसिएशन के लिए अलग और हिमालयन होमस्टेज़ के लिए अलग कमरे बनाने शुरु कर दिए हैं। एस.एल.सी.-आई.टी. लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे और अधिक कमरे बनाने की बजाए उन्हीं कमरों का उपयोग करें। समन्वय की इस कमी के कारण कभी-कभी एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है जब अपने आप आए पर्यटक ऐसे एक कमरे में रहने लगते हैं, जो वैसे किसी यात्रा व्यवस्थापक के जरिये किराए पर दिया जाता है। और जब यात्रा व्यवस्थापक किसी पर्यटक को भेजते हैं तो इन पर्यटकों को जो स्वयं वहाँ पहुंचे थे और उनके पास यात्रा व्यवस्थापक का वाऊचर नहीं होता, कमरा खाली करना पड़ता है।

लेकिन कुछ जगहों पर चक्रवर्ती प्रक्रिया बढ़िया तरीके से काम करती है, जहाँ एक या दो व्यक्ति गृह आवास निर्धारित करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं या यात्रा व्यवस्थापक ही ध्यान रखते हैं कि सभी घरों को बराबर काम मिले। इस व्यवस्था में यात्रा व्यवस्थापक सभी गृह आवासों का रिकार्ड रखते हैं कि किसे पर्यटक मिले और किसे नहीं।

गृह आवास के भुगतान सीधा परिवार को दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसी स्थिति न आए कि गाईड या यात्रा व्यवस्थापक उनके पैसों को अपने पास रख लें। कभी-कभी ऐसी भी समस्याएं आती हैं जैसे इज़रायल का एक समूह सुबह के धुंधलके में बिना पैसे दिए ही भाग गए।

(ख) प्रकृति गाईड

जहाँ एक ओर रुम्बाक में गृह-आवासों को स्थापित किया जा रहा था, वहीं गाँव के युवाओं को प्रकृति गाईड के रूप में काम करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा था। चूंकि आवास सुविधाओं से गाँव के एक-दो परिवारों को ही फायदा होता, एस.एल.सी.-आई.टी. ने युवाओं को प्रकृति गाईड बनने के लिए प्रशिक्षण दिया। यह गाईड गृह-आवास में आने वाले पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध हैं।

पहला प्रशिक्षण रुम्बाक में 2001 में दिया गया, जिसमें द माउन्टेन इन्स्टिट्यूट और इंटरनैशनल सैंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउन्टेन डैवल्पमैंट (इसीमोड) ने सहयोग दिया। बाद में एक और प्रशिक्षण रुम्बाक और टंग्यार में नुब्रा में भी आयोजित किया गया। दूसरा और तीसरा प्रशिक्षण जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग के सहयोग से आयोजित किए गए। पहले साल में 15 लोग प्रशिक्षित हुए और दूसरे साल में 22। भाग लेने वालों में से ज्यादातर लड़कियाँ थीं। सभी भागीदारों को वन्यजीव विभाग व एस.एल.सी.-आई.टी. द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिए गए।

इस प्रशिक्षण की सूचना रेडियो पर दी गई थी। क्षेत्र की वनस्पतियों और जानवरों के विषय में पर्यटकों को जानकारी देने के विषय पर प्रशिक्षण लेह में आयोजित किया गया। कक्षा - सत्र और बाहर

जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसमें पक्षी-दर्शन भी शामिल था। बाद में पक्षियों की पहचान करने के लिए सस्ती दरों पर किताबें दी गईं और समुदाय को दूरबीनें भी दी गईं। वर्ष 2003 व 2004 में म्यूज़ (स्पिति की एक गैर सरकारी संस्था) और ऑल स्पिति यूथ एसोसिएशन के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के स्पिति क्षेत्र में 2 अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किए गए। यह क्षेत्र भी स्नो लैपर्ड का एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है, जहाँ गृह-आवास का कार्यक्रम बाद में म्यूज़ की भगीदारी के साथ लागू किया गया।

(ग) पैराशूट कैफे

एस.एल.सी.-आई.टी. ने पैराशूट कैफे के पहलू पर भी काम किया, जिसका नाम इसलिए पड़ा कि इन्हें सेना द्वारा उपयोग करके छोड़ दिए गए पैराशूट के कपड़े से बनाया जाता है। पैराशूट कैफे एस.एल.सी.-आई.टी. के कार्यक्रम के अंतर्गत शुरु नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हे पहले से ही लेह न्यूट्रीशन प्रोग्राम (एल.एन.पी.) के अंतर्गत शुरु किया जा चुका था। एल.एन.पी. के कार्यक्रम के अंतर्गत हैमिस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एस.एल.सी.-आई.टी. ने देखा कि वे लोग केवल चाय व बीयर बेच रहे हैं और उन्हें लगा कि इसमें कुछ मूल्य-वृद्धि की जा सकती है। पैराशूट कैफे में जुड़े परिवारों को भोजन पकाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सोलर पैराबौलिक हीटर सस्ते दरों पर दिए गए और प्रोत्साहित किया गया कि वे पर्यटकों को मिनरल वाटर की बोतलें बेचने की बजाए पानी उबालकर व छान कर दें, जिससे कि क्षेत्र में प्लास्टिक का कूड़ा न बढ़े। कूड़े को अलग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम की जिम्मेदारी केवल प्रशिक्षण देने और पहले से अधिक दायित्व बढ़ाने तक ही थी। लेकिन प्रशिक्षण के बावजूद कैफे में लोग नूडल्स और चिप्स ही बेच रहे हैं क्योंकि पर्यटकों के पास और खाना पकने का इंतजार करने के लिए समय नहीं होता।

कुछ क्षेत्रों में गाँव के परिवार बारी-बारी से पैराशूट कैफे चलाते हैं। इससे उन घरों में भी आमदनी होती है जो गृह आवास की सुविधा नहीं दे रहे। एस.एल.सी.-आई.टी. इस चक्रवर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है पर यह चलती है या नहीं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से समुदाय पर ही है।

(घ) स्मारिकाएं व ऊनी उत्पाद

कार्यक्रम के अंतर्गत स्मारिकाओं पर भी ध्यान दिया गया, हालांकि इस पर बहुत ज्यादा जोर नही दिया गया। परिवार कुछ ऊनी उत्पाद वैसे भी घरों में बुनते थे, जो पर्यटकों को सर्दियों में बेचते थे। उनको सलाह दी गई कि वे हल्के वजन के उत्पाद बनाएं जो ट्रैकिंग करने वाले लोग अपने साथ ले जा सकें। उन्होंने टोप, टोपियां, मोजे. और दस्ताने बनाए जो पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। गृह-आवास वालों का कहना है कि वे यह उत्पाद बनाकर या तो अपने घरों में ही बेच देते हैं (घर में प्रदर्शनी लगाकर), या पैराशूट कैफे के माध्यम से जहाँ, काफी पर्यटक रास्ते में रूकते हैं। गर्मियों में पैराशूट कैफे से ज्यादा बिक्री होती है, पर सर्दी में, जब पर्यटक खास तौर पर स्नोलैपर्ड ट्रैक करने आते हैं तो गृह-आवासों से ज्यादा बिक्री होती है।

(ङ) सामुदायिक सौर-शावर

एस.एल.सी.-आई.टी. की लगातार कोशिश रही है कि पर्यटन से होने वाले लाभ उन परिवारों को भी मिलें जो गृह-आवास उपलब्ध

नहीं करवा पा रहे हैं। पर्यटकों के सुझाव लिए गए जिनमें विदेशी पर्यटक चाहते थे कि जब वे ट्रैक से वापिस आएं तो उन्हें नहाने के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था मिले। एस.एल.सी.-आई.टी. तब से गृह-आवास मालिकों को सामुदायिक सौर-शावर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह परिवार शावर के उपयोग के लिए एक शुल्क ले सकते हैं। शावर के लिए रू.50 शुल्क लिया जाता है। जिसका 5 प्रतिशत हिस्सा संरक्षण कोष में जमा किया जाता है।

हालांकि शावर के माध्यम से कम संसाधन वाले परिवारों को भी भागीदारी का मौका मिला जिससे लोग अपने गाँव में उपलब्ध संसाधनों और पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं में अपना हक समझ सकें। यह प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा - उले में ज्यादा पर्यटक न होने और काया में पानी की कमी होने के कारण। इन्हीं दो गाँवों में यह शावर लगाए गए थे।

विपणन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरु से ही यात्रा व्यवस्थापकों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण देते समय भी यात्रा व्यवस्थापकों को बुलाया गया जिससे कि स्थानीय लोग यात्रा व्यवस्थापकों की भूमिका को समझ सकें और वे आपस में मुनाफा बांटने और एक दूसरे से वे क्या उम्मीद रखते हैं इस पर चर्चा कर सकें। यात्रा व्यवस्थपकों को अपने पर्चे लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि लोग देखें कि वे गृह-आवासों को कैसे प्रचलित करते हैं। यात्रियों व पर्यटकों के बीच गृह-आवास का प्रचार करना यात्रा व्यवस्थापकों के लिए भी एक नया काम था और साथ ही देशी-विदेशी पर्यटकों को कुछ नया और अलग पेश करने का मौका भी। शुरुआत में, 2001 में, जब रुम्बाक में गृह-आवास शुरु किए गए तो लेह में हर जगह पर्चे लगाए गए। एस.एल.सी.-आई.टी. ने हमेशा कोशिश की है कि यात्रा के क्षेत्र में कारोबार करने वालों और स्थानीय लोगों के बीच एक रिश्ता बना रहे जिससे पर्यटन और संरक्षण का भी रिश्ता बना रहेगा। अतः लद्दाख के चार यात्रा व्यवस्थापक, जो स्थानीय लोगों की आंकांक्षाओं और इस प्रयास के उद्देष्यों के प्रति संवेदनशील थे, की पहचान की गई जिससे कि वे हिमालयी गृह-आवासों के विषय में जानकारी बढ़ाएं।

इसके लिए मुख्य सहायक रही वैबसाइट : www.himalayan-homestays.com जिसके माध्यम से उन संभावित पर्यटकों तक पहुंचा जा सकता था, जो पहले से ही अपनी यात्रा की योजना तय करना चाहते हैं। और फिर सभी प्रचलित रैस्तरां और बाजारों में पर्चे लगाए गए थे जिनमें यात्रा व्यवस्थापकों की सूची दी गई थी। यह उन पर्यटकों के लिए था जो लद्दाख में आने के बाद विकल्प ढूंढते हैं। पर्यटक सूची में शामिल चार व्यवस्थापकों में से किसी भी एक के साथ आरक्षण कर सकते हैं (मैत्रेय टूर आपरेटर, स्नो लैपर्ड ट्रेल्स, गोल्डन पीकॉक एडवैंचर, ओवरलैंड ऐस्केप)। हर साल इनमें से एक व्यवस्थापक को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे वैबसाईट से आने वाले सवालों को जवाब दें। इस जिम्मेदारी के लिए पिछले साल में व्यवस्थापक ने कितने पर्यटक भेजे और किस प्रकार इस कार्यक्रम को प्रचलित किया। यात्रा व्यवस्थापक अपनी सेवाओं के लिए एक न्यूनतम शुल्क रु. 50 लेते हैं ओर बाकी रु. 300 प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि यात्रियों द्वारा गृह-आवास मालिक को सीधे ही भेज दी जाती है। कभी-कभी जब ऊंचे स्तर के पर्यटक आते हैं तो व्यवस्थापक उनकी मांग के अनुसार सुविधाएं देते हैं जिसके लिए वे अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। हो सकता है उन्हें अपना रसोइया या अपनी चादरें भेजनी पड़ें पर यह अतिरिक्त सेवाओं के अंतर्गत आम रूप से माना जाता है।

काफी पर्यटक (देशी व विदेशी) जीप सफारी लेते हैं, जिसमें गृह आवास का अंश जुड़ा होता है। जिससे कि लोग यात्रा की थकान और आम होटलों की एकसरता से बच सकें। इससे शहरी होटलों और यात्रा व्यवस्थापकों के अतिरिक्त ग्रामीण इलाके के गृह-आवास आयोजकों को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि हैमिस नैशनल पार्क के दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे गाँवों जहाँ गाड़ी जाने के लिए सड़क नहीं है और 2-3 घंटे चलकर जाना पड़ता है, उन गाँवों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसे होमस्टे ट्रैक का नाम दिया गया है। चूंकि यहाँ पर्यटक स्नोलैपर्ड देखने के लिए आने का मौका ढूंढते हैं, ट्रैकिंग और स्नोलैपर्ड को जोड़ दिया गया है। अतः समूह इन गृह-आवासों का उपयोग वन्यजीव दर्शन के उद्देष्य के लिए भी कर सकते हैं। एस.एल.सी.-आई.टी. ने पोस्टर और मानचित्र भी तैयार किये हैं जिनमें विभिन्न गांवों के गृह आवासों में गुजरते हुए ट्रैकिंग रास्तों को दर्शाया गया है - अक्सर जो पर्यटक बिना यात्रा व्यवस्थाओं के ट्रैकिंग पर जाते हैं, उन्हें यह मानचित्र बेचे जाते हैं। इनमें सभी संभावित यात्राक्रम दिए होते हैं जो मुख्यतः खुद ही पहुंचे पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं।

आर्थिक पहलू

गृह-आवासों में रू. 350/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन देय होता है (जिसमें रहना व 3 समय का खाना शामिल है)। कुल आय का 10 प्रतिशत हिस्सा गाँव के संरक्षण कोष में जमा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षो में रुम्बाक, उले और स्कू जैसे गाँवों में गृह-आवासों से आमदनी दुगनी हो गई है।

कुछ गाँवों में लोगों ने टैन्ट लगाकर शिविर-स्थल बनाए हैं। इसमें से हुई आमदनी का भी एक हिस्सा संरक्षण कोष में जमा किया जाता है। यह समुदायों के लिए आमदनी का एक और जरिया बन गया है और उन परिवारों के लिए भी जो शिविर स्थलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। परिवार एक चक्रवर्ती प्रक्रिया के तहत शिविर स्थलों का रख-रखाव करते हैं। उदाहरण के लिए, रुम्बाक गाँव में हर पर्यटन सीजन में 3 परिवार शिविर-स्थल का रख-रखाव करते हैं। वे आमदनी का 50 प्रतिशत हिस्सा रखकर बाकी 50 प्रतिशत गाँव के संरक्षण कोष में जमा कर देते हैं। इस कोष का

एक हिस्सा शिविर-स्थल के प्रबंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले गाँव वाले पर्यटकों से कोई निर्धारित शुल्क नहीं लेते थे - पर्यटक अपनी खुशी से जो भी देते थे गाँव वाले उसे स्वीकार कर लेते थे।

इस प्रयास से गाईडों को भी लाभ हुआ है। हालांकि गाईडों को यह सोचकर प्रशिक्षण दिया गया था कि वे गृह-आवासों के लिए कार्य करेंगे। कुछ गाईडों को यात्रा व्यवस्थापकों के साथ काम मिल गया। इसके कारण ज़्यादा भीड़ के समय में गाईडों की कमी पड़ जाती हैं लेकिन जब वे उपलब्ध होते हैं तो अतिथि उन्हें अपने साथ ट्रैक के लिए ले जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में गाईड रू. 200/- प्रति दिन लेते थे, पर अब यह बढ़कर रू. 400-500/- तक हो गया है। कुछ गाईड अच्छे से अंग्रेजी बोल लेते हैं और ज्यादा अनुभवी गाईड डॉलर में अपना भुगतान लेते हैं, जिन्हें ''डॉलर गाईड'' बुलाया जाता है।

2001 की कार्यशाला के बाद, पहले साल में लैंडिग ने टट्टू मालिकों की एक संस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं रहा। ज्यादातर ट्रैक के लिए पहाड़ी और ऊंचे रास्तों पर भारी सामाान ले जाने के लिए टट्टुओं की जरूरत पड़ती है। वर्तमान समय में यात्रा व्यवस्थापक अपनी शर्तो पर खुद ही टट्टू लाते हैं। संस्था बन जाने से निर्धारित दरों और नियमों के आधार पर टट्टू मिल सकते थे। इससे स्थानीय लोगों के बीच तुल्य रूप से लाभ बंट सकता था। और नियंत्रण यात्रा व्यवस्थापकों के हाथ से निकलकर स्थानीय संस्था के हाथ में आ जाता। शायद यही कारण था कि इस काम में इतनी अड़चनें डाली गईं।

पर्यावर्णीय पहलू :

शुरुआत में कोशिश की गई कि पर्यटकों को तिब्बती अरगली - पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति - दिखाने ले जाया जाए, जिससे कि पर्यटक गृह-आवासों में ज्यादा दिन रुकें। शुरु-शुरु में 2-3 अरगली रुम्बाक गाँव में आए भी, परन्तु शिकारियों ने उनका शिकार करने की कोशिश की। गाँव वालों ने शिकारियों को हथकड़ियां लगवा दीं। अरगलियों की संख्या बढ़ने लगी और अब 20-22 अरगली गाँव में हैं। अब कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग पर जोर डाला जा रहा है कि वह अरगलियों के लिए आरक्षित क्षेत्र बनाए और अरगली लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि इनमें काफी ज्यादा अंतर्प्रजनन हो रहा है। 2007 में रुम्बाक ओर युरुत्से के निवासियों ने निर्णय लिया कि वे 16 वर्ग मील क्षेत्र में अरगलि आरक्षित क्षेत्र बनाएंगे, जिनमें पालतू जानवरों को चरने नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में अरगलियों की संख्या पर नजर रखने के लिए गाँव के युवाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2004 में रुम्बाक घाटी के समुदायों ने ह्यूसिंग घाटी - जो स्नोलैपर्ड का महत्वपूर्ण आवास स्थल है, और भरल हिमालयी बकरी के लिए क्षेत्र अलग रखने का निर्णय लिया जहाँ वे मवेशियों को नहीं चराएंगे। ऐसा ही एक प्रयास उले गाँव में 2006 में शुरु किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने मवेशियों को परभक्षी जानवरों द्वारा मारे जाने के लिए एक बीमा कोष बनाया। इस शुरुआत के बाद गाँव वालों ने दो अलग-अलग घटनाओं में स्नोलैपर्ड द्वारा याक मारे जाने पर बीमा प्राप्त किया।

स्थानीय समुदायों के रूख में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है वे अब ''जंगली जानवरों को पहाड़ों के 'आभूषण' के रूप में देखने लगे हैं।''[6] कार्यक्रम के शुरुआती सालों में समुदायों को जीवाणु-अपघटित होने वाले कूड़े और जीवाणु-अपघटित न होने वाले कूड़े को अलग करने का प्रशिक्षण दिया गया था। कूड़े को छांटा जाता था और संरक्षण कोष के पैसे से टट्टु किराये पर लाकर जीवाणु-अपघटित न होने वाले कूडे.व प्लास्टिक को लेह पहुंचाया जाता था। उसे बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाते थे। अब वन्यजीव विभाग ने कबाड़ीवालों की व्यवस्था कर दी है, जो गाँव में आकर व्यर्थ पदार्थ ले जाते हैं। चूंकि बहुत सारा टिन व्यर्थ जा रहा था और इसके लिए कबाड़ी बाजार में दाम भी अच्छे मिलते हैं, कबाड़ी वालों[7] से एक समझौता किया गया कि वे गाँव में टिन के वही दाम देंगे जो वे लेह शहर में देते हैं। कबाड़ीवालों से यह भी तय किया गया कि वे प्लास्टिक भी इकट्ठा करके लेह पहुंचाएंगे, हालांकि वे इसके लिए कोई पैसा नहीं देते हैं। तो अब हर व्यक्ति व्यर्थ वस्तुओं में भी पैसा देखता है। गृह-आवासों से पैदा होने वाले कूड़े के अतिरिक्त, रुम्बाक के गाँव वाले यात्रा व्यवस्थापकों द्वारा छोड़े गये कूड़े के प्रति भी सचेत हो गए हैं। लोगों ने यह देखा था कि कैसे केवल एक या दो यात्रा व्यवस्थापक ही अपने साथ लाया हुआ टिन,

प्लास्टिक आदि वापस ले जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपना कूड़ा वहीं छोड़ जाते थे। गाँव वाले सोच रहे हैं कि वे यात्रा समूहों के जिंदा मुर्गियां लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दें। ये मुर्गियां ट्रैक पर जाने वाले पर्यटकों को खिलाई जाती हैं। गाँव के लोग यह भी सोच रहे हैं कि वे क्षेत्र से गुजरने वाले हर यात्रा व्यवस्थापक का नाम दर्ज करेंगे और यह भी कि वह कितनी प्लास्टिक की बोतलें अपने साथ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ले जा रहा है। अगर उन्हें क्षेत्र में प्रदूषण फैलाते हुए पाया गया तो क्षेत्रीय समुदाय वन्यजीव संरक्षण विभाग के पास शिकायत करेंगे तथा उन यात्रा व्यवस्थापकों के क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा देंगे।

सामाजिक पहलू

सभी गृह आवासों में खाना पकाने के लिए गैस है। कार्यक्रम के अंतर्गत जोर दिया गया कि वे अपने परंपरागत लद्दाखी चूल्हों को खत्म न करें, जिसमें वे झाड़ियां और गाय व याक के गोबर के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इस पर भी जोर दिया गया कि पर्यटकों को खाना परंपरागत लद्दाखी रसोई में, लद्दाखी बैठने की शैली में ही परोसा जाए, जिससे कि पर्यटक इसका अनुभव कर सकें। उन्हें पश्चिमी शैली की मेज-कुर्सी बनाने से हतोत्साहित किया गया। जो लोग नए घर बना रहे थे उन्हें पारंपरिक लद्दाखी चूल्हे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने इसे मान भी लिया। काफी गाँवों में, जो पैसा संरक्षण कोष में जमा किया गया था, उसे स्तूपाओं[8] पर सफेदी करने के लिए उपयोग किया गया। पर्यटकों के लिए सौर शावर बनाए गए थे, उन्हें कई जगह गाँव वाले भी इस्तेमाल करते हैं।

गृह-आवासों से हुई आमदनी व सरंक्षण कोष के पैसे को लोगों के मवेशियों को परभक्षी जानवरों द्वारा शिकार के विरूद्ध बीमे के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए गाँव वाले खुद ही बीमा योजना चला रहे हैं। उले में इस आमदनी के कारण संभव हो पाया है कि गाँव वाले कुछ स्वयंसेवकों को बुग्यालों में मवेशी चराने और पूरी गर्मी के मौसम में मवेशियों की देखरेख के लिए मानदेय दे पाते हैं। यह स्वयंसेवी बारी-बारी से, उन परिवारों से चुने जाते हैं जो गृह-आवास उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इन्हें दो महीनों के लिए रू. 150 प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। अब आस-पास के गाँवों में जैसे हिमेशुपाचान के लोग भी उले के इन स्वयंसेवियों के साथ ही अपने मवेशी भेजते हैं और उन्हें अलग से भुगतान करते हैं। ये लोग परभक्षी-रहित दड़बे बनाने में भी कामयाब रहे हैं जिससे उनको अब कम नुकसान उठाना पड़ता है।

इस कार्यक्रम के कारण गाँव वाले अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज पाते हैं। यह पहले की स्थिति के मुकाबले बहुत बड़ा बदलाव है। जब लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता ढूंढनी पड़ती थी। औरतों का कहना है अब उनके हाथ में पैसे रहते हैं, उन्हें अपने पतियों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्यटन से आए पैसे से घर के लिए खाने का तेल, गैस व बेहतर किस्म के तकिये, गद्दे और चादरें खरीदने में भी मदद मिली है। परिवार के अंदर आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है।

एक अन्य पहलू है, इस पूरे प्रयास में - महिलाओं की भूमिका व उनकी भागीदारी। शुरुआती सालों में, योजनाएं बनाते समय जब

गाँव वालों को एक निश्चित समय पर इकट्ठा होने के लिए बोला जाता था, तो केवल पुरूष ही आते थे। लेकिन बाद में गृह-आवासों व प्रकृति-गाईड के प्रशिक्षण के समय महिलाओं ने ही आगे बढ़कर भाग लिया। इन प्रशिक्षणों में उन्होंने जो भी सीखा उसे न केवल पर्यटकों पर ही बल्कि अपनी जिंदगी में भी लागू किया। एक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने कहा कि अब वे रोज दो बार अपने दाँत साफ करती हैं। पहले वे या तो हफ्ते में एक बार दाँत साफ करती थीं या कभी-कभी तो भूल ही जाती थीं।

जहाँ एक ओर गृह-आवासों से लोगों के जीवन-स्तर में बढ़ौतरी आई है, वहीं इसके कारण द्वेष भी पैदा हुआ है क्योंकि चक्रवर्ती प्रक्रिया ठीक से नहीं चल पाती है। यह समस्या और भी बढ़ जाती है जब अतिथि उनको दिये गये गृह-आवास में आने से इंकार कर देते हैं, जिससे एक घर को बाकी घरों से ज्यादा पर्यटक मिल जाते हैं और यही झगड़े का कारण बन जाता है। फिर समुदाय पर्याप्त आमदनी न होने के कारण अपने ऋण नहीं चुका पाते। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कभी-कभी गाँव वाले खुद ही इस समस्या के समाधान के लिए आपस में चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, उले में, एक परिवार पहाड़ों में थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर रहता है तो वहाँ अतिथि नहीं पहुंच पाते। लेकिन सभी ने मिलकर तय किया कि उनके पास जो तीन जोड़ी घोड़े हैं उन्हें ट्रैकिंग के लिए प्राथमिकता पर लगाया जाएगा।

पर्यटकों के साथ बढ़ते कामकाज के कारण यह समुदाय अब काफी व्यापारिक मनोवृति के हो गए हैं। कभी-कभी वे स्थानीय लोगों/स्कूली बच्चों से भी उतने ही भुगतान की अपेक्षा रखते हैं जितना कि पर्यटकों से। उले के एक बुजुर्ग को लगता है कि लोग ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं और दूसरों की न सोच कर केवल अपने बारे में सोचने लगे हैं। जो ठीक नहीं है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जमीन का व्यापार। लद्दाख को भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है।[9] जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ संसद को कानून बनाने के लिए सीमित शक्तियां दी गई हैं - जिसके अंतर्गत संयुक्त एवं समवर्ती सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, संसद राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके ही कानून बना सकती है। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। इस कारण बाहर से तो कोई आकर यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता पर लेह या कश्मीर के व्यापारी इस धारणा में निवेश करने के इच्छुक हो सकते हैं और शायद वे यहाँ पर अच्छी सी रहने की व्यवस्था बना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप गृह-आवास उपलब्ध कराने वालों को तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी यह समस्या खड़ी नहीं हुई है, रुम्बाक गाँव के लोगों को अहसास है कि पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्र में पैसा आने से काफी बाहर वाले जमीन खरीदना चाहेंगे या रुम्बाक में पैसा निवेश करना चाहेंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय ने गृह-आवास एसोसियेशन के घोषणा-पत्र में एक शर्त शामिल करने की सोची है। उनकी लारसीसुपा नामक एक गाँव स्तरीय कमेटी भी है, जिसने कहा है कि गाँव में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर गाँव का कोई समृद्ध व्यक्ति अलग से अतिथि-गृह चलाना चाहेगा तो भी उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय गाँव के सभी लोगों ने मिलकर लिया है।

पर्यटन के प्रभावों पर निगरानी व मुल्यांकन

पर्यटन के प्रभावों पर निगरानी रखने की प्रक्रिया की शुरुआत के उद्देश्य से, एस.एल.सी.-आई.टी. ने एक नवीन पद्धति बनाई है - छाया चित्र वाणी मूल्यांकन। तीन गाँवों का चयन किया गया और समुदाय के सदस्यों को डिजिटल कैमरे दिए गए। उन्हें कहा गया वे कुछ दिनों तक उन सभी चीजों की तस्वीरें लें जो उनके अनुसार पर्यटन के कारण बदल गई हैं। इसके बाद समुदाय में इन तस्वीरों के विषय में चर्चा की गई। समुदाय के सदस्यों के बीच पर्यटन के प्रभावों पर निगरानी रखने और जागरुकता बढ़ाने का यह एक रचनात्मक तरीका है।

हर साल के अंत में गांव वालों के साथ मिलकर मूल्यांकन की एक प्रक्रिया चलाई जाती है - यह समझने के लिए कि क्या कामयाब है क्या नहीं। इसमें पिछले साल की योजना का पुर्नावलोकन भी किया जाता है, साथ ही देखते हैं कि संरक्षण कोष का पैसा किस काम में उपयोग किया गया, सामाजिक प्रभावों की जांच आदि। इस सब को एस.एल.सी.-आई.टी. की वार्षिक रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाता है। इससे समुदाय को उचित मानदंड निर्धारित करने में भी मदद मिली है।

अनुभव से सीख और चुनौतियां

हालांकि पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिले हैं, इससे संरक्षण के लिए प्रेरणा नहीं मिली है। उदाहरण के लिए, जहाँ रुम्बाक से गृह-आवासों की धारणा की शुरुआत हुई, और वहाँ पर्यटक भी ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं, उले में कहीं ज्यादा संरक्षण के प्रयास हुए हैं, जो कि मुख्य ट्रैकिंग मार्ग से हटकर बसा है। शायद पर्यटन से होने वाले वित्तीय लाभ संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते।

हाल ही में, एस.एल.सी.-आई.टी. ने कार्यक्रम की लंबे समय की सततता के विषय में सोचना शुरु कर दिया है और वे अपने निकास की योजना बना रहे हैं। अपने पुराने कार्यक्षेत्रों से उसने धीरे-धीरे निकासी शुरु कर दी है। लेकिन इसके लिए एक संस्थागत प्रक्रिया पर विचार करके उसे लागू करना जरूरी है। गृह-आवासों की असोसियेशन इस दिशा में एक कदम है और उस पर विचार शुरु कर दिया गया है। और कई मुद्दे, जैसे गृह-आवासों की चक्रवर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाना, टट्टुओं के मालिकों की संस्था, गृह-आवास मालिकों को सीधा भुगतान सुनिश्चित करना या सौर शावर व

पैराशूट कैफे अच्छी तरह से काम करें - यह सभी चुनौतियां हैं पर एस.एल.सी.-आई.टी. इनसे अवगत है और इन पर काम भी कर रहा है। गृह-आवासों के कारण स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। आने वाले समय में यह चुनौती होगी कि स्थानीय लोग पर्यटन क्षेत्र की जरूरतों व संरक्षण एवं सामुदायिक विकास की जरूरतों के बीच उचित संतुलन बनाए रखे।

नए अवसर व चिंताजनक मुद्दे

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की नई नीतियों में समुदाय-आधारित पर्यटन के पक्ष में बदलाव आए हैं। समुदाय-आधारित पर्यटन कार्यक्रमों, जैसे हिमालयी गृह-आवास कार्यक्रम, की लोकप्रियता के कारण सरकारी विभाग, खासकर वन्यजीव संरक्षण विभाग (जम्मु और कश्मीर राज्य का) व पर्यटन विभाग लद्दाख में गृह-आवास कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं। जिससे कि गृह-आवासों के संरक्षण व स्थानीय आजीविकाओं में योगदान की संभावनाओं में कई गुणा वृद्धि होगी। इससे पहले, वन्यजीव संरक्षण विभाग प्रकृति-गाईड प्रशिक्षण में शामिल था और हैमिस नैशनल पार्क में एस.एल.टी. के कार्य को सहयोग भी दिया जिसमें एस.एल.सी को सभी आवश्यक स्वीकृतियां दी गईं। अब विभाग गृह-आवासों के क्रियान्वयन में भी जुड़ रहा है, और इस विशाल प्रयास में नए अवसरों के साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जिसके लिए हिमालयी गृह-आवासों के वर्तमान अध्ययन से बहुत सी सीख इकट्ठी की जा सकती है।

यह स्पष्ट है कि गृह-आवासों को बढ़ाने के लिए, उसमें और अधिक परिवारों, गाँवों और क्षेत्रों की भागीदारी के लिए स्थानीय समुदायों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए काफी काम करना होगा - खासकर अगर वे संरक्षण के उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। इस चुनौती के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं की निपुणताओं का अच्छा उपयोग किया जा सकता है, जिनकी भूमिका होनी चाहिए कि वे स्थानीय समुदायों को सहभागी प्रक्रियाओं, अपनी जरूरतों के अनुसार नीति-निर्धारण और प्रशिक्षणों के माध्यम से सफल गृह-आवास स्थापित करने में मदद करें। इन चर्चाओं से सुनिश्चित किया जा सकता है कि गृह-आवास उपलब्ध कराने वाले समुदायों पर जो सांस्कृतिक दबाव है, उन्हें समझ कर उनका ध्यान रखा जा सके। यह संवेदनशीलता इस कार्यक्रम की लंबे समय तक सामाजिक एवं पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हमने हिमालयी गृह-आवासों के इस अध्ययन से सीखा है कि अतिथियों की जरूरतों को समझने और पर्यटकों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यात्रा एजेंसियों, यात्रा व्यवस्थापकों और पर्यटकों की बीच भागीदारी होना जरूरी है। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इन क्षेत्रों में भागीदारी के कारण वन्यजीव विभाग को स्थानीय समुदायों के बीच संरक्षण और समुदाय-आधारित पर्यटन के विषय में शिक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही पूरे लद्दाख पर्यटन उद्योग की मुख्यधारा में इन मूल्यों को स्थापित करने का मौका भी मिलेगा।

वन्यजीव विभाग अपने गृह-आवासों को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत करने पर विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत उन्हें अधिकार-पत्र दिए जाएंगे - जिसका मुख्य उद्देश्य है लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यानों की जैवविविधता का संरक्षण। पर्यटन में बड़े स्तर पर संसाधनों के निवेश की क्षमता रखने वाले वन्यजीव विभाग के सामने एक चुनौती होगी कि वे क्षेत्र की भार क्षमता का निर्धारण कर सकें - सामाजिक व पारिस्थीतिकीय, दोनों स्तरों पर।

एक प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय लोग पर्यटन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। मुख्य परंपराओं के ऊपर नए विकल्पों के दबाव का डर निर्मूल नहीं है। आजीविका के रूप में पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक कृषि-चारागाह पद्धति में बदलाव ला सकती है। और वन्यजीव विभाग के उद्देश्यों में एक है कि लोगों को खुले में मवेशी न चराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रयास से ज़रूर वन्यजीवों की संख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परंतु हिमालयी गृह-आवासों के अध्ययन से समझ में आया है कि स्थानीय समुदायों की गतिविधियां जटिल होती हैं। और उनकी संरक्षण की ओर प्रतिबद्धता केवल पर्यटन से हुई आमदनी ही नहीं बल्कि सामुदायिक गतिशीलता और नेतृत्व तथा अन्य कई कारकों पर आधारित होती है। समुदाय क्या कदम उठाएंगे यह उनके अपने अनुभवों और जरूरतों पर आधारित होता है और यदि संरक्षण कार्यकर्ता इन निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें गाँव स्तर की चर्चाओं में निरंतर भागीदार रहना होगा।

यात्रा व्यवस्थापक व एस.एल.सी.-आई.टी. पर्यटन के लिए भार क्षमता व संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या पर सीमा लगाने के सवाल पर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में, एक यात्रा व्यवस्थापक ने ठीक बोला कि यह वन्यजीव संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले लोगों की संख्या निर्धारित करें। अब, जब वन्यजीव विभाग गृह-आवासों को बढ़ावा देने में अग्रिम भूमिका निभा रहा है तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वे अतिथियों के आगमन को कैसे नियंत्रित करें और साथ ही कैसे वे अपने कार्यक्रमों की सततता को सुनिश्चित करें? इस सवाल में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सावधानी से बनाए गए कार्यक्रम, जो समुदाय-आधारित पर्यटन के विभिन्न उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया हो, के माध्यम से इस चुनौती को पार किया जा सकता है। सावधान प्रबंधन प्रक्रियाएं और विभिन्न पणधारियों की भागीदारी से ही आर्थिक लाभ, संरक्षण हो सकेगा, जो हिमालयी गृह-आवास समुदाय आधारित पर्यटन प्रयास के मूल तत्व हैं।

आभार :

हम चर्चाओं, विस्तृत सुझावों और अनुभवों के बांटने के लिए श्री रिनचेन वांगचुक और स्नोलैपर्ड कंज़रवैंसी के कर्मचारियों, उले (शाम क्षेत्र) और रुम्बाक (हैमिस राष्ट्रीय उद्यान) के निवासियों, मैत्रेय यात्रा व्यवस्थापकों श्री. डावा, लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग के संरक्षण और क्षेत्रीय वन्यपाल श्री. जिग्मेत ताकपा और लद्दाख ईकोलोजिकल डैवल्पमैंट ग्रुप के निर्देशक श्री. सोनम जोरग्येस के आभारी हैं।

अंतिम टिप्पणी

1. www.jammukashmir.nic.in से 25 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई।

2. स्नोलैपर्ड साईट्स अनुबंध (जंगली जानवरों व वनस्पतियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, 1977) की सूची के अंतर्गत एक दुर्लभ प्रजाति है। यह एक शर्मीला जानवर है जो दक्षिण व केन्द्रीय एशिया की ऊंची पहाड़ी वाले 12-13 देशों में पाया जाता है, जिसमें भारत के हिमालय क्षेत्र भी शामिल हैं। विश्व में इनकी कुल संख्या 4500-7500 तक ही है और उनके पारंपरिक आवास को कृषि व चारान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। http://www.snowleopardconsservancy.org/conservation2.htm से 25 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई।

3. http://tourism.webindia123.com/tourism/wildlife/nationalpark/hemis_high_altitude_national_park/index.htm

4. http://www.snowleopardconservancy.org/conservation2.htm से 25 अप्रैल को जानकारी प्राप्त की गई।

5. http://www.himalayan-homestays.com/ladakpages/tourist-tips.html से 24 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई।

6. रिनचेन वांगचुक (2008) लद्दाख हिमालयन होमस्टेज़ : फॉर पीपल एंड कन्ज़रवेशन इन रीडिफाइनिंग टूरिज़्म-ऐक्स्पीरियैन्सिज़ एंड इनसाइट्स फ्रौम रूरल टूरिज़्म प्रोजैक्ट्स इन इंडिया, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली।

7. कबाडीवाला घर की व्यर्थ वस्तुओं को पैसे/कपड़े/बर्तनों के बदले में ले जाते हैं। इन व्यर्थ वस्तुओं को आम तौर पर पुनः उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

8. स्तूप एक टील-नुमा आकार का भवन होता है, जिसमें बौद्ध इतिहास के स्मृति-चिन्ह रखे होते हैं, विकिपीडिया से 25 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई।

9. सलाहुदीन अहमद, धारा 370, डाएगनीसिस एन्ड प्रोगनोसिस ऑफ स्पेशल सटेटस ऑफ जम्मु एन्ड कश्मीर, 9 अगस्ट 2008, http://www.legalserviceindia.com/article/1248-Article-370.html से 25 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई

2.

तोंद वाली बिल्ली–

मानस माओजी़गेन्द्री वन शिविर, मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम का एक अध्ययन

सीमा भट्ट[1] द्वारा

प्रस्तावना

मानस माओज़ीगेन्द्री वन शिविर असम के बारपेटा जिले में, कोकिलाबारी में स्थित राष्ट्रीयय उद्यान के पूर्वी किनारे पर है। इसका रख-रखाव मानव मोओज़ीगेन्द्री ईको टूरिज़्म सोसायटी (एम.एम.ई.एस.) करती है। इस उद्यान का नाम ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी, मानस के नाम पर पड़ा है। इस राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा भूटान में भी है, जहाँ इसे रौयल मानस नैशनल पार्क के नाम से जाना जाता है।

मानस को, अक्तूबर 1928[2] में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1973 में मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। इस उद्यान को 1985 में, युनैस्को द्वारा विश्व विरासती स्थल (वर्ल्ड हैरिटेज साईट) घोषित किया गया। 1992 में युनैस्को ने इसे संकटग्रस्त विश्व विरसाती स्थल (वर्ल्ड हैरिटेज साईट इन डेंजर) घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ विशाल स्तर पर शिकार और आतंकवादी गतिविधियां चल रहीं थीं। यह अभी भी इसी श्रेणी में है। यह उद्यान हाथी आरक्षित क्षेत्र तथा जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र भी है। मानस अपने असाधारण व दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। इसमें शामिल हैं, आसाम रूफ्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हौग। इस उद्यान में 55 स्तनधारी जानवरों, 380 पक्षियों, 50 रेंगने वाले जंतुओं, और 3 जलथलचर जीवों की सूची बनाई गई है।

मानस माओजी़गेन्द्री वन शिविर (एम.एम.जे.सी.)

इस शिविर का नाम एक पौराणिक कथा से आया, जिसमें इस क्षेत्र में 18वीं सदी में एक राजा राज करता था। उसके कई कर्मचारियों में से एक छोटे कद की साहसी महिला बावरची थी, जिसे राजा उसकी मेहनत और लगन के कारण बहुत पसंद करता था। वह उसको प्यार से 'माओज़ीगेन्द्री' (जिसका अर्थ होता है तोंद वाली बिल्ली) बुलाता था। एक दिन वह पास की नदी में नहाते समय फिसल कर मर गई। राजा यह सुनकर बहुत दु:खी हुआ। और उसने नदी का नाम माओज़ीगेन्द्री घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के लिए इस नदी के महत्व को समझते हुए समिति का नाम भी उसके नाम पर डाल दिया गया। शायद इस नाम का मतलब समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। जो दोनों ही मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए आवश्यक हैं। यह समिति (एम.एम.ई.एस.) ही वन शिविर चलाती है।

इसके अतिरिक्त, अन्य पर्यटक आवास सुविधाओं में शामिल हैं, बांसवाड़ी में बनी असम पर्यटन विभाग की पर्यटक आवास सुविधा, जिसे जंगल ट्रैवल्स को पट्टे पर दिया गया है और ब्लू हिल द्वारा चलाई जा रही एक और आवास सुविधा।

बारपेटा रोड पर एक सरकारी पर्यटक आवास गृह है और दो निजी।

इतिहास और जन्म

1980 का दशक असम के लिए काफी अशांत था, क्योंकि बोडो समुदाय के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर वहाँ आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। इस दशक के आखिरी वर्षो में ऑल बोड़ो स्टूडैन्टस यूनियन और बोड़ो राजनैतिक गुटों ने, बोड़ोलैंड नाम के अलग राज्य की मांग को लेकर हाथ मिला लिए थे। इस आंदोलन का एक तो राष्ट्रीय उद्यान पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अलगाववादी गुट व उग्रवादी लोग जंगलों को छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिकारी गुटों ने स्थिति का खूब फायदा उठाया, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक समय में दीप्तिमान उद्यान अपनी परछाईभर रह गया, क्योंकि बड़े स्तर पर पेड़ों का कटान व जानवरों का शिकार जारी था। 2003 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप बोड़ो क्षेत्र प्रादेशिक परिषद (बोड़ोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल) की स्थापना हुई।

उस समय अहसास हुआ कि मानस के बीते दीप्तिमान समय को वापस लाना जरूरी है। कुछ स्थानीय युवाओं और ए.बी.एस.यू. के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि वे अपनी स्थानीय इकाई, छापागुरी आंचलिक कमिटी, के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इसके परिणामस्वरूप, फरवरी 2003 के बोड़ो समझौते के अंतर्गत, उद्यान के प्रत्यावर्तन और इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य के लिए

Source: www.kolkatabirds.com

एक विशेष पुलिन्दा शामिल किया गया। इसमें सांझे पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

छात्रसंघ व इस कमिटि के प्रयास के अंतर्गत, 13 दिसम्बर 2003 को माओज़ीगेन्द्री ईको टूरिज़्म सोसायटी का गठन किया गया। उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह मानस के अंदर और आस-पास संरक्षण और ईको पर्यटन के मुद्दों की देख-रेख करे।

2005 में ईको पर्यटन के कार्य में मदद करने के लिए हैल्प टूरिज़्म नाम की संस्था ने कदम रखा। एम.एम.ई.एस. का पंजीकरण 2006 में किया गया। उस समय के क्षेत्र निर्देशक, श्री. अभिजीत राभा ने हैल्प टूरिज़्म को शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया। हैल्प टूरिज़्म पर्यटन के माध्यम से शांति प्रक्रियां और समुदाय आधारित संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देष्य से शामिल हुई।

हैल्प टूरिज़्म एक ऐसी संस्था है, जो अपने-आप को इस प्रकार परिभाषित करती है - एक यात्रा व्यवस्थापक व गंतव्य प्रबन्धन सलाहकार, जिसे भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में महारत हासिल है। यह संस्था पयर्टन को संरक्षण एवं सतत विकास का एक तरीका मानती है। हैल्प टूरिज़्म पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविकाओं में बढ़ौतरी को बढ़ावा देती है, जो संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।

मानस माओज़ीगेन्द्री ईकोटूरिज़्म सोसायटी की संरचना

एम.एम.ई.एस. का उद्देष्य है कि वह सतत एवं जिम्मेदार पर्यटन के माध्यम से, मानस के सीमांत में बसे गाँवों के समुदायों के लिए, सतत और तुल्य आर्थिक विकास लाए।[3]

एम.एम.ई.एस. कानूनी रूप से पंजीकृत सोसायटी है। हैल्प टूरिज़्म के सुझाव पर बाद में इसका पंजीकरण सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इसके पीछे कारण था कि अनुदानों आदि के ज़रिए और अधिक आर्थिक सहयोग लिया जा सकेगा। इससे एम.एम.ई.एस. की मानस के संरक्षण में भागीदारी को अधिक विश्वसनीयता भी मिली।

इसके सदस्यों में ए.बी.एस.यू. के कार्यकर्ता, पूर्ववर्ती बोड़ो लिबरेशन टाईगर्स फोर्स (बी.एल.टी.एफ.) के सदस्य, पूर्व शिकारी, पूर्व लकड़ी काटने वाले और मानस के सीमांत क्षेत्रों के गाँवों के स्थानीय लोग शामिल हैं। एम.एम.ई.एस. सदस्यता आधारित संस्था है, जो स्थानीय एवं लोकतांत्रिक रूप से चलाई जाती है। एम.एम.ई.एस. का एक सहायक बोर्ड है, जिसमें एक मुख्य सहायक है। इसका एक सलाहकार बोर्ड भी है, जिसमें कानूनी सलाहकार भी हैं। यह सलाहकार बोर्ड जरूरत पड़ने पर सदस्यों का पथ-प्रदर्शन करता है।

15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद है, जिसका मुखिया अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष और सचिव। 35 सदस्यों की एक कार्यकारिणी है। एम.एम.ई.एस. की गतिविधियों के आधार पर, एक संरक्षण निकाय है जिसमें 80 पूर्णतया समर्पित स्वयंसेवी हैं। और 20 सदस्यों की एक ईको पर्यटन निकाय। और अंततः लगभग 200 सदस्यों की आम सभा है। अलग-अलग सदस्य संरक्षण, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। वर्तमान समय में ईको-पर्यटन अधिकारी ही कार्यक्रम के लिए एक जनसंपर्क अधिकारी भी है। सोसायटी में 2 लेखाकार हैं - एक संरक्षण संबंधी कार्यो के लिए और दूसरा ईको-पर्यटन संबंधी काम के लिए। उप-कमेटियों में महिला सदस्य हैं, जिन्हें कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी लेने या शुरुआत करने की शक्तियों के साथ-साथ क्षमता भी प्रदान की गई है। महिला सदसयों के दो स्वयं सहायता समूह हथकरघा व हस्तशिल्प इकाईयां चला रहे हैं।

हैल्प टूरिज़्म एक सलाहकार की भूमिका में है। इसने कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मूल सुविधाओं के विकास में सहयोग किया है। जब मानस को संकटग्रस्त विश्व विरासती क्षेत्र घोषित किया गया, तो उद्यान के लिए सहयोग जुटाने में हैल्प टूरिज़्म ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। हैल्प टूरिज़्म ने बोड़ो समुदाय को उद्यान के संरक्षण और उसके बीते दीप्तिमान को पावस लाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए सबसे पहले, 250 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में रोक लगाई गई। शिकारियों व तस्करों को सजा दी गई। और इन्हीं के पुनर्वास के लिए, इन्हें सुरक्षा व चौकीदारी के काम में लगाया गया। हैल्प टूरिज़्म ने स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया है, सुनिश्चित किया कि एक उचित संस्थागत ढांचा लागू हो और अतिथि सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षणों के जरिए लोगों की कार्यक्षमताएँ बढ़ाई जाएं।

पर्यटन मूलभूत सुविधाएं

वन शिविर में उपलब्ध पर्यटन मूलभूत सुविधाओं में चार कुटीर और एक भोजन कक्ष शामिल है, जो पूरी तरह से बांस व अन्य देशी सामग्री से बने हैं। इसके अतिरिक्त, एक पलंग वाली 3 कुटीर और एक-एक पलंग वाले दो कमरे हैं। गाँव में स्थित एम.एम.ई.एस. के दफ्तर में चार कमरे हैं और ए.बी.एस.यू. के दफ्तर में सांझे शौचालय के साथ 3 कमरे हैं, जिनमें पर्यटकों को ठहराया जा सकता है। कुल मिलाकर एक समय में 20 अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है।

पहला निवेश सहयोग अशोका हौलिडेज़ की ओर से, ए.बी.एस.यु संकुल के लिए आया, जहाँ सामूहिक शौचालय के साथ एक अतिथि गृह बनाया गया। हैल्प टूरिज़्म ने यहाँ पर्यटक भेजकर सहायता की। इस उपक्रम के लिए एम.एम.ई.एस. ने एक स्थानीय व्यक्ति से ज़मीन पट्टे पर ली, जो कि वहाँ रेशम उत्पादन की कोशिश कर हार गया था। अभी कोई लिखित पट्टा नहीं है। शुरुआत में, हैल्प टूरिज़्म ने पर्यटकों के लिए तंबू उपलब्ध कराए और बाद में पर्यटन संकुल की बनावट निर्धारित करने में मदद की। इस संकुल की स्थापना के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग का एक हिस्सा उद्यान की शताब्दी समारोह में एकत्रित कोष से मिला। हैल्प टूरिज़्म ने मूलभूत सुविधा के सुधार में निवेश किया। इसे फिर आरक्षणों से प्राप्त ऋण से चुकाया गया। हैल्प टूरिज़्म ने पर्यटकों द्वारा एम.एम.ई.एस. को सीधे दान दिलवाने की शुरुआत की। हैल्प टूरिज़्म ने गश्त लगाने के सामान, बरसातियां, टौर्च, तंबू आदि मुफ्त में उपलब्ध कराए।

हैल्प टूरिज़्म ने इन मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए एक शुरुआती कोष दिया है। इस संकुल में एक नए भोजन कक्ष के निर्माण की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए भी हैल्प टूरिज़्म ने सहयोग दिया है।

एम.एम.ई.एस. एक ऐसा पर्यटन चला रहा है, जिसे उन्होंने ''सहभागी पर्यटन'' का नाम दिया है। इसके अंतर्गत, पर्यटकों को एम.एम.ई.एस. की विभिन्न गतिविधियों, जैसे उद्यान में गश्त लगाना, विभिन्न जानवर प्रजातियों की निगरानी व जनगणना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एम.एम.ई.एस. ने 3 तरह के फार्म बनाए हैं। एक, जो पर्यटकों द्वारा भरा जाना है, यह दर्शाने के लिए कि उन्हें समिति के अस्थायी संरक्षण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा ''जीवनकाल के लिए'' संरक्षण सदस्यों के लिए और तीसरा ''पूर्णतया समर्पित संरक्षण स्वयंसेवी'' के लिए। हर श्रेणी के सदस्य से रु.10 सदस्यता शुल्क लिया जाता है। जो भी एम.एम.ई.एस. के संरक्षण कार्यों में

सहयोग करना चाहता है, वह अस्थायी सदस्य बन सकता है। मंत्री परिषद और कार्यकारिणी कमिटी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके ही सदस्यों को नामित करते हैं।

पर्यटक ट्रैक और ट्रेल पर जा सकते हैं और स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर वहाँ की संस्कृति भी अनुभव कर सकते हैं। पर्यटकों के साथ गाईड जाते हैं। माओज़ीगेन्द्री क्षेत्र में, वर्तमान समय में चार प्रशिक्षित गाईड हैं। इन सभी को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिला है - जानवर व वनस्पतियों की पहचान, व्याख्या करना; वन्यजीवों की निगरानी और प्रबन्धन के मूल तरीके। ट्रैक अलग-अलग अवधि के हो सकते हैं - रास्ते के आधार पर तीन से सात घंटे तक। यह ट्रैक ज़्यादातर उद्यान की पूर्वी सीमा पर ही हैं।

अगर पर्यटक रुचि रखते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय संस्कृति टीम, जो संस्कृति समूह द्वारा संचालित की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। वे पारंपरिक युद्ध नृत्य, फसल कटाई का नृत्य, गीत आदि पेश करते हैं। कुछ नृत्य शैलियां पर्यटन गतिविधियों के कारण पुनर्जीवित हो गई हैं। 10-12 नृतक हर पेशकश में लगभग रु.20,000 तक कमा लेते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल लोगों पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं।

एम.एम.ई.एस. ने गाँव में एक संग्रहालय स्थापित किया है, जिसमें पारंपरिक बोड़ो कलाकृतियां, शस्त्र आदि रखे गए हैं। इस संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है।

लाभ वितरण प्रणाली

31 स्थानीय लोगों का समूह पर्यटन गतिविधियों का प्रबन्धन करता है - जिसमें सेवाएं, गृह व्यवस्था, बागवानी, और आम देखरेख शामिल है। जिन सदस्यों को अतिथि सत्कार एवं सेवाओं में रुचि एवं कार्यकुशलता है, उन्हें पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए चुना गया। पर्यटन से हुई आय में जितनी भी बचत होती है, उसे एम.एम.ई.एस. के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय पर ही खर्च किया जाता है। वर्तमान में कम संख्या में ही पर्यटक यहाँ आते हैं। और इस कार्य में लगा खर्च भी अभी वापस नहीं आया है। अतः हैल्प टूरिज़्म इस कार्यक्रम को बिना कोई मुनाफा कमाए आर्थिक सहयोग दे रहा है। और लाभ वितरण पर तभी विचार होगा जब पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

हैल्प टूरिज़्म ने स्थानीय लोगों की अतिथि सत्कार में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अपने दार्जीलिंग के कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। लगभग 60 प्रतिशत लोगों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

पर्यटन से प्राप्त हुए राजस्व को संस्था की संरक्षण गतिविधियों में लगाया जाता है। खर्चे और वेतन भुगतान के बाद बचे लाभ की पूरी राशि संरक्षण पर खर्च की जाती है।

इस उद्यान में पर्यटक नवम्बर व मार्च माह के बीच आते हैं। 2005 में इसकी शुरुआत के बाद, उद्यान में कुल 1270 (देशी व विदेशी) पर्यटक आए हैं। इसकी सालाना गिनती इस प्रकार है - 2005 में 117, 2006 - 246, 2007 - 402 और 2008 - 505, जिनमें से 60 प्रतिशत विदेशी और 40 प्रतिशत देशी पर्यटक थे। इसमें पक्षी देखने में रुचि रखने वाले, फोटोग्राफर, तितलियों में रुचि रखने वाले, वन्यजीव प्रेमी, संरक्षणकर्ता व चलचित्र निर्माता शामिल हैं। जब से यह शिविर स्थापित हुआ है, तबसे कुल रु. 1 लाख की आमदनी हुई है। इसमें पर्यटकों द्वारा दिया गया दान भी शामिल है।

हैल्प टूरिज़्म इस जगह में पर्यटन के विपणन में मदद कर रहा है। उसने संबंधित पैकेज में यहाँ के विषय में लिखा है। एस.एन.ई.एस. और हैल्प टूरिज़्म की वैबसाईटों पर भी इस जगह के बारे में विस्तृत जानकारी है। मानस में हो रही सकारात्मक गतिविधियों, पर्यटकों के बीच जागरुकता बढ़ाने और यहाँ आकर बदलाव का हिस्सा बनने के लिए पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए, वैबसाईट एक अच्छा माध्यम है।

संरक्षण व जागरुकता

एम.एम.ई.एस. का सबसे महत्वपूर्ण उद्देष्य है मानस राष्ट्रीय उद्यान की पुनर्रचना और इसके लिए वे विभिन्न कार्यक्रम चला रहे है। अपने स्वयंसेवियों के दस्ते के सहयोग से, एम.एम.ई.एस. ने उद्यान की सीमा के अन्दर 12 शिविर स्थापित किए हैं, जिससे कि निरंतर गश्त व निगरानी से पेड़ों के कटान व तस्करी को रोका जा सके। 2003 तक भी लवरवी बाजार - एक स्थानीय बाजार, में खुलेआम जंगली जानवरों का मांस गैर, कानूनी लकड़ी मिल जाते थे। यह बाजार भूटान और भारत के बीच व्यापार का एक ऐतिहासिक पड़ाव है।

शुरुआत में एम.एम.ई.एस. ने घर-घर जाकर जानवरों के शिकार व गैर कानूनी पेड़ काटने के विरुद्ध अभियान चलाया और लोगों को यह कार्य करने के लिए राजी किया। इस अभियान में महिलाओं को खासकर के जोड़ा गया। शिकार व तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ कर आम जनता के बीच सजा दी जाती थी। पूर्व शिकारियों को संरक्षण में मदद देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें शामिल करके एक संरक्षण कार्य दस्ता तैयार किया गया। कुल 47 पूर्व शिकारी अब संयुक्त गश्त प्रयास का हिस्सा हैं, जो वन विभाग के साथ मिलकर शुरु किया गया है। वे भी एम.एम.ई.एस. का अंग हैं। वन विभाग ने एम.एम.ई.एस. के प्रयासों को मान्यता देते हुए, उन्हें औपचारिक रुप से संरक्षण में भागीदार स्वीकार कर लिया है। ए.बी.एस. यू ने युवाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। पक्षियों की सूचियां बनाई गईं और वन्यजीव सर्वेक्षण भी किये गये। इससे पर्यटक गतिविधियों में भी मदद मिली। वन विभाग ने युवाओं को दो वायरलैस सेट भी दिए। बोड़ोलैंड टैरिटोरियल कांउंसिल (बी.टी.सी.) भी एम.एम.ई.एस. की कुछ संरक्षण गतिविधियों के

लिए सहयोग दे रही है। इस प्रयास में उद्यान के किनारे पर बसे 17 गाँव शामिल हैं।

एम.एम.ई.एस. ने प्रतिष्ठित अमृता देवी विश्नोई वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार और अनिरुद्ध इनटैक पर्यावर्णीय पुरस्कार 2005 जीता है।

हाल ही में कूड़ा निकालने और जल प्रबंधन के विषय पर प्रशिक्षणों की शुरुआत की गई है। ट्रैकिंग रास्तों को साफ रखने, कूड़ा और प्लास्टिक हटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तालाब खोदकर वर्षा के पानी को संचित करने का प्रयास भी हो रहा है।

यह पहला ऐसा संरक्षण आधारित पर्यटन प्रयास है, जिसका पूरा ज़ोर और सारी कमाई मानस के पुनर्जीवन और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है, जिसमें हर कदम पर स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है।

वाद विवाद

एम.एम.ई.एस. द्वारा चलाया जा रहा ईको-पर्यटन प्रयास संस्था के संरक्षण का एक छोटा अंश है। वर्तमान समय में हो रही आमदनी के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि पर्यटन के कारण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन पर कोई असर पड़ा है। उद्यान के किनारे बसे 60 गाँवों में से कम से कम 17 गाँव एम.एम.ई.एस. की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हुए हैं। परंतु ईको पर्यटन कार्यक्रमों से प्राप्त राजस्व को स्थानीय समुदायों में न बांटकर संरक्षण कार्यो में लगाया जाता है। एम.एम.ई.एस. का अधिकांश काम स्वयंसेवक करते हैं। और व्यक्तिगत आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के दिन समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उद्यान में गश्त लगाने वाले स्वयंसेवियों को खाना कैसे दिया जाए।

मानस प्रयास को इन क्षेत्रों की राजनैतिक अस्थिरता के संदर्भ में देखना ज़रुरी है। युवाओं और पेड़ों के गैर कानूनी कटान और जंगली जानवरों के शिकार में लगे लोगों का ऐसा संवर्ग है, जिसे कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्यो में लगाना ज़रूरी है। ईको पर्यटन प्रयास ने संरक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रमों के साथ मिलकर इन लोगों को उचित दिशा देने में मदद की है। मानस के बीते दीप्तिमान को पुनः खड़ा करने में मदद करने से उन्हें भी गर्व महसूस होता है। ईको-पर्यटन प्रयास ने खासकर मानस में पर्यटक लाने में मदद की है। जिसमें देशी - विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को अपने बचे खुचे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहन मिला है। चूंकि एम.एम.ई.एस. के सभी कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी भागीदारों तथा पर्यटकों और स्वयंसेवियो को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय लोगों की भलाई में जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रयास इसलिए भी संबद्ध है, क्योंकि इससे समुदाय में गर्व की भावना बढ़ती है और संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बी.टी.सी. के माध्यम से राजनैतिक व्यवस्था भी इस प्रयास का सहयोग कर रही है और ऐसे कई और प्रयासों का सहयोग करने की इच्छुक है। बी.टी.सी. के उपाध्यक्ष श्री. कम्पा बोरगोयारी से हुई चर्चा में इसकी पुष्टि भी हो गई। वे एम.एम.ई.एस. का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और उन्होंने माओज़ीगेन्द्री में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार की ओर भी इशारा

किया। एम.एम.ई.एस. को काफी हद तक वन विभाग का भी सहयोग मिला है।

मुख्य चुनौतियां और संस्तुतियां

1. सीमित वन्यजीव दर्शन :

क्षेत्र में लंबे समय की अशांति के कारण मानस के जंगलों और वन्यजीवों पर भी प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ सालों के संरक्षण प्रयासों से मदद तो मिली है, पर उद्यान को अपनी पुरानी स्थिति तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। इसके परिणाम स्वरुप आसानी से वन्यजीव दर्शन नहीं होते। इसका सीधा असर वन शिविर के पर्यटन पर पड़ता है। यह शायद यहाँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह शिविर पक्षी-प्रेमियों के लिए आदर्श जगह है, पर जो पर्यटक यहाँ कुछ प्रजाति के जानवर देखना चाहते हैं वो शायद निराश हो जायेंगे। हैल्प टूरिज़्म ने इस तथ्य की पुष्टि की है - उनका कहना है, कि लगातार गश्त लगाने और स्थानीय संरक्षण स्वयंसेवियों की निगरानी से मानस ने वन्यजीवों की स्थिति में सुधार आया है। राजनैतिक आंदोलन के समय के मुकाबले, पक्षियों के अतिरिक्त जंगली भैंस, हौग हिरन, सुनहरी लंगूर, एशियाई हाथी जैसे स्तनधारी जानवर भी अब आसानी से देखने को मिलते हैं। बाघ देख पाना, अन्य संरक्षित क्षेत्रों की तरह ही, मौके से ही होता है।

संस्तुति :

एम.एम.ई.एस. द्वारा प्रेशित ईको-पर्यटन पैकेज़ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। यह एक अच्छा तरीका है और इसमें और अधिक विविधता लाने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक और ग्रामीण पर्यटन पहलुओं को भी सशक्त किया जा सकता है। केन्द्रीय बीज फार्म, जो उद्यान का ही हिस्सा है, बंगाल फलौरिकन पक्षी के लिए एक अच्छा आवास स्थल है। बंगाल फलौरिकन एम.एम.ई.एस. का प्रतीक चिन्ह है। वन्यजीवों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए बंगाल फलौरिकन के दर्शन करना एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकता है। हैल्प टूरिज़्म बी.टी.सी. के साथ चर्चा करके इस बीज फार्म को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि विभिन्न दबावों से इसे सुरक्षित रखा जा सके ।

2. स्थल तक पहुंच

वर्तमान समय में, उद्यान के पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर शिविर स्थित हैं, तक पहुंचने वाली सड़क, बहुत खराब है और इस तरफ ज़्यादा पर्यटक नहीं जाते। उद्यान में दूसरी ओर दो अन्य पर्यटक आवास हैं - एक बांसबाड़ी में और एक वन विभाग की व्यवस्था मथनगुड़ी में। एक नियोजित पैकेज़ या और अच्छे से मार्केटिंग करने पर ही इस शिविर में पर्यटक आएंगे। यहाँ तक पहुंचने की सड़क को ठीक किया जा रहा है।

संस्तुति

इस क्षेत्र की और अच्छी तरह से मार्केटिंग करनी होगी। वर्तमान समय में हैल्प टूरिज़्म अपने पैकेज के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर रहा है। वैबसाईटों से भी मदद मिलती है। अच्छी विपणन व्यवस्था के लिए संपर्क के कारगर साधनों की भी आवश्यकता है। हैल्प टूरिज़्म ने कुछ विदेशी यात्रा व्यवस्थापकों के साथ हाथ जोड़ें हैं, जो सामुदायिक पर्यटन कार्यक्रमों और जिम्मेदार वन्यजीव अवकाशों के लिए सहयोग करते हैं। पिछले कुछ सीज़न में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है। इन गठबंधनों के कारण और बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है।

3. कार्यक्रमों व प्रक्रियाओं की व्यापकता

वर्तमान समय में माओज़ीगेन्द्री में छोटी-सी ही व्यवस्था है। यदि ईको-पर्यटन को एम.एम.ई.एस. की और अधिक प्रभावशाली गतिविधि बनना है और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है, तो कार्यक्रमों की व्यापकता को काफी हद तक बढ़ाना होगा। लेकिन इसमें सावधान रहना होगा, कि कार्यक्रम इतने भी न बढ़ जाएं कि वे उद्यान के लिए ही हानिकारक बन जाएं ।

संस्तुति

बी.टी.सी. ने इशारा किया है कि वे माओज़ीगेन्द्री की व्यवस्था बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा, कि अगर ऐसा हो, तो नई व्यवस्था का विकास वर्तमान शैली के आधार पर ही किया जाए। हैल्प टूरिज़्म एक बड़े भोजन-कक्ष के लिए सहयोग दे रहा है। शायद पर्यटकों के बीच एक सर्वेक्षण से मदद मिले, जिनमें उनसे पूछा जाए कि वे इस स्थल पर और कैसी सुविधाएं चाहते हैं। हैल्प टूरिज़्म का मानना है कि किसी भी क्षेत्र की भार-क्षमता से ज़्यादा दबाव वहाँ नहीं डालना चाहिए। वह केन्द्रीय और पश्चिमी मानस के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। बांसबाड़ी स्थल पर तो कार्यक्रम शुरु भी हो चुका है। उल्टापानी और चक्रशिला में कुछ और स्थल अगले पर्यटक सीज़न तक तैयार हो जाएंगे।

4. कार्यकुशलताओं का विकास

वर्तमान समय में वन शिविर में छोटी संख्या में ही कर्मचारी रखे गए हैं और हैल्प टूरिज़्म ने अतिथि - सत्कार के प्रशिक्षणों में स्थानीय लड़कों को सहयोग दिया है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था चलाने के लिए और अधिक व्यवसायिक तरीके अपनाने होंगे। हालांकि दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाके में शिविर बना है, पर्यटक कुछ न्यूनतम अतिथि-सतकार की अपेक्षा करते हैं।

संस्तुति :

दिशा निर्देशों को लगातार सुदृढ़ करना और कठोर रूप से लागू होने वाले व्यवहारिक सिद्धांतों की आवश्यकता है। निरीक्षण एवं सेवाओं के मूल्यांकान की प्रणाली बनानी होगी। एक स्थल से दूसरे स्थल पर कर्मचारियों का भ्रमण भी करवाया जा सकता है।

5. स्थानीय उत्पाद की बिक्री

वर्तमान समय में गाँव की महिला स्वयं सहायता समूह बुनाई की बिक्री के लिए एक छोटी दुकान चला रही है। पर्यटकों के लिए यह एक अच्छी जगह है, क्योंकि वे यहाँ क्षेत्रीय बिनाई प्रक्रियाएं देखने के साथ-साथ स्थानीय रूप से बुना हुआ कपड़ा खरीद भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय उत्पाद की बिक्री का विस्तार करने की आवश्यकता है।

संस्तुति

वन शिविर के अंदर एक छोटी दुकान खोली जा सकती है, जहाँ पर्यटक स्थानीय उत्पाद खरीद सकें। स्थानीय उत्पादों में विविधता और उनके उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ उनकी गुणवता और उपलब्धि सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है।

6. संपर्क सामग्री का विकास

वैबसाईट के अतिरिक्त एम.एम.ई.एस. का एक पर्चा है, जो इस ईको-पर्यटन प्रयास के विषय में जानकारी देता है। लेकिन वन शिविर में कुछ साधारण परंतु स्पष्ट जानकारियों की कमी महसूस होती हैं, जिससे यह पता चले कि इस शिविर की क्या विशेषता है । इसके अतिरिक्त, इस स्थल पर लागू होने वाले व्यवहारिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली सामग्री की भी आवश्यकता है।

संस्तुति

हर कमरे में रखने के लिए सहज तथा आकर्षित पर्चे तैयार करने की ज़रूरत है। इस प्रयास की शुरुआत और इतिहास तथा व्यवहारिक सिद्धांतों का एक बोर्ड भी लगाया जा सकता है। हैल्प टूरिज़्म के पास सीमित आर्थिक संसाधन व कोष हैं, अतः प्रकाशित सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इसके लिए बी.टी.सी. से चर्चाएँ की गई और एक विस्तृत जानकारी की किताब छापने की योजना बनाई जा रही है, जिसे हर स्थल पर रखा जा सकेगा। एक ध्वनि - चित्र उपकरण (ऑडियो-विजुअल सिस्टम) हैल्प टूरिज़्म के सहयोग से लिया जा चुका है, जिस पर फिल्में व जागरुकता अभियान चलाए जा सकते हैं ।

7- आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना

यह एक अनन्य प्रयास है, जिसमें ईको पर्यटन गहरे रूप से उद्यान के संरक्षण और संरक्षण में जुड़े स्थानीय लोगों की आजीविकाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जाए। इस कार्यक्रम में पूर्व-शिकारियों और पूर्व-काष्ठ माफिया की भागीदारी को उजागर करना ज़रूरी है। इसका श्रेय उनको जाता है, कि वे संरक्षक बनने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन यह उनके लिए एक मुश्किल समय है। यदि उन्हें संरक्षण के रूप में कार्य करते रहना है, तो आर्थिक स्थिरता आवश्यकता है।

संस्तुति :

ईकोपर्यटन से इन लोगों के लिए साल के कुछ निर्धारित महीनों में आमदनी सुनिश्चित की जा सकती है, अगर एक निर्धारित पर्यटकों की संख्या आती रहे। यह उद्देष्य हासिल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़े वो करना होगा। हैल्प टूरिज़्म कार्यक्रम की शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है। उनकी लागतार कोशिशों के बावजूद, पर्यटकों की संख्या (वे दिन में आकर चले जाने वाले या सप्ताह के अंत में आने वाले लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते) सीमित ही रही है, जिसके कई कारण हैं - मीडिया द्वारा नकारात्मक विज्ञापन और यूरोपीय देशों, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी यात्रा चेतावनियां। भूटान के साथ सीमा पार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे कि अंतर्राष्टीय पर्यटक एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर सकें। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

आभार

हम श्री राज बासु, एम.एम.ई.एस. के सभी कर्मचारियों, वन विभाग के श्री. मोहन ब्रह्मा और बी.टी.सी के श्री. कम्पाजी के प्रति आभारी हैं ।

अंतिम टिप्पणी

[1] इस उदाहरणात्मक अध्ययन के लिए इक्वेशन्स द्वारा सीमा भट्ट को नियुक्त किया गया था। वह एक स्वतंत्र सलाहकार हैं, जो भारत में जैवविविधता संबंधित मुद्दों पर कार्य करती हैं। उन्हें येल विश्वविद्यालय, संयुक्त अमरीकी राष्ट्र से पर्यावरण अध्ययन में स्नात्कोत्तर उपाधि प्राप्त है। उन्होंने वर्ल्ड वाईड फंड फौर नेचर, इंडिया के कार्यक्रम बायोडायवर्सिटि हौट स्पौट्स कन्ज़रवेशन में बतौर वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी काम किया है। उनके कार्य का मुख्य ज़ोर जैवविधिता संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं पर है। वे ईको-पर्यटन को इसमें एक कड़ी मानती हैं। और उन्होंने यू.एस. ऐड के सहयोग से चलाये जा रहे बायोडायवर्सिटी कंज़रवेशन नेटवर्क के दो ईको-पर्यटन कार्यक्रमों का, बतौर दक्षिण एशिया संयोजक, संचालन किया है। 2008 में उन्होंने इक्वेशन्स के साथ मिलकर एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक है -''ईकोटूरिज़्म डैवलपमैंट इन इंडिया'', प्रकाशित केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस। सीमा वर्तमान समय में, वाशिंगटन में स्थित सैन्टर फार रिस्पौंसिबल टूरिज्म में बतौर फुलब्राईट रिसर्च स्कौलर गई हुई हैं।

[2] स्रोत : http://en.wikipedia.org/wiki Manas_ National_Park से 20.4.2009 को जानकारी हासिल की गई।

[3] http://www.manasmaozi.com/?q=node/67 को जानकारी हासिल की गई।

3.

सपने देखने का साहस

माउन्टेन शैपहर्ड्ज़ इनिशिएटिव,

उत्तराखंड का एक अध्ययन

इक्वेशन्स द्वारा

2006 की सर्दियों में, माउन्टेन शैपहर्ड्ज़ इनिशिएटिव - पहाड़ी बकरवाल प्रयास, ईको -पर्यटन प्रयास का उद्घाटन किया गया। यह उत्तराखंड के नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के आस-पास के इलाके में स्थानीय समुदायों द्वारा चलाया जा रहा इकोपर्यटन प्रयास है। इस पहाड़ी बकरवाल प्रयास का जन्म सामाजिक आंदोलनों, जैसे 1970 के दशक में चिपको[1] और 1990 के दशक में झपटो-छीनो[2] तथा हाल के नंदा देवी अभियान से हुआ, जिनमें स्थानीय लोग अपने जंगलों और जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे।[3]

पृष्ठ भूमि

पहाड़ी बकरवालों की कहानी की शुरुआत लाता से होती है, जो हिमालय की नीति घाटी में स्थित है। नीति घाटी, जो नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, के लोग भारतीय-तिब्बती आदिवासी समूह - भोटिया कुल के हैं, जो हिंदू या बौद्ध धर्म के पालन के आधार पर विभाजित हैं।[4]

दो मुख्य घटनाओं ने नीति घाटी के भोटियाओं की जिंदगी पर प्रभाव डाला। पहला था, 1962 का भारत-पाक युद्ध, जिसके कारण लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए। दूसरा था, 1982 में नंदा देवी क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना, जिससे हिमालय की सबसे उंची और प्रचलित चोटी, नंदा देवी पर ट्रैकिंग व पर्वतारोहण का अंत हो गया।[5]

पर्वतारोहण अभियान :

नीति घाटी में पर्वतारोहरण अभियानों का इतिहास 1930 के दशक से शुरु हुआ, जिसमें 1970 और 1980 के दशक में काफी उछाल देखा गया। 1939 से नंदा देवी शिकार अभ्यारण्य ने कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को आकर्षित किया, हालांकि गतिविधियां धीमी ही रहीं, क्योंकि यह क्षेत्र भारत की सीमा के पास होने के कारण प्रवेश की अनुमति आसानी से नहीं दी जाती थी। 1970 के दशक तक यह अभ्यारण्य पर्यटकों और पर्वतारोहियों के बीच काफी प्रचलित हो चुका था। स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटकों का आगमन, वहाँ कि बिगड़ी आर्थिक स्थिति के लिए लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि काफी युवाओं को बोझिये और गाइड का काम मिल गया। लेकिन 1977 तक, बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने-जाने से क्षेत्र को भारी परिस्थितिकीय क्षति पहुंच चुकी थी। अभ्यारण्य से कीमती जड़ी-बूटियां असतत रूप से निकाली गई और विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों का कचरा भयावह दर पर इकट्ठा होता जा रहा था। सभी नए ट्रैकिंग मार्गो पर यातायत तेजी से बढ़ गया और 1982 तक हर वर्ष लगभग 4000 यात्री व बोझिये अभ्यारण्य में आ रहे थे। इस पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक क्षति से बचाने और उसकी स्थिति ठीक होने के लिए समय देने के उद्वेष्य से राष्ट्रीय उद्यान की उद्घोषणा की गई। स्थानीय समुदायों द्वारा मवेशी चराने, औषधी पौधों की उपज इकट्ठा करने और गिरी-पड़ी लकड़ी उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।[6] स्थानीय लोगों द्वारा धरांसी तक मवेशी ले जाने पर भी रोक लगा दी गई, जो कि उनका पारंपरिक गर्मी के समय का गाँव था। औषधीय पौधों के पारंपरिक निकासी और अभ्यन्तर क्षेत्र में धार्मिक अधिकारों के दस्तूर पर भी रोक लग गई।

1988 तक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया, जिसकी सीमाओं को बढ़ाकर चारों तरफ से बसे गाँवों की जमीन भी इसके अंदर ले ली गई। हालांकि निवासी समुदायों के आजीविका उपयोग के लिए बफर क्षेत्र खुला है, मवेशियों को कुछ अतिरिक्त स्थलों पर चरान पर पाबंदी लगा दी गई। चारागाह कम हो जाने के कारण कुछ क्षेत्रों पर चरान का अत्याधिक दबाव बढ़ गया, जिससे कई बकरवालों को अपनी बकरियां कम करनी पड़ीं और इसके कारण गाँवों में उन का उत्पादन भी कम हो गया। इसी तरह, ईंधन की लकड़ी, चारे और अन्य गैर-काष्ठीय वनोत्पाद की कमी के कारण पारंपरिक निर्वाह-आधारित कृषि प्रणाली और भी कठिनाई में आ गई। इसमें समस्या यह थी, कि आरक्षित क्षेत्र का निर्णय एक तरफा था, जिसमें स्थानीय समुदायों के साथ ना तो कोई चर्चा की गई और ना ही उनकी आजीविकाओं पर कोई ध्यान दिया गया।[7] 1998 से वर्तमान

समय तक, नीति घाटी के लोगों का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष जारी है।

राज्य का दर्जा

नवंबर 2000 में, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके नया राज्य उत्तराखंड (जिसे 2000 से 2006 के बीच उत्तरांचल कहा जाता था) बनाया गया। नीति घाटी के लोगों को नया राज्य बनने से काफी उम्मीदें थीं - कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान, उचित विकास के निर्णय लेने की प्रक्रिया और स्थानीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे।

नए राज्य में पर्यटन को विकास के लिए मुख्य कार्यक्षेत्र माना गया। मई 2001 में, राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय पर्वतारोहण संस्थान को जिम्मेदारी दी कि वह उद्यान में सीमित पर्यटन गतिविधियों की संभावना का अध्ययन करें। यह स्थानीय समुदायों के लिए एक बड़ा धक्का था, जो अभी भी प्रतिबंध से जूझ रहे थे। उन्हें डर था कि इस कदम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन व्यवस्थापक नंदा देवी में पर्यटन पर अधिकार जमा लेंगे।

इससे लाता गाँव में नंदा देवी अभियान की शुरुआत हुई। भोटिया समुदाय को बाहरी समूहों से - उत्तराखंड व विदेश के - इस नाज़ुक समय में काफी सहयोग मिला। जनाधार, राज्य में कार्यरत एक वनाधिकार संस्था, ने वनाधिकार प्रयास की शुरुआत की, जिससे कि राज्य भर में संरक्षित क्षेत्रों से प्रभावित समुदाय एकजुट हो सकें। एस संस्था ने विकास के लिए गठबंधन आयोजित करने में सहयोग किया। यह गठबंधन तृणमूल संस्थाओं का समन्वय है, जिसका उद्देश्य है जन-पक्षीय और प्रकृति-पक्षीय मुद्दों को नए उत्तराखंड राज्य की विकास चर्चाओं में एक आवाज़ देना। 14 अक्तूबर, 2001 को नीति घाटी के स्थानीय लोगों ने प्रगतिशील जैवविविधता संरक्षण एवं ईको-पर्यटन उद्घोषणा (अनुलग्नक 1) जारी किया और समुदाय-आधारित ईकोपर्यटन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। नंदा देवी उद्घोषणा की कोशिश है कि पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच तुल्यता एवं एक दूसरे से सीखने के मूल्यों के आधार पर एक नया रिश्ता कायम हो।

शुरुआती चरण

2003 में, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के एक हिस्से को खोल दिया गया, जहाँ सरकार ने उद्यान के अभ्यंतर क्षेत्र के एक छोटे भाग में 500 अतिथि प्रतिवर्ष जाने की अनुमति दे दी। हालांकि, चोटी तक जाना अभी भी प्रतिबंधित था। इस संशोधन में, स्थानीय गाईड एवं भारवाहकों को काम देने की बात कही गई। लेकिन इसके लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। लेकिन विकास के लिए गठबंधन की सक्रिय भागीदारी और 2001 की कार्यशाला से प्राप्त सुझावों के कारण स्थानीय लोगों ने इसे आर्थिक नवीनीकरण के लिए एक अवसर के रूप में देखा।

2003-2005 के शुरुआती सालों में इस अभियान ने कई उन्नतिशील एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के ज़रिए नंदा देवी क्षेत्र के विषय में जागरुकता बढ़ाने और पर्यटन उद्योग में तुल्यता लाने पर

चर्चाएं की। शोधकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लाता गाँव की ग्राम सभा के समूह द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में, पैसा इकट्ठा करने के लिए कलाकारों के शिविर, गणतंत्र दिवस पर महिला उत्सवों से लेकर क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशालाओं में भागीदारी तक, हर योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, लगातार गर्मियों में अमरीकी व कैनेडा के विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों के समूह पर्वतीय भूगोल और सतत विकास के अध्ययन के अंतर्गत लाता गाँव में आते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण, क्षेत्र को भूमण्डलीय स्तर पर ख्याति मिली और समुदायों की आर्थिक रणनीतियों में पर्यटन की भूमिका को प्रदर्शित करने का मौका भी मिला। 2004 में, इन प्रयासों को मान्यता मिली, जब ये क्षेत्र कौंडे नास्ट ट्रैवलर द्वारा सर्वश्रेष्ठ ईकोपर्यटन गंतव्यों में दूसरे स्थान पर चुना गया। इसके बाद 2005 में, फ्रांस की एक यात्रा पत्रिका, जिओ में एक लेख निकला जिसमें अभियान द्वारा उठाए गए पारिस्थितिकी तथा सांस्कृतिक[8] मुद्दों को उजागर किया गया।

एक महत्वपूर्ण रणनीति जो अपनाई गई वह थी वैबसाईट का प्रयोग, जिसके माध्यम से अभियान के विषय में जानकारी फैलाने और पर्यटन प्रयास के प्रचार में मदद मिली। 2004 तक इस अभियान के विषय में इंटरनैट पर काफी जानकारी उपलब्ध थी। वैबसाईट के माध्यम से ट्रैकिंग व पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूछताछ होती थी, जिससे छोटे स्तर पर व्यापार बढ़ाने के अवसर मिले।

पहाड़ी बकरवाल प्रयास (द माउन्टेन शैपहर्ड्ज़ इनिशिएटिव (एम.एस.आई)

2006 तक अभियान के प्रयासों के कारण क्षेत्र में लगातार अतिथि आने लगे थे। इस स्तर पर 3 मुख्य पहलुओं पर ज़ोर था - युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाना, स्थानीय उत्पादनों की एक श्रृंखला तैयार करना और एक ऐसा समारोह आयोजित करना जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जा सके और साथ ही कंपनी की औपचारिक घोषणा भी हो जाए। कंपनी की घोषणा के लिए आयोजकों ने तय किया कि वे नंदा देवी महिला ट्रैक के आयोजन से उद्घाटन करेंगे, जिसमें वे विश्व की महिला पर्वतारोहियों से पहाड़ी देवी नंदा देवी को भेंट चढ़ाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने जल, जंगल, ज़मीन के आंदालनों में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह ट्रैक नंदा देवी अन्स्योल्द की 30वीं पुण्यतिथि का स्मरणोत्सव भी था। 1976 में अन्स्योल्द और उनकी पुत्री नंदा देवी एक पर्वतारोहण अभियान में अपने हमनाम पर्वत पर चढ़ने के लिए आए थे। चढ़ाई चढ़ते समय उनकी मृत्यु हो गई।

महिलाओं के ट्रैक के माध्यम से इस आयोजन की शुरुआत करने के पीछे एक और कारण यह था कि आयोजक अपने आप को एक अलग दर्जे से पेश करना चाहते थे। एम.एस.आई का मानना है कि यदि वे एक अकेली महिला के लिए सुरक्षित ट्रैक आयोजित कर पाए, जिन्हें वैसे कमज़ोर माना जाता है, तो अपने आप स्थापित हो जाएगा कि यह ट्रैक सभी के लिए सुरक्षित है। वास्तविकता में, कुछ छोटे समूहों में महिलाओं ने इस क्षेत्र में आना शुरु भी कर दिया है, जिन्हें प्रशिक्षित महिला गाईड दी जाती है।

उस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन विशेषत: महिला ट्रैक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। विश्व के विभिन्न कोनों से 64 आवेदन प्राप्त हुए। भारत, अमरीका, कैनेडा और ताईवान की 17 महिलाओं को चुना गया और उन्हें अक्तूबर 2006 में नंदा देवी क्षेत्र में आने का आमंत्रण दिया गया। अंतिम निर्णय प्रत्याशियों के महिला मुद्दों, पर्वतीय पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय के पहलुओं में रुचि व अनुभव के आधार पर लिया गया। जोशीमठ तक की

यात्रा का खर्च महिलाओं को खुद उठाना था, पर 2 सप्ताह के ट्रैक का खर्च एम.एस.आई ने उठाया। इस प्रयास में एम.एस.आई को एपलेशियन स्टेट यूनिवर्सिटी (नौर्थ कैरोलीना, अमरीका) के छात्रों से काफी सहयोग प्राप्त हुआ - उनके ''गीयर फौर गढ़वाल'' कार्यक्रम से। उन्होंने अमरीकी बाज़ारों में ट्रैकिंग का सामान खरीदने के लिए दानपात्र रखे थे। उच्च दर्जे.का पर्वतारोहण सामान एम.एस.आई को मई 2006 में भेजा गया।

हिमालय में महंगे अवकाश पैकेजों के मुकाबले इस यात्रा में सहभागिता पर ज़ोर दिया गया, जिससे कि नव-प्रशिक्षित गाईड एवं आयोजक ट्रैक करने वालों से भी सीखें और वे उन्हें नंदा देवी क्षेत्र के इतिहास, भूगोल व पारिस्थितिकी के विषय में बता भी सकें। इस पहले ट्रैक के बाद सभी भागीदारों से उनके सुझाव एम.एस.आई को देने के लिए कहा गया।

कार्यकुशलताओं का विकास

अक्तूबर 2004 में अमरीका में स्थित विंटरलाईन फाउन्डेशन के बोर्ड सदस्यों ने लाता गाँव का दौरा किया और वे इस प्रयास को सहयोग देने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनके अनुसार इससे स्थानीय लोग अपने क्षेत्र में पर्यटन विकास पर नियंत्रण का दावा कर सकते थे। इस समय तक नंदा देवी अभियान ने किसी भी आर्थिक सहयोग संस्था से पैसा नहीं लिया था, क्योंकि वे अपनी शर्तो और मूल्यों के आधार पर यह प्रयास चलाना चाहते थे। विंटरलाईन फाउन्डेशन ने पहले 40 युवाओं को पर्वतारोहण के आधारभूत प्रशिक्षण दिलवाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। 2006 में एम.एस.आई ने क्षेत्रीय युवाओं की कार्यकुशलता प्रशिक्षण के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी से संपर्क किया। सभी 40 युवाओं को बिना किसी रियायत के प्रशिक्षण दिलवाने के लिए एम.एस.आई ने रु.17 लाख प्रशिक्षण फीस चुकाई - प्रति प्रत्याशी प्रशिक्षण फीस रु.40,000 होती है।

नेहरू संस्थान के प्रशिक्षण से कई युवाओं को नई शुरुआत करने का मौका मिला, जो स्कूल की पढ़ाई खत्म नहीं कर सके थे और न ही अपनी पारंपरिक आजीविकाओं तक ही लौट पाए थे। उनके पारंपरिक ज्ञान को जब आधुनिक तकनीकों का सहयोग मिला तो वे अत्यंत विशिष्ट एवं अच्छी आमदनी वाले कार्य करने में सक्षम हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि हिमालयी युवाओं को बड़े शहरों में न जाकर[9] अपने घरों के पास ही अच्छे व्यवसाय मिल गए, जिनमें वे कंपनी के कर्मचारी होने के बजाए खुद मालिक थे।

नेहरू संस्थान के संभावित प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत और नंदा देवी अभियान के मुख्य सदस्यों से चर्चा करके चुना गया। ये प्रत्याशी पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून जिलों से थे, जिसमें से सबसे अधिक संख्या नीति घाटी के युवाओं की थी। ऐसे बेरोज़गार युवा, जो पहले से ही पर्यटन का काम करते थे और लक्षित गाँवों में रहते थे, उनको शामिल करने पर ज़ोर दिया गया। चयन के मानदण्डों में उद्यमिता, अनुशासन और समूह में कार्य करने की क्षमता भी शामिल थे। एम.एस.आई. के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नेहरू संस्थान की विषय-सामग्री में, वहाँ के प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करके, कुछ बदलाव किए गए। अतः शारीरिक चुनौतियों से भरे 1 माह के पर्वतारोहण प्रशिक्षण में, एक सप्ताह के लैक्चर भी शामिल किए गए जिनमें विविध विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि, वरिष्ठ नागरिकों की विशेष जरूरतें, उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास, जानवरों और वनस्पतियों की पहचान और पर्वतों में पर्यटन। सफल प्रत्याशियों ने अभियान के सम्मुख शपथ लेकर, सामूहिक रूप से सामूहिक उद्यम के लिए काम करने और नंदा देवी उद्घोषणा[10] के मूल्यों का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

एम. एस. आई. को जब लगातार व्यवसाय मिलने लगा, तब उन्होंने और प्रशिक्षणों के लिए (उच्च श्रेणी, अनुदेश एवं पर्वतों की खोज के तरीकों तथा बचाव) आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया, जो विंटरलाईन फाउन्डेशन ने दिया। 40 और लड़कों के लिए प्रशिक्षण था और लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया गया। वर्तमान समय में एम.एस.आई. में 60 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से ज़्यादातार ने 3-4 कोर्स कर लिए हैं और अब वे योग्यता प्राप्त अध्यापक हैं, प्रमाणित खोज एवं बचाव स्वयंसेवी हैं, जो ऊंचे पर्वतों में दुर्घटनाओं से लोगों को बचा सकते हैं।

ट्रैंकिग और पर्वतारोहण प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, युवाओं को योग, पाक-शास्त्र, अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर में भी प्रशिक्षत किया गया है। उन्हें भू-मण्डलीय स्थिति निर्धारण विधि (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) का उपयोग करना भी सिखाया गया, जो उनके दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण का हिस्सा था।

उत्पाद रूपरेखा एवं विपणन

एम.एस.आई. ने ऐसे उत्पाद तैयार करने की कोशिश की जो नंदा देवी उद्घोषणा के दिशा-निर्देश पर आधारित हों। उन्होंने अलग-2 समयावधि व कठिनाई स्तर के आधार पर विभिन्न ट्रैक तैयार किए हैं, जिससे कि पर्यटकों को विकल्प मिल सकें। अलग-2 लोगों की रुचियों, जैसे कि विद्यार्थी, परिवार के साथ आने-वाले, विकलांगों, महिलाएं और निपुण ट्रैक करने वालों, को ध्यान में रखकर ट्रैक बनाए गए हैं।

''आप महिला हैं और अपनी स्वतंत्र सोच रखती हैं। आप गलत चीजों के खिलाफ और सही चीज़ों के साथ खड़ी होती हैं। आप खुद अपनी आदर्श हैं - और हमारा - आपका इतिहास एक ही है। और हमारे पास खास आप के लिए आमंत्रण हैं - हमारा खास अतिथि बनने के लिए - कोई पैकेज़ नहीं है और न ही कोई सौदेबाजी है। आप जब आना चाहें आएं और जितनी देर चाहें रहें। आपकी सुरक्षा हमारा वादा है। यह गौरादेवी की भूमि है। वे चिपको आंदोलन के पीछे प्रेरणा थीं और आज भी लोगों के विभिन्न संघर्षो को ताकत देती हैं। उनकी खोज करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं।

धौली गंगा के किनारों में खोजें या मनोरम सूर्योदय या तारों की झिलमिल रोशनी में उन्हें ढूंढे या फिर अपने आप में।''

माउन्टेन शैपहर्डज़ इनिशिएटिव वैबसाईट[11]

एक अन्य पहलू, जिसमें उन्हें व्यवसाय की संभावना दिखी, वह थी ऐसे पर्यटकों की बढ़ती संख्या, जो ग्रामीण जिंद्रगी का अनुभव करना चाहते थे - पारंपरिक घरों में रहकर रोजमर्रा के काम करना चाहते थे! कुछ लोग बकरवालों के साथ चले जाते हैं, परिवारों के साथ काम करते हैं और कुछ महिलाओं के साथ ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने चले जाते हैं।

तीसरा पहलू था स्मारिकाएं बनाना। एक ऐसा पहलू, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। हर घर में एक खड्डी है। गैर-कृषि के समय में हर घर में यह खड्डियां चलती हैं और महिलाएं कालीन बनाने में लगी होती हैं। हालांकि इनकी गुणवत्ता बाजार में उपलब्ध कालीनों के मुकाबले कम होती है। एम.एस.आई. फिर से कुदरती रंगाई वापस लाने और कालीनों के डिजाईन में सुझाव देने की योजना बना रहा है। हालांकि ज़्यादातार महिलाएं कालीन बनाती हैं। इनका आकार बड़ा और भारी वजन होने के कारण, पर्यटक इन्हें खरीदना पंसद नहीं करते। अतः छोटे आकार के आसन, जिन्हें योग या ध्यान लगाने के लिए उपयोग किया जा सके, तैयार किये जा रहे हैं।

एम.एस.आई. की विपणन (मार्केटिंग) व्यवस्था मुख्यताः वैबसाईट तथा लेागों की प्रशंसा ही है। वर्तमान समय में वैबसाईट का प्रबंधन कैनेडा के स्वयंसेवी कर रहे हैं। एम.एस.आई. ने नेचर लिंक (www.naturelink.org) नाम की संस्था के साथ मार्केटिंग के लिए हाथ जोड़े हैं।

मार्केटिंग की एक रणनीति के अंतर्गत एम.एस.आई. अपने सभी ट्रैकों की तस्वीर रखना चाहता हैं। युवाओं को कैमरा और जी.पी.एस. उपकरण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिए गए हैं। किसी भी नए रास्ते पर जाते समय गाईड अपने साथ वीडियो कैमरा ले कर जाते हैं और शूटिंग करते हैं, जिसे फिर 2 मिनट की फिल्म बनाकर यू ट्यूब (इंटरनैट) पर डाल दिया जाता है। एक बार पर्याप्त दस्तावेजीकरण हो जाएगा, तो एम.एस.आई. अपनी नई वैबसाईट, जिसमें ट्रैक की योजना बनाने के लिए जी.पी. एस. निर्देश दिए गए होंगे, इंटरनैट पर चढ़ा देगा। इससे उन्हें सैंकड़ों अन्य ट्रैक व्यवस्थापकों के मुकाबले ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनका उद्देश्य है कि वे सिर्फ वर्तमान क्षेत्रों में ही नहीं, पूरे राज्य में ऐसा काम करें। इसके लिए उन्होंने अपने-आप को 2 साल का समय दिया है।

एक अन्य मार्केटिंग रणनीति, जिस पर उन्हें काफी भरोसा है, वो है उनके प्रशिक्षित गाईडों की गुणवत्ता, विस्तृत दस्तावेज़ीकरण के दौरान गाईड-ट्रैक का विवरण, जी.पी.एस. सूचनाएं, जल स्रोत, पुल, चट्टाने गिरने वाले क्षेत्र - यह सभी जानकारी रिकार्ड करते हैं, जिससे समूहिक ज्ञान अर्जन में मदद मिलती है। प्रशिक्षण और इस सामूहिक ज्ञान के आधार पर ही एम.एस.आई. यह कह पाता है -

''जब हम ऊंचे हिमालय में जाते हैं, हमारे पास दो विकल्प होते हैं - पहला विकल्प कि हम दिल्ली में सुसंस्कृत, मीठी बोली, अंग्रेजी बोलने वाला गाईड ले जाएं। दूसरा विकल्प यह कि हमारे गाईड को अंग्रेजी न आती हो, हालांकि वह यैस/नो और न्यूनतम बातचीत अंग्रेजी में कर सकता हो। लेकिन अगर कहीं कोई आपदा या समस्या आती है, तो हमारे लड़के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं और यहाँ के रास्तों को भली-भांति जानते हैं, और वे आपको सुरक्षित वापस ला सकते हैं। तो यह उनका निर्णय है कि वे किसे साथ ले जाना चाहते हैं।''

सुनील कैन्थोला, निर्देशक, एम.एस.आई.

फोर्ड फाउन्डेशन ने 3 भागों के लिए आर्थिक सहयोग दिया है - उत्पाद रूपरेखा तैयार करने, दस्तावेज़ीकरण और कुदरती रंगाई को वापस लाने के लिए।

पर्यटन के प्रभाव

स्थानीय समुदायों के लिए जीवनयापन व आमदानी के लिए मुख्य स्रोत हैं - कृषि (गेहूं, दालें, अनाज,राजमा और आलू), मवेशी पालना और घर का बुना ऊन व ऊनी कपड़े। पर्यटन अपनाने से लोगों के पास कई अतिरिक्त आय के साधन हो गये हैं - गाईड, भारवाहक, टट्टुओं के मालिक, रसोई, टैक्सी ड्राईवर, गृह-आवास, स्मारिकाएं बनाना। पहले जो युवा शहरों को चले जाते थे वे अब क्षेत्र में ही रहकर व्यवसाय कमा सकते हैं। एम.एस. आई. से जुड़ने से पहले बहुत से युवा कृषि करते थे, जिसमें उनकी वार्षिक आय रु. 5000 से लेकर रु.10,000 तक होती थी। लेकिन गाईड का प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें प्रतिदिन रु. 250 की आमदनी होती है, जो वार्षिक औसत रु. 15,000 से 20,000 तक घर की आय में जोड़ देता है। ज़्यादातार गाईड गरीब परिवारों से हैं।

एम. एस. आई. के कार्य का प्रतिमान है कि युवाओं को तभी पैसा मिलता है जब वे वास्तविक तौर पर किसी व्यवसायिक गतिविधि में जुड़े हों। युवाओं के प्रशिक्षण में निवेश के बाद, एम. एस. आई. की जरूरत है कि वे जब ट्रैक पर न गए हों तो वे उत्पाद रूपरेखा के कार्यो में हाथ बँटाए। उदाहरण के लिए, ट्रैक के दस्तावेज़ीकरण के लिए कैमरा, राशन और उपकरणों के साथ यात्रा का पूरा खर्चा दिया जाता है। लेकिन अगर गाईड खाली है और कोई अन्य यात्रा व्यवस्थापक उनसे ट्रैक पर जाने का अनुरोध करे तो वे अन्य समूहों के साथ भी जा सकते हैं, हालांकि उनकी पहली प्रतिबद्धता इस कंपनी की ओर है।

गृह-आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को रु. 150- 250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (दो लोगों को एक कमरे में ठहराने पर), भारवाहक को रु.250 और रसोईये को रु.500 मिलता है। टट्टू मालिक को प्रति टट्टू प्रतिदिन रु. 400 मिलता है। एम.एस.आई.

उचित वेतन के मूल नियम पर काम करता है, जिसमें अच्छी कार्य स्थिति, उच्च श्रेणी के उपकरण और आमदानी को तुल्य रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बँटवारा शामिल है। उदाहरण के लिए एक टट्टू 4 आदमियों के बराबर भार उठा सकता है और सस्ता पड़ता है - लेकिन एम.एस.आई. कोशिश करता है कि जहाँ भी हो सके वहाँ भारवाहक जाएं, जिससे एक के बजाए 4 लोगों को लाभ मिले। इसके अतिरिक्त, एम.एस.आई. के भारवाहक अन्य कंपनियों के भारवाहकों के मुकाबले कम वजन उठाते हैं, 20 किलो क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि आपातकालीन समय में भारवाहकों पर अत्याधिक बोझ पड़े, खासकर जब पर्यटकों को भी उठा कर नीचे लाना पड़े। और ट्रैक में जाने वाले अतिथियों तथा कर्मचारियों को दिए गए भोजन में कोई अंतर नहीं रखा जाता।

आर्थिक पहलुओं के अतिरिक्त, ऐसे सुदूर गाँवों में ऐसे विशेषज्ञता-प्राप्त जन-बल का संग्रह होना अपने आप में एक अमूल्य संपति है - जिसके कारण शहरों से मजदूरी पर लोगों को नहीं लाना पड़ता।

एम.एस.आई. ने अपनी कार्य प्रणाली में सुनिश्चित किया है कि आमदनी स्थानीय लोगों तक पहुंचे और उनके पास ही रहे। गाँव स्तर पर उन्होंने एक चक्रवर्ती प्रक्रिया बनाई है, जिससे कि सभी को आमदनी कमाने के तुल्य अवसर मिलें। एक पश्वगामी श्रृंखला की प्रणाली लागू की गई है - उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार गृह-आवास सुविधा दे रहा है, तो दूसरा परिवार भोजन की व्यवस्था करता है। और तीसरा पर्यटकों को स्मारिकाएं बेचता है।

एम.एस.आई. जान बूझकर ''आर्थिक सहयोग तथा परियोजना विधि'' से दूर रहा है, हालांकि पर्वतारोहण का सामान समुदाय को बिना कोई कीमत चुकाएं मिला है। उस सामग्री को देखकर ज़्यादातर गाँव वालों को लगता है कि इसे सबके बीच बराबर बाँटा जाना चाहिए, क्योंकि वन विभाग ऐसा ही करता है। लेकिन इन संचायती उपकरणों का लोग बेरहमी से उपयोग करते थे और एक समय ऐसा भी आया जब इसमें चोरी भी हो गई। उदाहरण के लिए ईंधन बचाने वाले चूल्हे, जिसकी कीमत 220 डॉलर प्रति चूल्हा थी, का एक ही दिन में टूट जाना या फिर बेहद मंहगी पर्वतारोहण के लिए लाई गई रस्सी का काटकर घास के पूले बांधने के लिए उपयोग करना या खाना परोसने की चीज़ों, जैसे प्लेट आदि चोरी हो जाना। एम.एस.अई. यह सब रोकने के लिए काफी प्रयास कर रहा है।

एम.एम.आई. ने गाड़ियाँ खरीदने के लिए सूक्ष्म ऋण दिए, जहाँ स्थानीय समुदाय के सदस्य ही उसके मालिक हैं। जब जरूरत होती है तो एम.एस.आई. उनकी सेवाओं का उपयोग करता है, नहीं तो वह निजी या व्यवसायिक रूप से सवारी ले जाकर कमाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन लोगों को जिस विश्वास पर ऋण दिए गए थे, वे ऋण वापस न करके लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे।

गृह आवास: इस क्षेत्र में आने वलो पर्यटकों के दो मुख्य उत्प्रेरक होते हैं - धार्मिक या साहसी कार्य करना। धार्मिक यात्री या साहसिक यात्री उच्च स्तरीय आराम की अपेक्षा नहीं करते। लेकिन उन्हें कुछ मूलभूत सुविधाएँ चाहिएँ, जैसे कि साफ रहने की जगह, साफ शौचालय आदि। आवास की समस्या को हल करने का एक बहुत ही प्रगतिशील तरीका है, जिसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता पड़ती है - पुराने बंगलों का उपयोग। इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों के पास एक सर्दी का घर और एक गर्मी का घर होता है। एक ऊंचे इलाके में और एक निचले क्षेत्र में। गर्मी के समय में, जो कि पर्यटकों के आने का समय होता है, सर्दी वाले घर खाली होते हैं, जिन्हें किराए पर एम.एस.आई. को दे दिया जाता है। इसमें मार्केटिंग के जरिए जोशीमठ आने वाले पर्यटकों को

आकर्षिक किया जाता है। उन्हें विकल्प दिया जाता है कि वे रु. 1000 देकर जोशीमठ जैसे प्रदूषित शहर में रहें या 25 कि.मी. आगे, लाता गाँव में रु. 800 देकर भोटिया घर में रहें, जहाँ उन्हें पारंपरिक खाना भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादातार घरों में मरम्मत की जरूरत है। एम.एस.आई. द्वारा कमाए गए लाभ में से एक हिस्सा सूक्ष्म ऋण में वापस निवेश कर दिया जाता है, जिससे कि गृह आवासों के मालिक अपने घरों की मरम्मत, बाथरूम एवं शौचालय बनाने के लिए ऋण ले सकें। इस प्रणाली की शुरुआत कुछ परीक्षणों से की जा रही है, जिससे कि स्थानीय समुदाय इससे वाकिफ हो सकें। पर्यटकों के रहने से हुई आमदनी में से आधा परिवार रखता है और बाकी आधा कंपनी को ऋण चुकाने के लिए दे दिया जाता है। लोगों को सुझाव भी दिए जाते हैं - एक व्यक्ति को दोहरा शीशा और खिड़कियों पर जाली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे मक्खियाँ अंदर न आएं या फिर घर के अंदर आधुनिक सुविधाएं बनाने का सुझाव, और बाहर से घर की पारंपरिक बनावट। लेकिन यह प्रणाली बहुत सफल नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग इसे सरकारी स्कीम की तरह देखते हैं। जबकि यह लाभ से सूक्ष्म ऋण चलाने का परीक्षण है। इससे न केवल गाँव में रहने के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, पर गाँव के लोगों के बीच बेहतर सफाई भी रहती है। लेकिन फिर भी पर्यटकों की सफाई की मांग और स्थानीय लोगों की सफाई के बीच काफी अंतर है। इसी कारण एम.एस.आई. कमरे किराए पर ले लेता है और बाकी गृह-व्यवस्था एम.एस.आई. के कर्मचारियों द्वारा एम.एस.आई. के बिछौने आदि द्वारा की जाती है।

अभी यह प्रयास 2 गाँवों (लाता और तोलमा) में ही शुरु किया गया है, जिनमें 40 लोगों के सोने की व्यवस्था है। एम.एस.आई. ने जोशीमठ के पास 3 कमरे का एक मकान भी किराए पर लिया है, क्योंकि यह गाँव के पास का शहर है और धार्मिक पर्यटक शायद शहर में रहना ज्यादा पंसद करते हैं।

सामाजिक पहलू

एम.एस.आई. एक बराबरी की संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें गाईडों, भारवाहकों को 'सर' कहने के बजाए अपने ग्राहकों के पहले नाम से बुलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अपने ग्राहकों से बराबरी का रिश्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मालिक की तरह नहीं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें (खासकर जब अतिथि सुरक्षा की सीमाएं पार कर रहे हों या पर्वतारोहण और ट्रैकिंग में अपना विवेक खो बैठें)।

एम.एस.आई. ने अपने समूह के युवाओं के लिए रू. 10 लाख का जीवन बीमा और 1 लाख का दुर्घटना बीमा करवाया है। किस्त का 50 प्रतिशत एम.एस.आई देता है और 50 प्रतिशत युवाओं को खुद देना होता है।

पर्यटन के विषय पर पंचायत सभाओं एवं महिलाओं के बीच चर्चाएं की गई हैं। पहले महिलाएं और बच्चे पर्यटकों को अजनबियों की तरह देखते थे, पर अब जब लोग उनके घरों में आकर रहते हैं तो अजनबियों से जुड़ा डर और चिंता खत्म हो गयी है।

जो युवा इस प्रयास का भाग हैं वे भी समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए हैं - गाड़ी वाले और टूर मालिक उनके संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सबको काम मिलता है। लेकिन लड़कियों को आगे आने के प्रोत्साहनों और प्रशिक्षणों के बावजूद उनकी भागीदारी कम ही रही है। इसका मुख्य कारण समुदाय की रूढ़िवादी सोच ही है। और युवाओं के एम.एस.आई. के कार्यो में जुड़ जाने से (खासकर नीतिघाटी में) महिलाओं पर काम का बोझ

बढ़ गया है, क्योंकि पर्यटकों के आने का समय ही खेती व फसल कटाई का भी समय होता है। ऐसे समय में जब अधिक से अधिक हाथों की जरूरत होती है उस समय आदमियों के पर्यटन कार्यो में चले जाने से औरतों पर काम का बोझ दुगुना हो जाता है।

गाँवों में अभी भी जाति-भेद बहुत होता है। हालांकि अनुसूचित जाति समुदाय को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं, ऊंची जाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया है - उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों द्वारा खाना पकाया जाना ऊपरी जाति के लोगों को मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी रियायतों के कारण, काफी अनुसूचित जाति के युवा खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। और जब एम.एस.आई. उनके बीच इस प्रयास के विषय में चर्चा करता है, तो उन्हें लगता है कि अगर एम.एस.आई. युवाओं के प्रशिक्षण के लिए रु. 40,000/- दे सकता है तो वह उनके परिवारों को 5000 क्यों नहीं दे सकता, जब कमाने वाले युवा प्रशिक्षण पर गए हों और कमा नहीं पा रहे हों।

एम.एस.आई. ने युवाओं के समूह और पर्यटकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। युवाओं के दारू पीने और बीड़ी/सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है। जब पर्यटक टाफी या बिस्कुट खाते हैं तो उनको उसके रैपर फेंकने की इजाज़त नहीं है और उन्हें वह अपने पास ही रखने के लिए कहा जाता है। यदि रास्ते में चलते समय सामने से कोई गाँव वाला आ जाए तो पर्यटकों को सुझाव है कि वे गाँव वालों के लिए रास्ता छोड़ दें, क्योंकि पहला अधिकार गावं वालों का है। एम.एस.आई. यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यटक स्थानीय संस्कृति के अनुरूप ही वेश-भूषा रखें।

पर्यटकों द्वारा दुर्व्यव्हार की एक-दो घटनाएं हुई हैं। अकसर जब पर्यटक ऊंचाईयों पर जाते हैं तो उनका बर्ताव थोड़ा अस्पष्ट होने लगता है। मगर युवक इस बर्ताव से परिचित हैं और ऐसी स्थितियां संभालने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए शरीर को कुछ समय अनुकूल स्थिति में आने देने के लिए जरूरी है। एक घटना में पर्यटक बहुत जल्दबाजी में चोटी तक चढ़ गए और उन्होंने शरीर को अनुकूलन के लिए उपर्युक्त समय नहीं दिया। चढ़ाई के बाद उस व्यक्ति को तेज.सर-दर्द हुआ, उसने रात चोटी पर ही गुजारी, नीचे आया और अगले ही दिन वापस चला गया। उसे जो रु. 30,000 देने थे, वह उसके बजाए केवल रु. 7000 देकर ही चला गया।

एम.एस.आई. का मानना है कि उसी क्षेत्र के युवा अन्य क्षेत्रों के युवाओं के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसका कारण यह है कि नंदा देवी में रहने वाला युवक जानता है कि उसकी आजीविका उसी क्षेत्र पर आश्रित है और अगर वह क्षेत्र गंदा हो जाएगा तो कोई पर्यटक नहीं आएगा और उसके पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं बचेगा। अतः वे जिस क्षेत्र में पर्यटन का कार्य करते हैं, वहीं के युवाओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके बदले में वहाँ के लोग ''बिना कोई निशान छोड़े'' मूल नियम को ईमानदारी से लागू करते हैं, जितना दिल्ली या ऋषिकेश के गाईड नहीं कर सकते।

एम.एस.आई. द्वारा चलाए जा रहे पर्वतारोहण के तरीके के अंतर्गत, पर्यटकों के आगे बढ़ जाने के बाद रसोईये वह स्थल या शिविर छोड़ देते हैं। अतः इस स्थल पर एकत्रित कूड़े को वापस ले जाना मुश्किल हो जाता है। एम.एम. आई. युवकों को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है कि वे ट्रैक के दौरान पैदा हुए कूड़े को अपने साथ वापस लाएं। नवंबर 2008 में इक्वेशन्स के साथ मिलकर कौड़ी पास ट्रेल के पास एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ''शून्य अपशिष्ट'' और ''बिना कोई निशान छोड़े'' मूल नियमों पर रणनीतियां बनाई गईं। इसके परिणामस्वरूप एम.एस.आई. अब ऐसी संकुलन प्रणाली तैयार कर रहा है जिससे प्लास्टिक/पौलीथीन को ट्रैक शुरु होने में पहले बेस शिविर में ही छोड़ दिया जाए।

एम.एस.आई. की शुरुआत तो नंदा देवी अभियान से हुई, पर अब व्यवस्थापकों को लगता है कि इसे अभियान रूप से निकलकर एक व्यवसायिक उद्यम का रूप लेना होगा। समान अवसरों के आधार पर एक सफल व्यवसायिक उद्यम बनाने के लिए जरूरी था कि लोगों को उनकी जरूरत, रूचि व कार्यक्षमता के आधार पर चुना जाए। उम्मीद है कि इस प्रयास को एक आदर्श सामाजिक चेतना से पूर्ण और सामुदायिक पर्यटन व्यवस्था के रूप में देखा जाएगा। एन.एस.आई. को जोर है, कि हिमालयी युवकों में औरों का मार्गदर्शन करने की कुशलता का विकास किया जाए, जो आगे चलकर खुद ही एक नए समुदायों के स्वामित्व और उनके द्वारा ही चलाई जा रही कपंनी के मुख्य पणधानी बन जाएं।

एम. एस. आई. को फरवरी 2008 में एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत करा दिया गया, जिसके अभी 2 निर्देशक हैं (डा. सुनील कैन्योला और डा. धन सिंह राणा)। मुख्य टीम में 7-8 लोग हैं जो एम.एस.आई के साथ शुरुआत से जुड़े हैं और उसकी विचार धारा व उद्वेश्यों को समझते हैं। आने वाले समय के लिए योजना है कि दोनों निर्देशक अंततः कंपनी में अपनी प्रधान हिस्सेदारी छोड़कर, भविष्य के लिए इसे युवकों के हाथों में ही छोड़ देंगे। शेयर का विभाजन - 40 प्रतिशत युवाओं को और 60 प्रतिशत शेयर एक ट्रस्ट के नाम पर छोड़े जाएंगे - यह ट्रस्ट नंदा देवी शैक्षणिक ट्रस्ट के नाम से बनाया जाएगा। अतः जहाँ ढांचा एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी का ही रहेगा, 40 प्रतिशत हिस्सा सीधा स्थानीय समुदाय के हाथ में होगा। लेकिन युवाओं को हिस्सा दिए जाने से पहले उन्हें अनुशासन का प्रदर्शन करना होगा और कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम करना होगा। अभी तक 4 प्रतिशत हिस्से एम.एस.आई. के पहले सदस्यों को बांटे जा चुके हैं। शेयर धारकों को कंपनी के लाभ में कोई अंश नहीं दिया जाएगा। इस लाभ को वापस निवेश किया जाएगा - मकान खरीदने, उपकरण खरीदने, युवाओं के प्रशिक्षण तथा घरों के मरम्मत के लिए सूक्ष्म ऋण देने में।

भविष्य योजना

एम.एस.आई. की भविष्य योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं - इसमें से कुछ की शुरुआत हो गई है। और कुछ की होने वाली है :

- अभियान की वैबसाईट और नई वैबसाईट के माध्यम से एक सम्मिलित इलैक्ट्रोनिक मार्केटिंग प्रयास।
- अगले 2-3 सालों में सभी ट्रैकों का चित्रांकन, जिससे कि वे आज के क्षेत्र से बढ़कर पूरे राज्य में अपने आप को स्थापित कर सकें।
- अंततः माउन्टेन शैपर्हडज़ दिल्ली में आगमन से सीधे नंदा देवी तक की यात्रा की योजना बना सकेगा। इसका कारण है पर्यटकों को बुरे अनुभवों से बचाना - चाहें वह दिल्ली में लूट लिया जाना हो, हरिद्वार में प्रताड़ित किया जाना या सड़कों पर यातायात।
- सब्जियों से बने रंगों के उत्पादों को निरंतर और अच्छी गुणवत्ता वाला बनाना, जिसमें 20-20 परिवारों की महिलाओं के समूह में काम हो और उसे ई-बे वैबसाईट के माध्यम से बेचना। इसके लिए कुछ महिलाओं को निपुण उत्पादकों या प्रशिक्षणों के रूप में तैयार किया जाए, जो अन्य औरतों के उत्पादन के लिए गुणवत्ता संबंधी सुझाव दे सकें।
- सरकार टिहरी बांध के पानी में साहसिक खेल खोलने वाली है। क्षेत्र के 50 युवाओं को जल-खेलों का प्रशिक्षण दिलवाना।
- युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और उनका ख्याल रखने में प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि चार धाम को जाने वाले तीर्थ यात्रियों में बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों की ही होती है। तीर्थ यात्रियों का पूरा जोर मूलभूत सुविधाओं जैसे होटल, यातायात पर ही होता है, जिसमें मानवीय तत्व नहीं होता। उनका मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को खास देख-भाल की जरूरत होती है। एम.एस.आई. में इस क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए एक अलग खंड बनाया जाएगा।
- संदर्भ मानक तैयार किए जाएंगे और समाजिक - आर्थिक अध्ययनों के माध्यम से पर्यटन के प्रभावों और विकास पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुधार कार्य भी किए जाएंगे।
- उत्तरकाशी में ज़मीन खरीदकर वहाँ पर्यटक आवास सुविधा तथा शिविर स्थल का निर्माण। यह आवास सुविधा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अलग-2 राज्यों की संकल्पना पर बनाई जाएगी। निर्माण कार्य युवाओं द्वारा किया जाएगा, जिससे कि उनमें इसके प्रति भागीदारी की भावना जगे और उन्हें इस पर अपना स्वामित्व लगे।
- एम.एस.आई. डोडीताल ट्रैक, उत्तरकाशी जिले में संपत्ति खरीदने के समझौते पर बातचीत कर रहा है और देख रहा है कि किस प्रकार कंपनी को जमीन बेचने वालों के साथ स्थल-विशिष्ट लाभ-सहभाजन की कानूनी रूप से मान्य समझ बनाई जा सके।
- उत्तरकाशी में एक कृष्ण नाम का आलाप कक्ष बनाना, जहाँ पर पर्यटकों के लिए योग सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- डोडीताल के रास्ते में भेबरा में एक पर्यावरण शिक्षा केन्द्र जो बच्चों पर ध्यान दे। यह केन्द्र क्षेत्र की संस्कृति और पर्यायवर्णीय जैवविविधिता पर समझ बढ़ाने का स्रोत होगा।
- कुछ अनुकूल जगहों, जैसे ऋषिकेष और जोशीमठ में स्थल कार्यालय बनाना। यह कार्य अन्य साझेदारों या फ्रैंचाईज.के माध्यम से किया जा सकता है। इन कार्यालयों में एम.एस.आई. के उत्पाद और स्मारिकाएं भी बेची जा सकती है।
- अपनी खुद की एक खान पान की छाप (ब्रैंड) बनाना जो स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर जानी जाए। काफी युवक शहरों में रैस्तरां, दिल्ली-मुम्बई के होटलों में छोटी-मोटी तन्ख्वाह पर काम करते हैं। एम.एस.आई. की योजना है कि वे इन युवकों की कार्यकुशलता का सर्वेक्षण करके इनमें से 40 को प्रशिक्षण के लिए चुनेंगे। इस खान-पास के काम के लिए एक सहयोगी कंपनी खोलने की योजना है।

चुनौतियाँ एवं संघर्ष

एम.एस.आई. के सामने अभी भी काफी चुनौतियाँ हैं, कार्यक्रमों का धीमा विकास और सततता के मुद्दे। चुनौतियाँ हैं - युवाओं को कार्यक्रम में रोके रखना, कूड़ा इकट्ठा करना, बातचीत की अंग्रेजी में प्रशिक्षण, सफाई रखने और पानी के विषय में उन्हें सचेत करना, सुरक्षा, प्रबंधन में कार्यक्षमताओं का विकास और अंततः उनमें आत्मविश्वास जगाना। कार्यक्रमों के धीमे विकास के मुद्दों में शामिल है - गाँवों के बीच अंतर्विवादों को सुलझाना, और अधिक तुल्यता लाना और इस प्रयास को जन अभियान दृष्टिकोण से बदलकर एक व्यापारिक उद्यम बनाना। इस प्रयास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, एम.एस.आई. की योजना है कि वह पारंपरिक ज्ञान एवं कुशलताओं को पुनजीर्वित करेगा, सहभागी संदर्भ मानक अध्ययनों के विकास से निरीक्षण व्यवस्था लागू करना, जिससे नंदा देवी उदघोषण के आधार पर काम सुनिश्चित किया जा सके।

एम.एस.आई. अभी नवोदित स्तर पर है और व्यापार की कोई गारंटी नहीं है, एक स्थिर मासिक आय भी अभी मुनकिन नहीं है। एम.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षित कई युवक अन्य (ज्यादा नियमित) नौकरियाँ करने चले गए हैं। कुछ ने काम छोड़ दिया है, क्योंकि वे खुद पैसे वाले हैं और इस प्रकार के काम में रुचि नहीं रखते, कुछ को ऊंचे पहाड़ों में काम करने से डर लगता है पर ज्यादातार लोग अच्छी कमाई वाले मौसमी अवसरों के कारण ही यहाँ का काम छोड़ कर जाते हैं। उदाहरण के लिए - कीड़ाजड़ी (यारसा गोम्बू[12]; कौर्डिसैप्स साईनैन्सिस) एकत्रीकरण, जिसे चीन में निर्यात किया जाता है। चीनी लोगों के अनुसार, उनके भोजन में इसके शामिल होने के कारण ही वे ओलिम्पिक में इतने पदक जीत पाते हैं। गाँव वालों के लिए इसका रू. 3-3.5 लाख प्रति किलो बनता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसपर ध्यान देना ज़रूरी है कि कार्यक्षमताओं को बढ़ाया जाए और ऐसे लोगों की दूसरी पीढ़ी तैयार

की जाए, जो एम.एस.आई. के प्रबंधन संबंधित कार्यो को संभाल पाएं। वर्तमान समय में पूछताछ, कीमत निर्धारण, विज्ञापन व विपणन, खाते संभालने के लिए कोई योग्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं है - यह सब सुनील कैन्थोला ही संभालते हैं। एम.एस.आई. ऐसे लोगों के संपर्क में है, जो पर्यटन विभाग में काम करते हैं और सेवा-निवृत्त होने वाले हैं। उनकी योजना है कि इन लोगों को ऐसा कार्यभार संभालने के लिए बुलाया जाए।

एक और चुनौती जिसका सामना एम.एस.आई. व उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को जल्द ही करना पड़ेगा वह है नेपाल और कश्मीर की राजनैतिक स्थिरता के बाद वहाँ पर पर्यटन में बढ़ोतरी से मुकाबला। एम.एस.आई. सेवाओं, टक्कर की कीमतों और कम ऊपरी खर्च के ज़रिए इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे रु.15-20 लाख के वार्षिक व्यापार से ऊपर उठ सकते हैं (जो वर्तमान स्थिति है)? क्या वे नंदा देवी उद्घोषणा, 2001 में स्पष्ट किए गए प्रशंसनीय दृग्विषय एवं मूल्यों से समझौता किए बिना अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं?

एम.एस.आई. एक स्मरणार्थक कार्य करने का प्रयास कर रहा है - समुदाय के स्वामित्व वाले उद्यम की स्थापना - एक ऐसा भविष्य, जिसमें मानवीय शोषण व पर्यावर्णीय अपकर्षण न हो। वह पर्यटन नियोजन के हर पहलू में अपने दिग्दर्शक दर्शन शास्त्र को लागू करने की उम्मीद करता है - कि पर्वतों में पर्यटन तक सभी की पहुंच हो, चाहें वे किसी भी उम्र, लिंग, आय स्तर या कार्यक्षमता वाले हों। एक आदर्श के रूप में, इसकी सफलता का हिमालय और उसके निवासियों के भाग्य पर काफी गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

आभार :

यह उदाहरणात्मक अध्ययन 2008 में किए गए, डा. सुनील कैंथोला और श्री. धान सिंह राणा (निर्देशक) श्री. गोबिंद (सदस्य), श्री. हरीश चंदोला (पत्रकार), लाता और तोलमा गाँव के निवासियों के साक्षात्कार और श्री. राजीव रावत द्वारा लिखे गए लेखों व अलायंस फार डैवलपमैंट, (2004) की किताब *कल्चरल सर्वाईवल एंड सस्टेनेबल लाईवलीहुड्स* से संकलित किया गया है।

अनुलग्नक 1

नंदा देवी जैवविविधता संरक्षण एवं ईको-पर्यटन उद्घोषणा

14 अक्तूबर, 2001 ग्राम सभा लाता।
चमोली, उत्तराखंड।

आज, 14 अक्तूबर, 2001 को हमारी सम्मानित नंदा देवी के मंदिर के प्रांगण में, हम जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नीति घाटी के निवासी, जैवविविधता संरक्षण एवं पर्यटन पर गहन चर्चाओं के बाद, समुदाय आधारित प्रबंधन प्रक्रियाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं, कि-

1. हम विश्व पर्यटन संस्थान (वर्ल्ड टूरिज़्म और्गानाईज़ेशन) की पर्यटन के सामाजिक प्रभावों पर मनीला उद्घोषणा, 1997 के आधार पर अपने क्षेत्र में समुदाय आधारित पर्यटन विकास की आधारशिला रखेंगे।

2. हमारे क्षेत्र में हम एकाधिकार से मुक्त पर्यटन और पर्यटन उद्योग में तुल्यता का विकास करेंगे।

3. पर्यटन उद्योग से जुड़े हर शोषण, जैसे भारवाहकों का शोषण और बाल मज़दूरी को खत्म करके, हम सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव हमारे क्षेत्र की जैवविविधिता और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने तक पहुंचे।

4. किसी भी पर्यटन संबंधी उद्यम में हम अपने बेरोजग़ार युवाओं और शोषित परिवारों को प्राथमिकता देंगे। हम विकलांग लोगों के लिए भी बराबरी के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्णय प्रक्रिया, संरक्षण एवं पर्यटन योजनाओं के विकास के हर स्तर पर हम महिलाओं की भागीदारी और उनकी रजामंदी सुनिश्चित करेंगे।

6. अपने क्षेत्र में समुदाय आधारित संरक्षण व पर्यटन के प्रबंधन के लिए आयुक्त संस्थागत ढांचे का विकास करते हुए हम सुनिश्चित करेंगे, कि पर्यटन का हमारी जैवविविधता व क्षेत्र की संस्कृति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और हमारे क्षेत्र में गैर-सामाजिक व गैर-राष्ट्रीय गतिविधियों को पनपने का मौका न मिले।

7. हम पर्यटकों की सुरक्षा और उनको दी जा रही सेवाओं पर नियंत्रण रखते हुए उनकी गुणवत्ता कायम रखेंगे और अपनी खुद की विपणन व्यवस्था बनाकर उसमें से बिचौलियों को बाहर रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि पर्यटकों का यात्रा खर्च कम-से-कम हो।

8. अपने क्षेत्र में पर्यटन के लिए मूलभूत सुविधाएं बनाते समय हम वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखेंगे।

9. चिपको आंदोलन की धरती के गौरवान्वित नागरिक होने के नाते, हम गौरा देवी के नाम पर सामाजिक - सांस्कृतिक और जैवविविधिता केन्द्र खोलेंगे, जो हमारी उत्कृष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ-2 उसके विषय में जानकारी फैलायेगा।

10. हम अन्य क्षेत्रों के समुदायों के साथ ईको पर्यटन विकास के अपने अनुभव बांटेंगे, जो कि अपने क्षेत्रों में मनीला उद्घोषणा, 1997 के आधार पर काम कर रहे हैं।

11. 1992 की रियो की अर्थ सम्मिट का एजेन्डा 21, 1997 की पर्यटन के सामाजिक प्रभावों पर मनीला उद्घोषणा और 2002 के *इंटरनैशनल ईयर आफ द माउन्टेन्स एंड ईकोटूरिज़्म* की भावना को कबूल करते हुए, हम भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत काम करेंगे जैवविविधता संरक्षण और तुल्य आर्थिक विकास के लिए।

12. आज 14 अक्तूबर, 2001 को हमारी पूजनीय नंदा देवी के सामने और चिपको आंदोलन के ज्वलंत इतिहास से प्रेरणा लेते हुए, हम अपने क्षेत्र को शांति का भूमण्डलीय केन्द्र, बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं।

अंतिम टिप्पणी

1. 1970 के दशक में पूरे भारत में जंगलों के विनाश के खिलाफ संगठित विद्रोह की एक लहर फैली जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। लोग पेड़ों से चिपक गए और उन्हें ठेकेदारों के हाथों कटने से बचाया। पहला चिपको संग्राम स्वतः ही अप्रैल 1973 में, अलकनंदा घाटी के मंडल गाँव में हुआ और अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के हिमालय के काफी जिलों में फैल गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने अलकनंदा घाटी के वनक्षेत्र का एक प्लौट एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को दे दिया। इससे गाँव वालों को गुस्सा आ गया क्योंकि इससे पहले कृषि औज़ार बनाने के लिए उनकी लकड़ी की मांग को ठुकरा दिया गया था। एक स्थानीय गैर-सरकारी संस्था, दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के प्रोत्साहन से, चंडी प्रसाद भट्ट और क्षेत्र की औरतों के नेतृत्व में, लोग जंगलों में गए और पेड़ों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए और ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोका। 1974 में, लाता, रेणी और आसपास के गाँवों की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में स्थानीय जंगलों को काटने आए आदमियों के विरुद्ध आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के चिपको आंदालनों को 1980 में बड़ी जीत हासिल हुई, जब इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री, ने राज्य के हिमालयी जंगलों में हरे पेड़ों की कटान पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तब से यह आंदोलन भारत के अन्य राज्यों में भी फैला। (http://healthy-india.org/saveearth6.asp)

2. 1998 में नीति घाटी के निवासियों ने सीधे संग्राम करने की तैयारी कर ली। काफी औरतें, जिन्होंने चिपको आंदोलन में भी भाग लिया था, फिर से झपटो छीनो आंदोलन की अग्रणी बनीं। लाता गाँव के मुखिया, धन सिंह राणा के प्रेरणात्मक नेतृत्व में, दस बफर क्षेत्र के गाँवों के लोग अभ्यंतर (कोर) क्षेत्र में घुस गए और सरकार के सामने अपने पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने और नंदा देवी अभ्यारण्य के संरक्षण में अपनी भूमिका के विषय में अपनी मांगें रखीं। उनको हुए नुकसान की भरपाई और उनके नाम पर खर्च किए गए पैसे का पूरा विवरण भी मांगा गया। गाँव वालों ने कसम खाई कि वे इस आंदोलन को चालू रखेंगे और अपनी मांगों को अलग-अलग मंचों पर तब तक दोहराते रहेंगे, जब तक सरकार उनके दावों को मान्यता नहीं देगी (राजीव रावत, 2004)। उच्च हिमालय में सांस्कृतिक जीवन व सतत आजीविकाओं के लिए नंदा देवी अभियान, *अलायंस फौर डैवलपमैंट*, देहरादून।

3. राजीव रावत (2008)। *द माउन्टेन शैपहडर्ज़ इनिशिएटिव : इवौलविंग अ न्यू मौडल औफ कम्यूनिटी ओन्ड ईकोटूरिज़्म इन रीडिफायनिंग टूरिज़्म - एक्सपीरियेंसिज़ ऐंड इनसाईट्स फ्रौम रूरल ऑरिज़्म प्रौजैक्ट्स इन इंडिया*, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली।

4. उक्त।

5. उक्त।

6. राजीव रावत (2004)। उच्च हिमालय में सांस्कृतिक जीवन व सतत आजीविकाओं के लिए नंदा देवी अभियान, *अलायंस फौर डैवलपमैंट*, देहरादून।

7. उक्त।

8. उक्त।

9. उक्त।

10. उक्त।

11. http://mountainshepherds.prayaga.org/trek-options/

12. वैज्ञानिक नाम *कौर्डिसैप्स साईनैन्सिस*। यह एक फफूंद है जिसे चीनी दवाइयों में उपयोग किया जाता है। चीनी भाषा के इस नाम का मतलब है ''सर्दी में कीड़ा, गर्मी में पौधा'', www.plantlife.org.uk/international/assets/med-plants/projects-case-studies/AERF%20project/Final-Report-AERF.pdf, से 27 अप्रैल 2009 को जानकारी प्राप्त की गई।

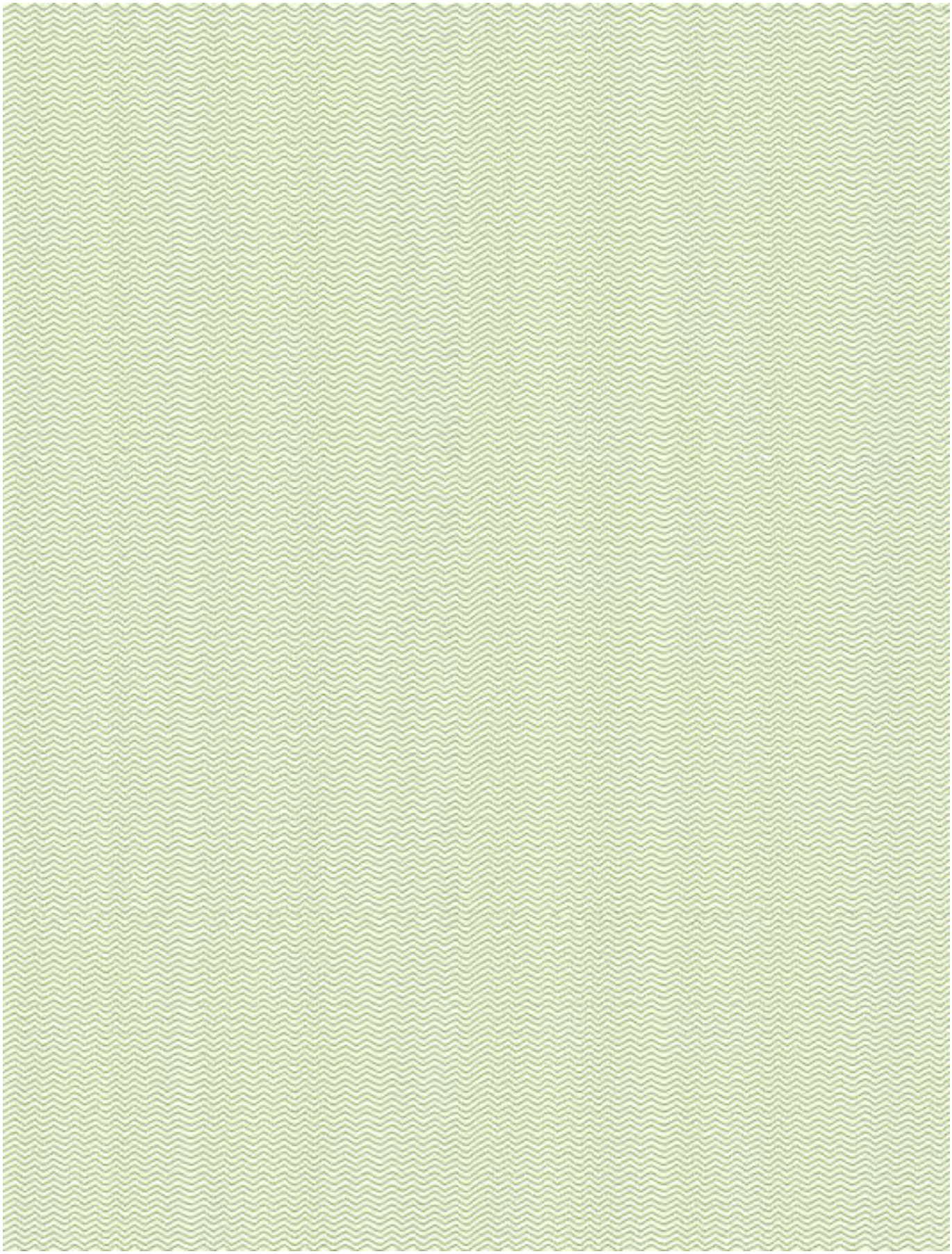

भाग – ख

1.

पर्यटन,
व्यापार और भूमण्डलीकरण
जैवविविधता पर प्रभाव :
एक अंकीय नाटक

इक्वेशन्स द्वारा
2009

हम यह समीक्षा 3 भागों में पेश कर रहे हैं :

दृश्य 1 - मंच स्थापना : भूमण्डलीकरण से जुड़ी पूर्वधारणाओं, कल्पनाओं और वास्तविकताओं की जांच।

दृश्य 2 - पटकथा लेखन : संरक्षण विचारधारा की धारा और उसके तात्पर्यों की खोज।

दृश्य 3 - पर्यटन का प्रवेश : पर्यटन, जो भूमण्डलीकरण का प्रतीक है - इस नाटक में क्या भूमिका निभा रहा है - उसके छिपे हुए व प्रत्यक्ष उद्देश्य और उनके लोगों के अधिकारों व जैवविविधता पर प्रभावों की पुष्टि।

अंततः पर्दा गिरता है : संरक्षण शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व अन्य भूमण्डलीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं व पर्यटन उद्योग के लिए कुछ दुविधाएं, सवाल और चुनौतियां।

दृश्य 1

मंच स्थापना :
भूमण्डलीकरण से जुड़ी पूर्वधारणाओं,
कल्पनाओं और वास्तविकताओं की जांच

भूमण्डलीकरण किसी भी तरह से कोई नई विचारधारा या नई विषयवस्तु नहीं है - लेकिन अपने आधुनिक अवतार में अध्ययन करने लायक है - नव उदारवादी पूंजिवाद या कार्पोरेट भूमण्डलीकरण के बढ़ते हाथ। नाओमी क्लीन[1], भूमण्डलीकरण की एक स्पष्ट आलोचक ने पाया कि, ''पिछले 30 साल हमारे समय के सबसे आश्चर्यजनक व सफल स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी रहे हैं - उच्च वर्ग का भूमण्डलीय आंदोलन जिससे कि वे अपने आप को हर अवरोध और जंजीर से आज़ाद करके दुनिया की बेमिसाल दौलत इकट्ठी कर सकें''। यह अवरोध रहे हैं - कर, पर्यावर्णीय नियम-कानून, पूंजि नियंत्रक, व्यापार अवरोधक, और सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण वाली सेवाएं।

उनके अनुसार, यह स्वतंत्रता कार्यक्रम कुछ मूल विचारों (काल्पनिक धारणाएं) पर आधारित है, जिन्हें उत्कृष्ट कौशल व निपुणता से बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि उनके अपने उद्देश्य पूरे हो सकें।

1. पूंजीवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते - जबकि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
2. कि निजि क्षेत्र सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के मुकाबले आंतरिक रूप से ज़्यादा कुशल/असरदार है।
3. ऊपरी स्तरों पर इकट्ठा की गई संपत्ति नीचे तक जाती है।
4. (अगर ऊपर के सभी कारण चूक जाएं तो भी) कोई और विकल्प तो वैसे भी नहीं है!

आर्थिक शास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा उदाहरणित नव-उदारवादी सिद्धांत में कहा गया है, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक सशक्त निजि संपत्ति अधिकारों, आजाद बाजारों और स्वतंत्र व्यापार से बने संस्थागत ढांचे के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा जा सकता है और हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक व्यवस्था में सरकार को ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे निजी संपति अधिकारों और बाजार की संस्थाओं को सुरक्षित रखने व उनको भूमण्डलीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। प्रख्यात भूगोल विशेषज्ञ डेविड हारवे ने व्याख्या की थी कि किस तरह नव-उदारवादी विचारधारा ''बेदखल करके पूंजी एकत्रीकरण'' की प्रक्रिया से पुनः पूंजी का बंटवारा करती है, बजाए इसके कि मजदूर बढ़ाकर और ज़्यादा पैसा कमाया जाए। भारत में भी, पिछले 30 सालों में उद्यमों की बढ़ती आर्थिक व राजनैतिक ताकत के साथ यह नव-उदारवादी सोच, कि बाजार सबकुछ कर सकता है, नौकरशाही की सोच में पैठ जमा चुकी है - योजना आयोग, शैक्षणिक संस्थाओं और भूमण्डलीय संस्थाओं में।

संस्थापित स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत इस प्रकार है: जब एक देश की आर्थिक व्यवस्था बाकी दुनिया के सामने खुलती है, तो उसे उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनने का मौका मिलता है जिनमें उसके पास तुलनात्मक श्रेष्ठता हो। जो जरूरतें घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं हों पातीं उन्हें आयात से पूरा किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता

है कि इसका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावर्णीय सततता पर क्या प्रभाव पड़ेगा - क्या समय के साथ बढ़ते व्यापार के साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरर्णीय सूचक भी सतत रूप से बेहतर होते हैं? कि ''स्वतंत्र व्यापार अच्छा है''- नव उदावरवादी आर्थिक शास्त्र की केन्द्रीय सोच यही है और उसकी सबसे ज़्यादा प्रचलित कल्पना भी। हा-जून चैंग, एक संधिमुक्त अर्थशास्त्री, ने अपनी किताब *बैड समैरिटन्स* [2]में ऐसे काल्पनिक विचारों, जो स्वतंत्र व्यापार के विषय में कुछ बुरा नहीं बोलते, के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पढ़ते दुष्प्रभावों के विषय में काफी जोरदार दलीलें पेश की हैं। उनका कहना हैं, कि आज के सभी विकसित देशों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद - शुरुआत में राष्ट्रीयतावादी नीतियों के माध्यम से संरक्षण, अनुदान व सरकारी नियंत्रण का उपयोग करके ही सफलता मिली। उनका कहना है कि यही देश अब ''जिस सीढ़ी पर चढ़े उसे ही गिराकर'' विकासशील देशों में स्वतंत्र व्यापार और नव उदारवादी नीतियों की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, जबकि वे खुद विकसित बनने के रास्ते में इन प्रक्रियाओं से आगे नहीं बढ़े!

इसके साथ ही, यह जानना जरूरी है कि स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत कम समय में संसाधनों की आर्थिक योग्यता पर निर्भर करता है और आर्थिक विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह इसकी बुनियादी कमजोरी है। अतः हो सकता है, कि छोटे समय के लिए यह अधिकतम उपभोग सुनिश्चित करे - लेकिन लंबे समय के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, विकासशील देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें मजदूर-आधारित उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इसी में तुलनात्मक लाभ है। उनके सामने मूलधन, कार्यक्षमताएं और तकनीक बढ़ाने के कोई प्रस्ताव नहीं रखे जाते, जिससे उनका असल व सतत विकास हो सकता था और जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होती। चैंग का तर्क है, उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में संपन्न देशों का कृषि व्यवस्था को उदार बनाकर गरीब देशों की मदद करने का दृष्टिकोण गलत है - क्योंकि इसके बदले में गरीब देशों को विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटाने पड़ते हैं, कर घटाने पड़ते हैं और आंतरिक विनियम, अनुदान और सुरक्षा की नीतियां खत्म करनी पड़ती हैं। यह नीतियां गरीब देशों के लंबे समय के विकास के लिए अंत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इनका सौदा नहीं होना चाहिए।

तो फिर इस सब का मौजूदा मुद्दे - संरक्षण एवं जैवविविधता से क्या लेना देना है? नव उदारवादी पूंजीवादी भूमण्डलीकरण की प्रगति से आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने की लोकतांत्रिक जगह को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। और अधिक उदारवादिता व और अधिक ''विकास'' की होड़ में पर्यायवर्णीय विनियमन में ढील और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुध प्रयोग से कुछ सीमित लोगों को तो फायदा मिला, पर आम लोगों को नुकसान ही पहुंचा है। इसके अतिरिक्त, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वह है कि किस प्रकार नव-उदारवादी कार्यक्रम हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुके हैं और कैसे वे हमारे सोचने के तरीकों को बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए, *कन्फैडरेशन औफ इंडियन इंडस्ट्रीज* का *सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव* जोर डाल कर कहता है ''यह सत्य है कि गरीबों को उनकी गरीबी से उठाने के लिए तेज.रफ्तार आर्थिक विकास की आवश्यकता है। और यह भी कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं पर आधारित हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे नए उद्यम प्रतिमान लाए जाएं जो तेज.रफ्तार आर्थिक विकास में सहायक होते हुए भी पारिस्थितिकी व मानव हित की क्षमता को चोट न पहुंचाएं।'' जब तेज.रफ्तार आर्थिक विकास को ही गरीबी हटाने का एकमात्र साधन माना जाए तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि *सी.आई.आई.* के *आई.टी.सी. सैन्टर फॉर ऐक्सलैंस इन सस्टैनेबल डैवलपमैंट* पुरुस्कार, 2008[3] के विजेता टाटा स्टील, जे एस. डब्ल्यू, स्टील, विजयनगर और गोवा व ट्यूटीकोरिन में वेदाँता स्टरलाईट रहे हैं। यह तीनों कंपनियां असतत कार्यप्रणालियों और विशाल स्तर पर मानव अधिकारों के हनन के लिए दोषी पाई गई हैं।

बड़ी दिलचस्प बात है कि वर्तमान भूमण्डलीय आर्थिक संकट को आर्थिक त्सूनामी कहा जा रहा है - यह उपमा वाकई में काफी कुछ व्यक्त करती है, क्योंकि इसमें आर्थिक संकट को एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा कहा गया है (जिसे बीमा कंपनियां भगवान की लीला कहती हैं)। इससे एक ही झटके में सभी लालची, शोषक व नियंत्रण और जवाबदारी न रखने की प्रक्रियाओं को माफी मिल जाती है, जिनके कारण पूरी दुनिया को यह और इससे पहले के आर्थिक संकट झेलने पड़े हैं।

भूमण्डलीय आर्थिक संकट के बाद भी यह काल्पनिक धारणाएं अडिग टिकी हैं। यदि हम पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेश, पर्यावरण असर आंकलन, बैंकों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को राहत, विकास परियोजनाओं को स्वीकृति, सत्यम घोटाले में सरकारी रवैये को देखें, तो स्पष्ट है कि यहाँ कुछ नहीं बदला है।

दृश्य 2
पटकथा लेखन

संरक्षण विचारधारा की धारा और उसके तात्पर्यो की खोज

विभिन्न कारणों से संरक्षण ढांचों और सिद्धांतों की जांच की जा रही है। संरक्षण और विस्थापन का जुड़ाव पहला कारण है, खासकर आदिवासी लोगों का विस्थापन या ''सरंक्षण शरणार्थी'' के संदर्भ में। मार्क डोवी[4] का कहना है कि संरक्षण समूहों को प्राप्त राजनैतिक व आर्थिक सहयोग के कारण संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों के माध्यम से ''संरक्षण'' की प्रक्रिया तेजी से फैली। 1962 में विश्व में कुछ 1000 अधीकृत संरक्षित क्षेत्र थे, जो आज बढ़कर 1,10,000 हो गए हैं। संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र 1990 के बाद से दोगुना हो गया है, जिसमें पूरी धरती की 12 प्रतिशत भूमि,

लगभग अफ्रीका की पूरी जमीन के बराबर क्षेत्र, 'संरक्षण' के अंतर्गत है। पहली नजर में तो ऐसी भूमि और प्रकृति का संरक्षण अच्छा लगता है, पर जब इसका विश्व के आदिवासी लोगों पर प्रभाव का आंकलन किया जाए, तब पता चलता है कि यह सारी भूमि पहले इन लोगों की थी जो अब विश्व के 60 लाख 'संरक्षण शरणार्थी' बन गए हैं। भारत में कुल 650 संरक्षित क्षेत्र हैं[5] (96-राष्ट्रीय उद्यान, 508 वन्यजीव अभ्यारण्य, 29 बाघ आरक्षित क्षेत्र, 14 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र और 3 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र) और विश्व के लगभग 20 लाख संरक्षण शरणार्थी हैं।

इस प्रकार का संरक्षण विवादित ''बीहड़ जंगल'' के सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्यों को मुख्यत: आक्रामक प्रजाति के रूप में देखा गया है, जो अछूते क्षेत्रों पर अतिक्रमण करते हैं और जिनकी गतिविधियां जैवविविधता के विनाश का कारण बन जाती हैं। इसके आधार पर मनुष्यों को जैवविविधिता संपन्न क्षेत्रों से बाहर रखने या ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रकृति के संरक्षण में परस्पर लेन-देन के रिश्ते से आदिवासियों की भूमिका - धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक - का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है और न ही उनके इतिहास का दस्तावेजीकरण किया गया। इसीलिए उनके ज्ञान और भागीदारी को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन या वैज्ञानिक ज्ञान में शामिल भी नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासियों की जंगल बचाने के लिए वन अधिकारियों से मुठभेड़

सदियों से बैगाचाक क्षेत्र के 52 वन ग्रामों में रह रहे बैगा समुदाय ने कभी सोच-समझकर वन संरक्षण नहीं किया था। इस समुदाय, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सामनापुर, करंजिया और बाजग खण्डों में रहते हैं और जिनकी कुल जनसंख्या 30,000 से 35,000 है, के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जंगलों ने इन लोगों की सुरक्षा की, ना कि लोगों ने जंगलों की। पूज्य पेड़ों को न काटना और वनोपज एकत्रीकरण के नियम उनके लिए धार्मिक परंपराएं रही हैं, संरक्षण प्रणाली नहीं।

और फिर वन अधिकारी यहाँ आए। विभाग ने उनसे मजदूरी पर वन कटवाए, जिससे कि वह व्यापारिक रूप से बहुमूल्य साल का पौधारोपण कर सकें और ठेकेदारों ने उन्हें आंवला, चार/चिरौंजी और औषधीय पौधे इक्ट्ठे करने के लिए पैसे दिए। ''हमें बताया गया कि वन सरकार की संपति है, नानकी बाई, पौंडी गाँव की अस्सी बरस की बूढ़ी कुलमाता ने कहा।''

लाभकारी लताओं और औषधीय पौधों के खत्म होने के साथ-2 यह समुदाय भी गरीब होने लगा। 'अब हमें ज़्यादातार वन विभाग व ठेकेदारों की मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है' रांजरा गावं के वृद्ध फागू घोलू बैगा का कहना है। धीरे-धीरे ज्वलंत होती यह असंतुष्टि 1995 में हुए साल के कीड़े के संक्रमण के समय अपनी

चरम सीमा तक पहुंच गई। वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार, इस संक्रमण ने क्षेत्र के एक तिहाई वनों को तबाह कर दिया। लेकिन बैगा एक दूसरी ही कहानी बताते हैं - 'हमें स्वस्थ पेड़ों को भी काटने के आदेश दिए गए। संक्रमित पेड़ों की दुगुनी संख्या में स्वस्थ पेड़ काटे गए,' अजगर गाँव के गोंडी सिंह राथूरिया ने बताया। 'हमने इतने बड़े पैमाने पर पेड़ कटान कभी नहीं देखा था।' कई गाँवों में विद्रोह की आग फैली पर अधिकतर जगहों पर उसे आसानी से काबू कर लिया गया।

गाँव वाले सावधान हो गए। उन्होंने अपने बीच वनों के विनाश के कारणों की चर्चा शुरु कर दी। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि लताओं और बेलों के कट जाने से क्या नुकसान हुआ। अजगर गाँव, जिसका नाम उसके घने लताओं से भरे जंगल में पाए जाने वाले अजगर सांपों के नाम पर पड़ा है, के एक वृद्ध वैद्य बीर सिंह सरोड़िया ने बताया, 'लताओं से ज़मीन और हवा में नमीं बनी रहती है, उनमें जानवरों को छिपने की जगह मिलती है और क्योंकि वे पेड़ों पर लिपटी होती हैं, तो पेड़ों को काटना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनके कारण जंगल में घुसना मुश्किल हो जाता है'। सिन्हर, कनियाकंद, गीथ और खिरची की बेलों से हमें फल, बीज, रेशे और कंद मिलते हैं, जो हमारे आहार में अनाज की कमी का एक पौष्टिक विकल्प हैं। सिन्हर के पत्तों से पत्तलें भी बनती हैं और छत बनाने के काम भी आती हैं।

बेलों के खत्म हो जाने से क्षेत्र के दलदल वाले क्षेज भी सूख गए। इन दलदलों में तेजराज, भोगराज, कामराज, बड़ा सुखरा, हाथा जोड़ी, ऐंठी, तेलियाकंद, काली हल्दी, काली भूलन, सतवार और मूसली जैसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का भंडार हुआ करता था। यहाँ पर हर बीमारी के लिए इलाज मिलता था। एक समय में, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले 61 प्रकार के औषधीय पौधों में से अब केवल 10 से 12 ही बचे हैं।

अन्य उपयोगी पेड़ व पौधे, जैसे आंवला, हरड़, सुरै, डूमर, सेब पत्थर, आम और बांस भी लगभग खत्म हो गए और कुछ जंगली सब्ज़ियां भी। ङ्घहमारे मिश्रित जंगल हुआ करते थे,ङ्घ राझार के सरपंच धन सिंह कुशराम ने कहा। 'लगभग 50 प्रजातियों के बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिसमें से अब केवल 23 प्रजातियां ही बची हैं। अब हर हज़ार पेड़ों में 920 साल के पेड़ हैं।'

अगला कदम था संरक्षण के नियम बनाना। जिंदा पेड़ों या बेलों की कटान पर रोक, परिपक्व न होने पर वनोपज एकत्रित करने पर रोक, वन अग्नि और चोरी रोकने के लिए जंगलों में गश्त लगाना। ठेकेदारों पर बाहर से मज़दूर लाने पर प्रतिबंध लगाया गया और गाँव वाले भी देखभाल के वनोपज एकत्रित करते थे। उन्होंने आंवला, आम, बांस और चार के पेड़ों का पौधारोपण भी किया।

इसके परिणाम भी प्रोत्साहित करने वाले थे। ढाबा, कन्हेरी और रजनी सराय गाँवों में 2001 से 2002 के बीच शुरु किए गए संरक्षण प्रयास के तीन साल के अंदर ही तालाबों में पानी वापस आ गया। यह प्रयास 12 गाँवों में शुरु किया गया था। गाँव वालों द्वारा संरक्षित 3,200 हैक्टेयर क्षेत्र वन में लुप्त हो गई प्रजातियां फिर से पैदा हो रही हैं। 'अब हमें जंगलों में लाख, चार, तेंदु फल, मूसली और कंडा मिलता है,' ढाबा के चारू सिंह नंदिया ने बताया। कम-से-कम 20 सालों तक निर्विघ्न संरक्षण प्रयास से ही यह जंगल पुनः स्वस्थ हो पाएंगे।

लेकिन बाधाएं और विघ्न तो हैं। पिछले कुछ सालों में वन अधिकारियों और गाँव वालों के बीच कूपे कटान को लेकर झगड़ा चल रहा है - वन विभाग द्वारा नियमित पेड़ कटान जिससे कि पुनर्जनन को बढ़ावा मिले - पर गाँव वाले कहते हैं कि यह लकड़ी निकालने की प्रक्रिया है। ढाबा में 2004 में कटान के लिए 4000 पेड़ चिह्नित किए गए थे। जब गाँव वालों ने मांग की कि वे खुद पेड़ों को चिह्नित करेंगे, तो वन विभाग 25 कि.मी. दूरी के रजनी सराय गाँव से मज़दूर ले आया। एक राजस्व अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और कुल 200 पेड़ ही काटे गए। रजनी सराय में पिछले साल चिह्नित पेड़ों में से केवल आधे ही काटने दिए गए। रांजड़ा में जब 2007 में 3000 पेड़ों की कटान की घोषणा की गई तो लोगों ने आपत्ति उठाई। लंबी और खींचतान भरी सौदेबाज़ी के बाद बहुत कम पेड़ काटने दिए गए। रांजड़ा के लल्ला सिंह ने कहा, 'आधा ट्रक ही लकड़ी बनी'। अब एक और संघर्ष की तैयारी है। रांजड़ा के निवासियों ने बताया है कि वन अधिकारियों ने अक्तूबर - नवंबर 2008 में चुपचाप एक कूपे को चिन्हित कर लिया। अजगर, पौंडी, टोला, कंडावानी, तूमाटोला और कन्हार से भी पेड़-कटान के मामले में भिंड़त की रिपोर्ट मिली है।

अनिल गर्ग, एक वकील जिसने क्षेत्र के वन-भूमि रिकार्ड़ों और कूपे में पेड़ कटान का अध्ययन किया है, के अनुसार विभाग अभी भी औपानिवेशिक वन प्रबंधन तरीकों के आधार पर लकड़ी कटान पर ही ध्यान दे रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की कार्यकारी योजनाओं में वन विभाग ने आज तक मिश्रित जंगलों को ययनिम्न स्तरीय 'वनों की तरह ही देखा है। अधिकारी आज तक यह मानते हैं कि उनकी कार्यकारी योजनाओं में लताओं और अन्य ययनिम्न स्तरीय' प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है - यह ऐसी प्रजातियां हैं जो बैगाओं की आजीविकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ जैवविविधता प्रकोष्ठों को छोड़कर, कार्यकारी योजनाओं में इन लताओं/बेलों तथा ''बेकार'' झाड़ियों, जो साल व सागवान के बढ़ने में अड़चन हैं, को खत्म करने का सुझाव दिया गया है।

गाँव वालों और वन अधिकारियों के बीच कूपे में पेड़ कटान के तरीकों और फायदों के विषय में भी मतभेद है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका उद्देश्य जंगल की वृद्धि करना है और इसका लकड़ी निकालने से कोई मतलब नहीं है। पेड़ कटान वन-वर्धन के तरीके से, विस्तृत अग्रिम कार्यवाही के साथ किया जाता है, जिसमें तने को पुनर्जनन के लिए ठीक से ढंका जाता है, ''डिंडोरी के वन मंडल अधिकारी पी.जी.फूलजले ने

कहा। बैगाओं का कहना है कि कूपे कटान से भारी विनाश होता है।'' जब कोई पेड़ काटा जाता है तो बेलें भी मर जाती हैं। गिरता हुआ पेड़ औषधीय पौधों और छोटे पौधें को भी दबा देते हैं। इससे पक्षी व वन्यजीव भी डर जाते हैं और पुनर्जनन में देरी होती है। लकड़ी ले जाने वाले ट्रक भी छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ''रांजड़ा के सरपंच और वहाँ के वन अध्ययन समूह के मुखिया जुगलाल निगुनिया का कहना है।''

गाँव वाले पेड़ों की कटान के लिए निर्धारित मापदंड को भी गलत मानते हैं, जिसमें से एक है, साल पेड़ों की गोलाई 120 सैन्टीमीटर होना। अधिकारियों के अनुसार, इस स्तर पर पहुंचकर पेड़ बढ़ना बंद कर देता है और उपयोगी नहीं रहता। गाँव वालों का कहना है कि साल के पेड़ 25 साल में इस आकार तक पहुंचते हैं। और उनकी उम्र इससे कहीं ज़्यादा होती है। ''पुराने पेड़ों में पक्षी, बेलें और वन्यजीव पलते हैं,'' रांजड़ा के लल्ला सिंह ने कहा। सुनील बक्शी, वन विभाग के छिंदवाड़ा स्थित मानव संसाधन केन्द्र के निर्देशक और वनस्पतिशास्त्री, का कहना है कि साल के पेड़ 100 सालों से भी ज़्यादा जीते हैं पर जब उनकी गोलाई 120 सै.मी. हो जाती है, तो उनका तना बीच से खोखला होने लगता है, जिससे उसकी लकड़ी की कीमत कम हो जाती है।

जवाबी कार्यवाही के डर से बैगाओं ने कूपे में पेड़ कटान का पुरजोर विरोध नहीं किया है, पर वे जोर देते हैं कि पेड़ कटान नियमों के आधार पर और उनसे चर्चा करके की जाए।

ट्री इज़ नौट टिंबर, अपर्णा पल्लवी, *डाऊन टु अर्थ*, प्रकरण 17, अंक 18, 3 फरवरी 2009 से उद्धरित अंश।

बाघ बनाम आदिवासी चर्चाएं भी इसी प्रकार की दुष्क्रिय सोच का नतीजा हैं। उससे भी ज़्यादा दुष्क्रिया रहा है वन अधिकार अधिनियिम को भारत के अलग-2 न्यायालयों, और सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के माध्यम से संरक्षण संस्थाओं द्वारा चुनौती दिया जाना, जिसमें बी.एन.एच.एस. भी एक है। इन याचिकाओं के अध्ययन से पता चलता है कि काफी दलीलें पूर्णतया ''बीहड़-जंगल'' अवधारणा पर आधारित हैं और दु:ख की बात है कि वे काफी उच्छिष्ट वर्गवादी और घमंडी वियारधारा से भरे हैं - कि संरक्षण वैज्ञानिक और उच्च अधिकारी सब का भला जानते हैं। अधिकारों और सदाचार के मुद्दे ज़्यादातार अनदेखे दिए जाते हैं। साथ ही संरक्षण वैज्ञानिकों द्वारा इन मुद्दों पर लिए जा रहे अनन्य निर्णयों के अधिकार और औचित्य पर भी कोई सवाल नहीं उठता।

विश्वसनीयता ख्त्म हो जाना भी एक मुद्दा है। संरक्षण में हमेशा से ही काफी पैसा रहा है और अब यह और भी बड़ा व्यापार बनता जा रहा है। बड़े पैमाने पर बड़ी संरक्षण संस्थाएं बड़े उद्यमियों के साथ सहभागिता करती दिख रही हैं, जिससे तृणमूल स्तर पर उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है।[6] सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कंपनियों के प्रबंधक अधिकारी पर्यावर्णीय संस्थाओं के बोर्ड पर कार्यरत हैं। *फ्रैन्ड्ज़ औफ द अर्थ इंटरनैशनल*, विश्व के सबसे बड़े तृणमूल आंदोलन, ने हाल ही में *इंटरनैशनल यूनियन फौर नेचर कन्ज़रवेशन (आई.यू.सी.एन.)* की सदस्यता से, उसकी शैल व रियो टिन्टो कंपनियों के साथ साझेदारी के कारण, अपना नाम वापस ले लिया। ये दोनों कंपनियां कई देशों में अपनी असतत उद्यम प्रणालियों और मानवाधिकार हनन के लिए बदनाम हैं।[7] आई.यू.सी.एन. के मामले में सुना है कि जब उनके इस निर्णय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने झूठे से भी बड़े उद्यमों को बदलने की अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश नहीं की। एक अंदरूनी आई.यू.सी.एन. दस्तावेज़ के अनुसार, अगर शैल ने कानूनी कार्यवाही की तो, 'हम मुख्य आर्थिक सहयोग (लगभग 120 लाख डौलर) खो देंगे'। '(आई.यू.सी.एन. के लिए) अनपेक्षित आर्थिक प्रभाव होंगे।' डब्ल्यू. डब्ल्यू.एफ. पर भी उसकी *राउन्ड टेबल फौर रिस्पौंसिबल सौय, मौनसैन्टो ऐंड सिन्जैन्टा* में भूमिका पर नज़र रखी जा रही है। उसे इस *राउन्ड टेबल* के पूरे सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जो जी.एम.ओ. कार्यकर्ताओं के अनुसार, अपने आप में एक विरोधाभास है।

पैसा और विज्ञान सैद्धांतिक रूप से निष्पक्ष होने का दावा नहीं कर सकते। आर्थिक सहयोग की राजनीति और अध्ययन व जनवकालत को आर्थिक सहयोगियों द्वारा प्रभावित करने की संभावना को आसानी से नहीं नकारा जाना चाहिए। उदाहरणत:, जहाँ एक ओर भारत के अधिकांश संरक्षणकर्ताओं ने वन अधिकार अधिनियम और उसके संभावित प्रभावों का बढ़-चढ़ कर विरोध किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े अंशों को आसानी से खदान, पैट्रो-कैमिकल, बागान उद्योगों और अन्य उद्योगों को दिए जाने का कोई विरोध नहीं किया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनों को अन्य कार्यो के लिए देने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। 1981 के बाद से हुए गैर-वानिकी कार्यो के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं (हैक्टेयर में)[8]।

1981 - 1990	270991	24 प्रतिशत
1991 - 2000	243245	21 प्रतिशत
2001 - 2007	625941	55 प्रतिशत
1981 - 2007	1140236	

पिछले 10 सालों में 73 प्रतिशत हस्तांतरण खदान के लिए हुआ है। इस समय में उद्योगों के लिए भी बड़ी संख्या में हस्तांतरण किया गया है। अगर इसे हाल के कुछ चौंका देने वाले आंकड़ों से मिलाया जाए (नीचे कोष्ठ देखिए), जिसमें 2008 की राष्ट्रीय खदान नीति के बाद जल्दबाज़ी में खदान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, तो देश में संरक्षण की स्थिति में भविष्य में काफी कमज़ोर होती नज़र आती है।

2008 में रिकार्ड 441 खदान परियोजनाओं की स्वीकृति; 63.94 प्रतिशत बढ़ोतरी।

खदान और अन्य मूलभूत सुविधाओं की परियोजनाओं को ज़मीन दिए जाने के खिलाफ आंदोलनों के बावजूद; राजस्थान, उड़ीसा, कर्णाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड़ और महाराष्ट्र राज्य खनन परियोजनाओं के मुख्य गंतव्य बने हुए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2008 में 441 खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जो 2007 में स्वीकृत 269 खनन परियोजनाओं से 63.94 प्रतिशत की रिकार्ड बढ़त है।

441 में से लगभग 369 ऊपर के 8 राज्यों में ही प्रस्तावित हैं। यह स्वीकृति 2006 की पर्यावरण असर आंकलन अधिनियम के अंतर्गत दी गई। खनन स्वीकृतियों के पीछे मुख्य कारण यह है कि केन्द्र ने 13 खनिजों के खनन को निजि कंपनियों के लिए खोल दिया है, जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए आरक्षित थे। इसमें कच्चा लोहा, मैंगनीज़, क्रोम ओर, सल्फर, सोना, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मौलिब्डनम, टंग्स्टन, गिलैट और प्लैटिनम शामिल हैं।

सूचित स्रोत से पता चला कि, खनन स्वीकृतियों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 2008 की खनन नीति है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र उच्च स्तरीय कमिटि की रिपोर्ट के आधार पर रौयल्टी की दरें भी बदलने वाला है। आर्थिक सहायता संस्थानों से सहयोग लेने के लिए खनन एक मान्य गतिविधि है। लेकिन आजतक केवल उन्हीं खनन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई है, जो बड़े पैमाने पर खनन मशीनों, उपकरणों और भवनों का उपयोग करते हैं।

सरकार का प्रस्ताव है कि खनन विकास तथा खनन के पूर्व आवश्यक अध्ययन के लिए भी वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कई अन्य प्रोत्साहक भी प्रस्तावित किए हैं। चूंकि खनन एक जोखिम युक्त उद्यम है, उसे पूंजि बाज़ार से 'जाखिम राशि' दी जानी चाहिए। खनन कंपनियों द्वारा शुरुआती अध्ययनों को बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उच्च दर वाली धातुओं और दुर्लभ खनिजों के खनन व अध्ययन के लिए विदेशी तकनीकें और विदेशी भागीदारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। भारतीय कंपनियों द्वारा खनन में सहभागी उद्यमों के लिए विदेशी तुल्यात्मक निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

संजय जोग, फाईनैंशियल ऐक्सप्रैस : 5 फरवरी, 2009, मुंबई, http://www.fiancialexpress.com/news/a-record-444-mining-projects-cleared-in-2008-a-rise-of-63.94/419414-0

वैधता और विश्वसनीयता मुद्दों के अतिरिक्त, नव उदारवादी मूल्यों में वर्तमान संरक्षण ढांचे निहित हैं। बाज़ार आधारित संरक्षण को जो विश्वास और महत्व दिया जा रहा है, चाहें वह ईको पर्यटन हो, पर्यावर्णीय सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन, कारबन व्यापार या नया रैड[9] (वनोन्मूलन व वन अवकर्षण के कारण होने वाले उत्सर्ग को कम करना - *रिड्यूस ऐमिशन्स फ्रौम डीफौरेस्टेशन ऐंड फौरेस्ट डीग्रेडेशन*) - इन सभी के पीछे मूल सोच यही है कि एक बार इन्हें बाज़ारी मूल्यों में माप लिया जाए, तो स्वतंत्र बाज़ार का तर्क खुद ही पर्यावर्णीय समस्याओं को हल कर देगा। यह विश्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से स्पष्ट हो जाता है, जैसे सहभागी वन प्रबंधन और ईको विकास परियोजना। और यही तर्क संरक्षण संस्थाएं भी प्रयोग में लाती हैं - संरक्षण प्रयासों के लिए आर्थिक सहयोग लेने के लिए। हमारा मानना है कि ऐसे निहित मूल सिद्धांतों के प्रभावों की संरक्षण वैज्ञानिकों द्वारा ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए।

दृश्य 3
पर्यटन का प्रवेश

वर्तमान पर्यटन प्रतिरूप और नीतियां तथा उनका जैवविविधता व लोगों के अधिकारों पर प्रभाव

पिछले 6 दशकों से, पर्यटन विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आर्थिक क्षेत्र बन गया है। 1950 से 2007 के बीच, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 250 लाख यात्रियों से बढ़कर 9030 लाख हो गया। 2010 तक का अनुमान है कि यह संख्या 10,000 लाख तक पहुंच जाएगी और 2020 तक 16,000 लाख। जहाँ 1950 में सर्वोच्च 15 गंतव्यों में ही 98 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जाते थे, वहाँ 1970 में यह घटकर 75 प्रतिशत हो गया और 2007 में 57 प्रतिशत ही रह गया। इसका मतलब यह है कि इस बीच काफी नए गंतव्य तैयार हुए हैं, जो ज़्यादातर विकासशील देशों में है।

पर्यटन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणी के रूप में उभरा है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के माध्यम से हुई आय ईंधन, रसायन और वाहन उत्पाद के बाद चौथे स्थान पर है।

इन आगमनों से होने वाली कुल निर्यात आय भी इसी रफ्तार- प्रतिदिन 300 करोड़ डॉलर की दर - से बढ़ी है। इसके अनुरूप ही भारत में ये आंकड़े 2008 में 3.37 लाख अंतर्राष्ट्रीय आगमन और कुल रु. 50,730 करोड़ की आमदनी है।[10]

हालांकि भूमण्डलीय आर्थिक आंकड़ों में इसकी बढ़ौतर काबिले तारीफ है, लेकिन इस क्षेत्र की अपनी अस्थिरता या स्थिर नौकरियां बनाने में इसके योगदान, गरीबी हटाने की इसकी क्षमता या इसके हरित दावे कपटी हैं और छलावे से भरे हैं।

पृथ्वी का कोई पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा नहीं है जिसने पर्यटन के पदचिन्ह महसूस न किए हों। पर्यावरण और आदिवासी तथा स्थानीय समुदायों पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को मान तो लिया गया है पर इन अवांछनीय प्रभावों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ज़्यादातर पर्यटन ऐसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है जहाँ प्रकृति अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ

पहुंचना मुश्किल है। ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संवेदनशील हैं तथा यहाँ की जैवविविधता खतरे में है।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारणयों को ईको पर्यटन गंतव्यों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति में स्पष्ट लिखा है - 'वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को भारतीय पर्यटन उत्पाद में महत्वपूर्ण अंग की तरह शामिल करना आवश्यक है। कुछ उद्यानों के प्राथमिक चुनाव के बाद वहाँ पर अतिथि प्रबन्धन नियोजन करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए'।

1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए तो अनुमति है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नहीं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, देश में वन्यजीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च सलाहकार संस्था, ने जनवरी 2002 में हुई अपनी 21वीं बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की सीमा के 10 कि.मी. क्षेत्र को ईको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए - यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के खण्ड 3 (V) और पर्यावरण (सुरक्षा) नियमों के नियम 5 उपनियम 5 (viii) और (x) के अंतर्गत लागू है।ङ्क इसके बावजूद, कई संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि कौरबेट, रणथमभोर, बांधवगढ़, कान्हा, राजीव गांधी नागरहोले, बांदीपुरा, मुदुमलाई और पेरियार में ठीक उनकी सीमाओं के अंदर पर्यटन प्रतिष्ठानों की भरमार है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2(d) के अंतर्गत, वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यो पर प्रतिबंध है, जब तक कि केन्द्रीय सरकार से उसकी स्वीकृति न ली गई हो। अतः पर्यटन टेढे.रास्ते से जंगल के अंदर प्रवेश करता है। इस परिभाषा में गैर वानिकी कार्य की परिभाषा है - जो कार्य संरक्षण में सहायक न हो। अतःयह तर्क देकर पर्यटन से प्राप्त राजस्व को संरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। पर्यटन ने जंगलों में प्रवेश पा लिया है, जबकि वह स्पष्ट रूप से गैर वानिकी उद्देश्य रखता है। अब तो वन विभाग भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और खुद इसका क्रियान्वयन कर रहा है। कई राज्यों में अलग ईको पर्यटन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। लेकिन बहुत कम प्रकोष्ठों के पास संरक्षण एवं जैवविविधता पर पर्यटन का प्रभाव नापने के लिए स्पष्ट रणनीति या कार्ययोजना है। 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भी कई संवेदनशील पारिथ्स्थतिकीय तंत्रों में ईको पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और उसके नकारात्मक प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं है।

कौरबेट में बाघ को नरभक्षी घोषित किया गया, वन विभाग ने पर्यटकों के दबाव को दोषी ठहराया

कौरबेट राष्ट्रीय उद्यान में लगातार बढ़ते पर्यटकों के दबाव के परिणाम सामने आने लगे हैं - जब एक बाघ को ''नरभक्षी'' घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड वन विभाग ने यह माना है कि उत्तर भारत का तराई क्षेत्र, जिसमें विश्व की सबसे घनी बाघ जनंसख्या है, में अपूर्व स्तर पर मानव-जानवर मुठभेड़ की स्थिति बनती जा रही है।

बाघ को नरभक्षी तब घोषित किया गया तब उसने बफर क्षेत्र में गई एक महिला पर हमला किया। इससे पहले भी इस बाघ ने मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगों पर हमला किया था। ङ्कअब हमारे पास इस स्थिति से निपटने के लिए सभी विकल्प हैं। अगर उसे पकड़ा न जा सका तो उसे मार दिया जाएगा, कौरबेट आरक्षित क्षेत्र के निर्देशक विनोद सिंघल ने कहा। लेकिन उनका कहना है कि समस्या मानव रचित ही है।

यह बाघ (पर्यटकों को लाए) हाथियों की मौजूदगी पसंद नहीं करता था और उन पर हमला करता था। धीरे धीरे उसका मनुष्यों का डर खत्म हो गया। उद्यान में पर्यटन से काफी समस्या है। इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उन्होंने जोड़ा।

इंडियन एक्सप्रैस में पहले खबर आई थी कि किस प्रकार कौरबैट में बढ़ती पर्यटक प्रतिष्ठानों की संख्या के कारण, बाघ संरक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है, चूंकि कौरबेट विश्व के प्रसिद्ध बाघ आरक्षित क्षेत्रों में गिना जाने लगा है।

नेहा सिंह, 9 फरवरी, 2009 http://www. indianexpress.com/news/tiger-declared-maneater-in-corbett-forest-dept-blames-tourist-pressure/420907

संरक्षित क्षेत्रों के अंदर ''पर्यटन मंडलों'' के बनने से संरक्षण के उद्देश्यों और विस्थापित समुदायों के अधिकारों के बीच अंतर्द्वंद्व और भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमंडलीय उद्योग की उपस्थिति को वैधता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि आदिवासियों और स्थानीय समुदायों को आक्रामक रूप से वनों से निकाला गया। इक्वेशन्सद्वारा उत्तराखण्ड (कौरबेट) मध्य प्रदेश (बांधवगढ़, पेंच, कान्हा), कर्णाटक (नागरहोले) और छत्तीसगढ़ के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में किए जा रहे अध्ययन के दौरान भी इन क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा रहा था।

पर्यटन एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जो पूरी तरह प्राकृतिक पूंजी (मानवीय तथा पारिस्थतिकीय) पर आधारित है। और इसलिए इस संदर्भ में सततता का मुद्दा बहुत आवश्यक है। भूमण्डलीय स्तर पर पर्यटन पर्यावरण अंतर्संबंधों में बढ़ती रूचि पर ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। खासकर पर्यटन और मौसमी बदलावों के बीच कड़ियों के विषयों में बढ़ती चिंता के संदर्भ में। और इसी संदर्भ में एक और प्रवृत्ति जन्म लेती दिखती है जब सततता के सवाल पर पर्यटन में वर्गभेद का पहलू जुड़ जाता है। सतता के नाम पर नीति निर्माता उच्च कीमत वाले कम पर्यटकों की बात करते हैं। भारत की कई पर्यटन नीतियों एवं नियोजन दस्तावेजों में यह बार बार दोहराया गया है। यह एक प्रकार की नव उपनिवेशवादी सोच को हरित कारणों के नकाब में पेश करने की कोशिश है, क्योंकि इसमें केवल खर्च करने की क्षमता के आधार पर ही यात्रा करने की योग्यता को

जोड़ा गया है। पर्यावर्णीय विनाश की सच्चाई का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रभावों को समझकर इन्हें तोड़ा जाए।

और अधिक भूमण्डलीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एवं उद्योग संस्थाएं, जैसे कि *वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कांउन्सिल* तथा *यू.एन. वर्ल्ड टूरिज्म औरगेनाईजेशन*, निरंतर भूमण्डलीय दिशा निर्देश और समझौतों का सहारा लेकर ही सततता और पर्यावरण के प्रति अपनी वचन बद्धता का दिखाववा करती रही हैं। ज़रूरी है कि हम इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनमें काफी जानकारियां हैं। पर्यटन से जुड़े मुख्य भूमण्डलीय दस्तावेजों में दो मुख्य विचार धाराएं प्रचलित हैं :

- कि वे स्वतंत्र बाजार के मूल को बढ़ावा देते हैं और व्यापार व निवेश के क्षेत्र में रियायतों को खत्म करना चाहते हैं।
- कि प्रयास स्वैच्छिक और उद्योग द्वारा निर्देशित हों।

यही मूल तत्व 1992 के *ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री* की कार्यसूची में 21वीं संख्या पर हैं (जो कि रियो उद्घोषणा के जवाब में तैयार किया गया)। यही तत्व यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. की भूमण्डलीय आचार संहिता (2001) के भी केन्द्रीय तत्व हैं। यही *कमीशन औन बायोडायवर्सिटि* (सी.ब.डी.) के लिए भी लागू है। सी.बी.डी के पर्यटन ओर जैवविविधताओं पर दिशा निर्देशों को कुआला लंपुर में, 2004 में हुई बैठक में, तृणमूल संस्थाओं और आदिवासी लोगों के आंदोलनों के बावजूद स्वीकृति दे दी गई। इन दिशा निर्देशों में लोगों को जैवविविधता के लिए खतरे के रूप में देखा गया है। और इनमें सुझाव दिया गया है कि पर्यटन से प्राप्त राजस्व से ही गरीबी, और अत: जैवविविधता, के खतरे कम किए जा सकते हैं। पर्यटन के नियंत्रण, रोकथाम व प्रबन्धन, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों के विषय में, कोई सुझाव नहीं है। आदिवासी और स्थानीय लोगों, जो इन जैवविविधता वाले क्षेत्रों में रहते आए हैं, की कीमत पर निजी क्षेत्र और कंपनियों के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं।

अपने देश में पर्यटन मंत्रालय ने खुद को किसी भी प्रकार के नियंत्रण की भूमिका से आजाद कर लिया है और वह केवल विज्ञापन अभियानों के व्यवस्थापक की तरह ही खुद को देखता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संरक्षणकर्ता और नियंत्रण में भूमिका पर वैसे भी कोई विश्वास नहीं रह गया है। उदाहरणों पर उदाहरण से साफ नजऱ आता है कि स्वैच्छिक प्रयास या स्व-नियोजन भी कारगर नहीं है, क्योंकि वे केवल अपने हित में कार्य करते हैं और कुछ नहीं। पर्यटन उद्योग ने अपेक्षाकृत एक हरित मुखौटे की छवि बनाई हुई है, यदि उसका मुकाबला अन्य उद्योगों जैसे खनन और तेल व गैस से किया जाए। इसलिए यह क्षेत्र सबसे कम नियंत्रित क्षेत्र भी है। यह हकीकत है कि तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना (सी.आर.जैड) 1991, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किया गया था, को कमजोर करने की पहली मांग पर्यटन उद्योग से ही आई थी - वे ''विकास रहित क्षेत्र'' के प्रावधान में लगातार ढील की मांग कर रहे थे। इसके बाद लगभग 21 संशोधनों (तनुकरण) के बाद, विकास और तटीय पारिस्थितिकी के बीच लड़ाई में, आखिरकार विकास की ही जीत हुई।

पर्यटन उद्योग ने सभी तटीय राज्यों में सी.आर.जैड. नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है - जिसमें पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र जैसे अंडमान द्वीप समूह शामिल हैं। केरल में, स्थानीय स्वशासन विभाग के चौकसी खंड में विजिंझम पंचायत, जहाँ प्रसिद्ध समुद्र तट गंतव्य कोवलम स्थित है, में अनाधिकृत निर्माण और सी.आर.जैड. भंग करने के 1500 मामले सामने आए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की देश में त्सूनामी राहत व पुनर्वास योजनाओं की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वन एवं पर्यवरण मंत्रालय को सी.आर.जैड को कड़े रूप से लागू न करने और देश की तटीय रेखा पर औद्योगिक गतिविधियों की संख्या बढ़ने के कारण इतने बड़े स्तर पर जानमाल की हानि होने का जिम्मेदार ठहराया गया है (सी.ए.जी., 2006)। लेकिन फिर भी पर्यटन उद्योग द्वारा तटीय क्षेत्र नियंत्रण नियमों के विरुद्ध पर्यटन सुविधाएं बनाने के दबाव को केन्द्रीय व राज्य, दोनों स्तरों के नीति निर्धारिकों और नियोजकों, जो इन नियंत्रण नियमों को पुराना और विकास विरोधी मानते हैं, से खुला सहयोग मिल रहा है।

इस प्रकार जवाबदारी से छूट दिए जाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है पर्यटन को पर्यावरण असर आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना के अंतर्गत ई.आई.ए. से छूट। यह अधिघोषणा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी की गई है। भारत में सभी परियोजनाओं के लिए 1994 में ई.आई.ए. अनिवार्य कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि परियोजनाओं के संभावित पर्यावर्णीय प्रभावों का पहले ही अनुमान लगा कर उन्हें कम करने के तरीके ढूंढे जा सकें। और अगर यह प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा हों, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दी जाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 2006 की अधिसूचना में पर्यटन परियोजनाओं को ई.आई.ए. करने और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेने के लिए अनिवार्य सूची से हटा दिया गया। यह एक पीछे की ओर लिया गया कदम है, क्योंकि पर्यटन परियोजनाओं के पर्यावर्णीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस कदम के बाद नजऱ आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जैसे कि एशियाई विकास बैंक, बड़ी बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं चुपचाप धकेल रहा है - जैसे कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, जिन पर पर्यटन का ठप्पा लगा होने के कारण कम जांच की जाएगी। यह असल में एक खतरनाक प्रक्रिया है और इस पर नजऱ रखने की ज़रूरत है।

पर्दा गिरता है

संरक्षण शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व अन्य भूमण्डलीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गैर

सरकारी संस्थाओं व पर्यटन उद्योग के लिए कुछ दुविधाएं, सवाल और चुनौतियां

नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के ढांचे और सिद्धांत, जो वर्तमान समय में संरक्षण की सोच व कार्यो को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं, वे नीतिगत मुद्दों व समाज के एक बड़े भाग के अधिकारों को दरकिनार कर रहे हैं - उनके अधिकार जो प्राकृतिक संसाधनों व जैवविविधता के असल संरक्षणकर्ता हैं और उन पर निर्भर हैं। वे संरक्षण और जैवविविधता पर असल में पड़ने वाले प्रभावों को भी दर किनार कर देते हैं।

क्या संरक्षण वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक ज्ञान की सीमा लांघकर इन संसाधनों के मूल दावेदारों की बात सुनने को, उनसे सीखने व चर्चा करने के लिए तैयार हैं?

इसी तरह, क्या पर्यटन नीति निर्धारक, नियंत्रक और क्रियान्वयन करने वाले ऐसा करने को तैयार हैं? अगर नहीं, तो सतत भविष्य की संभावना काफी धुंधली दिखती है।

केवल सततता को हरित मुद्दों से जोड़ना काफी नहीं है। ज़रूरी है कि हम पर्यावर्णीय सततता के प्रधान अनुस्थापन से एक न्यायोचित सततता की ओर बढ़ें - एक ऐसा रास्ता अपनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से न्याय, तुल्यता और पर्यावरण पर एकरूपता से जोर दे।

17-19 फरवरी 2009 को बंगलूरू में *बौम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी* की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ''कंजर्विंग *बायोडायवर्सिटी इन अ ग्लोबलाईजिंग इंडिया* '' के सत्र *टूरिज़्म, ट्रेड, ग्लोब्लाईजेशन : इम्पैक्ट्स औन बायोडायवर्सिटी* में प्रेषित मुख्य सैद्धांतिक पेशकष।

अंतिम टिप्पणी :

1. नाओमी क्लीन एक कैनेडा की पत्रकार, लेखक व कार्यकर्ता हैं, जो *कारपोरेट ग्लोबलाईजेशन* के राजनैतिक विश्लेषण व समीक्षा के लिए जानी जाती हैं।

2. बैड समैरिटन्स : द मिथ औफ ट्रेड एंड द सीक्रेट हिस्ट्री औफ कैपिटलजिम, ब्लूम्सबरी प्रैस 2007।

3. http://www.sustainabledevelopment.in/sustainability-awards/winner-08.htm

4. मार्क डोवी, ''*कन्ज़रवेशन रिफ्यूजीज.*'', अध्याय 14, *पैराडाईम वार्स : इन्डिजीनस पीपल्स रैजिस्टैंस टू इकोनौमिक ग्लोबलाइज़ेशन, इंटरनैशनल फोरम औन ग्लोबलाईज़ेशन*, 2005।

5. इक्वेशन्स, 2007 बी

6. उद्यमियों और उद्योगों के साथ काम करने वाले पर्यावरण समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे दावा करते हैं कि वे इन उद्यमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। (http://www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/1990/03/donahue.html)

7. अक्तूबर, 2007 में, आई.यू.सी.एन. ने रौयल डच शैल नामक तेल कंपनी के साथ समझौता किया जिसका उद्देष्य था कंपनी के जैवविविधता संरक्षण कार्यो को बढ़ाना और आई.यू.सी.एन. की विषाल कारपोरेशनो को और अधिक पर्यावरण जिम्मेदारियों के लिए प्रभावित करने की क्षमता को सशक्त करना। इसी प्रकार की साझेदारी होल्सिम, भूमण्डलीय स्तर पर सीमेंट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी, और होटल, फ्रांस की तेल कंपनी के साथ भी की गई, और अभी रियों तिन्टो, विश्व की सबसे बड़ी कोयला खतन कंपनी के साथ समझौते पर विचार चल रहा है।

आई.यू.सी.एन. विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भूमण्डलीय पर्यावरण नैटवर्क है। यह एक लोकतांत्रिक सदस्यता संघ है जिसमें 1000 से ज़्यादा सरकारें और गैर- सरकारी संस्थान सदस्य है, और 160 देशों में 11000 से अधिक स्वैच्छिक वैज्ञानिक हैं। इच कंपनी सैल के साथ साझेदारी का मुद्दा शुरू से ही निवारित रहा। गैर सरकारी संस्थाओं के एक समूह जिसमें फैन्ड्स औफ द अर्थ इंटसैशनल, द नैदरलैंड् स सोसाईटी फौर नेचर ऐंड ऐन्वायरनमैंट, द सिएरा क्लव और इच में स्थापित पर्यावर्णीय एवं विकास सेवा- की संस्था बोथ ऐन्डस, ने इसका विरोध किया। इन गैर सरकारी संस्थाओं के अनुसार शैल के क्रियाकलापों के बड़े स्तर पर सामाजिक एवं पर्यावर्णीय नकारात्मक प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त, तेल निकालने से प्रभावित समुदायों की समस्याओं को इल करने के क्षेत्र में शैल का काफी बुरा रिकार्ड है, उदाहरण के लिए नाईजर डैल्टा में, जहाँ बार-बार वायदा करने के बावजूद शैल में गैस जलाने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया है। शैल ने यूरोपीयन यूनियन की कारबन डायौक्साईड ऐमीशन कम करने की योजनाओं को भी मानने से इंकार कर दिया और वह बढ़ चढ़कर कैनेडा के अत्यंत प्रदूषणकारी तेलीय रेगिस्तानों में निवेश कर रहा है। साथ ही आर्कटिक में भी तेल की खोज की योजना बना रहा है।

[8] पर्यावरण संस्था कल्पवृक्ष ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से यह आंकड़े प्राप्त किए।

[9] नीति- निर्माता, संरक्षणकर्ता और वैज्ञानिकों को रैड से बड़ी ऊंची उम्मीदें हैं - कि यह प्रकरण, जो वनोन्मूलन व वन अपकर्षण से हाने वाले उत्सर्ग को कम करने के लिए देशों की क्षति पूर्ति करने के लिए बनाया गया है, से उष्ण देशों को भारी वितीय सहयोग मिलेगा, जिससे वर्षा- वनों के संरक्षण और गरीब ग्रामीण समुदायों के आर्थिक लाभ के लिए काम किया जा सकेगा।

[10] स्रोत : यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

संदर्भ :

इक्वेशन्स, 2005, बायोडायवर्सिटी एंड टूरिजन गाईडलाईन्स इन द कन्वैनशन औन बायोलौजिकल डायवर्सिटी, अ पोजीश्न पेपर, इक्वेशन्स, बंगलूरू।

इक्वेशन्स, 2007 ए, ईकोटूरिजन ऐंज अ मार्केट- बेस्ड कन्जरवेशन स्कीम ऐग्जिस्टिंग फाईनैन्शिअल इनसैन्टिव्स फौर मार्केट- बेस्ड कंजरवेशन स्कीम्स ऐंड इम्पैक्टस औन कम्यूत्रिटि बेस्ड कंजरवेशन इनिशिएटिव्स: दाओ ईकोटूरिज्म डैवलपमैंट कैपितलाईजेस औन एरिभाज दैट आर कंडावर्ड ऐट द कौस्ट औफ कम्यूनिटीज इन इंडिया अब्रीफिंग पेपर, इक्वेशन्सबंगलूरू।

इक्वेशन्स2007 बी, द टूरिस्ट वैलकम्ड; द आरिवासी ऐम्जाईल्ड ..... अनमास्क्ड : रिफ्लैक्शन्स औन टूरिज्म्स इम्पैक्ट्स औन इंडिजीनस कम्यूनिटी ज इन इंडिया इम्वेशन्स, बंगलूरू।

इक्वेशन्स2008 ए, नौट इन माय बैकयार्ड! हाओ गवर्नमैंट्स ऐंड इंडस्ट्री हैव वौश्ड देयर हैन्ड्स औफ रिस्पौंसिविलीटी इन टूरिज्म : ऐम्स्प्लोरिंग इंडियन रिऐलीटीज , इम्वेशन्स, बंगलूरू।

इक्वेशन्स 2008 वी, नो मोर हौलिडेज फ्रौम अकाउन्टेविलिटी। वी नीड स्ट्रौन्गर एन्टायरनमैन्टल रैगुलेशन फौर टूरिज्म। विश्व पर्यटन दिवस पर जारी किया गया वक्तव्य, इक्वेशन्स, बंगलूरू।

इक्वेशन्स, 2008 सी, लिबरलाईजेशन औफ द टूरिज्म सैक्टर थ्रू इंडियाज ऐन्गेजमैन्ट्स इन आर.टी.ए. ऐड बी.टी.ए. : ऐक्जामिनिंग स्कोप ऐंड पौटैंशिअल इम्पैक्टस (प्रारूप)।

2.

पर्यटकों का स्वागत; आदिवासियों का निश्कासन

भारतीय देशज समुदायों पर पर्यटन के प्रभावों पर चिन्तन

इक्वेशन्स द्वारा
2007

जोहर हम झारखंड के लोगों के लिए
हमारी भाषा के एक सिर्फ एक शब्द होने से बढ़कर है...

... जोहर एक जज़्बात है, एक मनोवृत्ति, एक अहसास है
और स्वागत, आभार, प्रशंसा, एकता एवं
सलामी के भावों की अभिव्यक्ति है

...यह एक शब्द है जिसका हम सर्वप्रथम
प्रयोग तब करते हैं जब हम एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं...

... हमने तुम्हें जोहर कहा
लेकिन हमारे गीत एवं नृत्य, हमारी भाषा और लोककथाएँ
मात्र पुस्तकालयों में सजे किताबों के पन्ने हैं
जिसपर आपके मानवशास्त्री विचार-विमर्ष करते है।
इस तरह, आपने हमारे इतिहास को विकृत कर दिया।
आप हमारी संस्कृति की गलत व्याख्या करते हैं,
और इसे अपने विश्वविद्यालयों एवं सेमीनारों में बिकने की वस्तु बना दिया है

हमने आपको जोहर कहा....

('जोहर' कविता से उदद्धृत-मानव अधिकारों से संबंधित झारखंडी संस्थाओं का घोषणा-पत्र)

हवाई के निवासी[1] क्रेग चैटमैन कहते हैं, देशज लोगों की अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, ना ही वे पर्यटन को बढावा देते हैं। बडे. यात्रा संस्थान अपना काम आकर करते हैं, फिर एक दिन देशज लोगों को अपने हाल पर छोड.कर चल देते हैं। हम एक देशज चिडिय़ाघर बन गए हैं, और मैं इसका कडा विरोध करता हूँ।

बाली के तजोकोरडे राका केरथ्यासा कहते हैं, ''कुछ पर्यटक एवं भ्रमण पर आए लोग बिना हमारे रीति-रिवाजों को समझे हमारे सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में फोटो खींचने के उद्देश्य से शरीक हो जाते हैं। वे ऐसा बर्ताव करते हैं मानो छुट्टी मनाने आए हों।''

आमेजन में टूरिस्ट गाईड्स पर्यटन पर निकले लोगों को भारी बारिश वाले जंगलों में ले जाने का ठेका लेते हैं। पर्यटक उनके पीछे देशज गाँवों में चले जाते हैं, फिर वहाँ के स्थानीय परिवारों के साथ रहने की मांग करते हैं, उनका खाना खाते हैं तथा स्थानीय लोगों से आशा करते हैं कि वे उनका मनोरंजन भी करें। लेकिन गाँव को छोडऩे से पहले सिर्फ थोडा सा दिखावे का भुगतान करते हैं।

न्यूजीलैंड के डीकीहोरो मूलीगन, एक माओरी के अनुसार, हम भगवान से डरने वाले, बडे.आराम से रहने वाले समुदाय हैं। बडे. माओरी नई पीढी के लोगों को पचुर संभावनाओं से परिपूर्ण अपनी संस्कृति की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक कि बहुत से यूरोपीयन जो कई पीढिय़ों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं। आज, पर्यटन के द्वारा लोगों को समृद्ध माओरी संस्कृति एवं रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी मिली हैं।

भारत की देशज आबादी जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत हैं[2] एवं जिनका जीवन सांस्कृतिक, भाषाई, जीवन-शैली एवं कलात्मक विविधता से ओत-पोत हैं, पर्यटन के रूप में उन पर होने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह लेख देशज लोगों के संघर्षों के विषय पर हो रहे चिंतन का रूख पर्यटन की ओर मोडक़र इसे प्रासंगिक बना रहा है - नि:संदेह पर्यटन ने विभिन्न रूपों में इनके शोषण, विस्थापन एवं मुख्यधारा से विलगन में योगदान दिया है। यह लेख इस विषय को तीन भागों में विभक्त कर चर्चा करता है - पहला भाग देशज समुदायों पर पर्यटन के हो रहे प्रभावों को तीन बिन्दुओं - शोषण, विस्थापन और लाभ में हिस्सेदारी पर केन्दित कर, भारत एवं एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सामुदायिक अनुभवों के उदाहरणों के मद्देनजर उनका व्याख्या करता है। भाग दो पर्यटन का देशज समुदाय पर होनेवाले प्रभावों एवं उत्पन्न विवादों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का खाका प्रस्तुत करता है। भाग तीन पर्यटन से संबंधित भारत की वर्तमान की नीतियों एवं कानूनी ढाँचा का विश्लेषण करता है और यह भी जानने की कोशिश करता है कि ये किस प्रकार पर्यटन से जुडे.विषयों एवं संभावनाओं की व्याख्या करते हैं।

प्रथम भाग

पर्यटन ने विश्व भर में देशज समुदायों को किस प्रकार प्रभावित किया है?

देशज का प्रदर्षन

पर्यटन के लिए देशज भूमि को लक्षित करने के चलन के प्रति आगाह करते हुए, डेबोराह मैकलारे ने एक दशक पूर्व लिखा है,[3] विपणन चलन ऐमेज़ोन, हिमालय, उत्तरी थाइलैंड की पहाड़ियों, अफ्रीका के जनजातिय क्षेत्रों एवं कनाडा और आस्ट्रेलिया की आदिम क्षेत्रों की ओर इशारा करती है। पर्यटन को बढ़ावा देनेवाली विज्ञापनें, इन क्षेत्रों के निवासियों को ऐसे व्यक्तियों की तरह जान-बूझ कर पेश करती हैं जो गर्मजोशी से भरपूर हों, मुस्कुराते हों, दोस्ती के इच्छुक हों एवं किसी को भी जोखिम में डालने वाले नहीं हो.... ऐसे लोग जो चापलूस हों और दूसरों की स्वागत के लिए आतुर रहते हों... पर्यटकों को आनंद पहुंचाने के लिए वहाँ हों..... पर्यटन संस्कृतियों का विक्रय करता है - हुला कन्याएं, भटकते जनजातीय लोग, एशियन पहाड़ी लोग एवं अमेरिकी निवासी पर्यटन के कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि जब हम पर्यटन पर जाते हैं, हम एक उत्पाद को खरीदते हैं, ऐसा उत्पाद जिसमें व्यक्ति शामिल हों।

विदेशागत पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन ने देशज लोगों की समृद्ध एवं बहुआयामी संस्कृतियों की ओर ध्यान तो आकर्षित किया है, लेकिन इनका विपणन एवं प्रस्तुति इस तरह किया है जिससे इनकी संस्कृतियां विकृत हों, पारंपरिक रीति-रिवाज निम्नीकृत हों एवं देशज समुदायों को सस्ती चीजें बेचने वाले हॉलीवुड कथानक का पात्र बना दिया है।[4]

यह निर्विवाद तथ्य है कि पर्यटन ने भारत में देशज लोगों एवं उनकी संस्कृतियों को विक्रय हेतु प्रदर्शित किया है। अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देने वाले रंगीन एवं आकर्षक छपी हुई सामग्रियां जिसका प्रकाशन केन्द एवं राज्यों के विभागों ने किया हो, पर गौर करें तो इस संबंध में काफी सबूत पा लेंगे।

''ओड़िसा : भारत की आत्मा'' -
उड़ीसा पर्यटन (1988)

उडिस्रा : भारत की आत्मा - उडीसा पर्यटन (1988)

उडीसा की पुरातनता उसके आदिम लोगों की देन है जो अभी भी घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में वास करते हैं। अपने आदिम तौर-तरीकों के कारण रहस्य बने। उडीसा के ये आदिवासी आज भी न केवल मानव शास्त्रियों एवं समाज शास्त्रियों के लिए रुचि का विषय बने हुए हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटकों के भ्रमण का कारण बन गए हैं जो पर्यटकों की नजर से अभी तक दूर रहे राज्य की मोहक रमणीयता से आकर्षित होकर उडीसा आ रहे हैं।

.... लोक एवं जनजातीय गीत एवं नृत्य आज भी उडीसा में साल भर होने वाले मेले एवं महोत्सवों एवं ग्रामीण उत्सवों के अभिन्न अंग बने हुए हैं और दर्शक इन्हें वास्तविक विन्यास में प्रदर्शित होते देख सकते हैं।

... उडीसा में 62 ऐसे जनजातीय समूह हैं जो आज भी पहाडों एवं जंगलों में अपने पारंपरिक निवासों पर उसी शैली में वास कर रहे हैं जैसा वे वर्षों से करते आए हैं। जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण एक शैक्षिक एवं रोमांचक अनुभव हो सकता है बशर्ते कि आप उनके रीति-रिवाजों में कुछ देर के हिस्सेदार हो जाए ...

''बस्तर: केवल एक पलायन नहीं - एक खोज''- छत्तीसगढ. पर्यटन बोर्ड (2002)

बस्तर - एक ऐसी जगह है जहाँ पर्यटकों के रूकने के लिए उत्तम स्थान हैं, साथ ही उपयुक्त है छुट्टियां बिताने के लिए, आदिवासी भ्रमणों, जोखिम भरे एवं मोटर वाहन से होने वाले यात्राओं के लिए।

... अगर आप जिले में कहीं भी चले जाए आपका सामना निश्चित ही अच्छे तरीके से कपडे.पहने हाट की ओर जाते आदिवासियों से होगा। औरतों को आप खाली पैर सर पर पडे.बोझा के साथ संतुलन बनाते हुए एक सीधी कतार में जाते हुए देख सकते हैं। बहुत सी औरतें सिर पर बास्केट एवं कमर पर बच्चा लटकाए होती हैं। इसके साथ ही आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में गोदना की हुई बूढी महिलाएं एवं चमकीले कपडे.पहने छोटी लडकियों को भी देख सकते हैं ... निश्चित ही एक अदभुत दृश्य।

... आप चाहें तो भ्रमण के दौरान कोश कीट पालन केन्द्रों एवं मानवशास्त्रीय संग्रहालयों का भी भ्रमण बस्तर की आदिवासी संस्कृति का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं ... (भ्रमण संवधित योजना का एक हिस्सा)

... यह एक आदिवासी क्षेत्र है और हमने आपकी आदिवासियों के घर में ही उनके साथ मुलाकात की व्यवस्था कर रखी है। यह नि:संदेह एक बेहतरीन अवसर है उनसे मिलने का एवं उनके संस्कृति के बारे में जानने का।

... सुबह के नाश्ते के बाद, एक जानकार पैलेस गाइड आपको कर्वथा के जनजातीय संसार जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, से परिचय कराएगा। आप की मुलाकात भद और मैत्री के इच्छुक बैगा लोगों से होगी। बैगा जंगल में रहने वाली देशज जनजाति है। आप उनके साथ पिकनिक भोजन का आनंद लें...

... आपकी मुलाकात कुछ स्थानीय बाईसन, होर्न मारिया जनजाति के लोगों से भी होगी जो अद्भुत आनुष्ठानिक नृत्य के लिए विख्यात हैं। होटल में लौटने से पूर्व आपके मनोरंजन के लिए वे नृत्य भी करेंगे...

''भारत का उत्तर-पूर्व: स्वर्ग जो अब तक लोगों की पहुंच से दूर है'' अद्भुत भारत
(पर्यटन मंत्रालय, भारत 2005)

अरुणाचल पदेश: आपतानी जनजातीय घरों का भ्रमण तो जरूरी है। आपतानी अरूणाचल की सबसे विकसित जनजाति है। मर्द एवं औरतें दोनों गोदना करते हैं तथा बांस के नथुने पहनते हैं।

नागालैंड - कोहिमा में किराना का समान खरीदना एक अद्भुत अनुभव है। नागा ग्रामीण औरतों को अपनी जनजातीय वेश-भूषा में विभिन्न उपज एवं जंगली उत्पादों का विक्रय करते हुए देखने के लिए आप थोक बाजार में अवश्य जाएं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छापे गए सामग्रियों से उद्धृत ये कुछ अंश इस बात का गवाह है कि मुख्यधारा में रह रहे लोग पर्यटन के उद्देश्य से किस पकार देशज लोगों को देखते हैं। देशज लोगों को न केवल उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, बल्कि उससे भी गंभीर बात है आदिवासी महिलाओं का मादक प्रस्तुतीकरण। प्रचार सामग्रियां ऐसे वाक्यों 'पारंपरिक जेवर पहने एक रियांग सुंदरी', 'एक मुस्कुराती त्रिपुरा लडक़ी,' 'नर्तकी की पोशाक पहने खासी सुंदरी' या सिर्फ 'आदिवासी महिलाएं' से भरी पडी हैं। इन शीर्षकों के साथ होती हैं पारंपरिक वेश-भूषा में महिलाओं के रंगीन फोटोग्राफ। आदिवासी गाँवों का चित्रण एक रहस्यमयी, स्वर्ग के समान जगह के रूप में किया जाता है जहाँ लोगों को एक अलग ही किस्म की दुनिया का नजारा देखने को मिलता है। इन आदिम लोगों के संस्कृति, लोक साहित्य एवं पारंपरिक मूल्यों के बारे में जो कुछ भी उल्लेख है उसमें मुख्यधारा में रह रहे लोगों के अक्खडपन और ज्ञान के अभाव का पता चलता है। उन्मादीकरण स्पष्ट है - एक पारंपरिक चित्र 'शिल्प-तथ्य' और 'स्मृति चिन्ह', पारंपरिक वेश-भूषा 'पोशाक' एवं अनुवांशिक रीति-रिवाज, एक अनुभव का रूप ले लेती हैं।

विश्व भर में आदिम संस्कृतियों का उत्पादीकरण पर्यटन के लिए विभिन्न रूपों में हो रहा है। केवल कुछ दक्षिणी राज्य ही पर्यटन के द्वारा राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में खासकर अलास्का और हवाई के आदिम लोगों को पर्यटन में आई इस तेजी से होने वाले विकास के राजनीतिक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जोन गौस 'सिडक्सन ऑफ प्लेस' में लिखते हैं, ''अलोहा हवाई लोगों के संबंध में संभवतः सबसे अधिक जटिल एवं विवादास्पद धारणा है। एक पर्यटक के लिए ये सिर्फ अभिवादन और विदाई या फिर 'प्रेम' की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन मानवशास्त्री इसके गंभीर अर्थ निकाल रहे हैं।''[5] आदिम संस्कृति का पर्यटन हेतु शोषण के चलते एवं इनके उत्पाद के रूप में प्रस्तुतीकरण के कारण इनकी भाषा एवं संकेतों का बिना गहराई से अर्थ जाने काफी उपयोग एवं दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार पर्यटन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है वह स्थिति आने वाली है जिसका चित्रण पूर्व में 'जोहर' कविता में किया जा चुका है।

मैक्सिको के विख्यात हुइचल कला का हुइचल आदिवासियों के धार्मिक विश्वास के रूप में चित्रण के बजाय इनका आर्थिक फायदे के रूप में उपयोग एक ज्वलंत उदाहरण है। हुइचल अपने आपको 'भगवान का प्रतिबिम्ब' मानते हैं एवं उनकी कला विश्व के बारे में उनकी पवित्र दृष्टि की ओर इंगित करती है, लेकिन पर्यटन एवं वैश्वीकरण ने उनकी कला को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया है एवं उनको स्मृति-प्रपत्रों में पर्यटकों के रुचि के मद्देनजर छापा भी जा रहा है।

फिलीपींस के पहाडी सागदा क्षेत्र ने एक पर्यटन स्थल का रूप ले लिया है जिससे कांकानेज के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है। सागदा के लोग अपनी पैतृक भूमि का आदर पवित्र करते हैं लेकिन पर्यटन के लिए उत्सुक लोगों ने उनके रीति-रिवाज खासकर खेती से संबंधित रिवाजों पर अपनी दखल बना ली है। यहाँ तक कि उनके पवित्र कब्रगाहों को भी नहीं छोडा है और उनके पूर्वजों की हड्डियों को स्मृति-चिन्ह के लिए ले जाया जाता है।[6]

हिन्द महासागर के अंडमान द्वीप पर जरावा एक लुप्तप्राय जनजाति है जिसके सिर्फ 250 सदस्य ही द्वीप पर रह गए हैं। सन 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने द्वीप की चडमडाती पारिस्थितिकी एवं आदिवासी समुदायों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इनमें शामिल था अंडमान ट्रंक रोड (ए.टी.आर.) का बन्द होना। 1950 में बनी यह रोड दक्षिण एवं उत्तरी अंडमान को जारावी लोगों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों से होकर जोड़ती है। लेकिन द्वीप की प्रशासनिक एवं औद्योगिक इकाइयां सर्वोच्च न्यायालय का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है। जंगली भोजन की समस्या, जंगल आवृत की हानि एवं जरावा लोगों के लिए नई प्रकार की बीमारियां जिनसे लडने की क्षमता उनके शरीर में नहीं हो, के उत्पन्न होने के अलावा ए टी आर ने एक नई योजना जो ''जारवा पर्यटन''[7] के रूप में कुख्यात है की शुरूआत कर दी है। द्वीप पर भ्रमण पर आए लोगों से ए टी आर पर चलने एवं पाशाण युग में रह रहे नग्न आदिवासियों को देखने के आग्रह किए जाते हैं। लेकिन अब जब थोडी जागरूकता आई है प्रशासनिक नजरिया में स्वागत-योग्य परिवर्तन भी आया है। प्रचार सामग्रियों में इनका उल्लेख तो होता है, किन्तु यह भी लिखा होता है उनसे मेल-जोल एवं उनका फोटो खींचना मना है।

भारत में आदिवासी कलाओं को 'मुख्यधारा' में लाने का चलन प्रचलित हो रहा है - एक पर्यटक पुस्तिका के अनुसार, ''बस्तर कला की कुछ सुंदर कृतियां पांच सितारा होटलों की शोभा बढा रही हैं एवं महंगे दुकानों पर उपलब्ध हैं।'' हालांकि पर्यटन का उपयोग कुछ हद तक स्थानीय कला, संस्कृति एवं हस्त-शिल्प को जीवित रखने के लिए किया जा रहा है, उनके उत्पादीकरण का भय एवं उनके वास्तविक अर्थ एवं क्रियाओं में उलटफेर होना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ, भारत की एक आदिवासी महिला के अनुसार उस कमरे में जाने से भय होता है जहाँ उनके पारंपरिक धातुओं से बने देवी-देवताओं के चित्र अथवा मूर्ति रखे हों। कारण यह है कि उनकी मान्यताओं के अनुसार देवी-देवताओं की मूर्ति को गाँव के लोगों की सुरक्षा के लिए गाँव के बाहर रखा जाता है। एक पसंदीदा उत्पाद बनाने से पहले लोगों ने आदिवासियों से उनके विचार एवं अनुभव को भी जानने की जरूरत नहीं समझी।

अपनी भूमि से भूमि–पुत्रों का विस्थापनः पर्यटन बेदखल कर रहा है

टेरी-लीन वीलीयम्स-डेविडसन, एक देशज लेखक देशज लोगों एवं उनके भूमि से संबंध पर उनके विचार को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं... देशज लोगों के लिए पृथ्वी एवं इसके सभी जीवित पक्ष

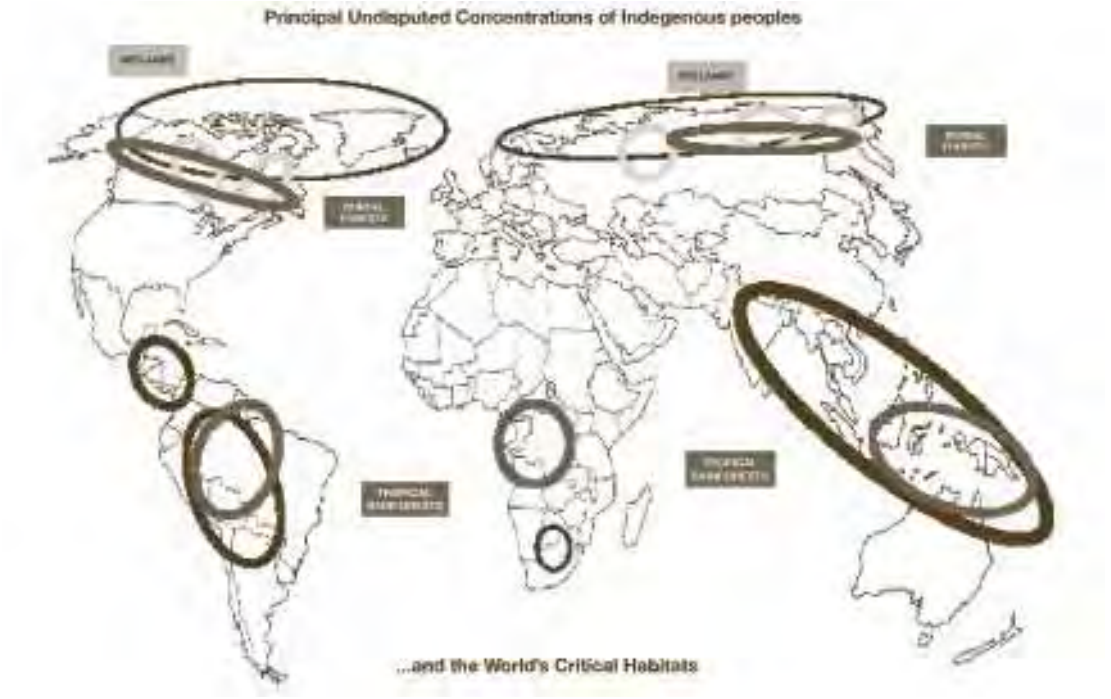

देशज आबादी के प्रदान केन्द्र (भूरारंग) व विश्व के नाजुक प्राकृतिक आवास
स्त्रोत : रस्ल बारश, द वरलडस इंडिजिनस पिपल

महत्वपूर्ण हैं और उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं।[8] जहाँ बडी कम्पनियों ने तेल, दवा और लकडी के लिए इन्हें बेदखल कर दिया है, संरक्षण के विश्वस्तरीय प्रयासों के द्वारा लाखों लोगों को 'संरक्षण शरणार्थी' बनाने का प्रयास भी उतना ही घातक है।[9]

अपने उपयुक्त शीर्षक 'संरक्षण शरणार्थी' से लिखे गए लेख में डाउनी बहुत ही अच्छे ढंग से यह उल्लेख करते हैं कि संरक्षण समूहों को मिल रहे राजनीतिक एवं आर्थिक मदद ने संरक्षण की प्रक्रिया को ''सुरक्षित क्षेत्रों (पी.एस.),'' ''राष्ट्रीय उद्यानों'' एवं ''शरणस्थलियों'' के निर्माण के द्वारा गति प्रदान कर दी है। 1962 में पूरे विश्व में 1000 सरकारी सुरक्षित क्षेत्र थे, आज यह संख्या बढकर 11000 हो गई है। सुरक्षा-कवच में आ रहे क्षेत्रों की संख्या 1990 से दुगुनी हो गई है; यानि पृथ्वी की 12 प्रतिशत भूमि आज 'संरक्षण' के अंदर आ गई है। पहली नजर में यह भूमि एवं 'प्राकृतिक' संरक्षण अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन जबे हम विश्व भर के लोगों पर इनके प्रभावों को ध्यान में रखे तो हम यह मानेंगे कि पूरे विश्व की भूमि पर कभी इन्हीं 60 लाख 'संरक्षित शरणार्थियों' का कब्जा था।

पर्यटन ने पैतृक भूमि से देशज लोगों के विस्थापन के साथ ही इन्हें 'पारिस्थितिकी पर्यटन' के लिए भी खोल दिया है। सभी सुरक्षित क्षेत्र बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं - उनकी नैर्सगिक सुंदरता, वन्य जीव आकर्षण एवं जंगली स्वरूप ने काफी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है। एक स्पष्ट एवं सामान्य रूप से स्वीकृत परिभाषा के अभाव ने 'पारिस्थितिकी पर्यटन' को आकर्षक एवं सामान्य रूप से घातक भी बना दिया है। पारिस्थितिकी पर्यटन संरक्षण के साथ चला है लेकिन संरक्षण के प्रयासों में इसके योगदान पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। पारिस्थितिकी पर्यटन को बढावा मिला क्योंकि इसे वातावरण के उपयुक्त माना गया - इसके द्वारा पारिस्थितिकी-संवेदनशील लोगों को आकर्षित कर उद्योग को बढ़ावा दिया गया, किन्तु जंगल में रह रहे लोगों के हितों पर कुठाराघात भी हुआ। परिस्थिति की पर्यटन संरक्षण से साथ-साथ चल रहा है पर इसका संरक्षण में योगदान असपष्ट व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इसका प्रचार एक 'चिरस्थायी' व 'पर्यावरण के हित में होने वाले पर्यटन' के रूप ने एक छवि खड़ी की है जो पर्यावरण संवेदनशील पर्यटको व उद्योग की ओर ढली है, पर देशज लोगो के हित में नहीं है। यह देशज लोगो के लिए घातक है।[10]

युगांडा के किडीपो घाटी नेशनल पार्क में, इक जनजाति की स्थिति खतरनाक है। पार्क के निर्माण के पूर्व, शिकार एवं जंगली चीजों को इकट्ठा चुनने वाले इस समुदाय के लोग सब्जी, जड.एवं फल-फूल की तलाश में सुडान एवं उत्तरी कीनिया तक घूमते हुए चले जाते थे। घाटी के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा के साथ, इन लोगों को बिना चेतावनी के जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। यूगांडा के नेशनल पार्क के कडे.नियमों के अनुसार पार्क का किसी भी रूप में स्थानीय उपयोग नहीं हो सकता। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों को पहाड़ों पर विपरीत परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पडा। इक का वन्यजीव पर सीमित प्रभाव था क्योंकि वे सिर्फ अपने उपयोग के लिए ही शिकार करते थे, किन्तु आज पार्क में मजे के लिए यूरोपीयन एवं उत्तरी अमेरिकन पर्यटक आते हैं जो शिकार पर बड़े शौक से जाते हैं।[11] एक अनुमान के अनुसार कीनिया की 50 प्रतिशत से अधिक देशज आबादी ने पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अन्य विकास कार्यों के नाम पर किसी-न-किसी रूप में भूमि से बेदखल होने की स्थिति का अनुभव किया है (उत्तरी कीनिया में यह संख्या 60-70 प्रतिशत है)[12] । शोषण एवं भेदभाव के शिकार समुदाय में शामिल हैं - दक्षिणी क्षेत्र के मसाई एवं ओगीक, रीफ्टवैली के एण्डोरीज, इलचामुस, पोकोट, साबोट, सेंगवार समुदाय, उत्तरी कीनिया के बोरोना, घाबरा, रेनडाइल एवं सोमालिस एवं कीनिया समुदी किनारे की नम-भूमि।

भारत में कुल 650 सुरक्षित क्षेत्र[13] हैं जिसमें 196 राष्ट्रीय उद्यान, 508 वन्यजीव शरणस्थलियाँ, 29 बाघ सुरक्षित क्षेत्र, 14 जीव-

मण्डलीय सुरक्षित क्षेत्र एवं 3 संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र शामिल हैं और अनुमानित 20 लाख की संख्या में संरक्षण-शरणार्थी।[14] यह आश्चर्य की बात नहीं कि ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव शरणस्थलियों एवं जीव-मण्डलीय सुरक्षित क्षेत्र जनजातीय लोगों की गृह भूमि है जिनके लिए जंगल उनके जीवन, अस्तित्व एवं इतिहास का आधार है। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिकता के बाद स्वतंत्र भारत सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप जंगलों के बारे में एक नई सोच उभर रही है जो कि देश के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को ही संकट में डाल रहा है। सर्वप्रथम यह सोच पश्चिमी सिद्धान्त पर आधारित थी जिसके अनुसार जंगल एक हरा-भरा मानव-विहीन क्षेत्र है। यहाँ तक कि संरक्षण का मतलब जंगल में निवास कर रहे लोगों को जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकारों से मुक्त कर उन्हें जंगल से बेदखल करना समझ लिया गया।[15]

भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव शरणस्थलियों को पारिस्थितिकी पर्यटन के आकर्षण के रूप में बढावा दिया गया है। 2002 की नेशनल टूरिज्म पॉलिसी स्पष्ट रूप से कहती है - ''वन्यजीव शरणस्थलियों एवं राष्ट्रीय उद्यानों को भारतीय पर्यटन उत्पादन के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए एवं पर्यटन स्थलों के निर्माण एवं पर्यटन प्रबंधन के मद्देनजर उद्यानों के वर्गीकरण के उपरांत मुख्य उद्यानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।'' पारिस्थितिकी पर्यटन के उद्देश्य से देशज लोगों का अपने पारंपरिक भूमि से बेदखल होना एवं इसके परिणामों का इन नीतियों में उल्लेख नहीं है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला एवं समीपवर्ती बालाधार जिले के एक बहुत बडे.क्षेत्र में फैला है और सतपुडा एवं विंध्य में पूर्व से पश्चिम 500 कि.मी. में फैले जंगल आवृत क्षेत्र के अंदर आता है। यह समृद्ध जंगल बैंगा एवं गोंड आदिवासियों की पैतृक भूमि है। बाघ निश्चित ही पर्यटन के हिसाब से आकर्षण का मुख्य केन्द्र हैं और 1974 में सरकार ने इस क्षेत्र को बाघ सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया। आज बाघों के संरक्षण के प्रयासों ने 26 आदिवासी गाँवों (लगभग 5431 वर्ग कि.मी. विस्थापित क्षेत्र में रह रहे 1217 परिवारों)[16] को अपनी भूमि से बेदखल कर दिया है। आदिवासी गाँव जो खेती एवं मामूली जंगल-उत्पादों के संग्रह द्वारा जीविका चला रहे थे बेदखल हो गए हैं एवं जंगल उत्पादनों के संग्रह से इनके निवासियों को वंचित कर दिया गया है। उनको आस-पास के इलाकों में फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है, किन्तु बिना उचित कागजी कारवाई की। हालांकि जीवन कठिन है, एवं जीवन-यापन लगभग असंभव, वन अधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे वेबसाइट के अनुसार ''अगर आप कान्हा में छुट्टी बिता रहे हों तो आपको ऐसा पतीत होगा जैसे कि आप अविस्मरणीय पुस्तक के पन्नों के अंदर जा रहे हों और शेरखान, बाघ, की जंगल में दहाड.भी सुनना चाहेंगे...''[17] वे निश्चित तौर पर विस्थापित आदिवासियों की आवाज की अनदेखी करते हैं।

इसी प्रकार की स्थिति (मध्य प्रदेश के ही) पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों के समक्ष भी उत्पन्न हुई और इसे 1992 में देश का 19 वां प्रोजेक्ट टाइगर रीजर्व घोषित कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1995 में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट[18] के शुरूआत के साथ ही शरणस्थली क्षेत्र के बहुत से गाँवों को योजनाबद्ध तरीके से विस्थापित कर दिया गया।

15 गोंड परिवार, जो परंपरागत रूप से पेंच नदी के किनारे रह रहे थे, को अपने गाँव अलिकाता से विस्थापित कर दुर्गापूर में बसने के लिए मजबूर कर दिया गया।[19] उन्हें बताया गया कि उनको हटाना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। गाँव वाले जिनके पास उपजाऊ, खेती योग्य भूमि थे, आज खेती नहीं कर सकते, ना ही गिरफ्तारी के भय से गाँव में ही जा सकते हैं। पार्क के निर्माण के दौरान गोंड संस्कृति एवं पहचान को नजरअंदाज किया गया एवं गाँवों के और वन विभाग के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वन्यजीव की उचित रूप से सुरक्षा की जा रही है कि नहीं, खासकर तब जब शरणस्थली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।[20]

नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागू एवं मैसूर जिले में स्थित हैं। 32,000 के लगभग आदिवासी राष्ट्रीय उद्यान में अथवा इसके आस-पास रहते हैं। क्षेत्र में रहने वाले मुख्य आदिवासी समूह हैं - जेनुकुरूबस (मधु का संग्रह करने वाले), बेट्टाकुरूबास (कुरूबस पहाडी), येरावास, सोलीगास एवं येरावास की उप-जातियां - पंजेरी येरावास एवं पानी-येरावास। नागरहोल के आदिवासियों को सर्वप्रथम वर्ल्ड बैंक के इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा विस्थापित किया गया। इसी विवादास्पद प्रोजेक्ट ने पूर्व में उन पर कई नियंत्रण लगाए थे जिसमें खेती, शिकार एवं जंगल-उत्पादों के संग्रह पर निषेध शामिल हैं। इस अन्याय के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने 1994 में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भारत के पहले पारिस्थितिकी अनुकूल सैरगाह के निर्माण का ठेका गेटवे होटल एवं गेटवे रिर्साटस (ताज होटल समूह की इकाई) को दे दिया। इस कदम का स्थानीय समूहों एवं आदिवासी संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। कानूनी कार्यवाही भी इन समूहों के द्वारा की गई। नतीजतन उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सैरगाह के निर्माण का कार्य रोकना पडा और पूरे मामले में राज्य सरकार के रवैये पर कडी आपत्ति की गई। नागरहोले निर्णय ने पारिस्थितिकी-पर्यटन के विकास में सुरक्षित क्षेत्र के उपयोग के संबंध में एक नई शुरूआत की किन्तु आदिवासियों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। इस क्षेत्र में उद्यान परिक्षेत्र के आसपास बडी संख्या में पर्यटक सैरगाहों का निर्माण हो रहा है जिससे वन भूमि की न तो सुरक्षा हो पा रही है, ना ही आदिवासियों का कुछ फायदा ही हो रहा है।[21]

ये केस समुदायों एवं सरकारी नीतियों में बढते तनाव को परिलक्षित तो करते हैं, साथ ही भारत में संरक्षण प्रक्रिया को समझने में सहायता भी करते हैं। सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर 'टूरिज्म जोन्स' के

निर्माण से संरक्षण के उद्देश्य एवं विस्थापित समुदायों के अधिकारों में बढ़ते विरोधाभास को बढ़ावा मिलता हैं। इसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंदर कार्यरत एक विश्व उद्योग को कानूनी मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को बल मिला है, जबकि देशज लोग एवं स्थानीय समुदायों को आक्रामक तरीकों से जंगल से बाहर कर दिया गया है।

जब संयुक्त राष्ट्र ने 2002 को इंटरनेशनल इयर ऑफ इकोटूरिज्म (आई वाई ई) घोषित किया, इसका विश्वभर के देशज लोगों ने जर्बदस्त विरोध किया। पर्यटन से उत्पन्न कुछ मूलभूत समस्याओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हुए देशज समूहों ने उद्योग के रूप में एवं इसके पर्यावरण एवं लोगों पर होनेवाले प्रभाव का बिना उचित रूप में मूल्यांकन किए बडे.पैमाने पर पारिस्थितिकी पर्यटन के अनियंत्रित प्रोत्साहन के खिलाफ चेतावनी भी दी थी।[22]

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी क्योंकि विस्थापन के बाद उन्हें पुनः नए तरीके से जीना सीखना होगा। पहले तो वो खुद ही प्रकृति के सहारे अपना जीवन चला लेते थे। पर्यटकों को भीतरी क्षेत्रों में पहुंचाने के उद्देश्य से भौतिक सुविधाओं को जुटाना होगा जिसका पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर बुरा प्रभाव-पडेग़ा। वर्षों बाद, ये आशंकाएँ सही साबित हुई है।

जैविक विविधता का संरक्षण निश्चित ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें पहले मूलभूत सिद्धांतों पर फिर से नजर डालना होगा।[23] भारत में राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन संकल्पना जंगलों पर अमेरिकी अनुभव की नकल है। अध्ययनों को प्रस्तुत करते हुए गाडगिल एवं गुहा अपने पुस्तक 'द फीजर्ड लैंड' में कहते हैं 'जैविक विविधता उन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है जहाँ थोड़ा मानवीय दखल होता है' ... पूर्ण सुरक्षा के विचार के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मार्क डाउनी के अनुसार - ''देशज लोगों की उपस्थिति सुरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा का सबसे कारगार उपाय हो सकता है''।[24] यह स्थिति, वास्तव में, देशज लोगों ने वर्षों से बनाई हुई है।

भारत में संरक्षण के सिद्धांत ने आदिवासियों की प्रकृति एवं इसके विविध स्वरूपों की रक्षा में उनके योगदानों की अनदेखी की है। विभिन्न राज्यों में आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएँ उन्हें प्रकृति से छेडछाड.से रोकती है। उडीसा के कालाहांडी में बाघ को भाई समझा जाता है और उसकी मौत के बाद सामुदायिक शोक मनाया जाता है। इसी तरह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में गोरांग, डोरांग एवं बुची वुडी देवी-देवताओं जो पहाडों, नदियों एवं जंगलों में रहते हैं, की पूजा करते हैं।

दलदली, छत्तीसगढ.के मोती राम बैगा कहते हैं, ''हम पहाडों, पेडों एवं नदियों की पूजा करते हैं। हमारे देवी देवता 'खेर माता' 'खूंट पार' 'ठाकुर देवरा' और 'नंगा बैगा' इन जंगलों और पहाडों पर रहते हैं। वे हमें सारी बुराईयों से बचाते हैं।''

ऐसे समुदाय जो प्रकृति से इतना जुडे.हुए हैं एवं जिनकी धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीतियां प्रकृति को अधिक शोषण से बचाती है, अब अपने ही घर में अतिक्रमण करने वाले समझे जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ.एवं उडीसा जहाँ प्रचुर मात्रा में जंगल, जल एवं खनिज संपदा हैं में आधुनिक विकास ने इन समुदायों को एक किनारे पर खडा कर दिया है। औद्योगिकीकरण, खनन, बांध एवं अन्य बडी योजनाओं के कारण देशज लोगों का बडे.पैमाने पर विस्थापन हुआ है जिससे उनकी जीविका एवं सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भद्र और सभ्य समझे जाने वाले पर्यटकों पर से अगर मुखौटा उतार दिया जाए तो हम पाएंगे कि उनके गृहभूमि पर बिना नियंत्रण के पहुंचने वाले वे शोषक अतिथि हैं।

होने वाले आय में देशज समुदायों का हिस्साः पर्यटन क्या फायदा पहुंचा रहा है?

जहाँ एक तरफ पर्यटन के शोषक स्वरूपों का देशज समुदायों द्वारा विरोध हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर्यटन से लाभ उठाने की जुगाड.में है। परन्तु, वर्तमान के पर्यटन विकास की प्रक्रिया में क्या सामुदायिक हस्तक्षेप एवं सामुदायिक नियंत्रण की कोई गुंजाइश है और क्या इनसे समुदाय को फायदा पहुंच सकता है, क्या पर्यटन के वर्तमान स्वरूप इन समुदायों की संस्कृति एवं पहचान के प्रति संवेदनशील हैं?

पारिस्थितिकी-भ्रमण के नए तरीके इस बात का दावा करते हैं कि धरती की सुरक्षा की जाएगी और स्थानीय लोगों को आर्थिक तौर पर फाययदा पहुंचाया जाएगा। पर, क्या ऐसा होता है? गैर-सरकारी संस्थानों के शोध एवं यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उद्यान प्रबंधन योजनाएँ स्थानीय आर्थिक विकास के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं।[25] यहाँ तक कि ''सर्वाधिक सफल'' उद्यानें जैसे थाईलैंड की खाओ याई नेशनल पार्क जहाँ पर्यटक प्रतिवर्ष 50 लाख अमेरिकी डॉलर लाते हैं के आस-पास रहने वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति खस्ता ही है। खांडा में पारिस्थितिकी पर्यटन से प्राप्त राजस्व का उपयोग उद्यान प्रबंधन में भी होता है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक विकल्पों को तैयार नहीं किया जा सका है। विकास में लगे लोग पारिस्थितिकी पर्यटन के आधारभूत तत्व यानि लाभ में हिस्सेदारी की प्रायः अनदेखी कर देते हैं।

लेकिन जो और भी चिंताजनक बात है वह है पर्यटन के संदर्भ में देशज लोगों के अधिकारों का हनन। टूरिज़्म राइट्स इंटरनेशनल के अनुसार 'पूर्व में ली गई सहमति' अत्यावश्यक है। इनकी अनदेखी के वजह से ही देशज समुदायों की बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष की स्थिति आई है। इसमें शामिल हैंः- संबंधित प्रस्तावित पर्यटन गतिविधियों के बारे में समस्त सूचनाओं (सकारात्मक व नकारात्मक) की उपलब्धता, साथ ही आते संबंधित नीति-निर्माण में पहुंच और भागीदारी, स्थानीय लोगों द्वारा खुद से विकसित पर्यटन मॉडल को सरकारी सहायता, एवं 'ना' कहने का अधिकार। ऐलीसन जॉनस्टन के अनुसार, ''अगर पारिस्थितिकी पर्यटन उद्योग देशज लोगों से स्वतः समुदाय का समर्थन मिल जाने की आशा रखती है तो इसके लिए इसे ख्याल रखना पडेग़ा कि वह किनसे बात कर रही है, इन लोगों के

अनुभव एवं आकांक्षाएँ क्या हैं और स्व-निर्धारण के अधिकारों पर क्यों इतना जोर दिया जाता है। कम्पनियों को यह जानना चाहिए कि व्यवसाय को किस प्रकार एक अच्छे रिश्ते बनाने की पहल के रूप में लिया जाए''।[26]

देशज लोगों द्वारा लाभ में हिस्सेदारी की मांग विभिन्न स्वरूपों में आती है और यह केवल एक पर्यटन परियोजना से ही सीधी तौर पर संबंधित नहीं है। ऐण्डेस देशज लोग फोटो खिंचवाने के एवज में मुआवजे की मांग करते हैं। अतेटानावो की एक महिला कहती है, हम अपने और अपने बच्चों के फोटो पोस्टकार्ड पर देखते हैं। फोटो खिंचवाने से हमें कोई फायदा नहीं होता, किन्तु एक पर्यटक को तो होता ही है। हम लाभ में कुछ हिस्से की मांग करते हैं। उत्तरी भारत के पहाडी क्षेत्रों में पहाडी समुदाय अपने पोशाकों को पर्यटकों को देते हैं जिन्हें पहनकर वे फोटो भी खिंचवाते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। मेक्सिको के आदिवासी लोग अब जागरूक हो गए हैं और पर्यटन के पोन्नयन के लिए बनाए गए सामग्रियों पर अपने मोटिफ और कलाओं के उपयोग के बदले रॉयल्टी की मांग करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे भी पहल हुए हैं जिनसे ''सामुदायिक हित पर आधारित पर्यटन'' ने ''सामुदायिक स्वामित्व'' का रूप ले लिया। बेलीज में टोलेडो इकोटूरिज्म एसोसिएशन (टी.ई.ए.) एक सामुदायिक स्वामित्व वाली संस्था है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन मोपन, केकची एवं गरीफुना गाँवों की संस्थाओं के हाथ में है।[27] टी.ई.ए. का उद्देश्य प्रत्येक भागीदार गाँव के द्वारा पर्यटन से होने वाले फायदा में बडे.पैमाने पर हिस्सेदारी है। पत्येक गाँव के सात से नौ परिवारों को बारी-बारी से गाइड, खाना बनाने एवं मनोरंजन की जिम्मेदारी दी जाती है। इक्वेडर में एक सामानांतर कार्यक्रम सफल हो रहा है। रिकेन्सी (इण्डीजेनसब कम्युनिटी नेटवर्क ऑफ द अपर नापो फार इन्टलेकचुअल एक्सचेंज एण्ड इकोटूरिज्म) की स्थापना एमाजोइनियन एक्वाडोर के नापो प्रोविंस में रह रहे क्वीचुआ समुदायों द्वारा 1993 में किया गया था।[28] उनका लक्ष्य है समुदाय-आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना के द्वारा नौ क्वीचुआ गाँवों में जीवन के स्तर को सुधारना। इसके पहले इस क्षेत्र में भ्रमण विदेशी एजेंसियों के द्वारा होती थी जिसका फायदा गाँव वालों को बहुत कम ही हो पाता था। रिकेन्सी ने स्व-निर्धारित रास्ता अख्तियार कर स्थिति में काफी बदलाव ला दिया है। अब सारे निर्णय गाँव वाले खुद ही लेते हैं। आस्ट्रेलिया के मुताविंजी नेशनल पार्क, हिस्टोरिक साइट एण्ड नेचुरल रीजर्व को 1998 में इनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया। अब इन प्रोजेक्ट को मुताविंजी लोकल एबोरीजनल लैंड कौंसिल चला रहा है।[29] इस संस्था ने अब पार्क में होने वाले सभी भ्रमणों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और ऑपरेटरों को लाइसेंस भी दे दिया है। अफ्रीका में पर्यटन से स्थानीय तौर पर अधिक फायदा उठाने के लिए बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिणी अफ्रीका के सैन समुदाय के सदस्यों ने विभिन्न संस्थाओं से सामुदायिक स्वामित्व वाली ज्वाइंट बेंचर टूरिज्म प्रोजेक्टस की शुरूआत के लिए सहयोग मांगा है।[30] स्वयं के पर्यटन उद्योग की शुरूआत की चाहत अब अन्य क्षेत्रों में रह रहे सैन समुदायों में भी जग गई है। वे न केवल आर्थिक फायदे के लिए ऐसा चाहते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति एवं रीति-रिवाजों की पर्यटकों को जानकारी देने के लिए भी।

भारत के कुछ राज्यों में नागरिक समाज एवं स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्रों में पर्यटन के स्वरूप और तरीकों के निर्धारण का फैसला खुद करने का प्रयास किया है। 2003 में झारखंड के विभिन्न मिलों के देशज समुदायों के कुछ लोगों ने मिलकर 'दीर्घकालीन पर्यटन' पर 'झारखंड वासियों की नीतियां' की संरचना की। इस नीति के निर्माण के लिए पेरक का कार्य किया था क्षेत्र के ही दशम जलपात के करीब बसे पान सकम गाँव के लोग जिन्होंने वन विभाग से काफी जद्दोजहद के बाद जलप्रपात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस नीति में शामिल है, संसाधनों से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच एवं समुदायों द्वारा बनाए जाने वाले 'कोर टीम' का प्रावधान जिसका कार्य योजना बनाना, क्रियान्वित करना एवं उन पर नजर रखना है। यह नीति राज्य पर्यटन विभाग को सौंपी गयी, किन्तु अभी तक सरकार ने इन सुझावों को अपनी कार्यवाही में शामिल करने की दिशा में कोई भी पहल नहीं की है।

इसी तरह से, अराकु पंचायत (आंध्र प्रदेश) के कटकी गाँव में गोस्तनी नदी पर एक छोटा सा जल प्रपात है। ग्राम सभा ने इस जगह को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए रास्तों, सीढ़ियों एवं चेक-पोस्ट का निर्माण भी कराया है। यह पर्यटकों से जलपात को देखने के एवज में शुल्क भी वसूलती है। चूंकि बगल के ही बोरा गुफा को देखने आने वाले पर्यटकों में यह स्थान धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगा है, राजस्व की लालच में राज्य के आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (ए.पी.टी.डी.सी.) ने अब इस जलपात को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अगर इस कदम का विरोध नहीं हुआ तो अभी तक ग्राम सभा जो कमाई कर रही थी, अपना अधिकार इस क्षेत्र पर खो देगी और कुंजी ए.पी.टी.डी.सी. के हाथों में आ जाएगी।

पर्यटन पर देशज स्वामित्व एवं नियंत्रण संबंधित प्रयोग एवं मोडेल्स अभी नवजात स्थिति में है।[31] लेकिन भारत में जिम्मेदार पर्यटन में बढ़ती रुचि के मद्देनजर, नीति निर्धारकों को इन प्रयासों का अध्ययन करना चाहिए ताकि पर्यटन का विकास इस प्रकार हो कि वह समुदाय के नेतृत्व एवं स्वामित्व में रहे। कई देशज समुदाय यह आशा करते हैं कि पर्यटन 'विकास' के विनाशकारी पहलुओं जैसे लकडी की कटाई, खुदाई एवं अन्य शोषणकारी उद्योगों की जगह अच्छे विकल्पों को सामने लाएगी। उन्हें पारिस्थितिकी पर्यटन के बारे में जानकारी है, बल्कि कुछ तो इनका स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि इससे न केवल प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि जीविका के वैकल्पिक साधन भी प्राप्त होंगे। हालांकि इन आकांक्षाओं के कोई तैयार मॉडल्स

नहीं है, ना ही आसान उत्तर ही है। यह अवश्य प्रतीत होता है कि विकल्प, अच्छी प्रक्रियाएं एवं नए मॉडल्स का विकास उनके द्वारा अथवा उनके साथ हो।

भाग दो
पर्यटन एवं देषज लोगों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्षिका

देषज लोगों के संबंध में जारी कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में पर्यटन का संदर्भ देखने को मिलता है। इनमें से कई नियमावली एवं मार्गदर्शिकाओं का निर्माण तो देशज लोगों द्वारा पर्यटन के उनके जीवन, संस्कृति एवं क्षेत्र पर हो रहे प्रभावों के जबरदस्त विरोध के फलस्वरूप हुआ है। हालांकि इनकी मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ये सरकार एवं नीति-निर्धारकों को देशज लोगों एवं पर्यटन के विषय पर उपयोगी मार्गदर्शक का ढांचा उपलब्ध कराती है।

देशज लोगों के पारंपरिक अधिकारों पर ससम्मान विकासोन्मुखी सभा आयोजन करने वाले प्रथम संस्थाओं में इंटरनेशनल लेबर ऑरगेनाइजेशन का स्थान है। आइ. एल. ओ. कन्वेंशन ऑन इन्डीजेनस एण्ड ट्राइबल पॉपुलेशन, 1957 (न. 107) उन जमीनों पर जो देशज लोगों को प्राप्त हैं, उनका अधिकार मानता है। इसका अनुसमर्थन 27 देशों जिसमें अधिकतर लैटिन अमेरिका के हैं ने किया है। भारत ने भी कन्वेन्शन का अनुसमर्थन किया है। 1989 में आइ.एल.ओ. ने इस कन्वेन्शन में संशोधन किया और इसे और भी मजबूती दी। आइ.एल.ओ. कन्वेन्शन नं. 169 (1989) के अनुसार देशज लोगों के जीवन संस्थाओं, संपत्ति, श्रम, संस्कृति और वातावरण की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं जाएंगे और ऐसे प्रयास इन लोगों द्वारा व्यक्त भावनाओं के विरूद्ध नहीं होंगे। कन्वेंशन नं. 169 देशज एवं आदिवासी लोगों खासकर उनके भूमि-अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार की स्थिति एवं सीमा के बाहर के संबंधों के बारे में एक विस्तृत व्यवस्था है।[32] इसमें कुछ ऐसी कडी धाराएँ भी है जिनकी वजह से देशज लोगों के क्षेत्र में विकास के कार्यो की शुरूआत के पूर्व उनको जानकारी देकर उनकी सहमति लेना आवश्यक है। इस कन्वेन्शन के अनुसार, संबंधित देशज लोगों के पास विकास की प्रक्रिया के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं के निर्धारण के अधिकार रहेंगे, क्योंकि यह उनके जीवन, मान्यताओं, संस्थाओं, आध्यात्मिक मनोस्थिति एवं जमीन जिन पर उनका कब्जा है अथवा वे उपयोग कर रहे हैं को प्रभावित करता है। साथ ही, जहाँ तक संभव हो सके, अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर उनके नियंत्रण रहेंगे। अभी तक केवल 13 देशों ने आइ.एल.ओ. कन्वेषन 169 की संपुष्टि की है जिसमें भारत शामिल नहीं है। इन धाराओं का पर्यटन पर खासा प्रभाव है और इनका पर्यटन के स्वरूप एवं प्राथमिकताओं के निर्धारण में देशज समुदायों की भागेदारी को बढावा देने एवं विकास से होने वाले हानियों को रोकने में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

पर्यटन पर केन्द्रित, पर्यटन-विकास से संबंधित मार्गदर्शिकाओं में यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. ग्लोबल कोड ऑफ इथिक्स जिसको सरकारी मान्यता यू.एन.जेनरल एसेम्बली द्वारा 21 दिसंबर 2001 को मिली, प्रमुख है। इस नियमावली के अनुच्छेद 1 की धारा एक के अनुसार, मानवता से संबंधित नीति परक मूल्यों की समझ व पोन्नयन एवं धार्मिक, दार्शनिक एवं नैतिक मान्यताओं की विविधता के प्रति सम्मान के भाव उत्तरदायी पर्यटन के आधार एवं परिणाम हैं। पर्यटन विकास में लगे लोग एवं पर्यटकों को भी खुद अल्पसंख्यकों एवं देशज लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और व्यवहारों अपनाने चाहिए जिससे उन्हें उनका महत्व मालूम हो सके। अनुच्छेद 2 के अनुसार, ''पर्यटन गतिविधियों को सबसे कमजोर समूह खासकर बच्चों, बुजुर्गो, विकलांग, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं देशज लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।''

सन् 2002 में अपनाई गयी इंटरनेशनल फोरम ऑन इन्डीजेनश टूरिज्म की ओआकसाका डिक्लरेशन देशज समुदायों पर पर्यटन के प्रभाव लिपिबद्ध करता हुआ एक अति महत्वपूर्ण निर्णय है। आई.वाई.ई. के समय 13 पश्चिमी गोलार्द्ध देशों के देशज लोगों के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार - हम आई.वाई.ई. एवं पारिस्थितिकी पर्यटन के आधारभूत धारणाएँ जो देशज समुदायों को उत्पाद एवं हमारी भूमि को विश्व बाजार में बिक्री हेतु व्यावसायिक संसाधन के रूप में देखती हैं, का विरोध करते हैं। इस सर्वव्यापी आर्थिक ढांचा के अंदर पर्यटन बाजारी प्रतिद्वंदिता को जन्म देती है और हमारी भूमि एवं लोगों को उपयोगी उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करती है।

यह घोषणा 'सतत विकास' की आड. में आई.वाई.ई. द्वारा देशज लोगों की भूमि का वैधानिक रूप में अधिग्रहण का भी विरोध करता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देशज लोगों को किस प्रकार देखा जा रहा है, इस संबंध में घोषणा ने कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। इसमें उल्लेखनीय है, इस बात को समझने की आवश्यकता कि देशज लोग 'स्टेकहोल्डर्स' नहीं बल्कि आंतरिक रूप से पहचान प्राप्त अधिकारी हैं सामूहिक एवं मानवीय अधिकारों के जिसमें स्व-निर्णय का अधिकार जानकारी देकर प्राप्त सहमति एवं प्रभावकारी भागीदारी शामिल हैं। यह धोखा खासकर सरकारों, निजी विकासकों, संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पर्यटन में लगे गैर-सरकारी संगठनों, विकास में लगे एजेंसियों एवं विशेषज्ञों के संबंध में है। इसके अनुसार, पर्यटन देशज समुदायों के हित में तभी हो सकता है जब यह स्व-निर्णय पर आधारित हो एवं इसे बढावा दे। बाहरी विशेषज्ञ एवं सहायता हमारे लिए उपयोगी तभी हो सकते हैं जब वे हमारे समुदायों द्वारा रचित एवं निर्धारित मापदंडों के अंदर ही कार्य करें। इसलिए पर्यटन को बढावा देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एक देशज तकनीकी दल के निर्देशन एवं निगरानी में होना चाहिए और वह भी पर्यटन विकास के दीर्घकालीन लाभ व हानि के अध्ययन के बाद। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा निवेदन करती है कि देशज लोगों के पर्यटन विकास में सीधे तौर पर भागीदारी के लिए एक पारदर्शक एवं इमानदार प्रक्रिया को तैयार की जाए। यह मांग करती है कि राष्ट्रीय सरकारें वातावरण

एवं देशज लोगों से संबंधित कानूनों एवं नियमावलियों का पालन करे। साथ ही यह पारिस्थितिकी पर्यटन के संबंध में दिश-निर्देशों के विकास की भी वकालत करती है जो भ्रमणों को स्थानीय संस्कृति एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर संतुलित रख सके।

एक अन्य प्रक्रिया देशज लोगों के अधिकारों पर ड्रॉफ्ट यू.एन. डिक्लेरेशन के रूप में सामने आई। गुरूवार, 29 जून 2006 को मानवाधिकार समिति ने देशज लोगों के अधिकार संबंधी घोषणा को अपनाया।[33] यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द वर्ल्ड इन्डीजीनस पिपल। (1995-2004) के प्रयासों की परिणति थी।[34] इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार, पर्यावरण, विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी देशज लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना था। यह घोषणा जिसको संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के द्वारा अपनाया जाना बाकी है, से आशा है कि यह देशज समुदायों के अधिकारों को व्यापक तौर पर प्रचारित करेंगे और समर्थन हासिल करेंगे। हालांकि इस घोषणा ने पर्यटन का नाम विशेषकर तो नहीं लिया, यह निश्चित ही पर्यटन के कारण देशज लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात की स्थिति में लागू होगी। यू.एन. के देशज विशयों पर स्थायी समिति के अनुसार,[35] लागू होने पर यह देशज लोगों के अधिकारों पर अब तक का सबसे विस्तृत दस्तावेज होगा। घोषणा के मसौदे ने जिस प्रकार से सामूहिक अधिकारों को महत्व दिया है, वैसा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के इतिहास में नहीं हुआ है। इसको अपनाने पर हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय देशज लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार प्रतिबद्ध है की, सबसे स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी।

लेकिन यू.एन. के सभी प्रस्तावों को देशज समुदायों ने स्वीकृति नहीं दी है। कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डाइमरसिटी (सी.बी.डी.) के पर्यटन मार्गदर्शिकाओं के संदर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय बहस छिडी हुई है। जब 2004 में सी.बी.डी. के सातवें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (सी.ओ.पी.7) ने पर्यटन मार्गदर्शिकाओं के मसौदे को अन्तिम रूप देने और इसे मंजूरी देने की योजना बनाई, तो अनेक देशज समूहों ने जोर देकर लिखा कि इसको अभी अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी जाए क्योंकि इसके निर्माण में देशज लोगों की भागीदारी नहीं थी। इंटरनेशनल इन्डीजीनस फोरम ऑन बायोडाइवरसिटी (आई.आई.एफ.बी.) ने सी.ओ.पी. के चेयरमैन को लिखा, हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि पर्यटन पर तैयार पर किए मार्गदर्शिकाओं के मसौदे को यहाँ कुआलालालाम्पुर में मंजूरी दिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मार्गदर्शिकाओं के मसौदे संवेदनशील पारिस्थितिकीय व्यवस्था पर केन्द्रित है। यह स्थिति बडी चिन्ता का कारण है। विश्वस्तर पर तथाकथित पारिस्थितिकी पर्यटन उद्योग से देशज लोगों की पैतृक भूमि ही सबसे अधिक प्रभावित होगी। इस उद्योग से सबसे ज्यादा हानि देशज लोगों को हुई है। फिर, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि विश्वस्तर पर देशज लोगों की भूमि ही सबसे कमजोर कडी है।

फिर, इस मार्गदर्शिका में सांस्कृतिक विविधता एवं इसे जीवंत रखने के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आई.आई.एफ.बी. ने सी.बी.डी. के पर्यटन मार्गदर्शिकाओं के तथ्य एवं प्रक्रिया को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह देशज लोगों की उपेक्षा करता है तथा इन्हें निर्माण-प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया गया। देशज लोगों के प्रतिनिधियों ने यह निवेदन किया था कि पर्यटन मार्गदर्शिकाओं के मसौदे को अपनाने संबंधी विषय को दो वर्ष बाद 2006 में होने वाले सी.ओ.पी. 8 में विचार हेतु छोड़ दिया जाए। इन निवेदनों के बावजूद सी.बी.डी. ने आगे बढ़कर पर्यटन मार्गदर्शिकाओं को अपनाया जो आज सी.बी.डी. का औपचारिक रूप से अभिन्न अंग हैं। मार्गदर्शिकाएं अभी भी सांस्कृतिक जीवंतता एवं पर्यटन द्वारा देशज लोगों के पैतृक भूमि के उपयोग संबंधी विषयों की अनदेखी करता है। सी.बी.डी. जैसी संस्थाएं वस्तुतः प्रजातंत्र में होने वाले सलाह एवं विचार की प्रक्रिया को हास्यास्पद समझते हैं। सी.बी.डी. से संबंधित इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई, एलीसन जॉनस्टन कहती हैं, संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर देशज लोगों ने अपने भूमि समर्पण पर विश्व की सरकारों के समझ पर अपनी आशंकाएं जाहिर की है। विभिन्न देशों की सरकारें यह जानती हैं कि देशज अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। वे फायदा देखना चाहते हैं न कि मुआवजा एवं क्षमता के वर्तमान एवं पूर्व के मुद्दों में अपने को उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए जब पर्यटन पर सी.बी.डी. प्रक्रिया आगे बढी तो देशज लोगों की व्याख्या को गंभीरता से लिया गया। सुरक्षात्मकता का जो स्तर अपनाया गया था उसकी कोई तर्कपरक व्याख्या नहीं थी।[36]

ये अंतराष्ट्रीय मार्गदर्शिकाएँ एक उपयोगी ढांचा प्रस्तुत करते हैं जिसे राष्ट्रीय सरकारें अपना सके। लेकिन सी.बी.डी. जैसी प्रक्रियाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि विश्व स्तर पर भी उन प्रक्रियाओं जिनका उन पर खासा प्रभाव पडना हो, में भी देशज लोगों के अर्थपूर्ण एवं सही भागेदारी एक चुनौती ही है।

भाग तीन
देषज लोगों के मद्देनजर भारत की पर्यटन नीतियों पर एक नजर

भारतीय नीति निर्धारकों ने पर्यटन पर नजर छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1977-1982) के दौरान दिया, जब देश की पहली पर्यटन नीति को प्रस्तुत किया गया। तुरंत बाद 1985-90 अवधि के दौरान पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया, जिससे इसे संस्थागत वित्तीय सहायता, आधारभूत सुविधाओं की सहजता एवं एक तर्कसंगत कर के निर्धारण की सुविधा प्राप्त हुई। 1991 में उदारीकरण के साथ ही, देश की कई प्राकृतिक एवं जैव-विविधता से संपन्न क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोल दिया गया। जोर था पारिस्थितिकी पर्यटन पर एवं केन्द में थे वन, समुद्री किनारे पहाडे.एवं अन्य जीव-विविधता से संपन्न क्षेत्र। पर्यटन के बाजारी पक्ष का लाभ उठाने के लिए कई राज्य

सरकारों ने पारिस्थितिकी पर्यटन एवं संस्कृति एवं परंपरा पर्यटन को बढावा देने, समुद्री किनारों पर नियंत्रणों को कम करने एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढावा देने जैसे कदम उठाए हैं।

पर्यटन पर राष्ट्रीय नीतियां

नेशनल टूरिज्म पॉलिसी (एन.टी.पी.) 2002 ने पारिस्थितिकीय जीवंतता, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित्त उपयोग एवं पर्यटन को गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इसे अपने आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया है। यह नीति पर्यटन क्षेत्र में बढते संघर्षों के लिए सामुदायिक भागीदारी में कमी को एक कारण मानता है और इसलिए पारिस्थितिकी पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन गतिविधियां के क्षेत्र में व्यापक सामुदायिक भागीदारी एवं स्थानीय समितियों एवं पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।

पिछली नीतियों से अधिक प्रगतिशील होने के बावजूद, एन.टी.पी. पर्यटन के बुरे प्रभावों से निपटने के लिए मार्गदर्शिकाओं को स्पष्ट रूप से पहचानने एवं पारिभाषित करने में असफल रही है।[37] देशज लोगों के संबंध में यह नीति देशज एवं जनजातीय समुदाय के बारे में दो संदर्भो का सरसरी तौर पर उल्लेख करती है। यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर तो देती है पर देशज समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में पर्यटन के प्रोन्नयन के दौरान कुछ सावधानियों को अपनाए जाने पर जोर नहीं देती। पर्यटन के कुछ आदिवासियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभावों जैसे संस्कृति का उत्पादीकरण, भूमि विलगन, संसाधनों तक पहुंच पर रोक एवं शोषण की अनदेखी की गई है। पर्यटन पर अन्य महत्वपूर्ण नीति दस्तावेजों ने देशज क्षेत्रों में पर्यटन के नियमन की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पर्यटन वाले अध्याय में देशज समुदायों से संबंधित किसी भी मुद्दों की चर्चा नहीं की गई है। अगर हैं भी तो वह एन.टी.पी. की, जो सरकार को पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देने के लिए कहती है।

अगले पांच साल तक की नीति का नींव रखते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पर्यटन कार्यकारी समुह ने पारिस्थितिकी पर्यटन के साथ परंपरा और संस्कृति पर्यटन पर भी जोर डाला है। किन्तु एक बार फिर से यह पर्यटन को नियमित करने जिससे देशज समुदाय प्रभावित न हो की आवश्यकता की अनदेखी करता है।[38]

भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी नीति एवं मार्गदर्शिका का खुलासा 1998 में किया। इन मार्गदर्शिकाओं का निर्माण 'पारिस्थितिकी पर्यटन में हो रहे वृद्धि के इस प्रकार के नियमन के लिए हुआ है जिसका वातावरण की सुरक्षा और सामुदायिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पडे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1998 में जारी पारिस्थितिकी पर्यटन विभिन्न पर्यटन उद्योग समितियों के द्वारा बनाए गए अनेक अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं एवं ढांचों पर आधारित है'।[39]

वातावरण के संरक्षण पर जोर देने के साथ ही, यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन एवं देशज एवं स्थानीय समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संस्थागत प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को नजरअंदाज करता है। देशज एवं स्थानीय समुदाय जिन्हें स्थानीय वातावरण की जानकारी है को राइट होल्डर्स की जगह स्टेक होल्डर्स बनाकर यह नीति उन्हें उस प्रक्रिया में साझीदार बना देता है जिसमें वातावरण की सुरक्षा पर उनका नियंत्रण नहीं रहता और सब कुछ आर्थिक फायदे के लिए हो रहा हो।[40]

स्थानीय समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर एवं जीविका एवं पर्यटन को स्थानीय समुदाय के वातावरणीय एवं सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से जोर कर देखने की कोशिश एक गलत संदेश देती है कि यह नीति सामुदायिक हित एवं वर्षों तक जीवन्त रहने वाले पर्यटन सिद्धांतों की बहुत ही ज्यादा महत्व देती है। किन्तु जब इन समुदायों की वास्तविक भूमिका का प्रश्न, भौतिक आधारभूत सुविधाओं के आवश्यकता पर आधारित योजनाओं के निर्माण, पर्यटन प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं प्रभावों के मूल्यांकन के संदर्भ में आता है, तो इन पर यह नीति खामोश रह जाती है।[41]

राज्य पर्यटन नीतियां

पर्यटन पर विभिन्न राज्यों ने अपनी नीतियां बनाई है और इनका राष्ट्रीय नीतियों के मुख्य सिद्धान्तों से प्रेरित होना जरूरी नहीं है। जो समान बात है वह यह है कि राज्य नीतियां पर्यटन को लोगों की नजरिए से देखने में असफल रही हैं और इसलिए पर्यटन नीतियां निवेश एवं विपणन योजना सी हो जाती है।

मध्य प्रदेश जो कि पर्यटन नीति की घोषणा करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है, ने पारिस्थितिकी पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के प्रोन्नयन को मुख्य उद्देश्यों के शामिल किया है। अपने 31 प्रतिशत वन-क्षेत्र के बदौलत, पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने 2001-02 में पारिस्थितिकी एवं रोमांचकारी पर्यटन संबंधी नीतियों का संरचन किया। इस नीति को पृष्ठभूमि नोट के अनुसार, आम पर्यटक सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन से ही संतुष्ट नहीं हैं - पर्यटक कुछ रोमांच, मजा एवं लीक से हटकर की चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटकों की मनोवृति में आए परिवर्तन के मद्देनजर राज्य सरकार ने पारिस्थितिकी पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के प्रोन्नयन का निर्णय लिया है। पर्यटन के इन स्वरूपों को लोकप्रिय बनाने एवं विकास हेतु, सरकार पहली बार निजी निवेशकों से भागीदारी चाहती है। नीति के प्रमुख बिन्दुओं में शामिल हैं वे योजनाएँ जो निजी भागीदारी की बात करती हैं।

लेकिन राज्य में 23 प्रतिशत आदिवासियों की संख्या होने के बाद भी सरकार की प्राथमिकता पर्यटकों की बदलती मांगों की संतुष्टि है, न कि स्थानीय समुदायों की जीविका संबंधी समस्याओं का निपटारा। राष्ट्रीय उद्यानों एवं शरणस्थलियों की घोषणाओं के कारण मध्य प्रदेश में वन से विस्थापन आम बात है। कान्हा एवं बांधवगढ.ज्वलंत उदाहरण हैं। राज्य पर्यटन नीतियां इन समस्याओं को नजरअंदाज करती है।

पडोसी छत्तीसगढ.में स्थिति अलग नहीं है। 2006 की पर्यटन नीतियों से यह स्पष्ट है कि पर्यटन प्रोन्नयन एवं राज्य का पर्यटकों के एक ठिकाने के रूप में विपणन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह जीवंतता, सामुदायिक भागीदारी एवं वातावरणीय संरक्षण की बात तो करता है लेकिन इन पर क्रियान्वयन किस प्रकार हो, पर चुप है। यह विकेन्द्रीकृत पर्यटन विकास और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की बात तो करता है, लेकिन यह सब कुछ एक दिखावा ही लगता है क्योंकि इस नीति ने पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित छत्तीसगढ. टूरिज्म बोर्ड को नोडल एजेंसी बना दिया है। पर्यटकों की सुविधा हेतु यह नीति हास्यास्पद रूप से हेलीकॉप्टर की सुविधा उन भीतरी क्षेत्रों में प्रदान करने का प्रस्ताव करती है जहाँ जनजातीय एवं देशज लोग रहते हैं। यह नीति ''नस्लीय पर्यटन'' पर जोर देते हुए कहती है कि यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा एवं स्मारकों को पारिस्थितिकी पर्यटन के साथ जोडक़र प्रदर्शित करेगी।

उडीसा ने अपनी पर्यटन नीतियों का खुलासा 1997 में किया। यह भी अन्य राज्यों की नीतियों से अलग नहीं है। राज्य की पर्यटन नीति में गंजम, कालाहांडी, कंधामल, देवगढ, ढेनकनाल, अंगुल, किओनझार एवं मयूरगंज को वन्यजीव पर्यटन के लिए प्रस्तावित किया गया है, जहाँ अच्छी संख्या में आदिवासियों की आबादी है। आदिवासी संस्कृति का उत्पादीकरण इस प्रस्ताव कि आदिवासियों की कला एवं कलाकृतियों पर भुवनेश्वर में एक संग्रहालय का निर्माण जिससे आदिवासी जीवन और संस्कृति पर्यटकों के समक्ष जीवन्त हो सके-से स्पष्ट है।

वर्तमान की पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन नीतियां जो पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रोन्नयन पर जोर देती हैं, असमानता को ही बढावा देंगी। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव शरणस्थलियों की घोषणाओं एवं वनों का सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पदोन्नयन का बढता चलन आदिवासियों के लिए चिंता का कारण है।

वर्ष 1935 में, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संरचना के बाद, देश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान था - जिम कौरबैट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 35 वर्षो में, मतलब 1970 तक, इस सूचि में केवल 5 और राष्ट्रीय उद्यान जुड़े। मगर, 1972 के वन्यजीव अधिनियम, 1980 के प्रौजैक्ट टाईगर और 1980 के वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य विभिन्न कानूनों के कारण कई वन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में बदला गया है। इसके परिणामस्वरूप, 2004 तक भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके थे और काफी अभी घोषित होने वाले थे। इसी तरह, अन्य क्षेत्रों को आरक्षित या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किये जाने के कारण आदिवासियों को उन क्षेत्रों में भी अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा है।

कानूनी प्रावधान तथा सुरक्षा जो पर्यटन पर भी लागू किए जा सकते हैं

भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन, 1993 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए जिनके अनुसार स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया तथा विनियमन में और अधिक भागीदारी दी गई। शुरुआत में यह संशोधन पूरे देश पर लागू थे, जिसमें शिड्यूल V क्षेत्र भी शामिल थे। परंतु, चूंकि पारंपरिक आदिवासी संस्थागत ढांचे अभी भी कार्यरत थे और इन स्वशासन संस्थाओं को कानूनी मान्यता दिया जाना बाकी था, अत: कई कार्यकर्ताओं तथा संगठनों ने अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संशोधन को लागू किए जाने का विरोध किया। वर्ष 1996 में, भुरिया कमिटि रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर, पेसा अधिनियम बनाया गया, जो 73वें संशोधन से एक कदम आगे था - इसके अंतर्गत ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास का स्वरूप, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्सुधार की दिशा तय करने व उससे जुड़े सभी निर्णयों में भागीदारी का अधिकार दिया गया। यह आदिवासियों को अपने क्षेत्र के विकास के निर्णयो में भागीदारी सुनिशिचित करने के अधिकार का एक नया कीर्तिमान था। ग्राम सभा तथा पंचायत को यह भी अधिकार है कि वे 'अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से बचने तथा गैर कानूनी रूप से अधिगृहीत भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं'।[42] निर्णय प्रक्रिया में लोगों को अधिकार देने के अतिरिक्त, पेसा के अंतर्गत स्थानीय लोगों को सूक्ष्म जलाशयों तथा सूक्ष्म खनिजों पर भी अधिकार दिए गए हैं।

उड़ीसा ने ग्राम पंचायत अधिनियम को विरल कर दिया है और झारखंड का पंचायत अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप नहीं है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगड़ जैसे राज्य, जिन्होंने पेसा के प्रावधानों को स्वीकार किया था, अब अपने ही कानूनों का उल्लंघन कर निजि कंपनियों के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ग्राम पंचायत के निर्णयों में दखलंदाजी कर खनन कंपनियों को ज़मीन दिए जाने के पक्ष में निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रही है। इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास के स्वरूप तथा नियंत्रण की ज़रूरतों को देखते हुए ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण पर निगरानी रखने के अधिकार का प्रावधान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ हम आज तक निष्कर्षण आधारित उद्योगों द्वारा पेसा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन देखते आए हैं, वहीं अब पर्यटन के संदर्भ में भी यह धारा दिखाई देने लगी है। आंध्र प्रदेश के अनंतगिरि मंडल, जो कि एक अनुसूचित क्षेत्र है, की अराकू घाटी में पिछले कुछ सालों में कई नए रिज़ौर्ट तथा होटल बने हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में लगभग 30-35 रिज़ौर्ट बन गए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामलों में पर्यटन विकास के निर्णयों में क्षेत्रीय ग्राम सभाओं से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और न ही उनकी अनुमति ली गई।

कानूनी परिपेक्ष में एक और महत्वपूर्ण कदम था अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आदिवासी (अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006। आरक्षित व संरक्षित वन, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों को, इस अधिनियम के अंतर्गत 'सामुदायिक वन संसाधनों' का दर्जा दिया गया है - अतः जनजातियों तथा अन्य आदिवासियों के अधिकार इन क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। इस अधिनियम द्वारा मान्य अधिकारों में शामिल हैं - वन भूमि पर निवास करने का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार; सूक्ष्म वन उपज को इकट्ठा करने, उसका उपयोग करने तथा उसे बेचने का अधिकार; मछली पकड़ने, चरान, पट्टे लेने, संरक्षण करने तथा अपने पारंपरिक अधिकारों को बनाए रखने का अधिकार। हालांकि अभी इस अधिनियम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रह हैं उम्मीद है कि इस अधिनियम के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा जाएगा तथा आदिवासी समुदाय इसे उन सभी मौंकों पर उपयोग कर सकेंगे जिसके लिए इसे बनाया गया है - एक ऐसा कानून जो यह सुनिश्चित करता है कि उनका जीवन, उनकी जीवनशैली तथा संस्कृति ताकतवर बाज़ारी ताकतों के दबाव में न आए।

अंतिम विचार

इस दस्तावेज़ में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय तथा पारंपरिक समुदायों की चर्चाओं में पर्यटन की बढ़ती भूमिका के अनुभवों के आधार पर विचार रखे गए हैं। लेकिन जहाँ हम एक ओर यह मानते हैं कि पर्यटन के कारण निश्चित रूप से पारंपरिक समुदायों का विस्थापन, शोषण तथा पार्श्वीकरण हो रहा है, हमें आशा है कि इसे इन्हीं समुदायों के लिए आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से लाभकारी भी बनाया जा सकता है, जो कि उनका शोषण होने से बचा सके। जहाँ स्थानीय समुदायों को 'विकास' के भयंकर रूप, जैसे खनन, बांध तथा निष्कर्षणकर्ता का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ उन्हें पर्यटन उद्योग से बहुत सी उम्मीदें हैं - कि वह उनके आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बन सकता है तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की समझ बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। लेकिन क्या भारत में पर्यटन विकास इस पुकार को सुन रही है? क्या पर्यटन जिसका मूल स्वरूप ही मानवीय है - और अधिक मानवीय तथा नीति संगत हो सकता है? क्या वह लोगों, संस्कृतियों तथा प्राकृतिक वातावरण की ओर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, जो उसका अभिन्न अंग हैं? जिन समुदायों पर वह आश्रित है, पर्यटन उनके प्रति क्या आदर व सामंजस्य का रिश्ता बनाएगा या परभक्षी तथा शोषक का? क्या वह अपना नकाब उतार कर आदिवासियों के जौहर का सम्मान कर सकता है?

अंतिम टिप्पणी

1. देशज लोगों के संदर्भ में 'नोटिस' अंग्रेजी शब्द का प्रचलन अब कम हो गया क्योंकि इससे सांस्कृतिक पिछड़ापन एवं पुरातनता जैसे विचार आते हैं और अधिकतर लोग इनसे बचना चाहते हैं। नकारात्मक भाव के बावजूद 'नोटिस' शब्द का प्रयोग नेलि आस्ट्रेलिया एवं अलास्का नोटिस करते है, शायद इसलिए कि नोटिस अमेरिकन शब्द का प्रयोग नस्लीय गर्व सम्मान के रूप में किया जाता है।
2. आदिवासी मामलों का मंत्रालय, 2001 जनगणना
3. रिथिंकिंग टूरिजम एण्ड ईकोट्रेवल: द पेविंग ऑफ पाराडाइज एण्ड व्हाट यू कैन डू टू स्टाप ईट, डेबोराह मैकलास, कुमारियन प्रेस, 1998.
4. रसेल बार्श, द वर्ल्डस इंडीजीनस पीपुल्स, डिपार्टमेंट ऑफ नोटिस स्टडीस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेथ ब्रिज, कनाडा (वर्ष अज्ञात)
5. जॉन गॉस, द सोवेनियर एण्ड सेक्रीफाइस इन द टूरिस्ट मोड ऑफ कन्जम्पसन, सिड्कशन्स ऑफ प्लेस: ज्याग्राफिकल पर्सपेकटिभ्स ऑन ग्लोबलाइजेशन एण्ड टूरिस्टेड लैंडस्केप्स, केरोलीन कारटीयर एवं एलन इ. लीव (सं.), राइटलेज, 2005
6. जोअन कारलिंग, टूरिज्म इम्पैक्ट्स ऑन इडीजीनस पीपुल ऑफ कोरडिलेरा कानटूर्स, वोल्यूम 8 नं. 3/4, इकूमेनिकल कोआलिशन ऑन थर्ड वर्ल्ड टूरिज्म, नवंबर 1998
7. क्रेसचंस अबाउट ए रोड, पंकज शेखसरिया, डाउन टू अर्थ 31 मई 2007
8. टेरी-लीन विलियम्स-डेविडसन- सेक्रेड ओबजेक्ट्स, आर्ट एण्ड नेचर इन ए ग्लोबल इकोनामी, पाराडाइम वार्स : इंडीजेनस पीपुल्स रेसीसटेन्स टू इकोनोमिक ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल फारूम ऑन ग्लोबलाइजेशन, 2005.
9. मार्क डोवी, ''कन्जर्वेशन रिफ्यूजीस'' चैप्टर 14, पाराडाइस वार्स : इंडीजेनस पीपुल्स रेसीसटेन्स टू इकोनोमिक ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन, 2005.
10. ''मिक्सड प्रोमिसेस ऑफ इकोटूरिजम'', सुसेन यार्क, इंटरनेशनल फोरूम ऑन ग्लोबलाइजेशन एज पार्ट ऑफ 'इण्डीजेनस पीपुल्स' रेसीसटेन्स टू इकोनोमिक ग्लोबलाइजेशन, प्रकाशक : आई.एफ.पी. 2004
11. ''ट्रबल इन पाराडाइज : टूरिज्म एण्ड इंडीजेनस राइट्स : टूवार्डस एथीकल साल्युशंस'', ब्रिफींग, माइनारिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, जनवरी 2007
12. वहीं
13. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जून 2007, http://www.wii.gov.in.htm
14. उपर लिखि 10 नम्बर टिप्पणि को देखे।
15. प्रदीप प्रभु : ''ट्राइबल फारेस्ट इंटरफेस - लौजिक ऑफ सरवाइवल'', काम्बेट लॉ, वाल्यूम 2, अंक 5, दिसंबर - जनवरी 2004, पृ. 5-18
16. एन.एफ.एफ.पी.एफ.डब्लू., इंडिया की ओर से सुपर्णा लाहिडी एवं देवजीत नंदी की ओर से क्षेत्र परीक्षण के दौरान प्राप्त आंकडे।
17. http://www.incredibleindiaholiday.com/ incredible-india-wildlife-holidays/kanha-wildlife-tour.html
18. 1995 में विश्व बैंक ने भारत में सरकार के सहयोग से पारिस्थितिकी विकास परियोजना की शुरूआत की। मध्य प्रदेश के पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र का चयन कर्ज प्राप्ति के लिए किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य था भारत के जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संरचना की सुरक्षा करना। यह कार्य राष्ट्रीय उद्यान के मध्यवर्त्ती क्षेत्र के चारों ओर रहने वाले ग्रामीणों को अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रेरित कर किया जाना था। विश्व बैंक ने यह योजना इस आशय के आधार पर बनाई थी कि वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में मानव आबादी के कोमल पेड़-पौधों पर जीव-जन्तुओं से संबंधित पारिस्थितिकी संयोजन पर बुरा प्रभाव पडेगा। इसलिए इन्हें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के बाहर बसाना चाहिए और उन्हें वन के बाहर ही जीविका के स्रोत ढूंढने चाहिए। इससे ऐसा समझा गया कि ग्रामीणों एवं उनके फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा हो सकेगी। साथ ही, जंगली जानवरों एवं पेड़ पौधों की मानवीय दखल से रक्षा होगी।
19. यह पार्क अनुसूचित क्षेत्र में है - अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान द्वारा पहचान किए गए वे क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासियों की अत्यधिक मात्रा में आबादी है एवं इनका प्रशासन भी आदिवासी संस्थाओं एवं शासन को मद्देनजर रखते हुए ही होता है।
20. उपर लिखि 16 नम्बर टिप्पणि को देखे।
21. यह केस 'आदिवासिस, राइट्स एण्ड टूरिज्म : एन एसर्शन फ्राम नागरहोल इ.क्यू.यू.ए.टी.आई.ओ.एन.एस', इक्वेशन्स् 2000.
22. आई.वाई.ई. के जवाब में देशज पर्यटन पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति की घोषणा का संदर्भ लें।
23. 'क्रियेटिंग भ्वायस फॉर इण्डीजीनस पीपुल', प्रकाशक : नेशनल एडवोकेसी काऊंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इण्डीजीनस पीपुल (एन.ए.सी.डी.आई.पी.); सहयोग : पी.आर.इ.एम. - उडीसा और आई.टी.डब्लू.डब्लू.एस. - तमिलनाडु, दिसंबर 2002
24. उपर लिखि 12 नम्बर टिप्पणि को देखे।
25. ''पीपुल एण्ड पार्कस : लिंकिंग प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट विद लोकल कम्यूनिटीज'', विश्व बैंक 1992
26. एलीशन एम. जॉनस्टन, ''इज द सेक्रेड फार सेल? टूरिज्म एण्ड इण्डीजीनस पीपुल'', अर्थस्कैन पब्लिकेशन 2006
27. उपर लिखि 11 नम्बर टिप्पणि को देखे।
28. वहीं।
29. वहीं।
30. ''टूरिज्म एण्ड द एस.ए.एन. इन साउथ अफ्रीका,'' कान्टूर्स, इकूमेनीकल कोआलिशन ऑन थर्ड वर्ल्ड टूरिज्म, वोल्यूम 8, नं. 3/4 नवंबर 1998.

31. ऐसे कुछ प्रयास अब भारत में शुरू हो गए हैं जिसने पर्यटन विकास का रूस देशज समुदाय की आवश्यकताओं की ओर मोड. दिया है। कुछ प्रयास तो समुदाय की स्वामित्व में हैं तो कुछ उनके द्वारा ही शुरूआत की गई है। इसमें सम्मिलित हैं, यू.एन.डी.पी. एवं पर्यटन मंत्रालय की अर्न्तजात ग्रामीण पर्यटन परियोजना जहाँ कुछ जगहों पर देशज समुदायों के साथ काम हो रहा है तथा पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के गैर सरकारी संस्थाओं के पर्यटन एवं सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के प्रयास तथा गाँवों के द्वारा खोनोमा, नागालैंड में किए गए कुछ प्रयास
32. http://www.ilo.org/public/english/indigenous/standard/index.htm
33. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय : http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/declaration.htm
34. सामान्य सभा ने 22 दिसंबर 2004 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए एक प्रस्ताव ए./आर.इ.एस./59/174 को पारित किया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक की शुरूआत 1 जनवरी 2005 को हुई। आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के अवर महासचिव, श्री जोस एन्टोनियो ओकैम्पो को द्वितीय दशक का समन्वयक बनाया गया। दशक का उद्देष्य कुछ विशिष्ट परियोजनाओं जिसमें तकनीकी सहायता इत्यादि शामिल हैं, के द्वारा सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण एवं सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में देशज समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देना है। दशक का मूल विषय है 'कार्य एवं सम्मान के लिए भागीदारी' :http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/second.html
35. संसदीय समिति का गठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इ.सी.ओ.एस.ओ.सी.) प्रस्ताव 2000/22 द्वारा 28 जुलाई 2000 को हुआ। इस प्रस्ताव के द्वारा यू.एन. पी.एल.आई.एल. को परिषद के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, संस्कृति, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानवअधिकार विषयों से संबंधित आदेश-पत्र के अंतर्गत देश मुद्दों पर विचार करने का आदेश मिला। :http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/structure.html
36. उपर लिखि 26 नम्बर टिप्पणि को देखे।
37. दो संदर्भ हैं : 'रेलवे का विदेशी पर्यटकों के प्रति विशेष आकर्षण है जो कि देश का अनुभव बडे. आराम से और देशज लोगों के साथ नजदीकी व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा करना चाहते हैं' ... और ... 'पारिस्थितिकी पर्यटन जरूरी रूप से ... जनजातीय एवं स्थानीय हस्तकला को प्रोत्साहित कर वातावरण को अच्छा करने एवं एक उचित एवं न्यायोचित्त सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग देती है।' राष्ट्रीय पर्यटन नीति, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 2002
38. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, पर्यटन कार्यकारी समूह रिपोर्ट 2007
39. पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 1998 के अनुसार, यह यू.एन.डब्लू.टी.ओ. के द्वारा विकसित संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास संबंधी मार्गदर्शिकाओं पर आधारित है। साथ ही, यह पी.ए.टी.ए. कोड फार एनव्यारमेन्टली रिस्पांसिबल टूरिज्म, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के वातावरणीय मार्गदर्शिकाओं, हिमालयन पर्यटन सलाह बोर्ड द्वारा बनाए गए हिमालयन आचारसंहिता एवं इकोटूरिज्म सोसाइटी की पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शिका पर आधारित है।
40. इकोटूरिज्म एज मार्केट बेस्ड कन्जर्वेषन मेकेनीजम, ब्रिफींग पेपर, इक्वेशन्स् 2006
41. ङग्लोबलाइजेशन, गर्वनेन्स एण्ड ग्रासरूट्स : द केस ऑफ इकोटूरिज्म एण्ड इट्स इम्पैक्ट्स इन ट्राइबल डोमीनेटेड एरियास इन इंडिया, इक्वेशन्स् नवंबर 2006
42. पी.इ.एस.ए. की धारा 4 m(iii)

संदर्भ

1. बार्श रसेल - ''द वर्ल्डस इण्डीजीनस पीपल्स'', डीपार्टमेन्ट ऑफ नेटिभ स्टडीज़, यूर्निवसिटी ऑफ लेथ ब्रिज, कनाडा (वर्ष अज्ञात)
2. कार्टियर, कैरोलिन (सं.) एवं लीऊ, एलन ए. (सं.)- ''सीडक्शन्स् ऑफ प्लेट : जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिश्स् ऑन ग्लोबलाइजेशन एण्ड टूरिस्टेड लैण्डस्केप्स'', क्रिटीकल ज्याग्रफिस, राउटलेज, 2005.
3. ''कन्टूर्स'' - वोल्यूम 8 नं. 3/4, इकूमेनीकल कोअलीशन ऑन थर्ड वर्ल्ड टूरिज्म, नवंबर 1998
4. जॉनस्टन, एलीसन एन - ''इज द सेक्रेड फार सेल? टूरिज्म एण्ड इण्डीजीनस पीपल'', अर्थस्कैल पब्लिकेशन, 2006
5. मैकलारेन, डेबोराह - ''रिथिंकिंग टूरिज्म एण्ड इकोटूमेल : द पेंविंग ऑफ पैराडाइज एण्ड व्हाट यू कैन डू टू स्टाप इट'', कुमारिअन पेस, 1998
6. प्रभु प्रदीप - ''ट्राइबल फारेस्ट इन्टरफेस - लाजिक ऑफ सरवाइवल,'' कोम्बेट लॉ, वाल्यूम 2 इमू 5, दिसंबर-जनवरी 2007
7. ''ट्रबल इन पैराडाइज़ : टूरिज्म एण्ड इंडीजीनस लैंड राइट्स : टूवार्ड्स एथीकल साल्यूशंस,'' ब्रिफींग, माइनारिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, जनवरी 2007
8. ''क्रिएटिंग व्याँस फार इंडीजीनस पीपल,'' प्रकाशक, नेशनल एडवोकेसी फार डेवलपमेंट ऑफ इंडीजीनस पीपुल (एन.ए.सी.डी.आई.पी.); सहयोग : पी.आर.इ.एन. उडीसा एवं आइ टी डब्लू डब्लू एस - तमिलनाडु - दिसंबर 2002
9. ''पैराडाईम वार्स: इण्डीजीनस पीपुल्स रेजिसटेंस टू इकोनोमिक ग्लोबलाईजेशन,'' इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाईजेशन, कमीटी ऑन इण्डीजीन्स पीपल्स, 2005.

3.

विकासशील देशों में समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन –

भारत में अंतर्जात पर्यटन परियोजना से प्राप्त जानकारी व सबक[1]

इक्वेशन्स द्वारा
2008

अंतर्जात पर्यटन परियोजना - ग्रामीण पर्यटन स्कीम ऐन्डोजीनस टूरिज्म प्रौजैक्ट - रूरल टूरिज्म स्कीम (ई. टी. पी. - आर. टी. एस.) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एवं युनाईटेड नेशन्स डैवलपमैंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) का एक सांझा प्रयास है, जो 2003 में शुरु हुआ और वर्तमान समय में देश के उन स्थलों पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सतत आजीविकाओं पर जोर देना, लेकिन इसके दायरे को केवल रोजग़ार उपलब्ध कराने और आमदानी बढ़ाने के आर्थिक उद्देश्यों से बढ़ाकर बड़े स्तर पर समुदाय आधारित कार्यक्रम बना दिया गया। यह कार्यक्रम कई मिले-जुले लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है - सतत आजीविकाएं, लैंगिक समानता, महिलाओं के साथ-2 युवाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्गो का सशक्तिकरण तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पर्यावर्णीय सततता की ओर काम करना। इस कार्यक्रम का सुझाव है कि यदि पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सोच, उनके मूल्यों और उनके व्यवहार में बदलाव लाना है - और साथ ही, भारत की स्थानीय आर्थिक व्यवस्थाओं में गतिशीलता भी लानी है, तो पर्यटन की 'संरचना व अवधारणा में जड़ से बदलाव' करने होंगे।

कई मायनों में ई.टी.पी. पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए आम पर्यटन कार्यक्रमों से अलग है। पहले के कार्यक्रमों में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पर अत्यधिक ज़ोर था। इस कार्यक्रम का ढांचा महत्वाकांक्षी है, जिसमें उत्पाद के बदले प्रक्रिया पर ज़ोर दिया जा रहा है और इसकी केन्द्रीय विचारधारा है कि स्थानीय समुदायों को पर्यटन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अतः ई.टी.पी. की अनूठी विशेषता तथा मुख्य मूल्य यही है कि पर्यटन और विकास के जुड़ाव को आगे बढ़ाया जाए।

इस दस्तावेज़ में ई.टी.पी. के अनुभवों और उससे मिली सीख को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अनुभवों को आमतौर पर विकासशील देशों में ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रमों की नजऱ से पेश किया जा रहा है। इस विषय मे विस्तृत जानकारी व उदाहरणों के लिए हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे विस्तृत पुर्नावलोकन रिपोर्ट *सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज़्म- रूरल टूरिज़्म मौडल* पढ़ें।

भूमण्डलीय स्तर पर समुदाय आधारित पर्यटन को काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन प्रयासों में सामुदायिक विकास, गरीबी हटाने, सांस्कृतिक संपदा और संरक्षण के पहलू मिले हुए हैं। समुदाय आधारित पर्यटन के कारण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर विकास का उद्देश्य पूरा करने का मौका मिला है। विकासशील देशों में यह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही संभव हो पाया है।

पर्यटन में समुदायों की भागीदारी को सततता के लिए आवश्यक माना गया है। इस पर तुल्यता, विकास और उद्यम प्रबंधन की दृष्टि से भी ज़ोर डाला गया है। इस प्रकार के पर्यटन के कई फायदे हैं - स्थानीयय लोगों का स्वामित्व, आजीविका सुरक्षा, न्यूनतम कड़ियां, मतभेदों का प्रभावी निराकरण, स्थानीय लोगों की सामाजिक भार संभालने की क्षमता में बढ़ोतरी और बेहतर संरक्षण। पर्यटन से प्राप्त राजस्व को स्थानीय लोग अपने हिसाब से बांटते हैं; या तो सभी निवासियों के बीच बराबर बंटवारा होता है या तो मूलभूत

सुविधाओं, जैसे कि पाठशालाएं, सड़के, चिकित्सालय आदि बनाने में निवेश किया जाता है (स्पैन्स्ली, 2008)।[2]

ज़्यादातर समुदाय आधारित पर्यटन कार्यक्रमों से जुड़ी एक भारी कीमत समझी जाती है इससे होने वाली अपेक्षाएं। वे कभी जरूरत से ज़्यादा होती हैं, नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं क्योंकि अभी तक के सीमांत समुदाय अब सशक्त हो गए हैं और समृद्ध परिवारों को विभिन्न नैटवर्को से फायदा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, वे पर्यटकों के लिए आवश्यक ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते (स्पैन्स्ली, 2008)।

लाभ का वितरण कैसे और किस स्तर तक होगा इसके पीछे कई कारण होते हैं - पर्यटन कितना आकर्षक है, किस प्रकार उसे लागू

किया जा रहा है, स्थानीय लोग किस हद तक और किन कामों में शामिल हैं तथा होने वाली आमदनी निजि आमदनी है या उसके एक अंश को या पूरी आमदनी को सामूहिक कार्यक्रमों में निवेश किया जा रहा है।

पर्यटन व विकास

विकास नियोजन मानता है कि व्यापक आर्थिक उन्नति से मानवीय विकास होना ज़रूरी नहीं है। गरीबी और मानवीय असमानताओं को दूर करने के लिए आम नीतियां बनानी ज़रूरी हैं और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि नीतियां लागू करने वाले संस्थान और अधिक जवाबदार हों, लैंगिक बराबरी हो, तथा हाशिये पर टिके समुदायों के सशक्तिकरण के साथ-2 विकेन्द्रीकरण के प्रयास किए जाएं।

कई पर्यटन कार्यक्रमों, खासकर ई.टी.पी. की अवधारणा में, ग्रामीण विकास निहित है। विकासशील देशों में बढ़ते ग्रामीण संकट की पृष्ठभूमि में, जहाँ उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा भी नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे आजीविका - विहीन समुदायों के लिए सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करवा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। केवल ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से ही, तुल्यता व सशक्तिकरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते। लेकिन फिर भी, लोक - केन्द्रित पर्यटन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कड़ी है।

ई.टी.पी. की अवधारणा विकास एंव पर्यटन, इन दोनों उद्देश्यों की नज़र से की गई थी। इसको लागू करने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि पर्यटन की किस प्रकार मूल्य वृद्धि की जाए, क्योंकि पर्यटन विकास प्रक्रिया (सशक्तिकरण, उपयोगिता तथा तुल्यता आदि) से गहराई से जुड़ी है। ई.टी.पी. में विकास एक अतिरिक्त उद्देश्य न होकर, पर्यटन प्रक्रियाओं की मूल्य वृद्धि के लिए सहायक उद्देश्य माना गया है। अन्य ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के मुकाबले यह अपने-आप में एक अनूठी प्रक्रिया थी, जिसकी अपनी निहित चुनौतियां भी थी।

लेकिन ग्रामीण परियोजाओं के क्रियान्वयन में बहुत आसानी से समयावधि से ध्यान हटकर, केवल उत्पाद और परिणामों पर केन्द्रित हो जाता है - जो अकसर हर परियोजना के साथ होता है। अतः क्रियान्वयन के समय तुल्यता, लैंगिक बराबरी, सशक्तीकरण तथा सामाजिक बदलाव के उद्देश्य, जिन्हें हासिल करने में समय और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, दरकिनार हो जाते हैं और केवल पर्यटन उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं असल में सामाजिक व आर्थिक स्तर पर काम करती हैं और संभव है कि इनके कारण काफी मतभेद उजागर होते हों। हो सकता है कि इन मतभेदों का पर्यटन से कोई सीधा रिश्ता न हो, परंतु इस प्रकार की योजना लागू करते समय यह समस्याएं उभर आती हैं। कुछ ऐसी भी चुनौतियां है, जिन्हें परियोजना के अंतर्गत, सामाजिक बदलाव के उद्देश्य से जानबूझकर उजागर किया जाता है जिससे कि उनका हल निकाला जा सके।

लेकिन यह दुविधा हमेशा बनी रहती है, कि किस हद तक इन परियोजनाओं के माध्यम से इन सामाजिक असमानताओं को बदला जा सकता है। आजीविकाओं को बढ़ावा देने और मानवीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, खासकर महिलाओं और युवाओं के संदर्भ में, उन्के अपने संसाधनों के विकास पर ज़ोर दिया जाता है, जैसे कि उनकी पारंपरिक कला व कलाकृतियां, उनकी सांस्कृतिक संपदा, संचायती या निजि भूमि, प्राकृतिक संसाधन (वनस्पति व वन्यजीव) और उनके क्षेत्र का पर्यावरण। और उनके अपने संसाधनों के विकास से जुड़ा मुद्दा है कि उनको क्या 'देय' है - उनका एक स्थानीय क्षेत्र से होने वाली पर्यटन की आमदनी, उस आमदनी से जुड़े निर्णय, और उस आमदनी के तुल्य बंटवारे का अधिकार। साथ ही, उनके 'अपने' संसाधनों के संरक्षण का अधिकार।

अकसर पाया गया है कि ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रमों में जो पैसा एवं संस्थागत ढांचा गरीबी को फायदा पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वह असल में समृद्ध लोगों को लाभ देता है। इन मुद्दों को उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि सामुदायिक स्तर पर विश्लेषण किया जाए - कि किसको इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया और किसे बाहर रखा गया और क्यों। गरीबी को एक समानांतर रूप से देखा जाता है, पर हर समुदाय में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मुश्किल से दो वक्त का गुजारा भी कर पाते हैं। उनके पास आजीविका चुनाव के लिए बहुत कम मौके होते हैं। वर्तमान पर्यटन के लाभार्थी या वे जो कार्यक्रम से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, वे अकसर निर्णय-प्रक्रिया में अपना हक जमाने लगते हैं। उनकी मौजूदगी में गाँव के कमज़ोर वर्गो व महिलाओं को समान स्तर या समान निर्णयाधिकार नहीं मिल पाते।

समुदायो की अपेक्षाएं व सामुदायिक चुनाव :

सामाजिक अधिकार का संकट ग्रामीण पर्यटन के लिए स्थलों का चुनाव उन जगहों की पर्यटन संभावनाओं के आधार पर ही किया जाता है। सामाजिक पूंजि, स्थानीय लोगों की तैयारी व रजामंदी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। कई ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रमों में, जब गाँव वालों को बड़े पैमाने पर पैसा आता दिखाई देता है, जो उनके गाँव में ही खर्च होना हो, तो वे उस कार्यक्रम को मना करने की स्थिति में नहीं होते।

ज़रूरी है कि एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जाए, जिसके अंतर्गत सामाजिक मापदंडों को समझने और समुदायों को उपयुक्त सूचना

के आधार पर निर्णय लेने का मौका मिले कि वे ऐसा कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (*पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल*) जैसी प्रक्रिया से स्थानीय लोग समझ सकते हैं कि पर्यटन के संभावित प्रमाण क्या हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज़रूरी है कि कुछ मुख्य मुद्दों पर लोगों के बीच व्यापक चर्चा हो - किस प्रकार के संस्थागत ढांचे उपलब्ध हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, निर्णय- प्रक्रिया, क्या स्थानीय लोगों के बीच धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर बंटवारा है, अन्य किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं, क्या कोई अन्य और अधिक महत्वपूर्ण विकास के मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण, सफाई व्यवस्था, पानी, लोगों के व्यवसाय क्या हैं, सांस्कृतिक परंपराए क्या हैं और समुदाय की क्या संवेदनशीलता है। किसी भी क्षेत्र के चुनाव से पहले यह प्रक्रिया ज़रूरी है, जिससे कि स्थानीय लोग इस प्रयास को अपना सकें और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए मना भी कर सकें। दूसरा इनमें से कुछ मौलिक सेवाओं का होना पर्यटन की सफलता के लिए आवश्यक है।

पर्यटन स्थल के चुनाव के मापदंड और प्रक्रिया उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाँ इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ इसके नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। ई.टी.पी. के परीक्षणों से भी स्पष्ट है कि जिस स्थान पर समुदाय को स्वतः पर्यटन विकास करने का मौका दिया गया, वहाँ पर्यटन अधिक सफल रहा।

ज़रूरी है कि लोगों के साथ निरंतर चर्चा चलती रहे कि वे परियोजना को कैसे देखते हैं, और वे इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं। उनके अनुसार कार्यक्रम की उपलब्धियों की संभावना पर चर्चा हो। जब परियोजना के उद्देश्यों के विषय पर स्थानीय लोगों के साथ उचित चर्चा न हो तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उन्हें परियोजना से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, जो पूरी न होने पर लोगों का हौंसला टूट जाता है - जिसके बाद उनके लिए फिर से शुरुआत करना भी मुश्किल हो जाता है।

जब स्थानीय लोग पर्यटन में शामिल होते हैं, तो यह मानना ज़रूरी है कि उस स्थल पर विभिन्न आंतरिक व बाहरी कारणों के चलते कई भिन्नताएं पैदा होंगी, जो शायद अन्य जगहों पर न हों। पर्यटन ग्रामीण संकट का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता - और पर्यटन की शुरुआत को स्थिर एवं सतत आजीविकाओं का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन एक उपभोग - आधारित गतिविधि है और ग्रामीण संदर्भ में यह उत्पादन आधारित आजीविकाओं को खत्म कर देता है। गाँव की आर्थिक व्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, यह भी अलग-2 स्थिति में अलग होगा। उसके लिए अलग-2 स्थिति में अलग समय अवधि लगेगी और उसकी रफ्तार भी अलग ही होगी।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को हर स्थल की वास्तविकताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। पर्यटन का अपना एक जीवनकाल है, जिसमें परीक्षण से शुरु होकर वह ठोस स्थिति में पहुंचता है और एक समय के बाद पर्यटन का स्तर गिरने लगता है - यह एक सर्वव्यापी तथ्य है। इसी तरह सब जानते हैं कि पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है। नीति - निर्धारक पर्यटन के लाभों को बढ़ा - चढ़ाकर बताते हैं, जबकि इन दावों के पीछे उपयुक्त अध्ययन या आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जिनसे पर्यटन को विकास का एक उपयुक्त साधन स्थापित किया जा सके।

एक ''अनुभव'' का विपणनः पर्यटन उत्पाद व उसका प्रचार

एक ग्रामीण पर्यटन अनुभव के लिए उस क्षेत्र के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मानवीय एवं मूलधन संसाधनों को पर्यटकों के लिए आकर्षक होना होगा। किसी भी पर्यटन स्थल को अन्य स्थलों से ज़्यादा प्रचलित होने के लिए वहाँ के आकर्षण (जिसमें उस जगह की वास्तविकता आकर्षक हो), वहाँ पर उपलब्ध सेवाएं व सुविधाएं, उस जगह तक पहुंच और कीमतें महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें से कई पहलू ऐसे हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन के लिए भी ज़रूरी हैं - जैसे साफ एवं स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता एवं सफाई। लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर्यटक ग्रामीणता का अनुभव कर सकें, ना कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं को खड़ा करें, क्योंकि हमें लगता है कि पर्यटकों को यही चाहिए। पर्यटक स्थल की उत्कृष्ट बिक्री संभावना *(यूनीक सैलिंग प्रौपोजीशन)* और उसकी प्रसिद्धि स्थापित होने पर स्थानीय लोग भी बाजार की व्यवस्था में काम करना सीख लेंगे।

अकसर ग्रामीण पर्यटन उत्पाद की बिक्री के लिए अनुभव के प्रचार पर ज़ोर दिया जाता है। यह केवल आकर्षक विज्ञापन बनाने जितना आसान नहीं है, बल्कि इसकी कई परतें होती हैं - चित्रांकन, नीतिशास्त्र तथा यह जानना कि क्या बिकता है।

विपणन में उत्पाद/सेवाओं का विकास, स्थल (वह कहां स्थित है और किन क्षेत्रों से जुड़ा है), कीमत - निर्धारण और प्रचार शामिल है। यह विपणन प्रक्रिया बाजार व उपभोक्ता को परिभाषित करते हुए लाभार्थी और उनके उत्पाद को उपभोक्ता की ज़रूरतों और अपेक्षाओं से जोड़ती है।

जहाँ एक ओर बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा कर पाना व्यापारिक सफलता के लिए ज़रूरी है, दुविधा यह भी है कि फिर ऐसा कार्यक्रम परंपराओं को उनके ''यमूल'' रूप में संरक्षित कैसे रख सकता है। यहाँ हमारा आशय यह नहीं है कि पारंपरिक दस्तकारी में बदलती समय और बदलती ज़रूरतों के साथ बदलाव नहीं हुए हैं। शायद यही हमारे दस्ताकारों और दस्तकारी की ताकत रही है, जिसके कारण वे आज तक जिंदा हैं। लेकिन अब समय के साथ

पर्यटन जैसी जगह ही बाकी रही है, जो ऐसी कलाओं और परंपराओं की नियमित ग्राहक है। ऐसी स्थिति में, यह काफी नहीं है कि ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम देखें कि यह दस्तकार बाज़ार की ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं, बल्कि उन्हें नियमित ग्राहक एवं संरक्षक का भी काम करना होगा - जिसमें कला की कला की तरह प्रशंसा की जाए, उसका संरक्षण हो व उसे सहयोग दिया जाए।

इन स्थलों के प्रचार - प्रसार के तरीकों को समझना भी ज़रूरी है। कार्यक्रम का दृष्टिकोण क्या है और विपणन संस्था इसका कैसे प्रचार करती है - क्या यह केवल एक सुंदर चित्र है या इसका प्रचार किसी और तरह किया जाना चाहिए? इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और उनके नेतृत्व को उजागर करके न केवल पर्यटकों को आकर्षित, बल्कि उन्हें शिक्षा भी दी जा सकती है। पर्यटकों को आकर्षित करने में कोई समस्या नहीं है, पर इस अवसर को स्थल की संपूर्णता पेश करने, और उसके संदर्भ में पर्यटन अनुभव को बिठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंदर्य शास्त्र और विपणन के बीच की कड़ी है चित्रांकन। इसमें निहित है:

- समानांतरण की प्रक्रिया
- श्रेणी और अवधारणाएं बनाना।
- प्रक्रियाओं की राजनीति- संचार उत्पादों में क्या शामिल होगा क्या नहीं।
- यह मानना कि यह सब उपभोग के लिए है और धीरे-2 ठोस होता चला जाता है और फिर इन पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती - यह प्रक्रिया आम लागों की सहमति से होती है।

ई.टी.पी. का एक मुख्य उद्देश्य था पर्यटकों के लिए उक उत्कृष्ट ग्रामीण अनुभव, जिसमें मूलभूत सेवाओं पर आधारित पर्यटन से हटकर अनुभव मिल सकें। जहाँ एक ओर यह विचारधारा प्रशंसनीय है, इसको हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए और अधिक सोच के साथ प्रयास करने होंगे कि पर्यटकों को एक ययवास्तविकङ्घ ग्रामीण जिन्दगी की झलक कैसे दिखाई जाए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट, निश्चित और भौतिक आकर्षण चाहिए, लेकिन एक जगह से जुड़ी यादों में बहुत से अस्पष्ट अनुभव भी होते हैं। ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है- क्या ग्रामीण पर्यटन की वाकई में कोई आवश्यकता है या नहीं ?!

कई ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रमों में गृह-आवासों को पर्यटन उत्पाद के रूप में शामिल किया होता है। ग्रामीण व्यवस्था में गृह-आवासों के फायदे व नुकसान दोनों हैं। एक ओर गृह-आवासों से विकेन्द्रीकृत लाभ - वितरण में सहयोग मिलता है - आर्थिक लाभ तथा पर्यटकों के लिए वास्तविक अनुभव के रूप में। लेकिन ई.टी.पी. में शामिल स्थानीय लोग एक केन्द्रीय आवास सुविधा के पक्ष में है। तो क्या लोग गृह- आवास का विकल्प चुनेंगे अगर उनके पास एक केन्द्रीय आवास- सुविधा से आर्थिक लाभ कमाने का अवसर हो? इस सवाल का जबाव अभी हमारे पास नहीं है। ऐसे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं जिससे गृह-आवास का विकल्प कारगर नहीं हो सकता या उसे सीमित सफलता ही प्राप्त होगी। सांस्कृतिक रूप से - अतिथि सत्कार की कीमत लेना एक ऐसी अवधारणा है, जिसे स्वीकार करना शुरु में मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटकों का व्यवहार भी एक मापदंड है (कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार, विदेशी पर्यटक देशी पर्यटकों के मुकाबले घरों में ज़्यादा आराम महसूस करते हैं)।

नीति निर्धारक गृह-आवासों को बढ़चढ़कर बढ़ावा देते हैं - वह इसमें पर्यटकों के लिए आवास सेवाओं की कमी का पूरक देखते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में सफल हो सकता है - लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिना विस्तृत अध्ययन और परिणामों की जांच किए इस कार्यक्रम को लागू करना शायद ठीक नहीं होगा।

किसी भी स्थल की उत्कृष्ट बिक्री संभावना और उसकी प्रसिद्धि, वहाँ पर आने वाले पर्यटकों का स्वरूप तय करती है - संभावित पर्यटक को किस तरह वह स्थल पेश किया जा रहा है, उसका विपणन कैसे हो रहा है और उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना बनाई गई है। इसके लिए विपणन की एक और सतह लगानी पड़ेगी जिससे कि सफलता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे प्रयासों की व्यापारिक सफलता के लिए ज़रूरी है कि स्पष्ट व्यापार योजना व विपणन रणनीतियां बनाई जाएं। इसी के साथ पर्यटकों के स्वरूप को परिभाषित करना, इस परिभाषा का सत्यापन (किस प्रकार के पर्यटक वास्तव में आते हैं, इसकी जांच करके), इस जानकारी को वापस प्रचार-प्रसार, विपणन तथा उत्पाद विकास में उपयोग करना भी ज़रूरी है।

एक अन्य पहलू है पर्यटकों के स्वरूप और पर्यटन के अवांछित परिणामों का जुड़ाव। किस प्रकार हम ऐसे पर्यटकों को 'दूर रखे' जो मेजब्रान समुदाय की संस्कृति और मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? क्या कीमतों, प्रचार और स्थलीय अनुभवों को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि एक खास प्रकार के पर्यटक ही वहाँ पहुंचें? पर्यटकों की जांच करना संभव नहीं है। साथ ही एक अनजान व्यक्ति को अपने घर या गाँव में रखने में खतरा भी हो सकता है। गोवा, केरल और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि गृह आवासों और बाल - यौन शोषण में जुड़ाव है, क्योंकि इससे बच्चों तक पहुंच आसान हो जाती है।

नीति निर्धारण के संदर्भ में इन पहलुओं पर सावधानी से काम लेना ज़रूरी है क्योंकि समुदायों के लिए इसके खतरे, तथा इसमें जुड़ने की तैयारी का अध्ययन होना ज़रूरी है और उसके परिणामों को भी खुले मन से अपनाना होगा।

ग्रामीण पर्यटन को लागू करने के लिए स्थानीय संस्थाओं व कार्यकुशलताओं का विकास

संस्थागत ढांचों में मुख्यत: विचार धाराएं निहित होती हैं। जब ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम एक अलग प्रकार के पर्यटन के लिए नए संस्थागत ढांचे बनाते हैं, तो ग्रामीण समाज में दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं - नए ढांचे या तो चुनौती बन सकते हैं या फिर वे पहले से मौजूद ढांचो का ही हिस्सा बन सकते हैं।

विकास एवं पर्यटन के द्विउद्देश्य से काम करना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए इतना समय लग सकता है जिसकी कल्पना नीति निर्धारकों न की हो। एक सर्वसामान्य दिग्दृष्टि व नियम बनाना, यह सुनिश्चित करना कि वे एक दूसरे के उद्देश्य पूरा करें - यह संस्थागत ढांचा बनाने के लिए काफी बड़ी चुनौती है। इसके लिए साझेदारों के साथ चर्चा करके मुख्य भागीदारों का चुनाव और सर्वसामान्य दिग्दृष्टि के लिए काम करना ज़रूरी है। एक सांझे उद्देश्य के लिए औपचारिक व अनौपचारिक कार्य प्रणालियों की समझ के आधार पर ही मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केवल पर्यटन के परिपेक्ष में भी, स्थिरता हासिल करके, संस्थागत ढांचों के कारगर होने, उनके माध्यम से पर्यटकों की ज़रूरत पूरा करने के लिए समय चाहिए और पर्यटकों के साथ लगातार आदान - प्रदान भी। जमीनी स्तर पर जितने समय की आवश्यकता है वह दिया जाना चाहिए, समय अवधि ऊपर से तय न की जाए। संस्थागत ढांचो में हमने पाया कि कई जगह वे केवल विश्वास पर चल रहें हैं - उनको ठोस बनने के लिए समय ही नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, कई संकट की स्थितियां पैदा हो गई। सभी अनुबंधो का सही दस्तावेजीकरण करना ज़रूरी हैं, जिसमें कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा जाए, खासकर ऐसे संस्थागत ढांचे जिनमें शक्ति का हस्तांतरण शामिल हों।

उद्यमिता के कई प्रारूप - निजि-सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक ऋण संस्था, सामुदायिक पर्यटन नैटवर्क, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन नियोजन आदि - उभर आए हैं। इन सभी प्रारूपों के अंतर्संबंधों को समझना ज़रूरी है, जिससे कि सामुदायिक संस्थाओं की समझ व सफल पर्यटन तथा उसके सामुदायिक लाभों का अध्ययन किया जा सके।

ई.टी.पी. की ग्रामीण पर्यटन स्कीम में कार्यकुशलताओं को बढ़ाने का मुद्दा यू.एन.डी.पी. के हस्तक्षेप से आया। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों की कार्य कुशलताओं में वृद्धि हो और वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत खड़े किए जा रहे, सुदृढ़ किए जा रहे संसाधनों के स्वामित्व से लाभ उठाएं।

स्थानीय लोगों की प्रशिक्षणों के माध्यम से अलग-2 मुद्दों पर कार्यकुशलताएं बढाई गई - जागृति, पर्यटन से जुड़े हुनर व आजीविकाएं, वैकल्पिक आजीविकाएं तथा संस्थागत प्रबंधन। कार्यक्षमताओं के विकास से हुनर तो बेहतर हुए ही, लेकिन इन प्रशिक्षणों में दृष्टिकोण बनाने व व्यक्त करने की भी एक जगह मिली। उदाहरण के लिए, ई.टी.पी. में शामिल कई स्थलों पर स्थानीय लोग नहीं समझ पाते कि स्थानीय वास्तुशिल्प पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है। उनकी समझ इतनी ही है कि 'पर्यटक ऐसी जगह में रहना चाहता है जो गाँव जैसी हो'। इस दिग्दृष्टि को बढ़ाकर स्थानीय सामग्री का उपयोग, स्थानीय विक्रेताओं को मौका देना और स्थानीय आर्थिक व्यवस्था को लाभ पहुंचाना - यह सब प्रशिक्षण का हिस्सा होता है।

ई.टी.पी. के सभी स्थलों पर एक सर्वोच्च संस्था बनाने की कोशिश की गई - ग्राम पर्यटन कमिटि (वी.टी.सी.)। इसके लिए दो अलग-2 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। एक, वी.टी.सी. की सदस्यता को आज तक शोषित व पर्यटन उद्योग से छूटे लोगों तक ही सीमित रखा गया, जैसे कि दस्तकारों, शिल्पकारों, महिलाओं, युवाओं तथा गाँव के अन्य कमज़ोर वर्गो तक प्रशिक्षण में उनके हुनर बढ़ाने, उनके पुराने उत्पादनों की मूल्य वृद्धि तथा नए उत्पादन बनाने पर ज़ोर दिया गया। चूंकि उद्देश्य था कि शक्तिहीन व हाशिए पर टिके लोगों का सशक्तिकरण किया जाए, वी.टी.सी. पहले से चले आ रहे सत्ता के ढांचों को चुनौती देने के लिए एक उपयुक्त स्थान था। दूसरा तरीका था, कि सभी के लिए दरवाजे.खोल दिए जाएं : अमीर गरीब, शक्तिशाली व कमज़ोर, सबके लिए कुछ स्थलों पर यह तरीका ज़्यादा प्रभावी रहा - कि चुनाव की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर छोड़ दी जाए - और कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया में सामाजिक विवाद से दूर रहा जाए।

सामूहिक दिग्दृष्टि, सकारात्मक, सामाजिक प्रक्रियाएं, कार्यकुशलताओं का विकास और कुछ समय तक सहयोग जारी रहना एक मजबूत संस्था के लिए ज़रूरी है - और इसीलिए संस्थागत ढांचों का विकास जटिल तथा धीमी रफ्तार से होता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि ज़्यादातर ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन काफी जल्दी शुरु हो जाता है, इन संस्थागत ढांचों की सततता का अनुमान लगाना मुश्किल है - इस विषय पर और अध्ययन करने की ज़रूरत है।

पर्यटन प्रभाव

किसी भी प्रकार का पर्यटन, चाहें वह आंतरिक हो या अन्य प्रकार का, सामाजिक सांस्कृतिक या पर्यावर्णीय क्षति पहुंचा सकता है, खासकर अगर उसे बाज़ारी तत्वों व सामाजिक ताकतों के ऊपर निर्भर और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रमों की सफलता केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय व सामाजिक पूंजी की वृद्धि से मापी जानी चाहिए। सभी सहयोगी समुदायों व व्यक्तियों के बीच बराबर व तुल्य आर्थिक लाभ

वितरण सुनिश्चित करना ज़रूरी है। स्थानीय लोग अकसर पर्यटन के लक्षण के साथ आने वाले नकारात्मक प्रभावों व खतरों से अवगत नहीं होते। पर्यटन के आने से संस्कृति व परंपराओं का बाज़ारीकरण होने का खतरा रहता है। उम्मीद है कि सामुदायिक नियंत्रण से इस अपरिहार्य प्रभाव को रोका जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इस स्थिति से बचने के लिए कोई साधन नहीं है और न ही ई.टी.पी. के स्थलों में इस विषय पर उपयुक्त चर्चा ही हो रही है।

पर्यटन अकसर संचायती संसाधनों का निजिकरण कर देता है, और इसे रोकने की ज़रूरत है। भारत में अपशिष्ट उपचार की कमी सभी जगह नज़र आती है और इसे एक गंभीर समस्या के रूप में स्वीकार करना ज़रूरी है। स्वच्छता के मुद्दे को केवल पर्यटकों के लिए साफ शौचालय उपलब्ध कराने तक ही सीमित कर दिया जाता है। दु:ख की बात है कि इनमें से काफी मनोरम स्थलों में स्थानीय लोगों के लिए मूलभूत स्वच्छता सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं - खुली नालियां, सामुदायिक या आम शौचालय न होना आदि। पर्यटक कलाकृतियां, जैसे सजीले द्वार और गाड़ियों की पार्किंग को मूल स्वच्छता, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, बिजली व यातायात के साधनों के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है।

आचार संहिता बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को निर्धारित करने की ज़रूरत है कि वे किस प्रकार का पर्यटन चाहते हैं, किस चीज.की इजाजत है और किसकी नहीं, उन्हें किस बात से गर्व महसूस होता है, वे क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं? अत: इस प्रक्रिया से वे असल में अपनी पहचान टटोलने और उसे व्यक्त करने का महत्वपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ समुदायों ने अपनी शर्ते तैयार की हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि उनके गाँव मे पर्यटक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों में ज़्यादा स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना है। शर्तो और दिशानिर्देशों के माध्यम से कमज़ोर वर्गो, पिछड़ी जातियों, महिलाओं व गरीबों की भागीदारी भी कुछ हद तक सुनिश्चित की जा सकती हैं।

समुदाय आधारित पर्यटन प्रभाव आंकलन का विकास करके जागृति पैदा करना भी एक तरीका हो सकता है। इसके लिए सहायक उपकरण तैयार करके समुदायों के साथ बांटे जा सकते हैं। स्थानीय आजीविकाओं और पर्यावर्णीय संसाधनों तथा स्थानीय ज़रूरतों पर पड़ते प्रभावों की नियमित समय पर जांच की जानी चाहिए। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि स्थल स्तर की विश्वस्त एंव वैध जानकारी इकट्ठी की गई हो और उसका अध्ययन करके पता लगाया जाए कि विभिन्न उप-समुदायों को कार्यक्रम से क्या लाभ मिला है। अत: ज़रूरी है कि ऐसी स्थल स्तर की जानकारी इकट्ठा करने और अध्ययन की प्रणाली बनाई जाए।

इस प्रणाली में हर स्थल पर पर्यटन संबंधी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण व कार्यक्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। और इस तरह से प्राप्त जानकारी के उपयोग से समुदाय अपनी खुद की प्रगति माप सकते हैं तथा विभिन्न स्थलों की जानकारी के माध्यम से भविष्य के लिए दिशा में बदलाव भी तय किए जा सकते हैं।

इस प्रक्रिया को निरीक्षण व पुर्नावलोकन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए। हर स्थल पर सहयोगी ग्रामीण आंकलन के माध्यम से आधारभूत जानकारियां इकट्ठी करने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्रियान्वयन संस्थाओं को सहयोगी ग्रामीण आंकलन करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इस आंकलन के माध्यम से न केवल जानकारी, बल्कि लोगों को समूहों में आयोजित करने तथा कार्यक्रम के प्रति स्वामित्व और प्रोत्साहन की भावना बनाने में भी मदद मिलती है।

1) क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने की एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसमें कुछ खाके तैयार हों - पर्यटकों का आगमन, उनकी पृष्ठभूमि, ज़रूरतें, मांगे, वो किन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, कितने संतुष्ट हैं, इस जगह के विषय में उन्हें जानकारी कहां से मिली आदि।

2) पर्यटन तथा विकास के उद्देश्यों के लिए आमदनी व प्रभावों की जानकारी अलग - अलग रखी जानी चाहिए - लिंग, गरीबी, जाति, शोषण, आजीविकाएं, आर्थिक पहलू तथा लाभ वितरण।

3) फिर एक सहभागी समुदाय आधारित प्रभाव आंकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

- कार्यक्रम से जुड़ने के बाद कितने लोग निम्न आय से मध्य आय समूह में पहुंचे हैं ?
- लैंगिक प्रभाव - कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन।
- रोज़गार उत्पत्ति
- कमज़ोर तथा हाशिये के समुदायों की भागीदारी के लिए बढ़ती सक्षमता (जैसे, गृह आवास सुविधाएं देने में, अन्य सेवाओं में, दस्तकारी आदि)।

इन जानकारियों को इक्ट्ठा करके, अध्ययन करना ज़रूरी है जिससे कि स्थानीय स्तर एवं विभिन्न स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम के प्रभावों की स्थिति स्पष्ट हो जाए। इससे नीति निर्धारक भी यह तय कर पाएंगे कि असल में ग्रामीण परिपेक्ष में पर्यटन एक उचित विकास कार्य है या नहीं।

कई पर्यटन स्थलों की योजना में एक भवन की योजना होती है, जहाँ से पर्यटक सूचना/व्याख्या केन्द्र का काम होता है - लेकिन अकसर इसकी अवधारणा में इस केन्द्र की भूमिका स्पष्ट नहीं

होती। ऐसी जगह पर स्थानीय इतिहास को रचनात्मक रूप से पेश किए जाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। ऐसे सामूहिक स्थान पर जानकारी इकट्ठा करने, पर्यटकों की पृष्ठभूमि तथा पर्यटन के प्रभावों का संकलन करने की इकाईयां बनाई जा सकती हैं। सूचना तकनीक आधारित संसाधन जैसे कंप्यूटर/इंटरनैट सुविधाएं चलाने के लिए स्थानीय युवाओं को शामिल किया जा सकता है। इससे केवल पर्यटन ही नहीं, बल्कि गाँव की सामूहिक ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती है। युवाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

पर्यटन रूपांतरण, पर्यटकों का रूपांतरण

विकासशील देशों के ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विपणन में सबसे जटिल पहलू पर्यटकों के आने पर कृतज्ञता या खुश होना नहीं - परंतु उस स्थल की संभावनाओं को उजागर कर पाना तथा उन पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ऐसे अनुभव की तलाश में हों। इस संदर्भ में, ज़रूरी है कि ग्रामीण समुदाय को अपने गाँव, अपने घर व अपने क्षेत्र में पर्यटन के स्वरूप के विषय में सोचने, चुनने और दिशा निर्धारित करने के लिए सशक्त किया जाए। इस पहलू पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि शुरु से ही पर्यटकों को कैसे लाया जाए इसी विषय में चिंता लगी रहती है। इस तरह अतिथियों व मेजबानों के बीच भी एक आपसी आदर का रिश्ता बनेगा, क्योंकि जो चीज.पेश की जा रही है और जो वास्तव में मिलती है इसका मानसिक अनुबंध सही बैठेगा। अतः लोगों के आधार पर भी जगह का विज्ञापन किया जाना चाहिए, केवल बाज़ार के आधार पर नहीं, इस मुद्दे के आचार - संगत एवं विकास - संबंधी मुद्दो को पहचानना ज़रूरी है, खासकर चूंकि समुदाय आधारित तथा ग्रामीण पर्यटक के विज्ञापनकर्ता खुद को जिम्मेदार एवं सतत पर्यटन के प्रोत्साहक के रूप में पेश करते हैं।

ग्रामीण पर्यटन में पर्यटकों की अपेक्षाओं को प्रभावित करने का भी अवसर है। विकास संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्यटकों को प्रभावित करना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में पर्यटकों को कैसे सक्रिय भागीदार व साझेदार बनाया जाए तथा उनको कैसे सहयोग दिया जाए - यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। पर्यटकों को केवल एक निष्क्रिय उपभोक्ता, एक बाहरी ताकत के रूप में देखने से भी उसकी सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। विश्वभर में आचार-संगत/जिम्मेदार पर्यटन समूह प्रचलित हो गए हैं। पर्यटक स्थानीय विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी को अपने पर्यटन अनुभव का हिस्सा मानते हैं। दूसरे शब्दों में, वे इस प्रक्रिया में शामिल होने को अपने पैसे गंवाना नहीं समझते - बल्कि वे इन अनुभवों को महत्व देते हैं। इस प्रकार 'पर्यटन' को सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक जरिया माना जा सकता है, जो एक विकास परिपेक्ष में, स्थानीय समुदायों द्वारा गैर-सरकारी/सरकारी/अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है। हाल में उभरते हुए यात्रा लोकोपकार तथा जिम्मेदार एवं आचार - संगत पर्यटन के रूझान भी इन्हीं मुद्दों का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की संरचना क्रियान्वयन व विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों को और अधिक देखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करे - कि वे ग्रामीण समुदाय के साथ रहकर सीखने, प्रभावित होने और थोड़ा-सा बदलने के लिए तैयार हों। इन कार्यक्रमों की संरचना में, स्थानीय समुदायों की शुरु से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इन्हें इसके लाभ व नुकसान दोनों की जानकारी हो - परियोजना की शुरुआत होने से काफी पहले। अगर हम ग्रामीण पर्यटन को एक विकास कार्यक्रम स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से इसमें स्थानीय समुदायों को भाग लेने और दिशा निर्धारण में भूमिका सौंपनी पड़ेगी। मूलभूत सुविधाओं के निर्माण (क्या क्यों, कहां व कैसे - कितना पैसा खर्च होगा) के निश्चयों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी काफी कम रही है। ज़्यादातर स्थानीय लोगों का मत नहीं लिया जाता और ऊपर से उन पर निर्णय थोप दिया जाता है। अतः अपने गाँव, घर और क्षेत्रों में पर्यटन का स्वरूप

निर्धारित करने के लिए समुदायों का सशक्तिकरण एक केन्द्रीय पहलू है।

इससे पर्यटन के स्वभाव के रूपांतरण का एक अनन्य अवसर मिला है - उसकी उपयोगी प्रवृत्ति से बदल कर पर्यटन को और अधिक मेल-जोल वाला तथा मानवीय संपर्क युक्त बनाने का अवसर।

अंतिम टिप्पणी

1. यह लेख यू.एन.डी.पी. (2008) के लिए लिखा गया। *रीडिफाईनिंग टूरिज़्म - ऐक्सपीरियैन्सिज.एंड इनसाईट्स फ्रौम रूरल टूरिज्म प्रौजैक्ट्स इन इंडिया*।

2. स्पैन्स्ली, डा.ऐना (2008), *प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्ज़ टु रिस्पौसिंबल टूरिज़्म इन डैस्टिनेशन्सः कम्यूनिटि एंड नेचर बेस्ड टूरिज़्म इन साउथ ऐफ्रीका*, जिसे दूसरी *इंटरनैशनल रिस्पौंसिबल टूरिज़्म कौन्फ्रैंस*, कोची, 21-24 मार्च 2008 में पेश किया गया।

4.

सामुदायिक भागीदारी, गरीबी उन्मूलन एवं प्रकृति पर्यटन पर विभिन्न दृष्टिकोण[1]

डा. बी. विजय कुमार द्वारा[2]
2009

परिचय

पिछले दो दशकों में, पूरे विश्व मे पर्यटन के आर्थिक व्यवस्था, सामज व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय पर चर्चा चल रही है। संसाधन उपयोग की प्रक्रिया को बढ़ा देने के कारण कई देशों के विकास मापदंडों में पर्यटन को एक सम्मानित ओहदा मिला है। अनुभवों के अनुसार, स्थानीय गरीब समुदायों और प्राकृतिक संपदा को ही पर्यटन विकास का खामियाजा भुगतना पड़ा है। पर्यटन विकास के संभावित तृणमूल स्तर तक पहुंचने वाले सकरात्मक प्रभाव ज्यादातर गंतव्यों में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि सैद्धांतिक स्तर पर, संसाधनों के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास ओर गरीबों को आर्थिक लाभ के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं, वास्तविकता में इस दिशा में प्रगति के लक्षण दिखाई नहीं देते। पर्यटन की सामुदायिक भागीदारी द्वारा गरीबी उन्मूलन की क्षमता को देखते हुए, ऐसी जगहों पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य/ईकोपर्यटन के लिए विश्व-भर में प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र मे किसी भी उद्यम की सफलता के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र की स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर ही कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए। केरल में गरीबी उन्मूलन के लिए अपनाए गए एक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह, कुडुंबश्री, के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बकवा दिया जा रहा है। परंतु इन इकाईयों की गतिविधियां ऐसे कार्यक्षेत्रों तक सीमित हैं जिनसे पर्यटन का कोई जुड़ाव नहीं है। किस प्रकार वर्तमान संस्थागत ढांचों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त समाजिक सशक्तिकरण को प्राकृतिक पर्यटन संबंधी सूक्ष्म उद्यमों के लिए विकसित किया जा सकता है - यह एक ऐसा सवाल है जिसपर गंभीर विचार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, केरल के वायनाड जिले की तिरुनैल्ली पंचायत में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच कार्य योजना बनाने के लिए एक चर्चा की गई जिसमें स्थिति की मजबूती, कमजोरी, अवसर व चुनौतियों का विश्लेषण किया गया।

सामुदायिक भागीदारी

सामुदायिक भागीदारी के विषय में काफी चर्चाएं हुई हैं। फ्रांस एल (1998) ने दर्शाया है कि विकास परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। निर्णय प्रणाली में स्थानीय लोगों की भागीदारी ही उस कार्यक्रम की सततता सुनिश्चित करती है। पर्यटन के संदर्भ में, भागीदारी से तात्पर्य है कि किस हद तक स्थानीय समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर पाते हैं। एक बार पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो वे खुद ही इस उद्योग के दिशानिर्देशक एवं संरक्षक का काम करते हैं। ज्यादातर गंतव्यों पर पर्यटन उद्योग समृद्ध तथा उच्च वर्ग के नियंत्रण में रहता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि पर्यटन विकास में गरीबों की कोई जगह नहीं। कई बार गंतव्य के स्थानीय लोग पर्यटन से दूर रहते हैं, जिसका पर्यटन उद्योग पर भयानक प्रभाव हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, नीति निर्धारक तथा सतत विकास का प्रस्ताव रखने वाले पर्यटन में स्थानीय/सामुदायिक भागीदारी की वकालत करते हैं।

दक्षिण एशिया में, स्थानीय निवासी (ज्यादातर ग्रामीण, गरीब तथा कमजोर वर्ग) भूमि प्रबंधक/उपयोगकर्ता, उद्यमी, कर्मचारी, निर्णायक तथा संरक्षक के रूप में सक्रिय भागीदार होते हैं - ना कि केवल सामुदायिक सहभागी शिविर चलाने में। उद्देश्य यह है कि अपने क्षेत्र में पर्यटन विकास के निर्णय में स्थानीय लोगों की राय शामिल हो और वे अन्य साझेदारों के साथ मिलकर रोजगार, उद्यम, कार्यकुशलताओं के विकास व स्थानीय आजीविकाओं के विकास के लिए काम करें। समुदाय सामूहिक रूप से नियोजन में भागीदारी कर स्थानीय व्यक्तिगत व पारिवारिक उद्यम विकास के लिए काम कर सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी के कई फायदे हैं जैसे, लोगों, जमीन व संस्कृति की शोषण से सुरक्षा इससे अतिथियों के मनोरंजन का संतुलन भी बना रहता है और ऐसे पर्यटन कार्यक्रमों का विकास होता है जहाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावर्णीय लाभ स्थानीय समुदायों को मिलते हैं। इस संदर्भ में

विभिन्न बुद्धि जीवियों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रतिनिधित्व व पर्यटन समुदाय संबंधो की चर्चा करना उचित होगा - जिसमें मोलौच (1976), मरफी (1983), जेविड व अन्य (1988), पीयर्स (1989), ऐलन व अन्य (1993), साईमन्स (1994), हौवर्ड (1994), मैड्रीगल (1995) आदि शामिल हैं। समुदाय आधारित पर्यटन सतत विकास के ज्यादा करीब है अगर उसका मुकाबला पौराणिक व्यापक पर्यटन से किया जाए। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को यात्रा व्यवस्थापकों के अधिपत्य व राष्ट्रीय स्तर पर उच्च वर्ग के अल्पाधिकारों से मुक्त होकर काम करने का मौका मिलता है (फिलटन, 1996)। पर्यटकों के फायदे के लिए सामुदायिक भागीदारी पर भी व्यापक चर्चा होती रही है (ब्रौहमन 1996, डैलिलेस 1997, स्मिथ 1998, श्वैन्स 1999, टिमोथी 1999 आदि)। पर्यटन की विकास में भूमिका तथा उसके सैद्धांतिक ढांचे के विषय में रिचर्ड शार्पली व अन्य (2002) के विस्तार से लिखा है।

पर्यटन विनियमन की निर्णय प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी सतत पर्यटन विकास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे आर्थिक लाभों का तुल्य बंटवारा सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें सुझाया गया है कि पर्यटन व उससे जुड़े उद्योगों के बीच के रिसाव को रोककर, क्षेत्र के अंदर ही उत्पादों के आयात से लाभ बनाए जा सकते हैं। अन्य लाभ अतिथि - मेजबान संबंधो में सुधार के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें दोनो पक्षों को फायदा होगा। अतः सामुदायिक भागीदारी को वर्तमान पर्यटन विकास प्रतिमान को चुनौती देने के माध्यम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण विकासशील देशों की पर्यटन मूलभूत सुविधाएं विकसित देशों की कुछ ताकतवर बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में हैं। लेकिन हर क्षेत्र की भौगोलिक, जनसांख्यिक तथा सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक भागीदारी के लिए उचित रणनीतियां अपनानी होंगी। इस परिवेश में, केरल, भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थानीय लोग पर्यटन विकास को किस नजर से देखते हैं, यह समझने की कोशिश की जा रही है। उदाहरणात्मक अध्ययन के लिए वायनाड जिले की तिरुनैल्ली पंचायत में अध्ययययन किया गया।

वायनाड

वायनाड, एक मनोरम पहाड़ी क्षेत्र, समुद्र तल से 700-2100 मीटर ऊंचाई पर, केरल के उत्तरी भाग में स्थित है। वायनाड 11° 20' और 11° 58' उत्तर विश्व रेखांतर तथा 75° 47' एवं 70° 27' पूव देशांतर के बीच स्थित है। राजस्व कारणों से जिले को 3 तालुकाओं में बांटा गया है। तीन खंड पंचायतें हैं और 25 ग्राम पंचायतें तथा नगर निगम। कुल क्षेत्रफल 2131 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से 544 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ के वातावरण में ठंडक है जो कई प्रकार की फसल के लिए अनुकूल हैं सर्दी के मौसम में तापमान 15° सेल्सियस तक गिर जाता है। इस जिले में राज्य की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या रहती है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 17.43 प्रतिशत है।

तिरुनैल्ली ग्राम पंचायत में (अध्ययन क्षेत्र) केरल के सभी जिलों से सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, इस पंचायत की 41 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है और ज़्यादातर लोग गरीब किसान की श्रेणी में आते हैं। राज्य द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कुडुम्बश्री के अंतर्गत तिरुनैल्ली पंचायत में 257 स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 64 आदिवासी इकाईयां हैं, जिसमें औसतम 16 सदस्य हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर समूह पर्यटन पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी इस क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं। केरल के अन्य जिलों के मुकाबले वायनाड मे पर्यटन गतिविधियां काफी कम हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूहों से गरीबों व हाशिए की महिलाओं के जुड़ाव से उनकी संस्थागत ढांचो तथा क्रियाकलापों की समझ में बढ़ोतरी हुई है। जिसके परिणामस्वरूप वे राज्य की मुख्यधारा आर्थिक गतिविधियों में जुड़ने के लिए अब तैयार हैं।

पर्यटन एवं गरीबी उन्मूलन

वायनाड, केरल का हरित ग्राम, अपने प्रकृति पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए इसमें उचित अवसर हैं, जिसमें वे बिना अपनी संस्कृति को चोट पहुंचाए और अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए पर्यटन में भाग ले सकते हैं - कुडुम्बश्री के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों में जुड़ाव से स्थानीय शोषित समुदायों के लिए आर्थिक लाभ लाने का काम किया जा सकता है। इन गतिविधियों से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों, खासकर गरीबों, के लिए अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवार के मर्दो के साथ (कुडुम्बश्री समूहों में केवल महिला सदस्य है) चर्चा की गई जिसमें वायनाड में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के विषय मे उनसे जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रक्रिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामुदायिक प्रतिनिधियों तथा मार्ग दर्शकों से चर्चा की गई, जिसके आधार पर आगे चल कर मजबूती, कमजोरी, अवसर व चुनौतियों का अध्ययन किया जा सके। यहाँ पर उन्हीं मजबूतियों, कमजोरियों, अवसरों व चुनौतियों का अध्ययन पेश किया जा रहा है।

मजबूती, कमजोरी, अवसर व चुनौतियों (स्वौट) का अध्ययन

स्वौट अध्ययन चिह्नित स्वयं सहायता समूह की कमजोरियों व मजबूतियों को आंकने के लिए किया जाता है। इससे भविष्य के लिए एक उचित कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।

मजबूती

केरल के अन्य क्षेत्रों से भिन्न, वायनाड में निविध प्राकृतिक संसाधनों तथा पारंपरिक कौशल एवं तकनीकों की भरमार है जो वहाँ क जनजातियों तथा उस प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। पारंम्परिक जीवन में आधुनिक तथा शहरी प्रभावों में हस्तक्षेप किया और विस्थापित लोग न तो अपनी पारंपरिक मजबूतियों को बरकरार रख पाए और न ही वे आधुनिकता में ढल पाए। अधिकतर आदिवासी तथा शोषित गैर आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए उचित साधन ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक महिला समूहों का सवाल है, ज्यादातर औरतें औरों के घरों में नौकरानी या दिन में कुछ समय के लिए नौकरानी का काम करती हैं। उन्हें भुगतान में पैसे के बदले वस्तुओं के रूप में भुगतान मिलता था। यहाँ उचित आमदनी के बदले काम करने वाले पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। वर्तमान समय मे सूक्ष्म-उद्यम कार्यक्रमों के अंतर्गत बकरी-पालन, पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन का काम चल रहा है जिससे पर्याप्त आमदनी प्राप्त नहीं होती। वायनाड में प्रचुर मात्रा में गैर-काष्ठीय वनोपज तथा मौसमी फल उपलब्ध हैं। यह देशी उद्यम चलाने के लिए कच्चे माल की भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासियों में सस्ते तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने का कौशल मौजूद है। सामूहिक रूप से काम करने का भाव कुडुम्बश्री के माध्यम से पनप रहा है तथा, सूक्ष्म उद्योग चलाने के लिए यह एक अच्छा संस्थागत ढांचा है। सदस्यों को इन प्रक्रियाओं व अबरोधकों की जानकारी है। आदिवासी विकास के लिए निर्धारित लोग से नए उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। वायनाड का वातावरण वायनाड विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए भी अनुकूल है इस सबके साथ, स्थानीय स्तर पर नए सूक्ष्म-उद्यम खड़े करने की जरूरत। अतः मुख्य मजबूतियां है - श्रमशक्ति की उपलब्धता, गैर-काष्ठीय वनोपज की उपलब्धता, पारंपरिक ज्ञान व कौशल, संस्थागत ढांचा - कुडुम्बश्री तथा स्वयं सहायता समूह की मौजूदगी, आय संवर्धन कार्यक्रमों की मांग, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का आर्थिक सहयोग तथा स्वास्थ्यवर्धक मौसम।

कमजोरी

उत्पादों की उचित विपणन व्यवस्था तथा उचित दरें न होने के कारण यह उद्यम सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह देखा गया है कि पशु-पालन, बकरी-पालन व मुर्गी-पालन ही इन उद्यमों के मुख्य कार्य हैं। हालांकि इन सभी चीजों की स्थानीय, राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है, तिरुनैल्ली के समूह इन्हें ठीक ढंग से बेच नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय समुदाय जो कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पास इन उत्पादनों के बेचने के लिए न तो कौशल है न ही उपयुक्त तकनीकें, इसके अतिरिक्त, मुख्यतः सभी घरों में यह उत्पाद उपलब्ध होने के कारण इनकी स्थानीय बाजारों में भी बिक्री नहीं हो पाती। ज्यादातर मांग होटलों, तथा बाहर के रैस्तरां से आती है लेकिन यह समूह इसका फायदा नहीं उठा पा रहा हैं। एकत्रीकरण व विपणन के नैटवर्क होने के कारण यह समूह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त चूंकि आदिवासी लोगों को ऐसे काम करने का अनुभव नहीं है - बाजारीकरण स्कीमों तथा विपणन तकनीकों का- तो उनमें एक प्रकार का आलस्य भर जाता है। इस चर्चा से स्पष्ट है कि किसी कार्यक्रम की सफलता तभी सूनिश्चित की जा सकती है, जब उसके सामाजिक परिवेश की प्राकृतिक व सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखा जाए।

स्थानीय लोगों की कमजोरी की उचित पहचान से हम उसके लिए एक उपयुक्त समाधान ढूंढ सकते हैं। आदिवासियों का जिंदगी का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वे बचत और संचय करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते। अन्य कमजोर वर्गो ने भी, उनकी परिस्थिति के कारण, नए कार्यक्रमों के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं होता। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा का अभाव अच्छी उद्यमिता के खिलाफ सबसे बड़ी अड़चन बन जाती है। उसके ऊपर से, वर्तमान कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं। अतः वे भी सफलता की आशा नहीं दिखाते। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों के उत्पादनों की गुणवता कम है और इसे ठीक करने की प्रक्रियाएं स्थापित नहीं हो पाई हैं। यह कार्यक्रम बाहरी एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों के लागू करने पर सफल नहीं हो पाते। स्थानीय लोगों के कौशल का उपयोग सीमित है। अतः मुख्य कमजोरियां हैं - प्रेरणा की कमी, वर्तमान कार्यक्रमों की असफलता, विपणन नैटवर्क न होना, बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार किया जाना, स्थानीय ज्ञान व कौशल का सीमित उपयोग, और क्रियान्वयन संस्थाओं में प्रतिबद्धता की कमी।

अवसर

ऊपर दी गई कमजोरियों का मतलब यह नहीं है कि तिरुनैल्ली में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। स्थानीय स्तर पर की गई चर्चाएं व आदिवासियों के सुझाव इस भावना की पुष्टि करते हैं उन्होंने कई ऐसे-उत्पादनों की पहचान की है जिन्हें वे जंगलों से इकट्ठा करना चाहते हैं और उनसे नए उत्पाद बनाना चाहते हैं। लेकिन वे इसे विशाल स्तर पर नहीं करना चाहते - विशाल स्तर पर उत्पादन और विपणन से वे अनजान हैं। अभी भी उनमें से ज्यादातर लोग आजीविकाएं कमाने भर से संतुष्ट है, यदि हम पढ़े-लिखे आदिवासी युवाओं की पहचान कर सकें और हमें आदिवासी प्रतिनिधियों का सहयोग मिले, तो उनकी वास्तविकता के आधार पर कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। ज़्यादातर इन कार्यक्रमों नें गैर-काष्ठीय उत्पाद जिनमें औषधीय पौधे व स्वदेशी तकनीकें शामिल है। गैर-आदिवासी लोग, जो आमश्रेणी के समूह

में आते हैं, के लिए उनकी दिनचर्या व पारिवारिक माहौल के अनुकूल कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। चूंकि स्वयं सहायता समूहों के पास आधारभूत सुविधाएं नहीं होती, लोगों की पारिवारिक परिपेक्ष से जुड़ी गतिविधियों के आधार पर आसानी से कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, फल एकत्रीकरण, उनका परिरक्षण, औषधिय पौधों की खेती, प्रक्रमण, खरीद आदि का सुझाव चर्चाओं में दिया गया।

निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ चर्चा में और अधिक अवसरों के सुझाव आए। वायनाड में चली आ रही कृषि प्रणालियों के कारण भी यह सुझाव आए। पर्यावरण की ओर बढती चिंता को स्थानीय उत्पादनों के लिए एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। जैविक कृषि उत्पाद की मांग अंतराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। इससे स्थानीय स्तर पर जैविक खेती को सहयोग मिल रहा है। वायनाड में जैविक खेत के विकास की काफी संभावनाएं हैं। जिससे ने केवल अंतराष्ट्रीय, बल्कि होटलों और पर्यटक रिजौर्टो की मांग भी पूरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के साथ बीते वक्त की याद व उस दिशा में लौटने की भावना ने भी लोगों को औषधियों व सौंदर्य उत्पाद में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दिशा में मोड़ दिया। इस क्षेत्र में व्यवसायिक विकास की संभावनाएं अच्छी हैं क्योंकि इससे साझेदारों को अच्छी आमदनी मिल सकती है। शहरीकरण व आधुनिकरण की प्रकिया के चलते ज्यादातर स्थानीय/ग्रामीण/स्वदेशी कार्यक्रम लुप्त हो गए हैं। सभी जानते हैं कि शहरों व कस्बों में ग्रामीण उत्पादों की अच्छी मांग है। इस दिशा में सम्मिलित प्रयास करने से सभी भावीक्षेत्रों की समृद्धि हो सकती है।

ऊपर दिए गए सभी कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक पर्यटन से भी जुड़े हैं। पर्यटन में भूमण्डलीय स्तर पर प्रकृति पर्यटन/ईकोपर्यटन की ओर रुझान बढ़ा रहा है। वायनाड अपने प्राकृतिक-सांस्कृतिक आकर्षण तथा पूर्णतया देशी उत्पादनों के लिए जाना जाता है। विशिष्ट संस्कृति से संबंधित उत्पाद आधुनिक पर्यटक आकर्षण का हिस्सा है। वायनाड में आधुनिक पर्यटकों को आकर्षित करने और गंतव्य विकास करने की सभी संभावनाएं उपलब्ध है। अतः इस चर्चा से उभरने वाले अवसर इस प्रकार हैं - बढ़ता पर्यावरणवाद, जैविक तथा औषधीय उत्पादनों की मांग, शहरीकरण तथा पारंपरिक उत्पाद का लुप्त होना, मनोरम दृश्य तथा मौसम, पर्यटन की बदलती प्राथमिकताएं तथा विशिष्ट संस्कृति संबंधो उत्पादनों की मांग।

चुनौती

ज़्यादातर लोगों ने मूलभूत सुविधाओं का न होना सबसे बड़ी चुनौती माना। चूंकि गुणवता निर्धारण व मानक-निर्धारण का कोई तरीका नहीं है उन्हें लगता है कि उनके उत्पादन बाजार में स्थापित नहीं हो पाएगे। इसके अतिरिक्त समाज के समृद्ध वर्ग इस कार्य को सहयोग नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है इससे मजदूरों की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। बाहरी *एंजेसियों* द्वारा तैयार की गई रूपरेखा पर कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, अतः जरूरत है कि उनके खुद के परिपेक्ष के आधार पर कार्यक्रम विकसित किए जाए। अतः मुख्य चुनौतियां इस प्रकार है - समृद्ध वर्ग का निहित स्वार्थ, क्रियान्वयन संस्थाओं की प्रतिबद्धता में कमी, बाहरी *एजेंसियों* द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, स्थानीय लोगों के कौशल को ध्यान न दिया जाना व स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न होना।

इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों कुडुम्बश्री कर्मचारियों, गैर सरकारी संस्थाओं व आदिवासी प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी व सुझाव इकट्ठे करके एक उपयुक्त योजना बनाई गई जो वायनाड में, तिरुनैल्ली पंचायत पर विशेष ध्यान देते हुए, लागू की जा सकती है।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूहों के अब तक के अनुभव के परिपेक्ष और सामूहिक चर्चाओं तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी (जिसमें उरवु, *वायनाड सोशल सर्विस सोसायटी*, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा आदिवासी समुदाय के वयोवृध प्रतिनिधि शामिल थे) के आधार पर एक वर्ष योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को प्रकृति उद्योग से जोडा गया। समुदायों द्वारा पर्यटन से जुड़ी जो मुख्य कार्यक्षेत्र चिह्नत किए गए वे हैं - कृषि पर्यटन, औषधीय पौधे व स्वास्थ्य उत्पादन, गैर काष्ठीय वन संसाधन, खाद्य संसाधन, वास्तुशिल्प, स्मारिकाएं, पर्यटक गाईड, ईको आवास सुविधाएं, रास्ते की सुविधाएं तथा विशिष्ट सांस्कृतिक वस्तुओं की दुकानें, इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मौजूद स्वयं सहायता समूहों के जरिए नए कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे वे ऐसे उत्पाद तैयार कर सकें जो पर्यटन उद्योग की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जरूरतों को पूरा कर सकें।

अंतिम टिप्पणी

[1] यह दस्तावेज़, अप्रैल 2009, में लिखा गया और यह *टूरिज़्म इन डीसैन्ट्रलाईज़्ड फ्रेमवर्क - अ मौडल फौर कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन* से रूपांतरित किया गयया है। यह दस्तावेज़ अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी *अ डैकेड औफ डीसैन्ट्रलाईजेशन इन केरला* में पेश किया गया था जो सामाजिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली द्वारा तिरूवनंथपुरम में 7-9 अक्तूबर 2005 को आयोजित की गई थी।

[2] डा. बी. विजयकुमार *केरला इन्स्टिट्यूट औफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल स्टडीज.* के प्रधानाचार्य हैं। उनके पास केरल विश्वविद्यालय से केरल में ईकोपर्यटन के सतत विकास पर डॉक्टरेट की उपाधि हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें स्नातकोत्तर शिक्षा व अध्ययन का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा पर्यटन के विभिन्न साझेदारी के लिए कार्यक्रम बनाने में विशेषतता हासिल है। केरल विश्वविद्यालय में बतौर अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड (पूर्व-स्नातक), सदस्य अध्ययन बोर्ड (स्नातकोत्तर) तथा सदस्य सामाजिक विज्ञान, वे पाठ्यक्रम विकास में सक्रीय रूप से शामिल रहे हैं। वे भारतीय मानव अधिकार संस्थान के मानद् अध्यापक हैं तथा य *'ग्रीन पोरटल'* नामक पर्यटन पत्रिका के संपादक भी हैं।

5.

भारत में ईको पर्यटन

नीतिगत तथा कानूनी ढांचे[1]

इक्वेशन्स द्वारा
2008

'ईको पर्यटन' शब्द की रचना एक विपणन संस्था द्वारा की गई जो कोस्टा रीका को एक वर्षा वन गंतव्य के रूप में प्रचार कर रही थी। और तब से यह विश्व पर्यटन संस्थान के लिए एक आला बाजार बन गया है, क्योंकि यह ऐसे संसाधनों का उपयोग करता है जो विकासशील देशों की जैवविविधता एवं सांस्कृतिक बहुलता से जुड़े हैं तथा जिन्हें विकास के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियां जबरदस्ती धकेल रही हैं।

विश्व संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) ने ईको पर्यटन की यह परिभाषा दी है: .... जो पर्यावर्णीय रूप से जिम्मेदार यात्रा हो तथा अछूते प्राकृतिक क्षेत्रों में जाने, प्रकृति का लुत्फ उठाने (तथा उससे जुड़े सांस्कृतिक पहलू, ऐतिहासिक तथा वर्तमान) का मौका दे, जो संरक्षण को बढ़ावा दे, जिसका अतिथि-प्रभाव कम हो और जो लाभदायक सामाजिक आर्थिक भागीदारी के लिए स्थानीय लोगों को जगह दे। (आई.यू.सी.एन., *टूरिज़्म, ईको- टूरिज़्म एंड प्रौटैक्टेड एरियाज़*, सेबैलौस-लैस्क्यूरैन, 1996)

पर्यटन उद्योग द्वारा ईको पर्यटन की परिभाषा इस प्रकार की गई है - उद्देश्यपूर्ण यात्रा जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक इतिहास की समझ बढ़ाने में मदद करे, और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करते हुए ऐसे आर्थिक लाभ दे, जिससे संरक्षण को बढ़ावा मिले.... इस प्रकार की यात्रा का लंबे समय तक जीवित रह पाना, उसके सहयोगी प्राकृतिक संसाधनों के जीवित रहने से जुड़ा है (बैन्डी, 1996 जो रायल एंड ग्रास 1991 : 164 को दोहरा रहे थे)।

द इंटरनैशनल ईकोटूरिज़्म सोसायटी (टाईज़) ने ईको पर्यटन को इस प्रकार परिभाषित किया है प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदार यात्रा, जो प्रकृति का संरक्षण करे और स्थानीय लोगों के कल्याण में योगदान करे।

विश्व पर्यटन संस्थान (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.) के अनुसार, ऐसा पर्यटन जिसमें अछूते प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा हो और जिसका उद्देश्य वहाँ के मनोरम दृश्यों, वन्य जीवों व वहाँ के सांस्कृतिक पहलुओं (ऐतिहासिक तथा वर्तमान) का अध्ययन करना, प्रशंसा करना तथा लुत्फ उठाना हो; उसे ईको पर्यटन कहा जाता है। इसके मुख्य तत्वों में से कुछ हैं - उचित संख्या में पर्यावरण प्रेमी अतिथि गतिविधियां, जिनका पारिस्थितिकी, तथा स्थानीय लोगों पर कोई गंभीर परिणाम न हो तथा जिसमें पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने के लिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी हो (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ., 2002)।[2]

अत: विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार ईको पर्यटन के मुख्य तत्व हैं :

- कि वह जैव विविधता संरक्षण में सहायक हो।
- देशी/स्थानीय समुदायों के लिए लाभदायक हो।
- संसाधनों का न्यूनतम उपभोग करे।
- स्थल विशिष्ट मुद्दों का हल निकाले।
- स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्वामित्व व उद्यम अवसरों पर जोर दे।
- छोटे समूहों की सूक्ष्म स्तरीय उद्यम के ज़रिए ज़रूरतें पूरी करे।
- उसके अंतर्गत व्याख्या/जागृति अनुभव शामिल हो।
- पर्यटकों व पर्यटन उद्योग की ओर से जिम्मेवार आचरण

ईको पर्यटन की स्थिति :

ईको पर्यटन अब एक बेहद विवादित शब्द हो गया है - पारिस्थितिकीय, आर्थिक, तथा राजनैतिक हर रूप से। इसका उपयोग ईको पर्यटन के प्रस्ताव रखने वालों - सरकारी विभागों तथा पर्यटन उद्योग - द्वारा नए क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोले जाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके कारण ऐसे क्षेत्र पर्यटन के लिए खुल गए, जहाँ पर्यटन उद्योग के प्रयासों के कारण स्थानीय लोगों तथा पर्यावरण पर गहरे प्रभाव पड़े।

हर अदाकार ने इसे अपने फायदे के लिए परिभाषित करने की कोशिश की। होटलों के लिए, इसका मतलब है पर्यावरण-सहाय प्रक्रियाएं अपनाना जैसे पुनर्चक्रण, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का

उपयोग, स्थानीय वास्तुशिल्प अपनाना तथा स्थानीय लोगों को रोज़गार देना। यात्रा व्यवस्थापकों के लिए इसका मतलब था, ईको पर्यटन के रूप में प्रचार करने के लिए नए गंतव्यों की पहचान करना जो आम पर्यटक स्थलों से हटकर हैं।

ईको पर्यटन की विभिन्न परिभाषाओं पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। स्थानीय लोगों ने ईको पर्यटन, उसकी परिभाषा तथा अवधारणा पर आरोप लगाया है कि वह ज़्यादातर उद्योगपतियों द्वारा चलाया जाता है और उसके विकास में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। 2002 के अंतर्राष्ट्रीय ईको पर्यटन वर्ष में उठाए गए मुद्दे और उस तक पहुंचने वाली प्रक्रियाएं, जिसमें विश्व ईको पर्यटन शिखर सम्मेलन शामिल हैं, इस तथ्य के साक्षी हैं। कई संस्थाओं ने बार बार दोहराया कि ईको पर्यटन का आंकलन किया जाए और उससे क्या हासिल किया जा सकता है इसे स्पष्ट किया जाए जिससे कि वह सरकारों, पर्यटन उद्यमियों तथा विकास संस्थाओं के लिए केवल प्रचार का माध्यम बन कर रह न जाए। द *रीथिंकिंग टूरिज़्म प्रौजैक्ट* (जो अब *इन्डिजीनस टूरिज़्म राईट्स* कहलाता है), मिनियापोलिस, यू.एस.ए. ने आदिवासी तथा समुदाय आधारित संस्थाओं की तरफ से ऐसे ही मुद्दे उठाते हुए कहा कि ज़्यादातर ईको पर्यटन कार्यक्रम समुदाय आधारित नहीं हैं तथा उनको ऊपर से थोपा गया है। कार्यक्रमों के दीर्घकालीन प्रभावों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यह चिंता जताई गई है कि वर्तमान में जिसे ईको पर्यटन कहा जा रहा है, वह असल में निवेशकों को फायदा देने, प्रबंधन विशेषज्ञों के सशक्तिकरण तथा पर्यटकों के आनंद के लिए बना है। इससे मेजबान समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय स्वास्थ्य को कोई फायदा नहीं मिलने वाला (*रीथिंकिंग टूरिज़्म प्रौजैक्ट, लैटर टू यू.एन.ई.पी.*, 27 अक्तूबर 2000) और लोगों को नकारात्मक प्रभाव व न्यूनतम लाभ ही मिलता है।

अब 'ईकोपर्यटन' शब्द का प्रयोग ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन के संदर्भ में होता है जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हैं। इसकी उत्पत्ति प्रकृति-आधारित पर्यटन से हुई है। इसीलिए कभी कभी इसे प्रकृति पर्यटन भी कहा जाता है (बैन्डी, 1996)। प्राकृतिक व अछूते क्षेत्रों, जैसे वनों व द्वीपों पर पर्यटन को 'ईको पर्यटन' या 'प्रकृति पर्यटन कहने का रूझान असल में बेहद अस्पष्ट है।' इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पर्यटन उद्योग इसीलिए करता है क्योंकि जहाँ भी पर्यटन चलाया गया, वहाँ के पर्यावरण और सामाजिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तथा अमानवीय स्थितियां पैदा हुईं - जैसे कि विस्थापन, शोषण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तथा आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के मूलभूत मानव अधिकारों का हनन।

भारत जैसे देश में ईको पर्यटन विकास की चर्चा को पर्यटक आकर्षणों के संदर्भ में देखना ज़रूरी है। व्यापक प्राकृतिक संपदा तथा जैवविविधता के केन्द्र, जो समुद्री तटों, अप्रवाही जल क्षेत्रों, जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हैं, मुख्य पर्यटक आकर्षण हैं, जिसके नाम पर ईकोपर्यटन चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि संरक्षित क्षेत्र भी जहाँ पहले सीमित पर्यटन गतिविधियां होती थीं, अब तीव्र पर्यटन विकास का शिकार बन गए हैं। पर्यटन उद्योग इन 'बेकार पड़े' संसाधनों से आर्थिक लाभ कमाने का आश्वासन देता है। उनके अनुसार इन प्राकृतिक संसाधनों में बहुत आर्थिक संभावनाएं छिपी हैं जिन्हें अभी तक साकार नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि ईको पर्यटन की अवधारणा संरक्षण तथा सामुदायिक लाभ तक सीमित नहीं है और इसे बाज़ारी ताकतें ही नियंत्रित कर रही हैं। मौजूदा प्रणालियों में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बदलाव कर दिए जाते हैं। और ऊपर से संरक्षण व सामुदायिक लाभ के पहलू थोप कर उसे ईको पर्यटन उत्पाद का नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए, रात को वनों की गश्त लगाना वन विभाग की पहले से जिम्मेदारी थी पर अब उसे ईको पर्यटन उत्पाद के रूप में पेश किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पर्यटकों को वन रक्षकों के साथ उनकी रात्रि गश्त पर ले जाया जाता है।

पर्यटकों की संरक्षित क्षेत्रों में घूमने की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप वन विभाग संरक्षण व वानिकी कार्यों को छोड़कर पर्यटन का प्रचारक बन कर रह गया है। इसे केरल वन विकास कारपोरेशन के उदाहरण से देखते हैं।

केरल वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड (के.एफ.डी.सी.)

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने हर राज्य में वन विकास कारपोरेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है, जिससे कि मानवकृत वन बनाने के लिए आवश्यक पूंजी इकट्ठी की जा सके। इससे देश की आंतरिक वनोपज आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में पुनर्जनन के माध्यम से उन्हें फिर से उपयोगी बनाया जा सकेगा।

के.एफ.डी.सी. लिमिटेड के प्रमुख कार्य :-

1. केरल सरकार से आरक्षित वन, अनारक्षित वन तथा अन्य भूमि को किराये पर या अन्य किसी प्रक्रिया से अधिकृत करना, खरीदना या ले लेना - जिन क्षेत्रों में पेड़ हों या न हों और उन पर औद्योगिक उपयोग के लिए पौधारोपण करना।
2. रबड़, काली मिर्च, बादाम, कोको, इलायची आदि के पौधारोपण करना तथा हर प्रकार के जंगली पौधों, पेड़ों तथा कृषि उपज को खरीदना, बेचना, आयात-निर्यात करना, विकसित करना, उनका आबंटन करना आदि।
3. वनों के काष्ठीय तथा अन्य उत्पादों को उनकी उत्पादकता की चरम सीमा तक प्रबन्धित करने के लिए अधिकृत करना, खरीदना या किराये पर लेना।
4. वन रक्षक, पौधारोपक, कृषक, विक्रेता तथा व्यापारी के रूप में औद्योगिक लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कोयले आदि का उत्पादन, बिक्री तथा व्यापार करना।

के.डी.एफ.सी. बोर्ड ने अपनी मुख्य गतिविधि के रूप में निम्नलिखित कार्यो को स्वीकृति दे दी है :

''पर्यटन गतिविधियां चलाना, जिसमें ईको पर्यटन, कृषि पर्यटन, वन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन आदि शामिल हैं तथा इसके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना, जैसे कि हॉस्टल, होटल, पर्यटक गृह, संग्रहालय, चिड़ियाघर, अस्पताल, स्वास्थ्य क्लब आदि, जिसमें के.डी.एफ.सी. की भूमिका यात्रा एजेंट, यात्रा व्यवस्थापक आदि की रहेगी जो पर्यटन गतिविधियों का प्रचार प्रसार करे।''

संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। संवेदनशील व भंगुर क्षेत्रों में तथा देश के कई संरक्षित क्षेत्रों में भी विलासितापूर्ण तथा संसाधन प्रधान आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। केरल के पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र में केरल पर्यटन विकास कॉरपोरेशन के तीन होटल आरक्षित क्षेत्र के अंदर हैं। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। हालांकि के.टी.डी.सी. होटल की लीज़ 1996 में ही खत्म हो गई थी, वन विभाग इन होटलों को अभ्यारण्य से बाहर निकालने में असक्षम रहा है। पूरे देश में ऐसी ही स्थिति है, जहाँ कई सफारी लौज बनाए जा रहे हैं - जैसे महुआ कोठी (बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान) तथा बाघवन (पेंच राष्ट्रीय उद्यान) में ताज सफारी वाईल्डलाईफ लौज। ताज समूह द्वारा दो और सफारी लौज बंजार टोला (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान) और पाशाणगढ़ (पन्ना राष्ट्रीय उद्यान) में बनाए जा रहे हैं।

हमें यह समझना होगा कि यह मूलभूत सुविधाएं आदिवासी तथा स्थानीय समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सीमित करती हैं। आदिवासी व स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से इन क्षेत्रों में रहते आए हैं तथा इन पारिस्थितिकीय तंत्रों पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए निर्भर हैं। उनकी निर्भरता का इन संसाधनों पर इतना गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि पर्यटन गतिविधियों और मूलभूत सुविधाओं का पड़ता है।

संरक्षित क्षेत्र स्थानीय तथा आदिवासी लोगों को उनकी मौलिक जन्म भूमि से विस्थापित करने का मुख्य कारण थे क्योंकि इन लोगों को भारत के संरक्षित क्षेत्रों पर 'दबाव' का कारण बताया गया। इन संरक्षित क्षेत्रों में 'पर्यटन क्षेत्रों' का बनाया जाना इस शोषण को और अधिक घाती बना देता है। इसके कारण एक भूमण्डल उद्योग को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आस पास व अंदर रहने का कानूनी अधिकार मिल गया है। जहाँ एक ओर स्थानीय लोगों को वन क्षेत्रों से विस्थापित किया गया है, वहीं पर्यटन को बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में ईको पर्यटन के संदर्भ में कानूनी ढांचे तथा नियम

राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून एवं नीतियां

जहाँ एक ओर पर्यटन नीतियां, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर ईको पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के कानून व नीतियां इसके अनियंत्रित विकास को रोकने में असक्षम रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों तथा अधिघोषणाओं की चर्चा नीचे की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानूनी व नीतिगत ढांचे हैं, जो ईकोपर्यटन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में समस्याए हैं, जैसे वन अधिनियम, 1980 जिसका ईकोपर्यटन के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है तथा अन्य, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, जिसमें ईको पर्यटन के लिए क्षेत्र खोले जाने के लिए जानबूझ कर प्रावधान रखे गये हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि केन्द्रीय व राज्य स्तर पर नीतियों तथा कार्य योजनाओं में इसका कोई वर्णन नहीं है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, संशोधन 1993 तथा 2002

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में केवल एक बार पर्यटन शब्द का उपयोग हुआ है - खण्ड 28(ब) में, और पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति केवल राज्य का मुख्य वन्यजीव पाल दे सकता है। इन कानूनों के घोषित होने के बाद से पर्यटन काफी आगे बढ़ चुका है। वर्नमान समय की गतिविधियां स्पष्ट रूप से संरक्षित क्षेत्रों की जैवविविधता के लिए 1970 के दशक के मुकाबले कहीं अधिक हानिकारक हैं। जल्दी ही इस प्रावधान में संशोधन करने की ज़रूरत है, या कम से कम विस्तृत दिशा निर्देश निकाले जाएं जिसमें पर्यटन को परिभाषित करने के साथ साथ उसे संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व आसपास कैसे चलाना है, वह स्पष्ट किया जाए।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

हालांकि इस अधिनियम में वन क्षेत्रों में पर्यटन को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं, इसमें दो कमियां रह गई हैं, जिन्हें संरक्षित क्षेत्रों तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में विशाल स्तर पर पर्यटन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम , 1972 के वन क्षेत्रों तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में विशाल स्तर पर पर्यटन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि आरक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो संरक्षित क्षेत्रों में नहीं गिने जाते। वन (संरक्षण) अधिनियम की 2 कमियां हैं :

क) गैर-वानिकी उपयोग शब्द का इस्तेमाल - अधिनियम में पर्यटन को गैर वानिकी गतिविधि नहीं माना गया है। दूसरी ओर राज्यों के वन विभाग, जो ईको पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन को वन संबंधित गतिविधि मानते हैं, जो संरक्षण में सहायक है। यह वन क्षेत्रों में ईको पर्यटन के मुखौटे के साथ बढ़ते पर्यटन के पीछे मुख्य कारण रहा है।

ख) खण्ड 2 (iii) जिसके अंतर्गत, कोई भी वन भूमि या उसका अंश किराए पर या अन्य समझौते से, किसी भी निजी व्यक्ति या प्राधिकरण, कारपोरेशन, एजेंसी या अन्य संस्था जो सरकार द्वारा न चलाई जा रही हो, को दी जा सकती है। इस प्रावधान के कारण वन क्षेत्रों में पर्यटन को घुसने के लिए खुली छूट दे दी है।

अतः इन मामलों को जल्द ही स्पष्ट करने की ज़रूरत है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

भारत- द्वारा *यू.एन. कन्वैन्शन ऑन बायोलौजिकल डायवर्सिटी* पर हस्ताक्षर किये जाने के परिणाम स्वरूप 2002 में जैव विविधत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं : क) जैव विविधता संरक्षण; ख) जैव विविध संसाधनों का सतत उपयोग और ग) इन संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का तुल्य वितरण।

इस अधिनियम में सुनिश्चित रूप से पर्यटन का वर्णन नहीं है। लेकिन पर्यटन (जैवविविध संसाधनों के) सतत एवं गैर उपभोगी प्रयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इन संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में स्थानीय समुदायों की भी भूमिका है। ईको पर्यटन को खासकर इस अधिनियम से लाभ हो सकता है। यदि उसे ऐसी गतिविधि माना जाए जहाँ संसाधनों का उपयोग होता है तथा उससे होने वाले लाभों को तुल्य रूप से बांटा जाए। इस अधिनियम की धारा 37 में जैवविविध विरासती (हैरिटेज) स्थल घोषित करने का प्रावधान है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति है या नहीं और इन क्षेत्रों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका हो सकती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम के अंतर्गत, दो महत्वपूर्ण अधिघोषणाएं की गईं जो ईको पर्यटन से जुड़ी हैं। एक है, तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिघोषणा, 1991 तथा दूसरी पर्यावर्णीय प्रभाव आंकलन अधिघोषणा, 1994। इस अधिनियम तथा उसके नियमों का मूल यह है कि इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावर्णीय सुरक्षा तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने और पर्यावर्णीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने तथा घटाने के लिए उपयुक्त शक्तियां दी गई हैं।

तटीय नियंत्रण अधिघोषणा, 1991 (सी.आर.जैड़)

तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिघोषणा, 1991 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत, 19 फरवरी 1991 को की गई। तटीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथा विशेष कानून है। लेकिन 1991 में इसमें 20 संशोधन व 3 शुद्धिपत्र (जनवरी, 2005 तक) जारी किये जा चुके हैं। हर संशोधन में इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है तथा नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जो कई संरक्षण प्रावधानों का प्रभाव कम कर देते हैं।

विकास-रहित क्षेत्र में पर्यटन की जगह बनाने के लिए कमी :

- इस अधिघोषणा का पहला संशोधन पर्यटन उद्यमियों के दबाव के कारण किया गया।
- यह संशोधन अधिघोशणा सं.एस.ओ. 595 (E) दिनांक 18 अगस्त, 1994 के माध्यम से वोहरा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर किया गया जो 1 जनवरी, 1992 को गठित की गई थी और जिसकी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1992 को जमा की गई। इसमें मुख्य मुद्दा था पर्यटन। इस कमेटी के गठन के पीछे कारण था कि भारत सरकार पर होटल तथा पर्यटन उद्यमियों का दबाव था कि अधिघोषण बहुत कठोर है तथा इसके कारण उनके काम में बाधाएं आ रही हैं।
- कमेटी की संस्तुतियों में एक था, विकास रहित क्षेत्र (एन.डी.जैड.) में कमी करना, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो पर्यटन विकास के लिए चुने जा चुके हैं। मंत्रालय ने सी.आर.जैड. अधिघोषणा, 1991 को 18 अगस्त, 1994 के दिन संशोधित कर दिया गया, जिसमें एन.डी.जैड की सीमा 200 मीटर से घटा कर 50 मीटर कर दी गई। इस संशोधन में एन.डी.जैड के अंतर्गत निर्माण कार्य की अनुमति भी दे दी गई। अतः केन्द्रीय सरकार को विस्तृत शक्तियां दी गईं कि वे ज्वार भाटा रेखा के 200 मीटर क्षेत्र में अपनी समझ से निर्माण की अनुमति दे सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय मे इन अधिघोशणाओं करो बाद में निरस्त कर दिया।
- एन.डी.जौड. को अंततः 50 मीटर तक तय किया, लेकिन केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में, पर्यटन के लिए। यह संशोधन एस.ओ. 838 (E) के माध्यम से 24 जुलाई, 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन में किया गया। इस संशोधन की संस्तुति शेखर सिंह कमिटि रिपोर्ट में दी गई थी। यह छूट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित, संयुक्त तटीय क्षेत्र प्रबंधन नियोजन अध्ययन द्वारा चिन्हित, एन.डी.जैड क्षेत्रों पर आधारित थी।

पर्यावर्णीय असर आंकलन अधिघोषणा, 1994 और 2006 (ई.आई.ए.)

1994 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत में सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय असर आंकलन कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिघोषणा एस.ओ. 60 (E) के ज़रिए 27 जनवरी, 1994 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत की गई। इस के 4 मुख्य उद्देश्य थे :

- परियोजनाओं के पर्यावर्णीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना।
- नकारात्मक प्रभावों को कम करने के रास्ते सुझाना।
- स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएं बनाना।
- इन भविश्यवाणियों तथा विकल्पों को निर्णायकों के सामने पेष करना।[3]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जो ई.आई.ए. के लिए केन्द्रीय एजेंसी है, ने 14 सितम्बर, 2006 को एक नई अधिघोषणा जारी की, जिसमें भारत में ई.आई.ए. प्रक्रिया को काफी हद तक बदल दिया। 1994 की मूल ई.आई.ए. अधिघोषणा में पर्यटन (जिसमें होटल, तटीय रिजौर्ट शामिल हैं) को श्रेणी 1 परियोजना का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब है, जिसके लिए ई.आई.ए. कानूनी रूप से अनिवार्य है तथा जिसे केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। सभी पर्यटन परियोजनाएं जो ज्वार भाटा रेखा के 200 मीटर - 500 मीटर के भीतर हैं और 1000 मी. समुद्र तल की ऊंचाई से ऊपर स्थित है, जिसमें रू. 5 करोड़ से अधिक निवेश हो, को ई.आई.ए. अधिसूचना की श्रेणी 1 में शामिल किया गया।[4] लेकिन नई अधिघोषणा में पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण असर आंकलन को छोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि पर्यटन का वर्णन भी नहीं है।

वर्तमान राष्ट्रीय नीतियां तथा ईकोपर्यटन

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006

भारत के पर्यावरण के लिए एक व्यापक नीति वक्तव्य की ज़रूरत को देखते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की रचना की गई। पर्यावरण नीति कई संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में ईकोपर्यटन को बढ़ावा देते हुए, पर्यटन को एक प्रभावी तत्व मानने को नज़रंदाज़ करती है। यह नीति प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए गरीबी को जिम्मेवार ठहराती है और दूसरी ओर, समाज के धनवान लोगों द्वारा किए जा रहे अपव्यय से नज़र फेरती दिखती है। वह यह मानने से इंकार करती है कि पर्यटन एक संसाधन प्रधान गतिविधि है। इस नीति में संरक्षित क्षेत्रों या अन्य स्वस्थ, कमज़ोर या संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन विकास को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं दिया गया है। नीति के सुझाव के अनुसार, यदि पर्यावर्णीय सेवाओं का बाज़ारीकरण होने लगा तो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें धोखा करने व विकृत होने की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, वन्यजीवों को आर्थिक मूल्य देना जैसा कि सांस्कृतिक पहलुओं के साथ भी किया गया है, उनके अन्य अदृश्य लाभों की भूमिका को नकारता है तथा उन्हें पर्यटन की एक वस्तु बनाकर छोड़ देता है। इसका संभावित परिणाम है कि और अधिक क्षेत्र पर्यटन के लिए खोले जाएंगे। नीति की संस्तुति है कि जंगलों व वन्यजीवों को ईकोपर्यटन का लक्ष्य बनाया जाए। इससे इन क्षेत्रों को क्षति पहुंच सकती है और दूसरी ओर काफी अन्य क्षेत्रों, जैसे कि रेगिस्तान, का उचित विकास भी छूट जाता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1998

राष्ट्रीय वन नीति, 1998 का ज़ोर स्थानीय लोगों के वन संसाधन उपयोग पर है। इसका उपयोग स्थानीय लोगों के वनाधिकारों को सशक्त करने तथा पर्यटन विकास को स्थानीय निर्णय प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए किया जा सकता है। यह नीति जंगलों के संरक्षण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पहलू मानती है। अतः इस प्रावधान के अंतर्गत, व्याख्या गतिविधियों को ईकोपर्यटन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002

राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 को पर्यटन से जुड़े सभी समूहों के बीच विस्तृत चर्चा का परिणाम माना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ प्राथमिक क्षेत्रों - हिमालय, उत्तरी पूर्व, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - में पर्यटन विकास तथा इसे समुदाय आधारित आंदोलन बनाने का उद्देश्य है।

इस नीति में पर्यटन के संभावित पर्यावर्णीय प्रभावों को पहचाना तो गया है पर इस विषय में क्या कदम लेने चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है। इस नीति में सततता को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, जो कि प्रशंसनीय है। लेकिन केवल उद्देश्य के रूप में कहकर छोड़ दिया गया है, जो कि निराशाजनक है।

राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति तथा कार्ययोजना

इस कार्ययोजना में भारत के मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों पर पर्यटन गतिविधियों के ठोस प्रभावों के विषय में चर्चा की गई है। इसका ज़ोर पर्यटन तथा जैवविविधता संबंधी मूल तत्वों पर है और यह विस्तृत पहलुओं, जैसे एक क्षेत्र में ईकोपर्यटन प्रयासों पर चर्चा नहीं करता। ईकोपर्यटन का भाग भी इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर/आस-पास तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन को कई एजेंसियां ईकोपर्यटन के नाम से बढ़ावा दे रही हैं - सरकारें, पर्यटन उद्योग तथा खुद समुदाय भी।

भारत में ईकोपर्यटन - नीति तथा दिशानिर्देश - पर्यटन मंत्रालय - भारत सरकार, 1998

भारत सरकार की सतत पर्यटन विकास नीति के अपने प्रयासों के कारण पर्यटन मंत्रालय ईकोपर्यटन विकास के विषय पर नीति तथा दिशानिर्देशों बनाने का विचार कर रहा है। यह दिशानिर्देश ईकोपर्यटन के नियंत्रित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं सामूहिक विकास सुनिश्चित करने के लिए रचे गए। नीति तथा दिशानिर्देशों में सभी राज्य सरकारों, उद्यमियों तथा पर्यटन विकास में कार्यरत लोगों और पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणकर्ताओं को संबोधित किया गया है।

इस नीति में यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा दी गई परिभाषाओं का संदर्भ देते हुए ईकोपर्यटन के मूल तत्वों को परिभाषित किया गया है : ऐसे क्षेत्र जहाँ का मुख्य आकर्षण वहाँ का प्राकृतिक वातावरण हो, वहाँ पर्यावरण प्रेमी अतिथि आएं; गतिविधियों का पारिस्थितिकीय तंत्र पर गंभीर प्रभाव न पड़े तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में स्थानीय समुदायों की सकारात्मक भागीदारी हो।

इस नीति में भारत के सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को शामिल किया गया है और इन्हें महत्वपूर्ण ईकोपर्यटन संसाधन माना गया है। यह नीति मानती है कि यह संसाधन अच्छी तरह संरक्षित हैं। नीति का इशारा, कि यह सभी पारिस्थितिकीय तंत्र संभावित ईकोपर्यटन गंतव्य हो सकते हैं, चिंताजनक है क्योंकि पर्यटन के कारण कई पारिस्थितिकीय तंत्रों में अवांछित प्रभाव हुए हैं।

इस नीति में सातों जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को ईकोपर्यटन संसाधन माना गया है। इनमें से दो नीलगिरी तथा नंदा देवी में पहले से ही पर्यटन विकास के प्रभाव देखे जा चुके हैं। वास्तव में इन दोनों जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में विनाश का मुख्य कारण पर्यटन ही रहा है। ग्रेट निकोबार में अभी आना-जाना मुश्किल है क्योंकि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने वहाँ लोगों के आने-जाने पर नियंत्रण लगाया हुआ है। सुंदरबन में विशाल पर्यटन परियोजना लागू होने वाली थी, जिसे एक राष्ट्रीय अभियान के कारण रोका गया। मुन्नार की खाड़ी पर्यटन स्थल बन चुकी है, खासकर 26 दिसंबर, 2004 के त्सूनामी के बाद से, जब पर्यटन विभाग, तमिल नाड सरकार ने यहाँ अपनी गतिविधियां शुरु कर दीं।

नीति में लिखा है कि एक वरणातमक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नियोजन, प्रभावी नियंत्रण तथा निरंतर निगरानी से पर्यटन विकास होना चाहिए। यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन ऊपर दिए गए पहलुओं, जैसे नए क्षेत्रों को खोला जाना और वर्तमान पर्यटन प्रभावों का आंकलन, को शामिल करना ज़रूरी है।

राज्यों में पर्यटन / ईकोपर्यटन नीतियां

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन नीति बेहद एकपक्षीय दस्तावेज़ है, जिससे दिशानिर्देशों व क्रियान्वयन के मूल्यों की ज़रूरत पूरी नहीं होती। एक पन्ने के इस दस्तावेज़ में दिग्दृष्टि के रूप में केवल यह लिखा है कि द्वीप समूह को एक :
'...ईकोपर्यटकों के लिए गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मूलभमत सुविधाओं का निर्माण पर्यावर्णीय सतत प्रक्रियाओं द्वारा, बिना प्राकृतिक वातावरण को चोट पहुंचाए, राजस्व पैदा करने के उद्देश्य से, और अधिक रोज़गार पैदा करते हुए तथा द्वीप समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ' (सूचना, प्रचार तथ पर्यटन निदेशालय, 2003)।

छत्तीसगड़

छत्तीसगड़ राज्य की कोई ईकोपर्यटन नीति नहीं है। सरकारी वैबसाईट[5] पर ईकोपर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई है जहाँ लिखा है कि राज्य की नीति का एक मुख्य उद्देश्य है राज्य में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावर्णीय रूप से सतत पर्यटन को बढ़ावा देना।

ईकोपर्यटन वाले भाग में लिखा गया है 'भारत के 12 प्रतिशत जंगलों के साथ, छत्तीसगड़ राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बरनावापाड़ा, सीतानदी, उदाँती तथा अचानकमार अभ्यारण्य। मेनपट (सरगुजा), केशकल घाटी (कांकेर), चैतुरगढ़ (बिलासपुर), बगीचा (जशपुर), कुटुम्बसर गुफाएं, कैलाश गुफाएं, तीरथगड़ झरने, चित्रकोट झरने (बस्तर) - यह सभी उत्कृष्ट गंतव्य हैं, जिन्हें प्राकृतिक एवं वन्यजीव पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। वन्यजीव क्षेत्र, शिविर स्थल तथा ट्रैकिंग सुविधाएं कुछ मुख्य आकर्षण होंगे'।[6]

राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन पर ज़ोर दिए जाने के कारण ऐसा लगता है कि यह नीति ऐसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मनोरंजन गतिविधियों को ईकोपर्यटन का नाम दे रही है। नीति में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक आकर्षणों को स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में भागीदारी के स्तर तथा लाभ वितरण की प्रणालियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। इसमें औषधीय उद्यानों तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य रिज़ौर्टो पर भी ज़ोर दिया गया है। जहाँ स्थानीय लोगों के परंपरिक ज्ञान के उपयोग की बात है, वहाँ उन्हें इससे लाभ पहुंचाने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं दी गई है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की ईकोपर्यटन नीति राज्य के वन विभाग द्वारा वर्ष 2005 में तैयार की गई।[7] इसका उद्देश्य है कि : 'हिमाचल के वन्यजीवन को राज्य में आने वाले पर्यटकों के नज़दीक लाया जाए और साथ ही उपयुक्त प्रक्रियाओं के ज़रिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो। स्थानीय लोगों की भागीदारी से, यह नीति उनकी आजीविकाओं के साधनों में बढ़ोतरी करके समृद्धि को बढ़ावा देगी। यह राज्य में पर्याप्त आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेगी, जिससे वापस पारिस्थितिकीय तंत्र की देखरेख व प्रबंधन में ही खर्च किया जाएगा'। इस नीति के अंतर्गत 2010 तक हिमाचल को एक सफल ईकोपर्यटन गंतव्य बनाने की आशा की गई है। इस उद्देश्य को पाने के लिए, एक विशेष तंत्र की प्रस्तावना की गई है, जिसमें यह तंत्र, नागरिक समाज (जिसमें स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थान, निजि उद्यम शामिल हैं) और राज्य (वन तथा पर्यटन विभाग) भागीदारी स्थापित करेंगे।

इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :

- समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा तथा उन्हें आमदनी व रोज़गार के रूप में लाभ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-आवास को बढ़ावा।
- शिक्षा व जागृति बढ़ाना तथा हिमाचल और हिमालय क्षेत्र में संसाधन केन्द्र के रूप में उभरना।
- पर्यावर्णीय रक्षा सुनिश्चित करना।

कुल मिलाकर यह नीति अन्य राज्यों की नीतियों से ज़्यादा प्रगतिशील दिखाई देती है।

झारखंड

झारखंड में पर्यटन / ईकोपर्यटन पर अलग नीति न होने के कारण, पर्यटन को राज्य औद्योगिक नीति, 2001 में शामिल किया गया है। अध्याय 12 : पर्यटन में लिखा है 'ईकोपर्यटन विकास को प्रथमिकता दी जाएगी'। ऐसे साधारण वाक्य से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।[8] लेकिन यह ज़रूर मान सकते हैं कि ईकोपर्यटन विकास को महत्वपूर्ण माना गया है।

कर्णाटक

कर्णाटक की ईकोपर्यटन नीति नहीं है पर वन पर्यटन नीति[9] है, जो 2004 में जारी की गई। इस नीति में लिखा है कि वन पर्यटन ईकोपर्यटन का एक हिस्सा है। इसके पीछे अवधारणा यह है कि राज्य में वन पर्यटन का महत्व बढ़ता जा रहा है अत: 'एक ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है जो इसे ऐसे बढ़ावा दे, निर्दिष्ट करे तथा नियंत्रित रखे जो कि वांछनीय हो।'

वन पर्यटन को बढ़ावा देने के पीछे कारण है कि, आम जनता द्वारा सराहना, आदर तथा उनके मनोरंजन से संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अत: राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारणयों तथा वन क्षेत्रों के चिह्नित अंश खोले जाएंगे। संयोग से या अचानक आ गए पर्यटकों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त नीति में कहा गया है कि वन पर्यटन से स्थानीय लागों को लाभ होना चाहिए, खासकर आदिवासियों को। वन विभाग ऐसे लाभ दिलवाने के लिए रास्ते ढूंढेगा।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य कर्णाटक के संरक्षित क्षेत्रों तथा जंगलों में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना प्रतीत होता है। हालांकि संरक्षण, स्थानीय समुदायों को लाभ तथा नियंत्रण की बात कही गई है, इस सब को हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रियाएं नहीं सुझाई गई हैं।

केरल

केरल पर्यटन दृग्विषय 2025[10] में केरल में ईकोपर्यटन की परिभाषा एवं ढांचा दिया गया है, जो 2001 में तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत ईकोपर्यटन का संदर्भ दिया गया है, जहाँ एक उद्देश्य है, 'राज्य में सतत तथा पर्यावरण पक्षीय पर्यटन को बढ़ाव देना, जो गंतव्यों की भार-क्षमता पर आधारित हो। केरल पर्यटन की ताकत है वहाँ के अप्रवाही जलक्षेत्र, पहाड़ी गंतव्य तथा समुद्री तट। इन गंतव्यों में सतत पर्यटन की आवश्यकता को पहचानते हुए, केरल पर्यटन पारिस्थितिकी के संरक्षण पर ज़ोर देता है, जिससे कि पर्यावरण पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। साथ ही गंतव्यों की भार-क्षमता को देखते हुए ही पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन गंतव्यों का विकास क्षेत्रीय विकास योजना के आधार पर नियोजित विकास के अंतर्गत नियंत्रित किया जाएगा।'

यह एक अच्छी प्रक्रिया है बशर्ते कि वर्तमान तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाए कि यगंतव्यों के असतत विकास 'के पीछे क्या कारण रहे हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि सतत तथा प्रकृति-पक्षीय पर्यटन के कई पहलुओं में से यभार-क्षमता' केवल एक पहलू है। अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ईकोपर्यटन विकास को प्रथमिकता देने का निर्णय लिया है। उसका ज़ोर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर है जिसके लिए जागृति बढ़ाने, पर्यटन गतिविधियों तथा गंतव्यों की विविधता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इस नीति का उद्देश्य है कि ईकोपर्यटन की ओर आम जनता तथा संबंधित सरकारी विभागों में सूचना तथा संवेदनशीलता का प्रचार हो तथा इसकी पर्यावर्णीय, सामाजिक एवं आर्थिक सततता के लिए राज्य में उचित ढांचे बनाए जाएं।

मूल दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ईकोपर्यटन का विकास राष्ट्रीय पर्यावर्णीय कानूनों के अंतर्गत ही किया जाएगा, खासकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्देश तथा दिशानिर्देश। चूंकि इन दोनों अधिनियमों में काफी कमियां हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इस राज्य में भी संरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन को बढ़चढ़कर बढ़ावा दिया जाएगा।

तमिल नाड

तमिल नाड सरकार के 2005-06 के पर्यटन नीति वचनपत्र में विभिन्न ईकोपर्यटन स्कीमों, जो डैवलपमैंट औफ ईकोटूरिज़्म सर्किट के अंतर्गत जारी की गई हैं, को लागू करने की मांग की गई है। इसके लिए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, प्वांईट कैलिमीयर वन्यजीव अभ्यारण्य, मुत्तूपेट वायुशिफ और पीचावरम का सुझाव दिया गया है।

ईकोपर्यटन विकास का संदर्भ दृग्विषय दस्तावेज़ 2002, पर्यटन विभाग के नीति वचनपत्र 2003-04 और दसवीं पंच-वर्षीय योजना 2002-2007 में दिया गया है। अत: प्रस्ताव दिया गया कि ईकोटूरिज़्म सर्किट स्थापित किया जाए जिसमें प्वांईट कैलिमीयर -

नागापट्टिनम जिल़ा, मुत्तूपेट - तिरुवरूर जिल़ा, और पीचावरम - कूडलोर जिल़ा शामिल हों।

ईकोपर्यटन कार्यक्रम के अंश हैं :
प्वांईट कैलिमीयर वन्यजीव अभ्यारण्य में रु.2.12 करोड़ की लागत से ईकोपर्यटन : व्याख्या केन्द्र की स्थापना; शिविर स्थल तैयार

करना; प्रचार-प्रसार के लिए बोर्ड; वन्यजीव फिल्मों का स्थानीय भाषाओं में रूपांतरण; अभ्यारण्यों में पर्यटक ट्रैकों का सुधार; प्रकृति पगडंडियों का विकास; पूनाराई इलम अतिथि गृह कर निर्माण; वन आवास की चारदीवारी; बच्चों के लिए उद्यान; गाड़ी पार्किंग; तंबूसामी इलम अतिथिगृह में मूलभूत सुविधाएं; अभ्यारण्य तक पहुंचने के लिए सड़क।

तिरुवरूर जिले के मुत्तूपेट वायुशिफों में लगभग रु.50 लाख लागत से ईकोपर्यटन विकास: अतिथि केन्द्र बनाना, तेज़ चलने वाली नावें; अतिथियों के लिए विश्राम शालिकाएं बनाना; अवलोकन टावर बनाना; जैवविविध स्थल तैयार करना; जागृति।

पिचावरम में लगभग रु. 1 करोड़ की लागत से ईकोपर्यटन विकास; शौचालय बनाना, बिक्री काउन्टर, पानी की टंकियां बनाना; व्याख्या केन्द्र बनाना; नावें खरीदना।

तमिल नाड सरकार की ईकोपर्यटन योजना संरक्षण तथा सामुदायिक लाभ की बात तक नहीं करती। इन योजनाओं में ईकोपर्यटन की आड़ में आम पर्यटन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तरांचल

उत्तरांचल में ईकोपर्यटन पर अलग नीति नहीं है लेकिन इसे राज्य की पर्यटन नीति में शामिल किया गया है, जो अप्रैल 2001 में बनाई गई थी। इस नीति का दृग्विषय है कि उत्तरांचल को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में जाना जाए और पर्यटन का नाम लेते ही मन में उत्तरांचल की छवि बन जाए। इस क्षेत्र का विकास 'पर्यावरण मित्र की तरह निजि क्षेत्र तथा स्थानीय मेज़बान समुदायों की भागीदारी' से किया जाए।

ईकोपर्यटन को एक पूंजि तथा मज़बूती की दृष्टि से देखा गया है; नीति का कहना है :

''उत्तरांचल में दुर्लभ वनस्पति तथा जानवार पाए जाते हैं। यह इसे ईकोपर्यटन के लिए एक आदर्श क्षेत्र बना देता है। कई कार्यक्रम और गतिविधियां, जैसे जंगल सफारी, पहाड़ों में ट्रैकिंग तथा जंगल में भ्रमण, प्रकृति यात्राएं, माहसीर मछली तथा अन्य मछलियों को पकड़कर छोड़ना (ऐंग्लिंग) आदि यहाँ हो सकते हैं। इन सभी गतिविधियों को इस प्रकार चलाना होगा जिससे पर्यावरण के विषय में जागृति फैले तथा नाज़ुक पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके''।

प्रकृति तथा ईकोपर्यटन की कार्ययोजनाओं के लिए उचित विकास पर ज़ोर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो गतिविधियां शामिल की गई हैं, वे हैं :

उत्तरांचल की जैवविविधता को उभारने के लिए बौटैनिकल उद्यान तथा संपदा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; समुचित ईकोपर्यटन कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और पर्यावरण-पक्षीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे जंगल सफारी, प्रकृति भ्रमण, पहाड़ी ट्रैक, शिविर आदि। इनको ऐसे लागू किया जाएगा जिससे पर्यावरण के विषय में जागृति तथा संवेदनशीलता को बढ़ावा मिले। पौधारोपण को पर्यटन से जुड़ी गतिविधि के रूप में विशेष ध्यान दिया जाएगा। गैर-जैविक अपशिष्ट की समस्या के लिए नियोजित समाधान ढूंढे जाएंगे। प्लास्टिक कूड़े को नियंत्रित करने के लिए निजि क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद से अभियान चलाए जाएंगे। भवन निर्माण के लिए भूकम्प-रहित तकनीकें तथा स्थानीय निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा व प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्यटन विकास की योजनाओं में भार-क्षमता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकार यह नीति एक उद्यम प्रारूप जैसी नज़र आती है।

ईकोपर्यटन विकास के लिए कार्यप्रणाली

ईकोपर्यटन जैसी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए उचित पर्यावर्णीय कानूनों के अभाव में तथा इसके अवांछनीय परिणामों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ईकोपर्यटन के प्रस्तावकर्ता कुछ स्वनियंत्रण प्रक्रियाएं तथा कार्यप्रणालियां अपनाएं, जिससे वे अपने पारिस्थितिकीय पदचिन्ह कम कर सकें। यह तब तक किया जा सकता है जब तक कि पर्यावर्णीय कानूनों की कमियां पूरी ना कर दी जाएं और ऐसी नीतियां बनें जो ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बजाए उन्हें नियंत्रित करें। इस संबंध में कुछ कार्यप्रणालियों की चर्चा नीचे की जा रही है, लेकिन इन सब में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ईकोपर्यटन सतत पर्यटन का एक हिस्सा है। जहाँ किसी भी ईकोपर्यटन कार्यक्रम या योजना को स्थापित करने से पहले सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता, वहीं नीचे दी गई कार्यप्रणालियों की चर्चा से नियोजन व क्रियान्वयन प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

सामाजिक एवं पर्यावर्णीय असर आंकलन

किसी भी ईकोपर्यटन परियोजना के विकास की प्रक्रिया में निर्णय प्रणाली के बाद, सामाजिक एवं पर्यावर्णीय असर आंकलन ही पहला कदम होता है। यह माना गया है, कि पर्यटकों तथा स्थानीय समुदायों के बीच अंतर्संबंधों से न केवल मेज़बान देश व स्थानीय समुदायों, बल्कि पर्यटकों पर भी प्रभाव पड़ता है। अवधारणाओं, विचारों तथा परंपराओं का मेलजोल, जहाँ एक ओर विविध संस्कृतियों के लिए आदर तथा प्रशंसा भाव बढ़ाने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक तथा संवेदनशील प्रभाव भी पड़ सकते हैं - खासकर यदि वातावरण आंतरिक रूप से सामाजिक तथा आर्थिक अबराबरी का हो। ऐसे में सशक्त समुदाय के मूल्य व व्यवहार कमज़ोर समुदाय पर हावी हो जाते हैं और असतत सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आने लगते हैं। पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरी है कि पर्यटन का विकास ठीक ढंग से किया जाए। अत: स्थानीय समाज तथा

आर्थिक व्यवस्था को पर्यटन के अवांछनीय प्रभावों से बचाने के लिए असर आंकलन प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया है।

पर्यावरण असर आंकलन (ई.आई.ए.) एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत पूरे पर्यावरण पर पड़ने वाले पर्यटन के प्रभावों की पहचान की जा सकती है तथा उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ई.आई.ए. ऐसे पर्यावर्णीय प्रभावों के बारे में सचेत करता है जिन्हें सुधारना उनसे बचाव के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। इससे पर्यावर्णीय संरक्षण तथा सतत विकास की नज़र से प्रभावों की एक व्यापक समीक्षा मिलती है। अतः ई.आई.ए. के माध्यम से:

- जैविक-भौतिक संसाधनों, जैसे वनस्पति तथ वन्यजीव, गैर-जैविक संसाधन जैसे मिट्टी, हवा आदि की वर्तमान स्थिति तथा आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर पर्यटन के प्रभावों की पहचान की जा सकती है।
- ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग किये जाने से संसाधनों पर प्रभावों की पहचान की जा सकती है।
- ऐसे प्रभावों की व्याख्या तथा उनकी जानकारी दी जा सकती है।
- विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर परियोजना विकल्प ढूंढे जा सकते हैं।
- पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को घटाने के लिए कदम लिए जा सकते हैं।
- प्रभावों को कम करने के बाद भी यदि महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं की आशंका हो तो उनकी संभावनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है।
- संभाववित परिणामों तथा पर्यावर्णीय प्रभावों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की जा सकती है।

पर्यटन प्रभाव आंकलन भार-क्षमता की महत्वपूर्ण अवधारणा पर आधारित है। भार-क्षमता की परिभाषा है - विभिन्न प्रजातियों तथा अन्य अंतर्संबंधित ढांचों की अधिकतम जनसंख्या, जिसे अनिश्चितकाल तक, वहाँ की आवासीय कार्यशीलता तथा उत्पादकता को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी क्षेत्र में पाला जा सके।

भार क्षमता

भार-क्षमता का निर्धारण किसी भी संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय मापदण्ड में हो रहे बदलावों तथा वांछनीय बदलावों की जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक वन क्षेत्र में साल भर में अत्यधिक अतिथि संख्या संकट का कारण है, तो वहाँ के पक्षियों की दिनचर्या, जैसे चुगने या चारे की खोज में घूमने में बाधा पड़ना एक संभावित प्रभाव हो सकता है; दूसरा प्रभाव हो सकता है कि वहाँ ट्रैक के रास्तों की मिट्टी जम जाने से मिट्टी-कटान शुरु हो जाए।

किसी पर्यटन परियोजना के पर्यावर्णीय असर आंकलन में विभिन्न चरण होते हैं। हालांकि यह चरण पहले से निर्धारित नहीं होते। विभिन्न परियोजनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविकताओं के आधार पर, इन चरणों के बीच में अन्य चरण शामिल किए जा सकते हैं। संबंधित पारिस्थितिकीय तंत्र, उसकी क्या जानकारियां उपलब्ध हैं तथा वहाँ पर क्या घटनाएं घटी हैं - इन सबकी एक मिश्रित स्थिति के आधार पर ही ई.आई.ए. की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश के संबंधित कानूनी तंत्र भी ई.आई.ए. प्रक्रिया के ढांचे तथा विशय वस्तु का निर्धारण करते हैं।

खोनोमा हरित ग्राम परियोजना, नागालैंड के समुदायों द्वारा पर्यावरण तथा सामाजिक असर आंकलन (ई/एस-आई.ए) करने का प्रयास

ई/एस-आई.ए की रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए :

- खोनोमा तथा आसपास के क्षेत्र में पर्यटन स्थलों की पहचान करना।
- खोनोमा में संभावित पर्यटन यात्राओं के विशय में विस्तष्त जानकारी तैयार करना, पर्यटन उत्पाद का विकास तथा पर्यटन विपणन।
- आधारभूत जानकारिया इकट्ठा करना, जिसे व्याख्या केन्द्रों में षौक्षिक तथा व्याख्या मौड्यूल तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सके।
- खोनोमा गाँव, उसके आसापास के क्षेत्रों तथा खोनोमा नेचर कंज़रवेशन एंड ट्रैगोपैन अभ्यारण्य का मानचित्र बनाने के लिए वैचारिक स्पष्टता देना।
- खोनोमा में पर्यटन विकास के लिए पर्यटक आचार संहिता तथा सतत पर्यटन दिशानिर्देश तैयार करने में सहयोग करना।
- खोनोमा गाँव व आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावर्णीय पहलुओं का अध्ययन व निगरानी करने के लिए मूलभूत जानकारी तैयार करना।

ई/एस-आई.ए अध्ययन ने खोनोमा के विषय में जानकारी इकट्ठा करने व उसका विश्लेषण करने में स्थानीय लोगों का मदद की है। इस अध्ययन के दौरान, स्थानीय लोगों के साथ कई चर्चाएं व साक्षात्कार किए गए तथा उनका दृष्टिकोण व आकांक्षाएं शामिल की गईं।

आचार संहिता एवं पर्यावर्णीय दिशानिर्देश

ईकोपर्यटन प्रयास आम पर्यटन प्रयासों से अलग होने के नाते, इसके अंतर्गत एक आचार संहिता या दिशानिर्देश भी होते हैं, जो एक पर्यटक गंतव्य में पर्यटन विकास तथा पर्यटक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। इन दिशानिर्देशों में बताया जाता है कि उस स्थान में रुचि के कारण क्या हैं तथा वे पर्यटकों को वहाँ के लिए यउपयुक्तङ्घ तथा 'अनुपयुक्त' व्यवहार के विषय में याद दिलाते हैं।

अतिथि सर्वेक्षण

ईकोपर्यटन कार्यक्रम की योजना बनाते समय पर्यटकों की उम्मीदों का ध्यान रखना ज़रूरी हो सकता है। अतिथि सर्वेक्षण के माध्यम से

अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर्यटक क्या चाहते हैं और उस के आधार पर पर्यटक स्थल पर सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं। यह सर्वेक्षण प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे पर्यटकों के स्वरूप तथा उनकी अतिथि सत्कार की अपेक्षाओं को समझा जा सकता है।

प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है (जो ज़्यादातर स्वैच्छिक होती है) जिसमें किसी उद्यम, उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा या प्रबंधन प्रणाली की कुछ खास ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता का लिखित आश्वासन दिया जाता है। जो भी उत्पाद या उद्यम आधारभूत मापदण्डों के बराबर या उससे ऊपर पाया जाता है, उसे विपणन के लिए प्रतीक चिह्न या सील दी जाती है, जैसे वे उत्पाद या उद्यम, जो राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नियमों पर आधारित हों तथा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित या तय किए गए मापदण्डों को पूरा करते हों। सतत पर्यटन प्रमाणीकरण एक ऐसा कार्यक्रम या स्कीम है, जिसमें विभिन्न पर्यावर्णीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तुल्यता के मुद्दों के आंतरिक (उद्यम, सेवा या उत्पाद के आंतरिक) व बाहरी (आसपास रहने वाले समुदायों तथा भौतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव) प्रभावों को मापा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत दिए गए मूल्यों को यात्रा व्यवस्थापक अपनी कार्यप्रणाली में स्वीकार कर सकते हैं (ईकोवर्क्स फाउन्डेशन, 2003)।

ईकोपर्यटन प्रयासों के लिए इस प्रकार की प्रमाणिकता के विषय में सोचा जा सकता है। विश्व भर में कई तरह की प्रमाणिकताएं उपलब्ध हैं। लेकिन, भारतीय संदर्भ पर आधारित, यहीं पर तैयार की गई प्रमाणिकता प्रणाली बनाना शायद ज़्यादा सुसंगत होगा।

जहाँ प्रमाणिकता से पर्यटन उद्योग को बाज़ार में अपने लिए आला जगह बना लेने में मदद मिलेगी, ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा स्थानीय लोगों और पर्यावरण की ओर और अधिक जवाबदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार के कार्यो में स्थानीय लोगों की स्वीकृति प्राप्त करना प्रमाणिकता प्रक्रिया का अभूतपूर्व हिस्सा होना चाहिए।

लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ स्थानीय समुदाय स्वयं ईकोपर्यटन प्रयास चला रहे हैं, वहाँ यह प्रमाणिकता की प्रक्रिया शायद उनके लिए फायदेमंद न हो। इसका कारण है, कि कई बार समुदायों के पास किसी खास प्रकार की प्रमाणिकता हासिल करने के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते। इसके अतिरिक्त, प्रमाणिकता के साथ मानकीकरण भी आ सकता है, जिसके कारण स्थानीय विशेषताएं जैसे, अतिथि सत्कार, स्थानीय पाक कला और वास्तुशिल्प खो जाते हैं। अतः प्रमाणिकता की प्रक्रिया को सोच समझकर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हर स्थिति में लागू करने लायक नहीं होतीं।

प्रशिक्षण एवं कार्यकुशलताओं का विकास

प्रशिक्षण तथा कार्यकुशलताओं का विकास किसी भी ईकोपर्यटन प्रयास का अभिन्न अंग होने चाहिएं। किसी भी समुदाय को बिना प्रशिक्षित किए उनसे ईकोपर्यटन का काम संभालने की अपेक्षा करना अनुचित है। हर क्षेत्र व स्थल की प्रशिक्षण ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, जिसमें गृह-व्यवस्था, खाना परोसना तथा पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करना तक शामिल हो सकता है।

शिक्षा तथा जागृति

किसी भी पर्यटक गंतव्य, खासकर ऐसा स्थान जिसका संरक्षण महत्व रखता है, के लिए ज़रूरी है कि उस जगह की पारिस्थितिकीय तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का महत्व पर्यटकों को समझाया जाए। यह अलग-अलग संचार माध्यमों से किया जा सकता है। पोस्टर, लिखित दस्तावेज़ तथा चित्रों और टेपों के द्वारा। व्याख्या केंद्र के माध्यम से भी बड़ी खूबी से पर्यटकों को विविध मुद्दों के विषय में जानकारी दी जा सकती है।

एक स्थल से दूसरे स्थल तक भ्रमण

इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए लोग अकसर किसी अन्य स्थल पर उसी प्रकार का काम रहे लोगों के अनुभवों से काफी कुछ सीखते हैं। किसी भी सतत पर्यटन कार्यक्रम में यह अंश होना ज़रूरी है।

निगरानी तथा अनुकूलक प्रबंधन : सूचक

(यह अंश सैन्टर फौर गवर्नैन्स ऐंड पौलिसी तथा अशोका ट्रस्ट फौर रिसर्च इन इकौलजी ऐंड द एन्वायरनमैंट (एट्री) द्वारा ईकोपर्यटन नीति, जुलाई 2006 पर तैयार किए गए श्वेत लेखापत्र से उद्धृत किया गया है।)

कोई भी गतिविधि बिना जांच व निगरानी तंत्र के पूरी नहीं होती। पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें निरंतर जांच की आवश्यकता रहती है। ईकोपर्यटन प्रयासों की जांच में उस गतिविधि के पारिस्थितिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की निगरानी रखनी ज़रूरी है। पहले दो पहलुओं को बाकियों से ज़्यादा प्राथमिकता देना भी ठीक होगा, क्योंकि कुछ प्रारूपों में आर्थिक मानदंडों के लिए व्यापारिक व्यवहार्यता होनी ज़रूरी है और कुछ में, जैसे कि सामुदायिक प्रारूपों में उसका केवल सकारात्मक होना ही काफी है। इसके पीछे कारण यह है कि सामुदायिक ईकोपर्यटन उद्यम, जैसे गृह-आवास अनुपूरक व्यवसाय होते हैं, न कि अनन्य आमदनी/लाभ कमाने के स्रोत। इन उद्यमों के लिए लाभ ज़रूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं और न ही उनके लिए यह प्राथमिकता बन पाते हैं[14]।

किसी भी सूचक के अंक = मूल्य x भारिता

मूल्य : प्रारूप के प्रभावों का अध्ययन तथा गणना से निकाला हुआ माप। यहाँ मूल्य की सीमा -3 से 3 के बीच रखी गई है। इन मूल्यों को आसपास के वातावरण तथा कार्यक्षेत्र की वास्तविकताओं के आधार पर अलग-अलग भारिता दी जा सकती है।

भारिता : यह हर स्थल के लिए अलग होती है; यहाँ पर जिन प्रारूपों की तुलना की जा रही है, वे अलग-अलग क्षेत्रों में लागू किए गए हैं, अतः उन्हें भारिता नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर किसी स्थिति में किसी एक अंश के गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना

हो, वहाँ भरिता का आंकलन ज़रूरी है, जैसे, आवासीय नावों द्वारा जल प्रदूषण को उनके निर्माण में आयातित लकड़ी के उपयोग से ज़्यादा भारिता दी जा सकती है।

हर अंक तालिका में दिए गए प्रत्येक सूचक के मूल्यों की सीमाएं यहाँ दी जा रही हैं :

+3 = महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव
+2 = यथापूर्व स्थिति में सुधार
+1 = यथापूर्व स्थिति में संभावित सुधार
1 = कोई बदलाव नहीं/यथापूर्व स्थिति
-1 = महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव
-2 = नकारात्मक प्रभाव
-3 = यथापूर्व स्थिति में संभावित नकारात्मक बदलाव

इस कार्यक्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सूचकों की निगरानी रखना ज़रूरी है - न केवल असर आंकलन की नज़र से, बल्कि आर्थिक सततता की नज़र से भी, क्योंकि काफी मामलों में मांग जैवविविधता जैसे कारकों से जुड़ी होती है (नायडू और ऐडमोविक्ज़, 2005)। किसी भी उद्यम के लिए एक अंक तालिका, जैसे नीचे दी गई है, बनाई जा सकती है। किसी विशिष्ट गंतव्य में यदि कोई सफल प्रारूप रहे हैं तो उनकी पहचान के लिए भी इन सूचकों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ दी गई अंक तालिकाओं में केवल इस प्रक्रिया को उद्धृत किया गया है। यह अंक केवल सांकेतिक हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भागीदार मात्रा निर्धारण की प्रक्रिया नहीं की है।

पारिस्थितिकीय सूचक (अंकों के लिए तालिका 1 देखिए)

1 स्थलाकृति - किसी प्रारूप को लागू करने की शुरुआत तथा उसके क्रियान्वयन के दौरान क्षेत्र के भौतिक कारकों में बदलाव।

2 हवा की गुणवत्ता - गैर जैविक कूड़े, मिट्टी का तेल, पैट्रोल, डीज़ल आदि को जलाना।

3 ध्वनि प्रदूषण - जैनरेटर, मोटर, इंजन, यातायात वाहनों के कारण।

4 पानी की मात्रा - पानी का प्रति व्यक्ति उपभोग तथा जल संरक्षण प्रयास, जैसे वर्षा के पानी का संरक्षण।

5 पानी की गुणवत्ता - स्थानीय जल स्रोतों में कूड़ा फेंकना, गंदा पानी जाने देना।

6 ठोस अपशिष्ट उपचार - ठोस अपशिष्ट को वैज्ञानिक रूप से इकट्ठा करना और उसका निपटारा।

7 क्षेत्रीय वनस्पति - आक्रामक प्रजातियों का क्षेत्र में लाया जाना जैसे, लैन्टाना, अत्यधिक रौशनी, ट्रैकिंग के दौरान पौधों का रौंदा जाना आदि गतिविधियां जिससे स्थानीय वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है।

8 क्षेत्रीय जानवर - अत्यधिक रौशनी, आग जलाना, धुंआ व शोर करना आदि गतिविधियां जिससे स्थानीय जंगली जानवरों पर प्रभाव पड़ता है।

9 जलीय पौधे तथा प्राणी - मछली पकड़ कर छोड़ना, नौकाविहार, मछली पकड़ना, जल क्रीड़ाएं आदि गतिविधियां, जिनसे जलीय जैवविविधता पर प्रभाव पड़ता है।

10 संरक्षण प्रयास - गैर कानूनी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देना, गश्त लगाना, ऊर्जा संरक्षण प्रणालियां तथा स्थानीय लोगों के बीच जागृति बढ़ाना।

तालिका 1 : पारिस्थितिकीय सूचकों के अंकन का नमूना

श्रेणी	सूचक		विभिन्न प्रारूपों के गैर-भारित अंक		
		गृह आवास	सार्वजनिक क्षेत्र	सह-प्रबंधी	सामुदायिक प्रबंधित
पारिस्थितिकीय	*स्थलाकृति*	*0*	*0*	*0*	*-1*
	हवा की गुणवत्ता	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
	ध्वनि प्रदूषण	*-1*	*-2*	*0*	*-1*
	पानी की मात्रा	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
	पानी की गुणवत्ता	*0*	*-1*	*0*	*0*
	ठोस अपशिष्ट उपचार	*2*	*1*	*-2*	*0*
	क्षेत्रीय वनस्पति	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
	क्षेत्रीय जानवर	*-1*	*-2*	*0*	*0*
	जलीय पौधे तथा प्राणी	*0*	*-1*	*2*	*1*
	संरक्षण प्रयास	*1*	*1*	*2*	*1*
	कुल	-2	-7	-3	-4

स्रोत : सैन्टर फौर गवर्नैन्स ऐंड पौलिसी तथा अशोका ट्रस्ट फौर रिसर्च इन इकौलजी ऐंड द एन्वायरनमैंट (एट्री) द्वारा ईकोपर्यटन नीति, जुलाई 2006 पर तैयार किया गया श्वेत लेखापत्र।

सामाजिक सूचक (अंकों के लिए तालिका 2 देखें)

1 रूपरेखा - आवास/ परंपरा पक्षीय निर्माण सामग्री तथा रूपरेखा।

2 स्थानीय कला - स्थानीय कला को सहयोग जैसे कि लोक नृत्य, लोक संगीत, रंगभूमि आदि।

3 स्थानीय हस्तशिल्प - उपहार दुकानों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प का प्रचार करना।

4 स्थानीय पाक कला - स्थानीय रूप से उपलब्ध पाक सामग्री के उपयोग से सांस्कृतिक व्यंजनों को बढ़ावा देना।

5 संस्कृति - स्थानीय जीवनशैली, लोगों के मूल्यों तथा परंपराओं पर गतिविधियों के प्रभाव।

6 अतिथियों को शिक्षा एवं उनकी जागृति - व्याख्या केन्द्रों, पर्चो आदि के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के विषय में अतिथियों को जानकारी देना।

7 रोज़गार - प्रति चारपाई/कुटीर रोज़गार दर।

8 रिसाव - लाभ बाहरी समुदायों को चले जाते हैं जैसे, स्थानीय क्षेत्र से सेवाएं व सामग्री न लेना।

9 स्थानीय आर्थिक व्यवस्था पर गुणक प्रभाव - पर्यटन गतिविधियों के कारण अप्रत्यक्ष लाभ, जैसे टैक्सी/रिक्शा, दुकानें आदि।

10 साझेदार समुदायों के बीच तुल्य लाभ वितरण।

11 देशी पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का अनुपात।

तालिका 2 : सामाजिक सांस्कृतिक सूचकों के अंकन का नमूना

श्रेणी		सूचकविभिन्न प्रारूपों के गैर-भारित अंक			
		गृह आवास	सार्वजनिक क्षेत्र	सह-प्रबंधी	सामुदायिक प्रबंधित
सामाजिक सांस्कृतिक	*रूपरेखा*	*2*	*0*	*2*	*2*
	स्थानीय कला	*0*	*0*	*1*	*0*
	स्थानीय हस्तशिल्प	*1*	*0*	*0*	*0*
	स्थानीय पाक कला	*0*	*0*	*0*	*1*
	संस्कृति	*1*	*0*	*1*	*1*
	अतिथि शिक्षा एवं जागृति	*2*	*1*	*1*	*1*
	रोज़गार	*1*	*3*	*2*	*1*
	रिसाव	*-1*	*-2*	*3*	*2*
	आर्थिक व्यवस्था पर गुणक प्रभाव	*0*	*1*	*1*	*1*
	तुल्य लाभ वितरण	*0*	*0*	*2*	*0*
	देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुपात	*1*	*1*	*1*	*2*
	कुल	7	4	14	11

स्रोत : सैन्टर फौर गवर्नैन्स ऐंड पौलिसी तथा अशोका ट्रस्ट फौर रिसर्च इन इकौलजी ऐंड द एन्वायरनमैंट (एट्री) द्वारा ईकोपर्यटन नीति, जुलाई 2006 पर तैयार किया गया श्वेत लेखापत्र।

तालिका 3 : आर्थिक सूचकों के अंकन का नमूना

श्रेणी		सूचकविभिन्न प्रारूपों के गैर-भारित अंक			
		गृह आवास	सार्वजनिक क्षेत्र	सह-प्रबंधी	सामुदायिक प्रबंधित
आर्थिक	*लाभ*	*1*	*3*	*2*	*2*
	प्रारंभिक अवधि	*2*	*1*	*1*	*2*
	साल भर में कमरा किराया	*1*	*3*	*2*	*1*
	जीवन स्तर	*1*	*1*	*2*	*1*
	प्रतिस्पर्धा	*0*	*1*	*2*	*0*
	कुल	5	9	9	6

स्रोत : सैन्टर फौर गवर्नैन्स ऐंड पौलिसी तथा अशोका ट्रस्ट फौर रिसर्च इन इकौलजी ऐंड द एन्वायरनमैंट (एट्री) द्वारा ईकोपर्यटन नीति, जुलाई 2006 पर तैयार किया गया श्वेत लेखापत्र।

तालिका 4 : निरूपण के लिए समेकित आंकड़े

श्रेणी	गृह आवास	सार्वजनिक क्षेत्र	सह-प्रबंधी	सामुदायिक प्रबंधित
पारिस्थितिकीय	-2	-7	-3	-4
सामाजिक-सांस्कृतिक	7	4	14	11
आर्थिक	5	9	9	6
कुल	10	6	20	13

आर्थिक सूचक (अंकों के लिए तालिका 3 देखें)

1 लाभ (वार्षिक औसत लाभ का प्रतिशत)
2 प्रारंभिक अवधि - लागत वापस पाने तक का समय
3 साल भर में कितने दिन कमरे किराए पर उठते हैं
4 जीवन स्तर - जन स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर आदि में बदलाव
5 प्रतिस्पर्धा - आस-पास के क्षेत्र में कितने प्रतिद्वन्दी हैं

तीनों मानदण्डों के अंकों की विभिन्न प्रारूपों, उद्यमों या अलग अलग स्थलों में तुलना की जा सकती है। हर मापदण्ड के अधिकतम अंक और किसी उद्यम के संबंध में किसी एक मापदण्ड की आपेक्षिक महत्ता के निर्णय सभी साझेदारों की सहमति के आधार पर लिए जा सकते हैं, जैसा कि पिछले खण्ड में चर्चा की गई है। तालिका 4 में निरूपण के लिए समेकित आंकड़े दिए गए हैं।

आर्थिक मापदण्डों की एक ही भूमिका है, कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईकोपर्यटन उद्यम में नुकसान तो नहीं जा रहा। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने पर इस मापदण्ड को अन्य निर्णयों, जैसे उद्यमों और प्रारूपों के बीच चुनाव करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

सामुदायिक संस्थाएं

एक आदर्श ईकोपर्यटन प्रयास के लिए सामुदायिक संस्था होना ज़रूरी है। अच्छा होगा कि पहले से उपस्थित संस्थाओं को ही इस कार्य के लिए रूपांतरित किया जाए। सामुदायिक संस्था पर्यटन प्रयास के प्रबंधन में मदद करेगी; लाभों के तुल्य बंटवारे में सहायक होगी तथा विरोध निबटाने में भी सहयोग करेगी।

पर्यावर्णीय रूप से अनुकूल प्रक्रियाएं

- मूलभूत सुविधाएं
- ऊर्जा उपयोग
- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे, पानी
- वज्ञलर्नी पदचिह्न कम करना
- अपशिष्ट प्रबंधन

ईकोपर्यटन में सतत पर्यटन के मूल्य व तत्व लाना

भारत में, पर्यटन को 'विकास प्रतिमान' के रूप में देखा तथा बढ़ावा दिया जाता है। विकास संबंधित चर्चाएं ज़्यादातर आर्थिक, पर्यावर्णीय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिमाणों पर होती हैं। इस प्रक्रिया में अकसर हम राजनैतिक उत्प्रेरणा तथा सहयोग को भूल जाते हैं, जो कि विकासीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सततता के मूल्य और तत्व भी इन पांच मुख्य श्रेणियों के आधार पर प्रतिचित्रित किए जा सकते हैं।

राजनैतिक

प्रजातंत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सचेत सर्व सहमति तथा निर्णय निर्धारण के लिए जगह बनाई जाए और जो जगहें पहले से मौजूद हैं, उन्हें सशक्त किया जाए। पर्यटन के संबंध में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत, जानकारी इकट्ठा करना तथा उसका प्रसार सचेत निर्णय के पीछे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंश हैं - पहला, ईकोपर्यटन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नई परियोजनाओं, योजनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों तथा अनुबंधों की जानकारी, जिसका प्रसार पर्यटन उद्योग तथा सरकार द्वारा स्थानीय साझेदारों के लिए किया जाना चाहिए। और दूसरा - ईकोपर्यटन के प्रभाव तथा परिणामों (सकारात्मक तथा नकारात्मक, दोनों) की जानकारी, जिसका अध्ययन व निगरानी सहभागी रूप से की जा सकती है (उद्यमियों, सरकार, शैक्षिक संस्थानों, आम जनता, स्थानीय संस्थानों और संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी से), लेकिन उसका प्रसार स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की निर्णायक संस्थाओं के लिए किया जाना चाहिए। निर्णायक प्रक्रियाओं में भागीदारी तथा जवाबदारी की मांग करना अच्छी प्रशासन व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।

एक प्रक्रिया के रूप में प्रजातंत्रीकरण को किसी खास मुद्दे के संदर्भ में भी हासिल किया जा सकता है, जहाँ लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली और भागीदारी के मूल्य ईकोपर्यटन से प्रभावित या उसमें शामिल किसी एक क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। सामाजिक रूप से, प्रजातंत्रीकरण निर्णय प्रक्रिया में कमज़ोर वर्गो की भागीदारी और उससे उनके सशक्तिकरण का पक्ष ले सकता है (जैसे, महिलाएं, बच्चे, आदिवासी)।

ईकोपर्यटन में स्थानीय लोगों व स्थानीय राजनैतिक संस्थाओं की सुविज्ञ तथा सार्थक भूमिका होनी चाहिए जैसे, पंचायतों की ऐसी निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी जो पर्यटन तथा अन्य संबंधित उद्योगों की कार्यपद्धति को प्रभावित करती हों।

स्थिर भागीदारी तथा स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण पर्यटन की सफलता के लिए पहली ज़रूरतें हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं तथा पर्यटन प्रशासन के लिए ज़रूरी है कि वे बहु-साझेदार प्रक्रियाओं के साथ चर्चाएं करें तथा गंतव्य प्रबंधन रणनीतियां और व्यवहारिक व जिम्मेदार पर्यटन दिशानिर्देश तैयार करें।

आर्थिक

ईकोपर्यटन के लिए ज़रूरी है कि वह स्थानीय लोगों पर होने वाले नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को कम करे और एक ऐसा प्रारूप लागू करे जिसमें मुख्य लाभकार स्थानीय समुदाय हों। इसके लिए सुनिश्चित किया जा सकता है कि होटल तथा अन्य संबंधित पर्यटक सेवाओं को स्थानीय आर्थिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए, स्थानीय लोगों को रोज़गार देने और जहाँ तक सतत हो, स्थानीय संसाधनों का ही प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पर्यटन तथा अन्य आर्थिक कार्यक्षेत्रों के बीच की कड़ियों को मज़बूत करने (जैसे कृषि, मछलीपालन, अतिथि सत्कार प्रशिक्षण कालेज), सूक्ष्म तथा मध्यम स्तरीय उद्यमियों के नैटवर्क को बढ़ावा देने, सूक्ष्म स्तरीय सेवाओं की संख्या बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों की सक्रिय एवं लाभकारी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। पर्यटकों की ओर से भी स्थानीय उद्योगों को सहयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा।

पर्यावर्णीय

ईकोपर्यटन विकास में पर्यटन मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों एवं जैवविविधता संरक्षण; संसाधनों के उचित उपयोग: भूमि, जल, औपचारिक व गैर औपचारिक ऊर्जा स्रोत, के मूल्यों को शामिल करना होगा जो स्थानीय पर्यावरण एवं संस्कृति की ज़रूरतों के अनुरूप हों। उसे जैवविविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के मूल रूप को बनाए रखना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि सभी साझेदारों और लाभदारों को पर्याप्त लाभ मिलें। ईकोपर्यटन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक व पर्यटन उद्योग उस क्षेत्र के संरक्षण व संवर्धन में भागीदार रहें जहाँ वे जाते हैं या अपना उद्यम स्थापित करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जानकारी का प्रसार। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना होगा कि बढ़ती पर्यटक गतिविधियों के चलते स्थानीय लोगों के उपयोग के संचायती संसाधनों पर कहीं पर्यटन उद्योग कब्ज़ा न कर ले।

पर्यावर्णीय प्रबंधन प्रक्रियाओं के ज़रिए पारिस्थितिकीय विनाश की निगरानी, अध्ययन तथा बचाव करना ज़रूरी है। इससे पता चल सकता है कि संसाधन संपन्न गतिविधियों के लिए उचित संसाधन प्रयोग हो रहा है कि नहीं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ मिलकर संसाधन उपयोग, अत्यधिक निकासी और प्रदूशण के नियंत्रण के लिए नियंत्रक ढांचे तैयार करने होंगे। यह नियंत्रक ढांचे सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और घोषणापत्रों से रूपरेखा ले सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और घोषणापत्रों के अतिरिक्त, पर्यटन विकास में भागीदारी की नींव 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों में रखी गई, जिसके अंतर्गत स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, पंचायतों, को ज़मीन, जल, सामाजिक-आर्थिक विकास, मूलभूत सेवाओं के विकास, समाज कल्याण, सामाजिक तथा शहरी वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा सामुदायिक संपत्ति के रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यटन विकास भी इन्हीं कार्यक्षेत्रों का हिस्सा है अत: पंचायतों की भागीदारी आवश्यक है। पंचायतों की भागीदारी सतत पर्यटन विकास के हर स्तर पर रहनी चाहिए - परियोजना की स्वीकृति से लेकर, उसके नियोजन, क्रियान्वयन, विकास, विपणन, असर आंकलन, जांच तथा अध्ययन तक। पंचायतों को अधिकार है कि वे नियंत्रक ढांचे तैयार करें और पर्यटन उद्योग द्वारा इसका अनुसरण करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से प्रेरित है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

ईकोपर्यटन के कई महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता और यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो इसके बेहद नकारात्मक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। पर्यटन के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं - वर्तमान पर्यटन प्रारूप की स्थानीय लोगों के लिए एक सार्थक आर्थिक एवं सामाजिक विकल्प बनने की असमर्थता तथा दूसरा, इसके नकारात्मक प्रभावों का सरकार और पर्यटन उद्योग, दोनों के द्वारा नकारा जाना। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर्यटन के कारण स्थानीय संगीत, नृत्यकला तथा रीति-रिवाज़ों का वस्तुतीकरण और मानकीकरण हो गया। समय के साथ ऐसे सामाजिक बदलाव इस तरह घर कर लेते हैं, जिससे स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के बीच में सांस्कृतिक टकराव की स्थितियां बनने लगती हैं।

ज़रूरी है कि ईकोपर्यटन के ज़रिए इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के बीच एक बराबरी का रिश्ता स्थापित करना होगा जहाँ वे दोनों अपनी सांस्कृतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि एक दूसरे के साथ बांट सकें। पर्यटकों को गंतव्यों की स्थानीय संवेदनशीलताओं और मूल्यों के प्रति आदर रखना चाहिए और पर्यटन उद्योग को भी, खासकर जब वे इन का प्रचार करते हैं तब स्थानीय कलाओं का वस्तुतीकरण न करें। जब स्थानीय लोग अपने सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का आदर व संरक्षण करते हैं तो औरों को भी उनका आदर करना सीखना चाहिए।

पर्यटन की सततता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विन्यास प्रक्रियाएं

हमने मौजूदा नीतियों और कानूनी ढांचों में कमियां देखी हैं। नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसमें पर्यटन विकास को जन केंद्रित बनाया जाए और जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को पर्यटन के संस्थागत ढांचों के सुदृढ़ीकरण द्वारा बनाए रखा जाए।

इसके लिए पर्यटन के सभी साझेदारों को शामिल करना होगा, जो पर्यटन को सतत बनाने में भूमिका निभा सकते हैं - स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सभी संबंधित विभाग - पर्यटन, संस्कृति, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं वन, वाणिज्य एवं उद्योग, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज, पर्यटन उद्योग, जन समूह। प्रजातंत्रीकरण के लिए ज़रूरी है कि सार्थक चर्चाओं और नीति निर्धारण के लिए उचित जगह बनाई जाए। पर्यटन जैसे कार्यक्षेत्र में नीतियां राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर विकास गतिविधियों का नियंत्रण व उनके लिए दिशानिर्देश देती हैं। हमने देखा है, कि उचित चर्चाएं न किए जाने के कारण नीति उद्देश्य हासिल करने में अड़चनें आती हैं - जैसे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और पर्यटन में सततता लाने के मामलों में। यदि नीतियों के माध्यम से प्रभावी बदलाव लाने हैं तो नीति निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक मंत्रणात्मक बनाना ज़रूरी है।

संस्थाओं का सशक्तिकरण

ईकोपर्यटन को सतत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन के मामले में स्थानीय सरकारों को प्राथमिक निर्णायक के रूप में सशक्त किया जाए। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक व राजनैतिक रूप से स्वतंत्र व जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए भी सशक्त करना होगा। स्थानीय संस्थाओं को लोकतंत्र के स्तंभ बनाने के लिए ज़रूरी है, कि उन्हें बहु-साझेदार प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए, स्थानीय परिपेक्ष के अंतर्गत सतत पर्यटन लागू करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिया जाए, आचार संहिताएं लागू हों, जानकारी के आदान-प्रदान में पारदर्शिता हो, क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए और सूक्ष्म-स्तरीय गंतव्य प्रबंधन रणनीतियां बनाई जाएं। सामाजिक परीक्षण तथा सामुदायिक जिम्मेदारी को सभी सरकारी गतिविधियों, स्थानीय व राष्ट्रीय, के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, जैसे एजेंडा 21 से सहयोग लिया जा सकता है।

नियंत्रक ढांचा

समय के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रशासन तथा नियंत्रण के आंतरिक ढांचों को सशक्त किया जाए। एक दूसरे के कार्यक्षेत्र से टकराने वाली प्रशासन संस्थाओं की बहुलता, एक दूसरे का खण्डन करने वाले कानून और अप्रभावकारी नियंत्रक ढांचे पर्यटन की निगरानी रखने और नियंत्रण के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। पर्यटन के महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक, पर्यावर्णीय तथा आर्थिक पहलुओं के कारण, उसकी सततता के लिए नियंत्रक तथा बचाव के ढांचे बनाना और उनका पालन करना ज़रूरी है। जो देश पर्यटन के गंभीर प्रभाव झेल रहे हैं, वहाँ इस स्थिति का कारण है नियंत्रण प्रक्रियाओं की विफलता।

भारत में, कई क्षेत्रों में समुद्री तटों के विनाश का कारण रहा है तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिनियम का ठीक से लागू न किया जाना, एक ऐसा कानून जो विकास गतिविधियों के नियंत्रण से तटीय पारिस्थितिकि के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

पर्यटन में सततता लाने के लिए उन सभी साझेदारों को शामिल करना ज़रूरी है जो उससे लाभान्वित होते हों और जिन पर उसके प्रभाव पड़ते हों। यह प्रक्रिया सभी सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें न केवल बाहरी प्रभावों तथा नीतियों का पुनर्विलोकन करना होगा, बल्कि अपनी आंतरिक प्रणालियों में भी पर्यटन को सतत बनाने के लिए सहायक बदलाव लाने होंगे। इसमें डब्ल्यू.टी.ओ.-ओ.एम.टी. और डब्ल्यू.टी.आई.सी. द्वारा प्रचारित मुख्यधारा विचारधाराओं, मतों और परिभाषाओं को चुनौती देना शामिल है, खासकर यदि वे स्थानीय परिपेक्ष के खिलाफ हों।

अंतिम टिप्पणी

1. यह एक चर्चा पत्र है जिसमें ईकोपर्यटन के विषय से संबंधित नीतियों और कानूनों से जुड़े मुद्दों की चर्चा की गई है।

2. http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE/WTO-UNEP-Concept-Paper.htm

3. http://coe.mse.ac.in/eialegal.asp

4. http://envfor.nic.in/legis/eia/so-60(e).html

5. http://chhattisgarh.nic.in/tourism/tourism1.htm

6. उक्त

7. हिमाचल प्रदेश वन विभाग, 2005, ''रिवाईज़्ड पौलिसी औन डैवलपमैंट औफ ईकोटूरिज़्म इन हिमाचल प्रदेश।''

8. http://jharkhand.nic.in/governance/indpolicy.htm#tourism

9. http://www.karnatakawildernesstourism.org/WLPOLICY.htm

10. http://www.keralatourism.org/php/media/data/tourismvision/VisionIndex.htm

11. http://gov.ua.nic.in/uttaranchaltourism/Policy1_vision.html

12. उक्त। _asset.html

13. उक्त। _action.html

14. स्रोत : सैन्टर फौर गवर्नैन्स ऐंड पौलिसी तथा अशोका ट्रस्ट फौर रिसर्च इन इकौलजी ऐंड द एन्वाययरनमैंट (एट्री) द्वारा ईकोपर्यटन नीति, जुलाई 2006 पर तैयार किया गया श्वेत लेखापत्र।

6.

क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष की आवश्यकता है?

अनीता प्लूमारोम द्वारा[1]

2002

ईकोपर्यटन के शुरुआती प्रयास अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रकृति संरक्षण, स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने और दक्षिण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजस्व कमाने के दावे आज ज़मीनी स्तर पर एक अलग वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। थाईलैंड से बिलीज़ तक, ईकोपर्यटन ने और अधिक वनों के विनाश के लिए दरवाज़े खोल दिए। प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों को ज़बरदस्ती अपनी पारंपरिक भूमि से विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट मिली है कि यह 'पर्यटक' गैर कानूनी रूप से जंगलों से औषधीय पौधे एकत्रित कर रहे हैं और उन्हें जैविक-तकनीकी संस्थाओं को बेचा जा रहा है।

जब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष घोषित किया, तो कई गैर सरकारी संस्थाएं जो पर्यटन प्रभावों की जांच कर रही थीं, चौकन्नी हो गईं। अक्तूबर 2002 में पर्यावरण, मानवाधिकार तथा आदिवासी समूहों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र ईकोपर्यटन वर्ष 2002 की जांच करने की घोषणा की। इन संस्थाओं ने इसकी तैयारी में आदिवासी संगठनों तथा दक्षिण एशियाई संस्थाओं को शामिल न किए जाने की भी भर्त्सना की।

''ची योके लिंग, मलेशिया स्थित थर्ड वर्ल्ड नैटवर्क के एक प्रतिनिधि का कहना है, 'हम अत्यंत चिंतित हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इस उद्योग से जुड़ी मौलिक समस्याओं के बावजूद, ईकोपर्यटन को दी जा रही मान्यता के कारण - जो वैसे भी ज़्यादातर एक हरित झूठ साबित हुआ है' - जैवविविधता का और ज़्यादा विनाश होगा और स्थानीय लोगों को भी ठेस पहुंचेगी।''

नीना राव, यू.एन. कमीशन फौर सस्टेनेबल डैवलपमैंट की दक्षिणी सह-अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी, ''मुझे लगता है कि इसका परिणाम विकासशील देशों में पैकेज टूर की शुरूआत से भी ज़्यादा बुरा होगा''।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने, नवंबर 1998 में, ईकोपर्यटन वर्ष 2002 की तैयारियों के लिए एक प्रस्ताव (A/Res/53/200) पारित किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनैप) और संयुक्त राष्ट्र संबद्ध विश्व पर्यटन संस्थान (डब्ल्यू.टी.ओ) द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मई 2002 में कीबैक, कैनेडा में विश्व ईकोपर्यटन शिखर सम्मेलन भी होगा।

आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ईकोपर्यटन को मान्यता तथा ईकोपर्यटन वर्ष की तैयारियां तो कर रहा है, पर इसके पीछे ईकोपर्यटन उद्योग की पर्याप्त जांच तथा पर्यटन गंतव्यों पर हुए नकारात्मक प्रभावों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई है। यूनैप के पर्यटन कार्यक्रम निर्देशक, औलिवर हिलेल को दक्षिण एवं उत्तरी क्षेत्र की 20 से अधिक संस्थाओं द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है, 'अंतार्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दक्षिण क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही विकास परीक्षण किए हैं... हम इस विचार का विरोध करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष को विकासशील देशों में ईकोपर्यटन परीक्षणों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिनसे भलाई के बदले नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है।'

संस्थाओं के इस समूह के पत्र में इस दावे पर भी ज़ोरदार सवाल उठाया गया है कि ईकोपर्यटन प्रणाली पारंपरिक पर्यटन से जुड़ी आर्थिक अबराबरी, सामाजिक अन्याय तथा पर्यावर्णीय समस्याओं का हल है। इसके विपरीत, वह आगाह करता है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं ने 'हर प्रकार के निवेशकों के लिए दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों, वनों, तटीय तथा समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचने के द्वार खोल दिए हैं' और 'अब बड़े स्तर पर अतिक्रमण, अवैध पेड़ कटान, खनन तथा जैविक संसाधनों का विनाश हो रहा है, जिसमें विवेकहीन तथा कारपोरेट संग्रहकर्ता अब जैविक चोरी तक करने लगे हैं'।

इस पत्र में इन समूहों ने यह भी कहा है कि, 'सरकारें अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष के लिए तैयार नहीं हैं' और अकसर 'ईकोपर्यटन के नाम पर हर तरह के ग्रामीण व प्रकृति पर्यटन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र की गतिविधियों की प्रभावपूर्ण संवीक्षा, जांच तथा नियंत्रण के लिए उचित ढांचे उपलब्ध नहीं हैं।;

ईकोपर्यटन प्रचारक ज़्यादातर आदिवासी लोगों और उनकी भूमि, पारिस्थितिकी तथा संस्कृति को ही लक्ष्य बनाते हैं और इसी कारण

आदिवासी एवं दक्षिणी अधिकार संगठन ईकोपर्यटन का विरोध करते आए हैं। डेबोराह मैकलैरेन, अमरीका स्थित रीथिंकिंग टूरिज़्म प्रौजैक्ट, की संयोजक, जो आदिवासी भूमि और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती हैं, 'ईकोपर्यटन के नाम से चलाए जा रहे अधिकतर कार्यक्रम निवेशकों को फायदा पहुंचाने, प्रबंधकों को विशेषज्ञ बनाने और पर्यटकों के मनोरंजन का काम करते हैं। उनसे मेज़बान समुदायों के आर्थिक, सामाजिक या पर्यावर्णीय स्वास्थ्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होती।'

रौडनी बौबीवौश, निर्देशक, फोरम फौर ग्लोबल ऐक्स्चेंज सैन्टर फौर वर्ल्ड इन्डिजीनस स्टडीज़ ने आदिवासी मुद्दों पर और व्यापक दृग्विषय रखने पर ज़ोर दिया है : 'अन्य लोगों के मुकाबले आदिवासी लोग यह जानते हैं कि पर्यटन के विषय की चर्चाओं में पारिस्थितिकी एवं आवास संरक्षण, सतत विकास, पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा, जैवविविधता, लाभ वितरण, जैविक चोरी और सांस्कृतिक संपत्ति का शामिल होना ज़रूरी है।'

उनका कहना था, ''यदि इन प्रक्रियाओं के संकलित प्रभावों को चर्चाओं में शामिल न किया गया हो तो न केवल वे चर्चाएं व्यर्थ हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी चर्चा में शामिल होने के अवसर नहीं मिलेंगे''।

अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष चारों ओर से सवालों तथा आशंकाओं से घिरा रहा क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं तथा उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। उदाहरण के लिए, आलोचकों का सवाल था कि, अगर इस प्रयास में यह सुझाव दिया गया कि सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को अपने देशों के ग्रामीण व प्राकृतिक क्षेत्रों में ईकोपर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए और विश्व के हज़ारों समुदाय पर्यटन में हिस्सा पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लग जाएं, तो क्या होगा? संगठनों ने यूनैप को लिखे पत्र में पूछा है, '... कौन जिम्मेदारी लेगा, जब ईकोपर्यटन प्रयासों के अंतर्गत अनुचित गणनाओं के आधार पर निवेश करने के बाद लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, स्थानीय व्यवसाय ठप्प हो जाएंगे तथा पूरे के पूरे समुदाय संकट की स्थिति में आ जाएंगे?'

एक और संभावना यह है कि इस आयोजन के कारण छुट्टियों पर जाने वाले लोग अब ईकोपर्यटक बन जाएं, जिसका परिणाम यह होगा कि गाँवों और जंगलों में हज़ारों की संख्या में लोग आने लगेंगे और वर्तमान पर्यटक केन्द्र खाली हो जाएंगी। निश्चित रूप से, यह प्रक्रिया सतत नहीं कहलाएगी और इससे वर्तमान पर्यटन व्यवस्था की समस्याओं में और अधिक अवांछनीय प्रभावों की बढ़ोतरी हो जाएगी।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि आर्थिक उदारवादिता और भूमण्डलीकरण के नए दौर के अंतर्गत बढ़ावा पा रहे ईकोपर्यटन कार्यक्रम स्थिति और भी खराब कर देंगे। इसमें लिखा है, 'अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे विश्व बैंक, आई.एम.एफ तथा वर्ल्ड ट्रेड औरगनाईज़ेशन विकासशील देशों पर उदारवादी व्यापार तथा निवेश के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सरकारें पर्यटन और ईकोपर्यटन का अपनी शार्तो पर नियोजन और प्रबंधन करने में और भी असमर्थ होती जा रही हैं।'

इसमें ज़ोर दे कर कहा गया है कि 'स्थानीय मुद्दे और कारपोरेट पर्यटन उद्योग का स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि कारपोरेट पर्यटन की निर्णय प्रक्रिया में कोई दखलंदाज़ी नहीं कर सकता और उसके उद्देश्य अपना व्यापार बढ़ाना तथा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है।'

संस्थाओं के पत्र में लिखा है, ''क्योंकि प्रकृति-आधारित पर्यटन को आजकल एक लाभप्रद एवं आला व्यापार माना जा रहा है, तो संभव है कि शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेशन अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष के ज़रिए ईकोपर्यटन की अपनी खुद की परिभाषाएं तथा नियम समाज पर थोपने की कोशिश करें, जबकि जन-आधारित प्रयास संकुचित हो कर किनारे लग जाएं''।

विश्व व्यापार संस्थान का ज़बरदस्त दबाव है कि सेवा क्षेत्र को विदेशी कारपोरेशनों के लिए खोला जाए। पहले से ही संकेत मिल रहे हैं कि दक्षिणी देशों में पर्यटन, जो कि एक प्रमुख सेवा उद्योग है, को बहु-राष्ट्रीय कोरपोरेशन अपना निशाना बनाना चाहती हैं।

इस बीच, गैर सरकारी संस्थाओं के पत्र में उठाए गए मुद्दों पर भी विश्व बैंक व उसकी सहयोगी संस्थाओं में चर्चा हुई। एक अधिकारी, क्रीज़ैंशिया एम. डूअर ने यह माना कि, 'यदि हम पर्यटन विकास पर जल्द ही अपनी राय नहीं बनाते हैं... समुदाय आधारित पर्यटन के छोटे प्रयास बड़े उद्यमों की प्रभावशाली रुचियों तथा सरकार को दिए जाने वाले बड़े मुनाफे के प्रलोभनों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे।'

संस्थागत प्रयासों के बिना... और बहु-उद्देश्यीय, अनुकूल प्रक्रिया के बिना, सामुदायिक पर्यटन अव्यवस्थित, टुकड़ों में बंटा हुआ तथा सूक्ष्म-स्तरीय ही रहेगा। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'अगर इन चुनौतियों के हल नहीं निकाले गए तो अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष केवल एक आडंबर से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा।'

अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष के इर्द-गिर्द जो चर्चाएं हुईं, उनमें राजनीति का ही बोलबाला रहा और कई मतभेद उभर कर आए। आलोचक गैर-सरकारी संगठन शिकायत करते हैं कि कारपोरेट उद्योग तथा विशाल संरक्षण संस्थाओं ने सांठ-गांठ करके ईकोपर्यटन के लिए यू.एन. का समर्थन हासिल कर लिया और अब वे इसे अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं (जैसे अपने कार्यक्रमों के लिए मुफ्त प्रचार या आर्थिक सहयोग मांग कर), जबकि जो

आवाज़ें इन मुद्दों पर सवाल उठाती हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है।

उनका कहना है कि यह सब जानते हैं कि कुछ गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन सोसायटी को ही इन तैयारियों में भाग लेने का मौका दिया गया - वही संस्थाएं जिनपर तृणमूल और आदिवासी संगठन स्थानीय लोगों के मुद्दों को नज़रंदाज़ करने का आरोप लगाते रहे हैं।

''हमारे अनुभव में, विशाल संरक्षण एवं विकास संस्थाएं स्थानीय लोगों के अधिकारों को कोई महत्व नहीं देतीं'', आदिवासी लोगों तथा गैर सरकारी संगठनों के समूह ने 150 सरकारों के सामने पिछले मई में, केन्या में हुए जैवविविधता सम्मेलन में कहा। ''उदाहरण के लिए, ईकोपर्यटन सोसायटी, कन्ज़रवेशन इंटरनैशनल और आई.यू.सी.एन. द्वारा किए गए कई कार्यक्रमों में आदिवासी तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों का आदर नहीं हुआ है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष कार्यक्रमों में, और उनसे सांस्कृतिक एवं जैविक विविधता को खतरा है।''

शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र ने सभी संबंधित समूहों को बुलाया - 'अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष की ओर से किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए' (प्रस्ताव 1998/40)। लेकिन सवाल यह है कि सफलता किसके लिए? अगर यह आरोप सही निकला, कि अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष से कुछ गिने-चुने सदस्यों को ही फायदा मिला, तो संयुक्त राष्ट्र की सत्यनिष्ठा और विश्व के गरीबों के लिए काम करने के दावे पर निश्चित सवाल उठेंगे।

इस संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम से जुड़ी विसंगतियों और निंदाओं के चलते, ईकोपर्यटन की पहले से ही अस्थिर छवि को और भी ठेस पहुंचेगी, और इस हद तक कि यह विशाल स्कीम पूरी तरह विफल हो जाएगी। क्या संयुक्त राष्ट्र के सीमित संसाधनों की दृष्टि से यह विशाल खर्च और इतना भारी प्रयास जायज़ है?

अंतिम टिप्पणी

[1] अनीता प्लूमारोम बैंगकौक में टूरिज़्म इनवैस्टीगेशन ऐंड मौनीटरिंग टीम (टिम-टीम) के साथ कार्यरत हैं। टिम-टीम एक अध्ययन व अभियान संस्था है जो पर्यटन के प्रभावों के मुद्दों पर काम करती है।

संदर्भ

www.twnside.org.sg/tour.htm

7.

ईकोपर्यटन विकासशील देशों के लिए एक पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक शिकंजा[1]

अनीता प्लूमारोम द्वारा[2]

1999

कई सालों से, पर्यटक विशेषज्ञ व्यापक पर्यटन के विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे कि गंतव्यों में कम-से-कम समाज और पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों को कम कियया जा सके। कुछ समुदायों ने, जो अपनी जिद्गी पर ज़बरदस्ती विकास थोपे जाने का विरोध कर रहे थे, अपने स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय, स्थानीय रूप से संचालित व सतत पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की। इस सबके बावजूद, स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी ही बनी हुई है।

जैवविविधता सम्मेलन के लिए कन्वैन्शन आफ पार्टीज़ की ब्रैटिलावा में पिछले साल हुई चौथी बैठक के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सी.बी.डी. के अध्याय 1 में दिए गए 3 उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन कार्यक्रम तैयार करने की होड़ लग गई है। सी.बी.डी. के 3 उद्देश्य हैं 'जैवविविधता संरक्षण, उसके अंशों का सतत उपयोग तथा उससे मिलने वाले लाभों का तुल्य वितरण'। लेकिन यह तीनों ही उद्देश्य भली मंशा तो दिखाते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के भाव पर आधारित है, पर इन्हें लागू करना उतना ही अस्पष्ट है। तृणमूल स्तर पर, सतत या ईकोपर्यटन विकास पर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है उससे फायदे के बजाए नुकसान ही हुआ है।

आलोचकों का कहना है कि पुराने पर्यटन के ढांचे को ईकोपर्यटन में बदला जाना, जिससे कि पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों पर उसके प्रभावों को कम किया जा सके और स्थानीय लोगों का विकास हो, यह प्रारूप कभी भी सफल नहीं हो सकता। हाल ही के वर्षो के अध्ययन से पुष्टि हुई है कि जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों में पर्यटन तथ संरक्षण कार्यक्रमों के चलाए जाने से व्यापक पर्यटन के प्रभाव बड़ ही रहे हैं। जो देश अपने अछूते क्षेत्रों को अब पर्यटन के लिए खोल रहे हैं, उनके बचे-खुचे जंगल भी व्यवसायिक गतिविधियों के हाथों बरबाद होने का खतरा है; उनके समुद्री, तटीय व जल क्षेत्र प्रदूषित हो जाएंगे; तथा पहले से त्रस्त जैवविविध संसाधन और भी दुर्लभ हो जाएंगे।

एशियाई आर्थिक संकट की शरुआत के बाद से जब भूमण्डलीय आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगे, तब से पर्यटन विकास को विकासशील देशों के जीवित रहने का एकमात्र मंत्र बताया जाने लगा, जिसने पर्यावर्णीय उद्देश्यों को ताक पर रख दिया। अकसर, निर्यात को छोड़कर, पर्यटन को ऐसे एकमात्र उद्योग के रूप में देखा जाता है जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कोष तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए हुए विशाल आर्थिक ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त राजस्व कमा सकता है।

दक्षिण पूर्वी देशो में ईकोपर्यटन को आर्थिक स्थिरता पुनः प्राप्त करने और समुदायों को इस विपदा की स्थिति से निकलने के लिए एकमात्र साधन माना जा रहा है। केवल थाईलैंड में ही, हज़ारों गाँवों को पर्यटन का नया निशाना बनाया जा रहा है। बैंगकौक के एक अखबार, द नेशन (7 अप्रैल, 1999) के अनुसार, आर्थिक समस्याओं के हल के लिए वहाँ के राजा ने एक व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है कि अन्य आर्थिक गतिविधियों, जैसे कृषि उत्पाद मूल्यवृद्धि, औषधीय पौधों के रोपण और पारंपरिक थाई औषधियों के साथ-साथ, 15,233 गाँवों में, 300,000 परिवारों और लगभग 700,000 जनसंख्या की भागीदारी से ईकोपर्यटन विकास का काम किया जाएगा! अस्पष्ट मांग की स्थिति में इससे ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं खड़ी कर देने का सवाल उठता है, जो पर्यटन में एक आम समस्या है।

लेकिन विडंबना यह है कि इतने विशाल स्तर पर पर्यटन परियोजनाएं लागू करने और ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं खड़ी करने के लिए और अधिक ऋण की आवश्यकता होगी, जिससे देशों पर पहले से जो आर्थिक दबाव की स्थिति बनी हुई है वह और भी गंभीर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, कई अध्ययन साबित कर चुके हैं कि ईकोपर्यटन के संभावित आर्थिक प्रभावों को ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है और असल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण और जन सेवाओं के सुधार के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

थाईलैंड में, एक सामाजिक निवेश परियोजना (सिप) के लिए विश्व बैंक 30 करोड़ डौलर देने के लिए राज़ी हो गया। इस परियोजना का उद्देश्य था बेरोज़गारी, आमदनी छूट जाने, आर्थिक

संकट के कारण सामाजिक सेवाओं में मूल्यवृद्धि और आई.एम.एफ. के संरचनात्मक समाधान कार्यक्रम की विफलता जैसी समस्याओं का हल निकालना। सिप के अंतर्गत प्रमुख सरकारी कार्यक्रम ईकोपर्यटन से संबंधित थे, जिसमें सौंदर्यीकरण कार्यक्रम, द्वि-भाषी सूचना पट्ट लगाना, और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए शौचालय बनाना शामिल था। सिप मिशन रिपोर्ट के अनुसार, इन पर्यटन कार्यक्रमों (जो थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाएंगे) के ज़रिए 'नए दृष्टिकोण एवं प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, उदाहरण के लिए, स्थानीय लोगों की ज़्यादा भागीदारी।'

लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है, कि विश्व बैंक के निर्देशन में तैयार की गई सिप योजना में पर्यटन को बढ़ावा देना एक धोखा है क्योंकि इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है ऋण चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा करना। स्थानीय लोगों के लिए इस आर्थिक संकट की स्थिति में कुछ दूसरी ही प्राथमिकताएं थीं। इसके अतिरिक्त, जापानी ओवरसीज़ इकोनौमिक कोऔपरेशन से लिए सिप ऋण के अंतर्गत, उत्तरी थाईलैंड में वन उद्योग संस्थान द्वारा लागू किए जाने वाले ईकोपर्यटन कार्यक्रम के खिलाफ आदिवासी कारेन समुदाय ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविकाएं, संस्कृति और पर्यावरण के लिए इसमें खतरा नज़र आया।

शैक्षणिक विशेषज्ञों ने भी ग्रामीण लोगों को सिप कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों के लिए -ऋण दिए जाने का विरोध किया। उनके अनुसार, इससे ग्रामीणों की स्वावलंबी तथा सतत स्थानीय आर्थिक व्यवस्था बनाने की क्षमता व प्रयास खत्म हो जाएंगे। सामुदायिक अध्ययनकर्ता पिताया वौंगवौल ने बैंगकौक के चुलालौंगकौर्न विश्वविद्यालय के सामाजिक संस्थान में हुए एक सम्मेलन में बताया : 'गाँवों में एक नई असत्य आर्थिक व्यवस्था पैदा हो रही है क्योंकि सरकार उन्हें उद्योग चलाने के लिए बहुत सा पैसा दे रही है... इन सभी बजटों में एक ही समस्या है कि वे सभी लोगों को, थोड़े समय के अंदर एक ही गतिविधि करने के लिए आकर्षित करते हैं... वे सभी लोग एक ही चीज़ कैसे बेच पाएंगे? ज़रूरत से ज़्यदा उत्पादन हो रहा है और जल्दी ही लोग हार जाएंगे।'

पिताया ने थाईलैंड के 5000 समुदायों का उदाहरण दिया जो औषधीय शैम्पू, केले के उत्पाद तथा अन्य चीज़ें बना रहे हैं, जबकि उनके पास इस उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग नहीं है। इसी तरह सवाल यह उठता है, कि यदि हज़ारों गाँवों में ईकोपर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा - क्या एक गाँव के लोग दूसरे गाँवों के लोगों से पर्यटक आकर्षित करने की होड़ में नहीं लग जाएंगे? और तब क्या होगा जब कोई पर्यटक यहाँ आए ही नहीं - कि विश्व स्तर पर अपेक्षानुसार आर्थिक व्यवस्था न सुधरे, अन्य देशों में इससे ज़्यादा आकर्षक ईकोपर्यटन स्थल हों, या पर्यटक अपनी रुचियां बदल लें और वे आकर्षक पर्यटन उत्पाद की ओर जाने लगें?

अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन नीतियों को बनाते समय इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, यह सुझाव दिया जाता है कि सभी देशों को जल्द से जल्द सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रम लागू करने चाहिएं, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण और आर्थिक विकास हो सके।

एशियाई समृद्धि के समय पर प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्यों में होटलों, रिज़ौर्टो, गोल्फ सुविधाओं, बाज़ारों तथा मनोरंजन केन्द्रों में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पर्यावर्णीय नुकसान के साथ-साथ, सामुदायिक जीवन में भी अवांछित बदलाव आए। जहाँ एक ओर इनमें से ज़्यादातर जगहें अब खाली पड़ी हैं या उनकी दुर्दशा हो चुकी है, वहाँ यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि भविष्य में ज़रूरत से ज़्यादा ईकोपर्यटन सेवाएं खड़ी हो जाएंगी, जो सतत विकास के प्रति वचनबद्धता के विरुद्ध है।

असल में मुद्रा स्फीति से प्रेरित ईकोपर्यटन नीतियों के विरुद्ध काम करने की सख़्त ज़रूरत है अन्यथा इसके कारण ग्रामीण एवं आदिवासी लोग और भी ज़्यादा आर्थिक संकट की स्थिति में आ सकते हैं। न ही जैवविविधता संरक्षण व जैविक संसाधनों के बढ़ा-चढ़ा कर किए हुए दावे कभी पूरे होंगे। इस संदर्भ में, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा तकनीकी सलाह देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की चर्चाओं में सतत, 'जैवविविधता मित्र' या ईकोपर्यटन के दावों तथा आधारभूत प्रस्तावों की जांच करने की मांग रखी गई। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 2002 को अंतर्राष्ट्रीय ईकोपर्यटन वर्ष घोषित करने के निर्णय को भी सूझबूझ तथा व्यापक चर्चा के आधार पर देखना ज़रूरी है।

अंतिम टिप्पणी

1. यह दस्तावेज़ जैवविविधता सम्मेलन के लिए कन्वैन्शन औफ पार्टीज़ की पांचवीं बैठक की तैयारी के लिए जून 1999 में पेश किया गया था।

2. अनीता प्लूमारोम, बैंगकौक में टूरिज़्म इनवैस्टीगेशन ऐंड मौनीटरिंग टीम (टिम-टीम) के साथ कार्यरत हैं। टिम-टीम एक अध्ययन व अभियान संस्था है जो पर्यटन के प्रभावों के मुद्दों पर काम करती है।

8.

ईकोपर्यटन संदर्भ, परिणाम तथा प्रभावों के विश्लेषण के लिए एक ढांचा

इक्वेशन्स द्वारा

वैचारिक ढांचा

1 ईकोपर्यटन की शुरुआत करने के निर्णय के पीछे क्यया कारण थे? उसके पीछे नायक कौन हैं?
2 समुदायों के बीच ईकोपर्यटन की शुरुआती चर्चाओं तथा परिभाषाएं निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? उसके अंश क्या हैं?
3 ईकोपर्यटन का प्रचार कौन कर रहा है? छाप कौन बना रहा है? उत्पाद कौन तैयार कर रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य तथा मूल्य हैं? ईकोपर्यटन के नाम पर किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है?
4 इसके बड़े खिलाड़ी कौन हैं? उनके क्या उद्देश्य हैं?
5 छोटे खिलाड़ी कौन हैं? आर्थिक सहयोग के क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
6 क्या-क्या उत्पाद हैं और ईकोपर्यटन कहां स्थित है?
7 ईकोपर्यटन विकास और नियंत्रण के लिए क्या कानून और नीतियां हैं?
8 क्या ईकोपर्यटन संबंधित घोषणापत्र, दिशानिर्देश या समुदायों और उद्योगपतियों के स्व-शासन नियम हैं?
9 उद्योग प्रारूपों के रूप में क्या विकल्प उपलब्ध हैं - उद्योग, भागीदारी, सहकारिता, अन्य?
10 क्या कोई प्रमाणिकरण प्रणाली है या आने वाली है? उसपर किसका नियंत्रण होगा?
11 ईकोपर्यटन की शिक्षा कैसे दी जा रही है?
12 ईकोपर्यटन अध्ययन में कौन-कौन शामिल है?

ईकोपर्यटन के अध्ययन के लिए ढांचा

1 पर्यटन संबंधी
1.1 क्षेत्र में ईकोपर्यटन का विकास कैसे हुआ इसका दस्तावेज़ीकरण
1.2 स्थापित सुविधाओं की संख्या, बढ़ोतरी का इतिहास
1.3 निजि, सरकारी इकाईयों की संख्या; स्थानीय समुदायों के स्वामित्व की इकाईयों की संख्या; यदि कोई भागीदारी है, तो उसका ब्यौरा
1.4 पर्यटन इकाईयों की रूपरेखा - निवेश, क्षेत्रफल, स्वामित्व
1.5 पर्यटकों की रूपरेखा
1.6 यात्रा व्यवस्थापक तथा एजेंट; स्थानीय व गैर स्थानीय
1.7 पर्यटन गतिविधियां - उत्पाद - विशेष आकर्षण
1.8 पर्यटकों की आवश्यकताएं
1.9 संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन
1.9.1 पर्यटकों की संख्या, रूपरेखा
1.9.2 गतिविधियां (ट्रैकिंग, सफारी आदि) व उनके तरीके
1.9.3 वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास सुविधाएं
1.9.4 स्थानीय लोगों के लिए अवसर
1.9.5 साल में या दिन में कब बंद रहता है?
1.9.6 दुर्घटनाओं के किस्से, उदाहरण के लिए, जंगली जानवरों द्वारा पर्यटकों पर आक्रमण
1.10 उद्योग प्रारूप
1.11 उत्पादनों का विकास तथा उनका विपणन (क्या बेचना है और क्या नहीं)
1.11.1 पर्यटन उत्पादनों की सूचि; विशेष आकर्षण

1.11.2 प्रचार सामग्री; किसने बनाई है
1.11.3 क्या बेचा जा रहा है?
1.11.4 बेचने के प्रमुख तरीके
1.12 छाप
1.12.1 प्रमाणिकता का उपयोग, पर्यटक इकाईयों द्वारा उपयोग की जा रही प्रमाणिकता की प्रक्रिया
1.13 भागीदारी - वर्तमान समय में चल रही विभिन्न प्रकार की भागीदारियां, जैसे, आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थाओं के साथ भागीदारी, विदेशाी निवेशक
1.14 पर्यटन किस मौसम में ज़्यादा होता है?

2 पर्यावर्णीय प्रभाव

2.1 स्थल के पर्यावरण की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट
2.1.1 वन, जैवविविधिता, संरक्षित क्षेत्र?
2.1.2 भूमि उपयोग
2.1.3 आस-पास हो रही अन्य विकास गतिविधियां
2.1.4 मानव-जानवर मुठभेड़ का स्वरूप
2.1.5 प्राकृतिक संसाधन
2.2 गैर काष्ठीय वन संसाधनों का स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग
2.2.1 ईकोपर्यटन से पहले और उसके बाद
2.2.2 क्या इस संसाधनों तक उनकी पहुंच में कमी आई है?
2.3 संरक्षित क्षेत्र
2.3.1 स्थानीय उपयोग बनाम पर्यटन उपयोग
2.3.2 सामुदाय आधारित संरक्षण प्रयास - सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्र - इनके बीच के अंतर स्पष्ट करें तथा इनकी व्याख्या; समुदायों की भागीदारी
2.3.3 पारंपरिक संरक्षण गतिविधियां, प्रयास
2.3.4 संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी
2.3.5 महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्गो पर विशिष्ट प्रभाव
2.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे, जल, स्थानीय निर्माण सामग्री आदि - ईकोपर्यटन से पहले और उसके बाद
2.5 प्रदूषण मापदंड
2.6 अपशिष्ट प्रबंधन
2.6.1 पर्यटन इकाईयों द्वारा अपनाए गए तरीके
2.6.2 जिम्मेदार प्रधिकरण द्वारा अपनाए गए तरीके
2.7 ऊर्जा का उपयोग जैसे, सौर ऊर्जा

3 आर्थिक प्रभाव

3.1 पारंपरिक तथा वर्तमान व्यवसाय; क्या उनमें कोई बदलाव आया है?
3.2 औसत वार्षिक आय, पर्यटन से क्या बदलाव आए हैं?
3.3 भूमि उपयोग - पारंपरिक, पर्यटन
3.4 भूमि स्वामित्व - अवधि
3.5 स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार (महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग)
3.5.1 पर्यटन प्रतिष्ठानों में रोज़गार के अवसर - रूपरेखा
3.5.2 सेवाएं - गाईड, यात्रा व्यवस्थापन
3.5.3 स्व रोज़गार के अवसर
3.6 प्रभाव
3.6.1 वस्तुओं व ज़मीन की कीमतों में बढ़ोतरी
3.6.2 पर्यटन प्रतिष्ठानों में कच्चे माल की ज़रूरत की आपूर्ति
3.6.3 युवाओं का पलायन
3.6.4 आमदनी स्तर में बढ़ोतरी
3.6.5 परंपरिक व्यवसायों में बदलाव
3.6.6 जुड़ाव व रिसाव
3.6.7 कौन लोग हैं जो इससे जुड़ नहीं रहे
3.7 ईकोपर्यटन से हर साझेदार को कितना हिस्सा मिल रहा है - निजि प्रतिष्ठान, सरकार, स्थानीय सरकारें?

4 सामाजिक प्रभाव

4. जनसांख्यिकीय आंकड़े

4.2 विस्थापन

4.3 पर्यटन से जुड़े अपराध

4.3.1 नशा

4.3.2 देह व्यापार/वैश्यावृत्ती

4.3.3 जैविक चोरी

4.4 लैंगिक मुद्दे

4.4.1 लैंगिक भूमिकाएं - महिलाओं का कार्यभार

4.4.2 महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार; किन विभागों में, काम का स्तर (कुशल मज़दूरी, अकुशल मज़दूरी), औरतों और मर्दों के लिए अलग वेतन - आर्थिक

4.4.3 पर्यटन के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी

4.5 जाति

4.6 अन्य हाशिये के समुदाय और उनकी पर्यटन में भागीदारी

4.7 आम सामुदायिक लाभ; अतिरिक्त लाभ कहां खर्च किया जा रहा है - व्यक्तिगत, सामुदायिक

4.8 पर्यटन से स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और क्या वे पूरी हो रही हैं?

4.9 गृह आवासें के अनुभव (प्रभाव, आपसी मेलजोल, जाति संबंध, वर्ग)

4.10 ईकोपर्यटन में जुड़ने के लिए स्थानीय लोगों को क्या प्रशिक्षण दिए गए?

5 सांस्कृतिक प्रभाव

5.1 स्थानीय लोगों का पर्यटकों के साथ संस्कृति, त्यौहारों तथा स्थानीय कला के मुद्दों पर मेलजोल

5.2 पारंपरिक रूप में बदलाव, उस पर वापस आने के रास्ते

5.3 प्रदर्शन प्रभाव

6 शिक्षा एवं व्याख्या

6.1 व्याख्या केन्द्र

6.2 जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम

6.3 सूचना केन्द्र, कौन चला रहा है

7 संस्थागत व्यवस्थाएं

7.1 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की पर्यटन विकास में भूमिका। उनकी जानकारी का स्तर

7.2 ग्राम सभा बैठकों में पर्यटन

7.3 ईकोपर्यटन विकास और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकार

7.4 निर्णय प्रणाली; चर्चाएं

7.5 नई संस्थागत व्यवस्थाएं जिसमें विभिन्न साझेदारों और अधिकार धारकों का प्रतिनिधित्व हो

7.6 पर्यटन के लिए बनाई गई नई संस्थाएं

7.7 अन्य सरकारी विभागों की भागीदारी किस स्तर पर है - पर्यटन, वन?

8 नीतियां व योजनाएं

8.1 क्या राज्य व स्थानीय स्तर पर ईकोपर्यटन नीतियां, नियंत्रण नियम और दिशानिर्देश हैं?

8.2 ईकोपर्यटन की शुरुआत कब हुई?

8.3 ईकोपर्यटन कार्यक्रम लागू करने के पीछे क्या प्रेरणा थी?

8.4 क्या ईकोपर्यटन से पहले पर्यटन था?

8.5 भविष्य के लिए क्या योजना है? - क्षेत्रफल, मूलभूत सुविधाएं, निजि निवेशकों को ज़मीन किराये पर देना

8.6 क्या समुदाय आधारित प्रयासों के लिए कोई सहयोग है?

8.7 पर्यटन गतिविधियों व पर्यटकों के लिए दिशानिर्देश, अगर हैं तो

8.8 वन विभाग की भूमिक में बदलाव - संरक्षण से पर्यटन के प्रचारक के रूप में

9 घोषणापत्र व दिशानिर्देश

9.1 किसने बनाए

9.2 क्रियान्वयन किस हद तक हुआ है

9.3 तैयार करने की प्रक्रिया

9.4 अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे युनैस्को (जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र) और अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते

Backside inside cover

इक्वेशन्स एक अध्ययन, जनवकालत तथा अभियान समूह है जो 1985 से पर्यटन के संदर्भ में स्थानीयलोगों के अधिकारों और उनको पर्यटन से मिलने वाले लाभों के मुद्दों पर काम कर रहा है। हमारा मानना है कि पर्यटन सतत तथा गैर-शोषणपूर्ण हो सकता है, जहां लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाए और पर्यटन तक पहुंच और उससे होने वाले लाभों का तुल्यबंटवारा हो।

Equations